त्रयोदश माला, खंड 9, अंक 12

मंगलवार, 8 अगस्त, 2000
17 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ट
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 12, मंगलवार, 8 अगस्त, 2000/17 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 और 224	2–27
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 222, 223 और 225 से 240	27–63
अतारांकित प्रश्न संख्या 2423 से 2636	63–418
सभा पटल पर रखे गए पत्र	419–421
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	421
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	422

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

मंगलवार, 8 अगस्त, 2000/17 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 221

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम प्रश्न काल को रोकना नहीं चाहते हैं और न ही हम प्रश्न काल को रोकने के पक्ष में हैं। हमारा एक ही निवेदन है, यह सही है कि लोक सभा में हम लोगों के भी बहुत जरूरी काम होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप क्वश्चन ऑवर के बाद बोलिये।

श्री मुलायम सिंह यादव: इसलिए लोक सभा का चलना बहुत जरूरी है। यहां गृह मंत्री जी भी आ गये हैं, हम चाहते हैं कि कश्मीर के सवाल पर हमने डिस्कशन के लिए लिखकर दिया था और संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि आप लिखकर दे देंगे, हम उस पर डिस्कशन स्वीकार कर लेंगे। हमने नियम 193 के तहत लिखकर दिया है। हम गृह मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि अब उस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए। हम अपने कांग्रेसी मित्रों से भी कहेंगे कि इस पर डिस्कशन होने दीजिए। आपने जूडीशियल इंक्वायरी करानी थी, इस्तीफा मांगना था, मांग लीजिए। लेकिन देश की जनता कम से कम जानना चाहती है जैसा कि अखबारों में आया है कि हमारी फौज के माध्यम से उनकी हत्याएं हुई हैं। जो कुछ भी हो, देश की जनता के सामने सच्चाई जानी चाहिए। हम कश्मीर के मामले में सहयोग करना चाहते हैं। यह देश का सवाल है। हम वास्तव में कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब आप कुछ काम नहीं करेंगे, हमसे भूल हुई या किसी से भी भूल हुई। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन करवा दीजिए, यही हमारा निवेदन है। हम आगे कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यहां गृह मंत्री जी भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा भी है कि आप लिखकर दे देंगे तो हम डिस्कशन स्वीकार कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): मैं श्री मुलायम सिंह यादव की मांग का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी आ गये हैं, हमने इंक्वायरी कमीशन की मांग की थी। वहां सौ से ज्यादा मासूम लोग मारे गये हैं ...*(व्यवधान)* गृह मंत्री जी को अपने पद से हटना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): यह क्वश्चन ऑवर है, इसमें यह क्या मांग कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: सवाल स्वायत्तता का नहीं है। अब सवाल यह आ गया है कि हिजबुल मुजाहिदीन से बात हो रही है, दोबारा बात हो रही है। गोपनीय बात हो गई। इधर यह अमरनाथ यात्रा हो गई, स्थिति गंभीर है। अब ये सवाल जुड़ गये हैं। अब सवाल स्वायतता का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आज बी.ए.सी. की मीटिंग में फाइनलाइज करेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, आप स्वीकार कर रहे हैं। आप समय निश्चित कर दीजिए और डिस्कशन स्वीकार कर लीजिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नक्सलवाद समस्या

***221. श्रीमती रेणुका चौधरी:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नक्सलवादी समस्या का सामना कर रहीं कुछ राज्य सरकारें नक्सलवादियों का खात्मा करने के लिए छोटे और सरल तरीके अपना रही हैं;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार का ध्यान 14 जून, 2000 को "डेक्कन हेराल्ड" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद समस्या से प्रभावित विभिन्न राज्य सरकारों को इस समस्या से कारगर ढंग से निपटने किन्तु छोटे और सरल तरीकों से बचने के निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने 14 जून, 2000 के डैकन हैरल्ड में प्रकाशित समाचार को देखा है।

आन्ध्र प्रदेश उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित है लेकिन यह कहना सही नहीं है कि सरकार, राज्य में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए छोटे और सरल तरीके अपना रही है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में वामपंथी उग्रवाद ने कुल मिलाकर जो स्वरूप अख्तियार कर लिया हैं उसे ध्यान में रखते हुए यह केन्द्र सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय बन गया है। अत: केन्द्र सरकार ने राज्यों के साथ परामर्श करके वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इन राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा तथा समन्वय करने तथा प्रत्येक राज्य के बारे में कार्रवाई योजना की मानिटरिंग करने तथा विकास और समस्या के सुरक्षा पहलु, दोनों पर सिफारिशें करने हेतु केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र का गठन किया है तथा गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक इस केन्द्र के सदस्य बनाये गये हैं।

समन्वय केन्द्र की आवधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं जैसे कि वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, पहचान की गई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण/सुधार करना, समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, नियमित रूप से आसूचना का आदान-प्रदान करना, आवश्यक के आधार पर अर्ध-सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध कराना आदि। इन निर्णयों पर प्रभावी रूप से अनुवर्ती कार्रवाई भी की गई है।

(ङ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है और वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए व्यय की 50% राशि, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना के अंतर्गत, राज्यों को अदा की जा रही है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत रिलीज की गयी राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:

(रु. लाखों में)

राज्य का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश	1209.560	709.560	354.780
बिहार	783.120	633.120	508.530
मध्य प्रदेश	387.820	437.820	846.360
महाराष्ट्र	शून्य	324.915	568.820
उड़ीसा	104.610	104.610	52.305

उपर्युक्त के अलावा, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना के तहत इन राज्यों को निम्नलिखित राशि रिलीज की गयी है:

आंध्र प्रदेश	-	30.46 करोड़ रु.
बिहार	-	28.80 करोड़ रु.
मध्य प्रदेश	-	5.00 करोड़ रु.
महाराष्ट्र	-	1.96 करोड़ रु.
उड़ीसा	-	3.58 करोड़ रु.

श्रीमती रेणुका चौधरी: महोदय, मेरे विचार से इस प्रश्न के उत्तर में मात्र आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। निम्न कारणों से कुछ और जानकारी भी चाहिए:

1. आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के एक वर्तमान मंत्री की रिमोट कंट्रोल डिवाइस से हत्या कर दी गई। उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए।

2. मध्य प्रदेश में एक वर्तमान मंत्री की आंध्र प्रदेश से आए "पीपुल्स वार ग्रुप" के सदस्यों ने हत्या कर दी, वे उनके कार्यालय में गए और धड़ल्ले से उनकी हत्या कर दी।

3. अब आंध्र प्रदेश के एक भूतपूर्व मंत्री को भी धमकी मिल रही है और यह दबाव बना हुआ है।

4. मैं एक पिछड़े हुए क्षेत्र तेलंगाना से हूँ जो कि संरक्षित वन क्षेत्र है। मुझे बताया गया है कि मुझे भी नक्सलवादियों से खतरा है।

महोदय, इस विवरण से मामलों की सच्चाई का पता नहीं चलता है। सरकार ने इस सच्चाई का भी पता नहीं लगाया है क्योंकि मुठभेड़ आंध्र प्रदेश में ही रही है। नक्सलवादियों की गतिविधियां तमिलनाडु जैसे राज्य में भी फैल रही हैं, जहां अभी तक ये नक्सलवादी गतिविधियां नहीं होती थी।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ कई बैठकें की हैं। हमारे पास आवश्यक तैयारियां नहीं हैं और हमारे खुफिया तंत्र और हमारी पुलिस को जितने धन और आधुनिक हथियार प्रणाली की आवश्यकता है, वह नहीं है। हमारी स्थिति दयनीय है।

महोदया, मैं सरकार से जानना चाहूंगी कि:

(1) इससे निपटने के लिए सरकार का मास्टर प्लान क्या है?

(2) नक्सलवादियों को लेकर सरकार की क्या नीति हैं? क्या यह केवल कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न है? या यह आर्थिक-सामाजिक समस्या है जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है चूंकि आपने लगभग 25 वर्षों तक इस नक्सलवाद को झेला है और अब आप इसे रोकने की स्थिति में नहीं हैं।

(3) इस मामले को हल करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों से बैठकें करने के बाद राज्यों को जारी धनराशि का क्या हुआ?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न से मैं सहमत हूँ। नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए छोटे और सरल तरीकों को न अपनायें।

महोदय, माननीय सदस्य का यह आरोप कि आंध्र प्रदेश की मुठभेड़ों की वजह से तमिलनाडु में भी नक्सलवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, ठीक नहीं है।

श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या आप यह नहीं जानते कि तमिलनाडु में एक प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है—तिरुपति के पास 'पीपुल्स वार ग्रुप' उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं। मैं माननीय सदस्य के विचारों का सम्मान करता हूं किंतु मुझे उनके द्वारा पूछे गए तीनों अनुपूरक प्रश्नों पर जवाब पूरा करने की अनुमति दी जाए।

श्री पीएच. पांडियन: धर्मापुरी में भी इनका एक शिविर है ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: यह इसलिए नहीं हो रहा है कि मुठभेड़ें हो रही हैं ...*(व्यवधान)* तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी समस्याएं हैं ...*(व्यवधान)* किंतु ऐसा मुठभेड़ों के कारण नहीं हो रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, तमिलनाडु को इस सूची से निकाल दिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री सीएच. विद्यासागर राव: पहले अनुपूरक पर मेरा जवाब तो यह है कि इस समस्या का समाधान आसान उपाय अपनाकर या मुठभेड़ करा के नहीं किया जा सकता है।

महोदय, संविधान के अनुसार यह राज्य-सूची की विषय है। यह राज्य सरकार का मूल कर्त्तव्य है कि वह स्थानीय पुलिस को आधुनिक उपस्करों से सुसज्जित करे और उन्हें प्रशिक्षित करें। राज्य सरकारें देश में उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियों और उनके बढ़ रहे खतरों से निपटने के लिए अपने-अपने राज्यों में पुलिस बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं।

महोदय, सबसे पहले कोई एक-सी नीति नहीं थी कुछ राज्यों ने परस्पर विरोधी नीतियाँ अपनाई हुई थी। मैं उनके राजनीतिक संबंधों की तह तक जाना नहीं चाहूंगा, किन्तु जहां तक इन समस्याओं से निपटने का संबंध है, इसके लिए सभी राजनैतिक दलों को एकजुट होकर इसका समाधान करना होगा।

महोदय, माननीय गृह मंत्री, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में पहली बार दिनांक 15.6.98 को सभी प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आंध्र प्रदेश में बुलाई गई थी। मुख्य मंत्रियों की दूसरी बैठक 4.2.2000 को दिल्ली में बुलाई गई। पहला सम्मेलन हैदराबाद में और दूसरा सम्मेलन दिल्ली में हुआ। केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में 26.6.98 को एक समन्वय केन्द्र की स्थापना की गई। संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव इस समन्वय केन्द्र के सदस्य थे। समिति की बैठकें दिल्ली में निरन्तर होती रहीं। वे विभिन्न राज्य सरकारों से आपस में बातचीत करते थे। वे कई योजनाएं भी शुरू कर रहे हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, समन्वय केन्द्र की बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक यह था कि राज्यों को न केवल कानून एवं व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए अपितु इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में लेने हेतु भी एकीकृत कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। उन्हें ग्रामीण जनता एवं ग्रामीण संचार तंत्र से मेलजोल भी बनाए रखना चाहिए। समन्वय केन्द्र में गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू करने के भी सुझाव दिए गए। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अंतरराज्यीय समन्वय पर जोर देने के लिए प्रयास जारी रखने पर सहमति हुई क्योंकि यह समस्या केवल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की ही नहीं है। राज्यों को आपसी समन्वय, गुप्तचर एजेंसियों द्वारा निचले स्तर पर भेदियों से जमा की गई सूचनाओं का अंतरराज्यीय स्तर पर तालमेल, समस्याओं का गहन विश्लेषण और सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। इसे कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में भी लेना चाहिए। हम पुलिस को हथियार दे रहे हैं। इसी के साथ-साथ राज्यों से उनकी समेकित विकास योजनाएं बनाने का भी आग्रह किया गया है। अधिकतर राज्यों ने अपनी योजनायें केन्द्रीय गृह मंत्री जी को सौंप दी हैं जिन्हें केन्द्रीय गृह मंत्री योजना आयोग को भेज चुके हैं। इन राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपने मामले योजना आयोग से शीघ्र स्वीकृत कराने के लिए स्वयं प्रयासशील रहें।

श्रीमती रेणुका चौधरी: महोदय, मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले, मैं रिकार्ड नहीं करना चाहूँगी। माननीय मंत्री सज्जन व्यक्ति हैं। मैं उन्हें तब से जानती हूँ जब वे आंध्र प्रदेश में थे और मैं यह भी जानती हूँ कि उन्होंने इस उत्तर पर कितनी गंभीरता से कार्य किया है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: प्रशंसा के लिए धन्यवाद।

श्रीमती रेणुका चौधरी: मैं जानती हूँ कि वह स्वयं हिट लिस्ट में हैं। इसलिए मैं तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत करूँगी।

सबसे पहले तो यह कि केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई अंतर्राज्यीय बैठक सबसे पहले तत्कालीन गृह मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण के नेतृत्व में हुई। दूसरा मुद्दा यह है कि मंत्री महोदय ने यह बताया है कि यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या ही नहीं है, यह सामाजिक-आर्थिक समस्या भी है। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूँ कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा यह कहते रहे हैं कि हम नक्सलवाद को सामाजिक-आर्थिक समस्या नहीं मान सकते हैं क्योंकि इससे उन्हें सम्मान मिलेगा। यह अभिलिखित है।

तीसरा मुद्दा है कि पहले मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस तरह की नक्सलवादी गतिविधियों पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया जाएगा। उसका क्या हुआ?

अब मैं अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न पर आती हूँ। क्या मंत्री महोदय इस बात से इंकार करते हैं कि आंध्र प्रदेश में मानव अधिकारों का हनन हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि 47 संगठनों ने आंध्र प्रदेश सरकार की इस बात के लिए निंदा की है कि नक्सवादियों को देखते ही गोली मार रही है? विशाखापत्तनम में मुकदमों के अधीन अभियुक्तों को मुठभेड़ के नाम पर मार दिया गया। जनता ने इसकी जोरदार शब्दों में निन्दा की है।

श्री के. येरननायडू: यह सही नहीं है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: माननीय सदस्य, नक्सलवादियों द्वारा की गई हिंसा की बात पर जोर दे रही हैं। इनका इशारा नक्सलवादियों की हत्याओं, मानवाधिकार हनन और दूसरी बातों पर भी है। इन दोनों में भेद करना जरूरी है। जब नक्सलवादी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करते हैं और जब वे किसी मंत्री की हत्या करते हैं तो अवश्य ही यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। जहाँ तक इसके सामाजिक-आर्थिक पहलू का संबंध है। हमें युवाओं को इस रास्ते पर जाने से रोकना होगा। हमें निर्धन ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा ताकि वे उग्रवादिता की राह पर न जाएं। ये दोनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ तो यह कानून और व्यवस्था की समस्या है, तो दूसरी ओर यह सामाजिक-आर्थिक समस्या भी है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आती हूँ। जहाँ तक आंध्र प्रदेश का संबंध है वहाँ मानव अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुठभेड़ों के समय, आंध्र प्रदेश की पुलिस इन दिशा-निर्देशों का पूरा ध्यान रखती है। जब भी मुठभेड़ होती है, तब स्थानीय पुलिस को मामले की जांच का कार्य सौंपा ही नहीं जाता। तब मामले की जांच का कार्य आस-पास के क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक को ही सौंपा जाता है। डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम जाँच करती है। तहकीकात भी स्थानीय न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार इन पर वीडियो बनाई गई है। आंध्र प्रदेश में मानवाधिकारों का कोई ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ है।

श्रीमती रेणुका चौधरी: मंत्री महोदय, क्या आप कह रहे हैं आंध्र प्रदेश में कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदया, कृपया पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, यदि माननीय सदस्या कुछ भी बताना चाहती हैं तो हम उस पर बातचीत कर सकते हैं और कार्यवाही कर सकते हैं लेकिन सामान्य वक्तव्य पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, यह सरासर गलत आरोप लगा रही हैं ...*(व्यवधान)* यदि माननीय सदस्या कोई सबूत दे सकती हैं तो उन्हें अभी बताना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। सभी सुरक्षात्मक कदम केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं ताकि यह देखा जाए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न दी जाए और मानव अधिकारों का अतिक्रमण न किया जाए।

[हिन्दी]

डॉ. संजय पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, नक्सलवाद के बारे में कुछ समस्याएं हैं ...*(व्यवधान)* उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। नक्सलवाद के पीछे जो भी कारण हैं, उनमें एक सामाजिक और आर्थिक कारण भी है। यह हम सब मानते हैं और कई लोगों ने इसे माना भी है। इसलिए हम सबको चाहे नक्सलवाद हो या नक्सलवाद से लड़ने के लिए किसी ने कोई और तरीका अख्तियार किया हो जैसे बिहार में रणवीर सेना के लोग नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, यह सब सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं। इसलिए हम आपसे यह पूछा चाहेंगे कि चाहे नक्सलवाद हो या रणबीर सेना के सैनिक हों उससे निपटने के लिए गवर्नमैंट क्या तैयारी कर रही है? जब हम क्रॉस बॉर्डर टैरोरिस्ट से बात कर सकते हैं तो उनसे बातचीत करने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इन नक्सलवादियों से या रणबीर सेना के लोगों से बात करने में हमें हिचकाना नहीं चाहिए। इसके अलावा जिस इलाके में नक्सलवाद की समस्या है, उस इलाके से नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए उन्हें एक स्पेशल पैकेज भी मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी इस बारे में क्या योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणूका चौधरी कृपया आपस में बात मत करिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, जहां तक बिहार राज्य का संबंध है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने वहां पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए पहले ही कुछ धनराशि प्रदान कर दी है। वर्ष 1997-98 में 783.12 लाख रुपए दिए गए थे। इसी प्रकार 1998-99 में भी उन्हें निश्चित धनराशि प्रदान की गई थी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान: क्या आप उनसे बात करने वाले हैं? आप जो अमाउंट बता रहे हैं वह मैंने देख लिया है। मैं उनसे बातचीत किये जाने के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है लेकिन उनके साथ बातचीत करने के लिए कोई प्रस्ताव दिया जाता हो तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है।

आंध्र प्रदेश में, नागरिक मंच ने मुख्य मंत्री से नक्सलवादियों से बातचीत करने के लिए अनुरोध किया है। मुख्य मंत्री ने विधान सभा में घोषणा की है कि वह उग्रवादियों के साथ बातचीत करेंगे। इसी प्रकार बिहार के संबंध में भी निःसन्देह यह कानून और व्यवस्था की समस्या है और हम वहां के पुलिस बल को अद्यतन शस्त्रों से सुसज्जित करना चाहते हैं और उसका आधुनिकीकरण करना चाहते हैं ताकि वह स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए तैयार हो। साथ-साथ हम किसी भी नक्सलवादी अथवा उग्रवादी दल से बातचीत करने को तैयार हैं यदि वह हथियार डाल देते हैं और हिंसा का रास्ता छोड़ देते हैं।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: अध्यक्ष महोदय, यह समस्या आंध्र प्रदेश और उसके आस-पास के राज्यों—महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा आंशिक रूप से बिहार से भी संबंधित है।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है यह नक्सलवाद और आतंकवाद की ही समस्या नहीं है जिसे पुलिस बल के साथ निपटा जा सकता है। वह कुछ हद तक बल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यह ही इस समस्या का एक मात्र हल नहीं है। यह सामाजिक-आर्थिक समस्या भी है। बेरोजगारी के कारण युवक इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनका उपयोग किया जा रहा है और नक्सलवादी गुट उन्हें धन भी दे रहे हैं।

महोदय, माननीय मंत्री ने यह भी बताया है कि राज्य सरकारों ने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं ताकि सामाजिक-आर्थिक समस्या का निपटारा करते, नक्सलवाद का मुकाबला किया जा सके।

यह सदन नक्सलवाद से प्रभावित जिलों के संबंध में राज्यों द्वारा भेजे गये प्रस्तावों के बारे में जानना चाहता है। इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा, क्रियान्वित विकास कार्यक्रम और प्रस्तावित विकास कार्यक्रम क्या है ताकि आर्थिक विकास हो सके और इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सके। यह लम्बे समय से किया जा रहा है। पिछले दस वर्षों से इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। सदन इस संबंध में राज्यों के विचार और उनके ठोस प्रस्तावों के बारे में जानना चाहता है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: यह सच है कि जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि पहले नक्सलवाद की ओर अपनाई गई नीति ढुलमुल थी। लेकिन अब राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के गृह सचिव के साथ हुई बातचीत और बैठकों के अनुरूप आवश्यक कदम उठा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वह कदम क्या है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: चर्चा में गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसरण में उन्होंने जिला पदेन मंत्री, जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को लेकर जिला स्तरीय समिति का गठन किया जो उन उग्रवादियों की समस्याओं को निपटाने का प्रयास करेगी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और युवकों को परामर्श प्रदान भी करेगी।

इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई। राज्य गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री और समाज कल्याण मंत्री केबिनेट समिति की उस उप-समिति के सदस्य हैं। उनका कार्य सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढना है। गरीब लोगों की समस्याओं का हल किस प्रकार से किया जा सकता है इस बारे में विचार किया जाता है। प्रत्येक माह उन्हें केबिनेट को रिपोर्ट देनी होती है। ये दो उपाय राज्य सरकार द्वारा किये गये हैं।

जहां तक आंध्र प्रदेश के लिए धन का संबंध है तो दसवें वित आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्हें विशेष अनुदान दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ। वह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है लेकिन किन आर्थिक गतिविधियों को इन राज्यों में तेज किया जा रहा है?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: धन प्रदान करके केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक समस्याओं का ध्यान रखा जा रहा है। विशेष रूप से ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह अनुदान लगभग 60 करोड़ रुपये है आंध्र प्रदेश के लिए काफी अनुदान दिया गया है। अनुदान के साथ-साथ सुरक्षा संबंधित व्यय पर सहायता भी आंध्र प्रदेश को दी गयी है। यह अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। हम पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु भी वित्त प्रदान कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: वह नक्सलवाद का दमन करने के लिए ही है। वह आर्थिक गतिविधि नहीं है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से व्यापक योजना भेजने के लिए कहा गया है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वह योजना प्रस्तुत भी कर दी गई है। उस योजना को योजना आयोग को सौंप दिया गया है और राज्य सरकार से कहा गया है कि वह योजना आयोग से इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करे।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि पहचान की गई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण, प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना और अर्धसैनिक बलों को सहायता उपलब्ध कराना, तीन तरह की मदद सरकार करेगी। इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि कुछ राशि ट्रेनिंग और आधुनिकीकरण के लिए दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि विकास के लिए, जो प्रभावी क्षेत्र हैं, कितने अर्धसैनिक बलों की मांग की गई है और कितनी दी गई और सड़कों के विकास के लिए क्या प्रस्ताव आया है? इस संबंध में सरकार की तरफ से क्या किया जाने वाला है और क्या किया गया?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: बिहार सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रतिवेदन सौंपा है। कुछ मदों पर बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया था। इसलिए हमने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस योजना पर पुनः विचार करे तथा इसे शीघ्र ही वापस भेजे ताकि हम इस योजना को योजना आयोग के पास भेज सकें। दोनों राज्यों के बीच कुछ भिन्नता थी। जहाँ तक बिहार राज्य का संबंध है, उन्होंने एक योजना भेजी है। लेकिन हमने उन्हें उस योजना में कुछ संशोधन करके उसे पुनः लौटाने के लिए कहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल प्रभावित राज्यों के माननीय सदस्यों को बोलने के लिए कह रहा हूँ।

सरदार बूटा सिंह: हमें भी कुछ अनुभव है। हमें भी अवसर दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या बूटा सिंह का राज्य भी इससे प्रभावित है?

...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान: अध्यक्ष महोदय, 33 वर्ष पहले अप्रैल के महीने में 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से नक्सलवादी आन्दोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय स्वर्गीय चारू मजूमदार के नेतृत्व में नक्सलवादियों का विचार था कि भूमि सुधार अनिवार्य है तथा अतिरिक्त भूमि गरीब भूमिहीन कृषक मजदूरों में वितरित की ही जानी चाहिए।

उस समय यही उद्देश्य था। केन्द्र सरकार को भूमि सुधार से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों के ऊपर ही नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि यह कार्य एवं कर्त्तव्य केन्द्र सरकार का है। छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से भूमि सुधार से संबंधित कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। वर्तमान में पूरे देश में भूमि सुधार से संबंधित किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह सरकार कर रही है? केवल पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में भूमि से संबंधित सुधार कार्य हुए और किसी अन्य राज्य में नहीं। स्थिति यही है।

दूसरे. ऐसा नहीं है कि केवल एक नक्सलवादी गुट है। क्या आपने ऐसे गुटों की गणना की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के गुटों की संख्या 20 है या 30 या 40 या 100 ? जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार के 34 गुट विद्यमान हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि केन्द्र ने यह अध्ययन किया है कि इस प्रकार के नक्सलवादी गुटों की संख्या कितनी हैं, उनके दृष्टिकोण क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं तथा उनका आदर्श क्या है? क्या सरकार ने कभी उनके बारे में अध्ययन किया है? क्या केन्द्र सरकार हमें आंकड़े दे सकती है। इसका संबंध सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से है और हमें यह बात भूलनी नहीं चाहिए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: जैसा कि माननीय सदस्य जी ने कहा, भूमि सुधारों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन में असफलता भी उन क्षेत्रों की समस्याओं में से एक है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने हैं।

श्री अमर राय प्रधान: आप छठी पंचवर्षीय योजना के बाद से चुप क्यों बैठे पड़े हैं? मेरा प्रश्न यह है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं इस मुद्दे पर माननीय सदस्य जी के सुझाव से सहमत हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि भिन्न-भिन्न राज्यों की राज्य सरकारों की अपनी-अपनी प्राथमिकताएं रहीं। मध्य प्रदेश ऐसा प्रान्त है, जहां पर पी.डब्ल्यू.जी. पर प्रतिबन्ध नहीं है। अभी वहां एक केबिनेट मंत्री की हत्या हुई थी। बाद में एक सब-इंस्पैक्टर को इस प्रकार से मारा गया कि फर्जी डकैती डालकर उसको बुलाया गया और उसकी हत्या हुई। मेरे कहने का आशय यह है कि जिस समय गृह सचिव और मुख्य सचिव की बैठक केन्द्र सरकार ने बुलाई थी, तब भी मैंने एक पत्र लिखा था कि क्या यह समस्या सिर्फ प्रशासनिक है। वहां पर जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनकी सबकी अपनी-अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने सुझाव हैं, जिनको विस्तार से सदन में अभी नहीं कहा जा सकता। अगर इसी विषय पर कोई डिबेट होती है तो वे प्रस्ताव आ सकते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र से या प्रदेश से आते हैं और जो सरकारें अपना अलग-अलग व्यवहार कर रही हैं, उनमें एकरूपता लाने के लिए क्या केन्द्र सरकार कोई कार्ययोजना बना रही है और साथ में विकास के जो क्षेत्र हैं, वहां सिर्फ गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता। ग्रामीण विकास मंत्रालय की, पर्यावरण मंत्रालय की समस्याएं हैं, जिनके कारण वहां विकास के रास्ते रुके हुए हैं, आवागमन के रास्ते भी बन्द हैं तो क्या केन्द्र सरकार ऐसा कोई कोर ग्रुप बनाएगी और उसके एक्शन प्लान को प्रदेश सरकारों को देगी ताकि एकरूपता के साथ इस समस्या का समाधान हो सके, यह मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों से समन्वित कार्य योजनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। हमारा विचार विकास संबंधी योजनाएं बनाने का है जिसके अंतर्गत संचार प्रणाली, थानों से सीधे डायलिंग सिस्टम को जोड़ना और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16, जिसके विषय में मेरे एक सहयोगी माननीय सदस्य जी अत्यंत चिन्तित हैं, का निर्माण तथा उन्नयन भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के निर्माण या उन्नयन का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। यह राजमार्ग आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के निजामाबाद को मध्य प्रदेश के जगदलपुर से जोड़ता है। इस विषय में केन्द्रीय गृह मंत्री ने आवश्यक निधि के आबंटन के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से बात की है तथा इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी है। इस संबंध में सीमा सड़क संगठन ने भी सूचित किया है कि जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की सलाह के अनुरूप आंध्र प्रदेश में इस सड़क को बनाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है तथा

और सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

समन्वित कार्य योजना में केवल सड़कों के विकास का ही नहीं बल्कि जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के विकास का भी सुझाव दिया गया है। ऐसा सुझाव मध्य प्रदेश सरकार पहले ही दे चुकी है और हम उसे लागू करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: जो प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ न तो स्टेट हाईवे है और न ही नेशनल हाईवे है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कृपया प्रश्न पूछें। हमें इस प्रश्न पर चर्चा करते हुए पहले ही आधा घंटा हो चुका है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो कुछ कहा है विकास से संबंधित वे सारे कार्य पहले से ही योजना में सम्मिलित किए गए हैं। हम इन सबका विकास करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया: अध्यक्ष महोदय, नैक्सलाइट प्राब्लम का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसकी जननी आंध्र भूमि है, जो आपका राज्य है, सबसे पहले यहां पर प्राब्लम शुरू हुई थी। हमारा राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसके एडजाइनिंग बोर्डर हैं। गृह मंत्री जी ने पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग एक नहीं, तीन-तीन बार बुलाई थी। हमने भी पत्र द्वारा, जो नैक्सलाइट प्रभावित क्षेत्रों के सांसद हैं, आपको अवगत कराया था कि यह समस्या बुलेट से हल होने वाली नहीं है। बुलेट का जवाब बुलेट नहीं है। यह लॉ एंड आर्डर की समस्या है और गृह मंत्रालय की प्राब्लम है। मेरा संसदीय क्षेत्र चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में है, यह पूरा क्षेत्र नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें लॉ एंड आर्डर को व्यवस्थित करने के लिए सोफिस्टिकेटेड वैपन्स के लिए 50 प्रतिशत मदद केन्द्र सरकार की ओर से देने की बात कही थी। मैं माननीय आडवाणी जी से विनती करना चाहूंगा। 1980 से जब से फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ, तब से आदिवासी क्षेत्रों में और वनों में नक्सलवादी गतिविधियां चल रही हैं। फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के चलते हमें वहां टी.वी. टावर, ट्रांसमिशन लाइनें और इरीगेशन के प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं मिलती। आपने जिस प्रकार से आर्म्स एंड एम्युनिशन के लिए 50 प्रतिशत मदद देने की बात कही है, पांचों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्पेशल एक्शन डवलपमेंट प्लान आपको सब्मिट किया है। हमारे महाराष्ट्र राज्य ने भी 836 करोड़ रुपये का प्लान सबमिट किया है। प्लानिंग मिनिस्ट्री एवम् वन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ सलाह करके इस पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपका कोई स्पलीमेंट प्रश्न है या नहीं, क्योंकि प्रश्नकाल में इतना लम्बा भाषण नहीं दिया जाता।

श्री नरेश पुगलिया: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल महत्वपूर्ण है। इससे पांच राज्य प्रभावित हो रहे हैं। वहां का ट्राइबल प्रभावित हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: अपना पूरक प्रश्न पूछें।

श्री नरेश पुगलिया: इन पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जो स्पेशल एक्शन डवलपमेंट प्लान बनाकर दिया है, क्या उसमें 50 प्रतिशत मदद देने की कोशिश केन्द्र सरकार करेगी?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं इस बात की गलतफहमी दूर करना चाहूंगा कि हम ऐसा नहीं मानते कि इस प्रकार की नक्सलवादी हिंसा केवल मात्र बंदूक के जरिए ही रोकी ही जा सकती है, यह सम्भव नहीं है। जब पहली कांफ्रेंस हुई 1998 में और उसके बाद जितनी भी हुई, सबमें कहा गया कि एक इंटीग्रेटेड एप्रोच होनी चाहिए, जिसका जिक्र राज्य मंत्री ने किया है और आपने भी जैसा कहा है। हरेक प्रदेश में अलग-अलग कारण पैदा होते हैं। कहीं पर, खास पर वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी कभी-कभी बाधा पैदा करते हैं। उसके बारे में भी केन्द्र में विचार होता रहता है और योजना आयोग में भी होता है। मैं आज यह कह दूं कि जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है, उसका 50 प्रतिशत दे दिया जाएगा, यह योजना आयोग एक्जामिन करके फिर उस पर सही निर्णय करेगा।

श्री नरेश पुगलिया: आप इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, योजना आयोग की संयुक्त मीटिंग करें और जो प्रोजेक्ट रुके हैं, क्या उनको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे?

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, मंत्री जी का लिखित उत्तर आया है, उसमें 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में आधुनिकीकरण के लिए निधि का आबंटन किया गया है। एक तरफ राज्यों में उग्रवाद बढ़ रहा है और दूसरी तरफ निधि कम हो रही है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने महसूस कर लिया है कि प्रांतों में उग्रवाद कम हो रहा है? साथ ही पैरा 3 में लिखा है कि अर्ध सैनिक बल जो जाता है, वह वहां राज्य सरकारों की देखरेख में काम करता है। अभी कुछ ही दिन पहले सदन में आपने उत्तर दिया था कि जहां राज्य सरकारें सही ढंग से काम नहीं करेंगी, वहां केन्द्र सरकार चुप नहीं बैठेगी। माननीय गृह मंत्री जी ने जैसा कहा था, जैसे बिहार में उग्र प्रभावित जिले हैं, वहां बराबर शंका बनी रहती है। जो अर्ध सैनिक बल जाता है, उसका उपयोग राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार का चरित्र भी संदेहास्पद होता है। क्या वैसे राज्यों में केन्द्र सरकार अपनी तरफ से गंभीरता से कार्रवाई करेगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मौडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज के प्रोसैस में जितना एमाउंट दिया जाता है, उसका उपयोग कितना हुआ है, सदुपयोग कितना हुआ, उसके बाद उसके आगे की इंस्टॉलमेंट दी जाती है। इस कारण अमाउंट कभी-कभी कम हो जाता है। लेकिन मुझे सदन को यह कहते हुए खुशी है कि आज से दो साल पहले तक हम सारे देश में मौडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज पर मात्र 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर सकते थे जिसे बढ़ाकर पिछले साल 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस बार वित्त मंत्रालय से बातचीत करके माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी-अभी जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें घोषणा की कि प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये के बजाए 1000 करोड़ रुपये मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज के लिए देंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की प्रक्रिया में, आज पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आकर पड़ा है। विगत वर्षों में जो उनका दायित्व बढ़ता गया है, इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याएं भी बढ़ी हैं, जिनमें से प्रमुख समस्या नैक्सेलाइट उग्रवाद की है। उसका सामना करने में, उसे मौडर्न बनाने के लिए उसे आधुनिक हथियारों से इक्विप करना बहुत जरूरी है, इसलिए यह धनराशि बहुत उपयोगी है।

श्री पी.एच. पांडियन: नक्सलवाद का प्रमुख काम उग्रवादी गतिविधियां हैं। क्या यह सच है कि भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि राज्य सरकार ने राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों को रोक रखा है? मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि 1985 में भी पोनपारात्ती गांव में नक्सलवादी गतिविधियों को रोका गया था तथा एक दुर्दांत नक्सलवादी को मार गिराया गया। इससे दो दिन पहले, तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा था कि उस गुट से जुड़े दो व्यक्ति अब नक्सलवादी गतिविधियां चला रहे हैं। क्या यह सच है कि सरकार ने तमिलनाडु में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की है। अभी हमने माननीय गृह मंत्री जी को यह कहते हुए सुना है कि सरकार गोली का जवाब गोली से नहीं दे सकी। यदि सरकार हिंसा को रोकने में समर्थ नहीं है, यदि यह उग्रवादी या नक्सलवादी गतिविधियों को बल प्रयोग करके नहीं रोक सकती तो यह कानून को मानने वालों को बचा नहीं पायेगी। क्या सरकार भारत में इन नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई ठोस और सुनियोजित योजना बनाएगी?

श्री सीएच. विद्यासागर राव: जहां तक भारत में नक्सलवादी गतिविधियों का प्रश्न है, सरकार का इस संकट को पूर्णतः समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इसमें कोई संदेह नहीं है।

जहां तक तमिलनाडु की समस्या का संबंध है, मैं माननीय सदस्य जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में नक्सलवाद न बढ़ाएं। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: यह मैंने ज्ञात सूचना के आधार पर कहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि राज्य में नक्सलवादी गतिविधियां हो रही हैं।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: हम नक्सलवादियों से निपट रहे हैं। *...(व्यवधान)* जहां तक आधुनिकीकरण का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, आपको क्या हो गया है। इससे आपका कुछ लेना-देना नहीं है। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: उनको इस तरह व्यवधान नहीं डालना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको सभा की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। यह आपसे संबंधित नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: मैं यह जानना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में नक्सलवादी गतिविधियां रोकी गई हैं या नहीं। हाल ही में तमिलनाडु में दो दुर्दांत नक्सलवादी मारे गए। *...(व्यवधान)* वहां वीरप्पन भी है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, जहां तक तमिलनाडु में पुलिस के आधुनिकीकरण का प्रश्न है, हम उन्हें धन दे रहे हैं। जहां तक तमिलनाडु में नक्सलवादी समस्या का प्रश्न है, इसके विषय में माननीय सदस्य जी को अलग प्रश्न रखने दीजिए ताकि हम इस पर बहस कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 222, श्री तूफानी सरोज—अनुपस्थित

प्रश्न संख्या 223, श्री दलपत सिंह परस्ते—अनुपस्थित .

प्रश्न संख्या 224, श्री हरीभाई चौधरी

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा

***224. श्री हरिभाई चौधरी:**
डा. रमेश चन्द तोमर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में राज्य सरकारों के परामर्श से प्राथमिक शिक्षा संबंधी वर्तमान नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुछ राज्यों द्वारा वर्तमान प्राथमिक शिक्षा नीति का कार्यान्वयन न किये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जो शैक्षिक स्थिति और राष्ट्रीय आम सहमति की गहन समीक्षा पर आधारित है, के अंतर्गत शिक्षा के समग्र विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक ढांचे का प्रतिपादन किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी प्रगति तथा समय-समय पर विकसित होने वाली प्रवृत्तियों को सुनिश्चित करने के लिए इसके विभिन्न प्रातिमानकों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा तथा मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। इस तरह की अंतिम समीक्षा वर्ष 1992 में की गई थी। नई समीक्षा करने की प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित शिक्षा मंत्रियों की राष्ट्रीय समिति (1999) की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में जन-जन तक पहुँचाने का एक कार्य ढांचा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा तय करने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान नामक एक कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। सर्व शिक्षा अभियान का निर्धारण करने के लिए राज्यों के साथ कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं।

प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

(1) वर्ष 2003 तक 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए स्कूल/शिक्षा गारंटी केन्द्र/सेतु पाठ्यक्रम हो।

(2) 2007 तक 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।

(3) 2010 तक 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे आठ वर्ष की स्कूल शिक्षा पूरी करें।

प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान का दृष्टिकोण पूर्णत: समुदाय आधारित होगा और पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से बनी ग्राम शिक्षा योजना, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं का आधार होगी। इन योजनाओं में कम महिला साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समूचे देश को शामिल किया जाएगा तथा इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष में चालू होने की आशा है।

(ग) सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा इसकी कार्ययोजना को लागू करें। सभी राज्यों में प्रयास किये गये हैं और प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाए जाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। इन प्रयासों के फलस्वरूप 6-14 आयु वर्ग के 70 प्रतिशत से अधिक बच्चे विद्यालय जा रहे हैं तथा 1997 में साक्षरता दर 62% तक पहुँच गयी है। सर्व शिक्षा अभियान की समुदाय मूलक पहल इस संबंध में किये जा रहे प्रयासों को और अधिक संबल प्रदान करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी: माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह सही है लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, आप हमेशा सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी: कुछ राज्यों के द्वारा वर्तमान प्राथमिक शिक्षा नीति का कार्यान्वयन किये जाने के कारण क्या हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी प्रश्न-काल गंभीरता से नहीं ले रहा है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी: माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह सही है लेकिन मैंने प्रश्न किया था कि कुछ राज्यों के द्वारा वर्तमान प्राथमिक शिक्षा नीति कार्यान्वित नहीं किये जाने के कारण क्या हैं और वे कौन से राज्य हैं जो अपनी नीति कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष जी, यह कहना तो बड़ा कठिन है कि शिक्षा नीति का कार्यान्वयन कुछ राज्यों के द्वारा बिल्कुल नहीं किया गया लेकिन यह जरूर है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यू.पी., बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम है और निरक्षरों की संख्या भी अधिक है। लेकिन यह कहना कि उन्होंने बिल्कुल ही शिक्षा नीति का कार्यान्वयन नहीं किया, यह ठीक नहीं होगा। जिस रूप में वहां होना चाहिए था, उस रूप में वहां अवश्य नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रेणूका चौधरी, आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रही हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी: महोदय, देश में यह एक समस्या है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी: आज भी अपने देश में 33 करोड़ लोग पढ़े नहीं हैं और 27 प्रतिशत लोग लिख नहीं सकते। आज भी शिक्षकों की कमी है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। उनमें शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता है। कुल प्राथमिक विद्यालयों में से एक शिक्षक वाले विद्यालय 28 प्रतिशत और 32 प्रतिशत विद्यालयों में केवल दो शिक्षक हैं। जब तक प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षा कैसे दी जाती है? मैं पूछना चाहता हूं कि हर क्लास में मिनिमम एक शिक्षक मिलेगा या नहीं मिलेगा?

डा. मुरली मनोहर जोशी: केन्द्र सरकार प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करती। यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों को करना होता है। हम आवश्यक धनराशि बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं तथा यह भी रकीम रखी है कि किस प्रकार से अध्यापकों की संख्या बराबर लोगों को मिले। आज सारे देश में 19,03,539 अध्यापक प्राइमरी और जूनियर बेसिक स्कूलों में नियुक्त किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अभी शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत 1,80,000 स्थानों पर और स्कूल खोलने होंगे और वहां पढ़ाने के लिए व्यवस्था करने का भी प्रावधान हम कर रहे हैं। लेकिन इसका कार्यान्वयन बिना राज्य सरकारों की सहायता के नहीं कर सकते। हमारा एक प्राइम दायित्व है कि हमारी योजनाएं निरंतर हैं, हम पैसा बराबर और बढ़ा रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि हमारी शिक्षा के कुल बजट का 65 प्रतिशत बजट हम प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च कर रहे हैं।

डा. रमेश चन्द्र तोमर: अध्यक्ष महोदय, माननीय संसाधन विकास मंत्री जी अध्यक्षता में 1999 में शिक्षा मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति बनी थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को एक मिशन के रूप में जन-जन तक पहुंचाने की एक कार्य योजना तैयार की गई थी। इस कार्य योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष में शुरू करने का तय किया था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के कितने राज्यों ने इस सर्व शिक्षा अभियान को शुरू कर दिया है और जिन राज्यों ने शुरू नहीं किया है, माननीय मंत्री जी उन राज्यों से मिलकर इस कार्यक्रम को कब शुरू करने जा रहे हैं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष में चालू किया जाएगा। हमारी आशा है कि इस वर्ष राज्यों से परामर्श करके इस योजना को शुरू कर सकेंगे। अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है।

श्री राशिद अलवी: महोदय, देश में बड़े स्टूडेंट्स की तादाद काफी है, जिन्हें दाखिला नहीं मिलता है। वे बगैर दाखिले के रह जाते हैं। प्रधान मंत्री जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, उनका प्रोग्राम है कि यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज किया जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा सोच रही है और जिन लोगों के पास पैसा है, जो युनिवर्सिटीज को अपने पैसे के बलबूते पर बना सकते हैं, उन्हें इसकी इजाजत दी जाए कि वे प्राइवेटाइज कर सकें।

अध्यक्ष महोदय: श्री अलवी, यह प्राइमरी एजुकेशन के बारे में प्रश्न है, युनिवर्सिटी के बारे में नहीं है।

श्री राशिद अलवी: मैं युनिवर्सिटी की बात कह रहा हूं। मैं दूसरा प्रश्न भी कर रहा हूं।

[अनुवाद]

यह विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

प्राइमरी एजुकेशन के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: महोदय, मेरे प्रश्न का 'बी' भाग है— प्राइमरी स्कूल के बच्चों के सिर पर तो छत भी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी नीति बना रही है कि स्कूलों के अन्दर युनिफार्मिटी आ सके और सभी बच्चे एक तरह के स्कूल के अन्दर जायें, ऐसा न हो कि बड़े बाप का बच्चा बड़े स्कूल में जाये और छोटे बाप का बच्चा छोटे स्कूल में जाए? ...*(व्यवधान)* मैं देश के सारे बच्चों के बारे में कह रहा हूं। जब तक छोटे और बड़े स्कूल रहेंगे, तब तक हर बाप चाहेगा कि उसका बच्चा बड़े स्कूल में जाए, छोटे स्कूल में क्यों जाए। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, इस देश में हमारी शिक्षा नीति का मतलब यह है कि एक निश्चित स्तर तक सारे बच्चे चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस समुदाय के हों, चाहे जिस स्थान पर रहते हों, चाहे जिस लिंग के हो, उन सबको एक समान शिक्षा जो लगभग कम्पैरेटिव इक्वैलिटी की हो और क्वालिटी की हो, मिले। सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है। हमने बार-बार प्रयास किया है कि कामन-स्कूल-सिस्टम इस दृष्टि से चलाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसे अधिकांश स्कूल नहीं चल सके हैं। केन्द्रीय सरकार ने नवोदय विद्यालय योजना चलाई है, इसके तहत हर जिले में एक विद्यालय है और जिसमें गरीब बच्चों को प्राथमिकता देते हैं तथा यह कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन मिले। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि उन बच्चों के परिणाम पब्लिक स्कूल की तुलना में बिल्कुल बराबर पर आ गए हैं। हमारे ये प्रयास हैं। लेकिन संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था भी है, कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को अपने-अपने स्कूल चलाने की आजादी है, उनका प्रबंध करने की आजादी है। उसके आधार पर ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: उसके आधार पर बहुत से विद्यालय ऐसे चलते हैं, जिनमें फीस या क्वालिटी के बारे में सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता। देश में अभी ऐसी बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं और मैं समझता हूं कि 20 प्रतिशत संस्थाएं ऐसी हैं, जो इस प्रकार के ट्रस्टों और लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं, कम से कम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यही हाल है। इसलिए आज के समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की नीति और नीयत जरूरी है, मगर इसमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर कुछ वर्षों से प्राइमरी शिक्षा की बहुत कमी थी, लेकिन अब वहां शिक्षा का प्रसार अच्छी तरह से हो रहा है। गुजरात सरकार ने एक नयी स्कीम बनाई है, विद्या सहाय गुरु के नाते कोई भी स्कूल शिक्षक के बिना न रहे, इसके लिए निश्चित धनराशि देकर उन्हें नौकरी दे रही है। वहां शिक्षकों की नियुक्ति से बेरोजगारी में कमी आई है, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण अभी भी वहां कुछ शिक्षकों को ज्यादा नौकरी देने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गुजरात ने नयी स्कीम विद्या सहाय योजना शुरू की है, क्या उस योजना के अंतर्गत भारत सरकार अधिक धनराशि देने पर विचार कर रही है ताकि गुजरात का कोई भी प्राइमरी स्कूल बिना शिक्षक के न रहे।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: सरकार की ओर से शिक्षा गारण्टी योजना प्रस्तावित है और सर्व शिक्षा अभियान उसी दृष्टि से काम कर रहा है। जैसे ही सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम शुरू होंगे, इस बारे में आपके सारे प्रस्तावों पर सरकार विचार करेगी।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जहाँ तक इसका संबंध है, हम सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों तथा किए गए प्रयासों से प्रसन्न हैं। बजट में शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि में से 65% आवंटन प्राथमिक शिक्षा के लिए किया गया है। इस संबंध में सारी समस्या यह है कि कुछ वर्गों के व्यक्तियों में साक्षरता अत्यन्त कम है। उदाहरण के लिए, देश में महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के बीच साक्षरता अत्यन्त कम है। इसमें व्यावहारिक रूप से वृद्धि नहीं हो रही है।

दूसरे 5 से 14 वर्ष के आयु-वर्ग में देश में अनेक बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। विद्यालयों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों के बारे में आपका क्या विचार है जबकि संविधान के अनुसार अनिवार्य शिक्षा को सबके लिए लागू किया जाना है इस 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 'चादुवु कुंदम' नाम से एक नयी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत वे यह कार्य कर रहे हैं। महिलाओं, जनजातियों और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के बीच साक्षरता में सुधार के लिए, कौन सी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं? हम केवल यह कहकर नहीं बच सकते कि यह राज्य सरकार की समस्या है। साक्षरता में सुधार लाना देश और केन्द्र सरकार की समस्या है। इस विशेष परिप्रेक्ष्य में, वे कौन सी विशेष योजनाएं हैं जो कि महिलाओं, जनजातियों और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों के लिए बनाई जा रही हैं?

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महोदय, अभी जो नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के आंकड़े आए हैं, उसके आधार पर 92-93 में 75.5 प्रतिशत लड़के और 58.9 प्रतिशत लड़कियां छः से 14 ऐज ग्रुप की पढ़ रही थीं। नेशनल सेम्पल सर्वे (52 राउंड), 95-96 में 69 प्रतिशत, छः से दस ऐज ग्रुप के और 72 प्रतिशत 11 ऐज ग्रुप के बालक स्कूल में पढ़ रहे थे। इस तरह नेट एनरोलमेंट रेश्यो बढ़ गई। क्लास एक से पांच में 66 प्रतिशत और 43 प्रतिशत क्लास छः से आठ में हुए, जो अब बढ़ कर नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे 98-99 में 80.2 प्रतिशत लड़के और 67 प्रतिशत लड़कियां 11 से 14 ऐज ग्रुप में पढ़ रही हैं। इसमें हमने काफी कोशिश की है, पिछले दिनों डीपीईपी की एक स्कीम चलाई गई है, जिसमें दो लाख दस हजार स्कूल कवर्ड हैं।

[अनुवाद]

इसमें से 55000 विद्यालयों में, कुल पंजीकृत विद्यार्थियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है।

[हिन्दी]

कोशिश की जा रही है कि इनका एनरोलमेंट बढ़ाया जाये और सर्व-शिक्षा अभियान लो-फिमेल लिट्रेसी के ऊपर शिक्षा कंसेंट्रेट करे। इसकी हिदायतें दे दी गयी हैं। हमने जिले छांटे हैं। खासकर ये जो लो फिमेल लिट्रेसी के इनमें फिमेल लिट्रेसी के जिले 146 थे, जिनमें से हमने 124 कवर कर लिये हैं। इसी तरह से नॉन-फार्मल एजूकेशन, यह भी बैकवर्ड स्टेट्स में और खासकर उन हल्कों में जहां लो-फिमेल लिट्रेसी है, या लो-शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स लिट्रेसी है उसके लिए कोशिश की जा रही है तथा सर्व शिक्षा अभियान में भी यह लक्ष्य रखा गया है कि जहां कम साक्षरता है और विशेषकर जहां महिलाओं में कम साक्षरता है उस पर ध्यान दें। मुझे बताते हुए खुशी है कि अब धीरे-धीरे एडल्ट लिटरेसी के अंदर भी जो परिणाम आये हैं वे भी उत्साहजनक हैं। सन् 1991 में टोटल एडल्ट लिट्रेसी 52.21 प्रतिशत थी जिसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत 37.4 और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 29.6 था। टोटल में जो गत तीस वर्षों में 28 प्रतिशत इंक्रीज हुआ और इसके मुकाबले में अनुसूचित जाति में 27 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब जो टोटल लिट्रेसी कंपेन है उसमें अभी तक केन्द्रीय सरकार दो हिस्से और राज्य सरकार एक हिस्सा देती थी। अब हमने अनुसूचित जनजाति के लिए उसको बढ़ाकर 4 : 1 कर दिया है। इसी तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह संख्या राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाये।

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, यह सन्तोष की बात है कि सरकार ने पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपयोगिता, महत्ता और योगदान को पहचाना है। यह राजीव गांधी की दूरदर्शिता ही थी कि यह शिक्षा नीति बनाई गई। हमारे मित्र बहुत लंबे समय से इसकी तीखी आलोचना करते रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा योजना के उद्देश्य और पुनरीक्षित लक्ष्य, जिसके विषय में माननीय मंत्री जी से इस सभा को सूचित किया है, उसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि वर्ष 2003 तक 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चे या तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें या शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत लाए जाएं या ब्रिज-कोर्स में पढ़ें। निश्चय ही मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन यदि इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनाई जाती हैं कि 6 वर्ष और उससे कुछ ऊपर आयु के बच्चे विद्यालय जाएं तो निश्चय ही यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा, या प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि बच्चों के लिए शिक्षा को उनका मूल अधिकार बनाए जाने की स्थिति में, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विद्यालयों में प्रवेश पाने से वंचित न हो।

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए बहुत चेष्टा कर रही है। हम इसके लिए भी प्रयत्नशील हैं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार छात्रों को दिया जाये और इसके लिए विधान भी बना हुआ है जिसको मंत्रियों का एक समूह निरीक्षण कर रहा है और जैसे ही उसके बारे में उनकी टिप्पणियां मिलती हैं हम उनको लेकर सदन के सामने आयेंगे। मैं पहले भी सदन से निवेदन कर चुका हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर स्कूल खोलने के लिए और सब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो धनराशि तपस मजूमदार कमेटी और सेकिया कमेटी ने आवंटित करने के लिए अनुरोध किया था, वह बहुत विशाल धनराशि है और उसके आधार पर आवंटन करना संभव नहीं है। पहले भी संभव नहीं था और आज भी संभव नहीं है। यदि देश ने इस मामले में फैसला नहीं किया तो आने वाले समय में भी इसे करना संभव नहीं होगा। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर शिक्षा के मामले में हमारे देश ने राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत सरकारी स्तर पर और 3 प्रतिशत सार्वजनिक रूप में गैर-सरकारी स्तर पर खर्चा बढ़ाने की स्थिति नहीं की तो भारत की शिक्षा बहुत कठिन परिस्थिति में चली जायेगी। मैंने आंकड़े और परिस्थितियां देखी हैं और मैं बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज भी 6-7 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष खर्च नहीं किया जायेगा तो हम इन बच्चों को स्कूली शिक्षा नहीं दे सकेंगे। इसलिए हमने कोशिश की है कि एजूकेशन गारंटी स्कीम बनाई जाये जिसमें यदि सबको एकदम स्कूल की औपचारिक शिक्षा सीधे-सीधे नहीं मिल सकती तो कम से कम इसके अंदर हम लोगों को शिक्षा से संबंधित कर सकें।

यदि वह दो-तीन साल तक उस गारंटी स्कीम के अंतर्गत चलने वाली प्रणाली आगे चले तो उसे औपचारिक स्कूल का नाम दे सकें। इस साल शिक्षा के अंदर जो 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि हमें आवंटित हुई है, वह बहुत ही कम है। हम कोशिश करेंगे कि यह राशि बढ़े क्योंकि जब तक राशि नहीं बढ़ेगी तब तक शिक्षा का विस्तार और उसकी गुणवत्ता देना कठिन होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश

***222. श्री तूफानी सरोज:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक छात्र/छात्राओं की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो 1995 के बाद से कितने छात्र/छात्राओं ने प्रवेश के लिए आवेदन किया;

(ग) क्या सीमित स्थानों के कारण अधिकतम संख्या में छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) 1995 से प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

1995	-	95,000
1996	-	95,000
1997	-	90,000
1998	-	90,000
1999	-	1,05,000
2000	-	1,10,000

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कश्मीर समस्या पर बातचीत

***223. श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीरी पंडितों ने सरकार से आग्रह किया है कि कश्मीर समस्या को हल करने के लिए होने वाली बातचीत में उनको शामिल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कश्मीर से बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडितों की संख्या कितनी है और वे कब से कश्मीर से बाहर रह रहे हैं; और

(घ) सरकार ने राज्य में उनकी वापसी हेतु क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) इस बारे में समाचार-पत्र में प्रकाशित कुछ रिपोर्टें ध्यान में आई हैं।

(ख) एक वरिष्ठ एच.एम. (हिजबुल मुजाहिदीन) नेता द्वारा 24 जुलाई, 2000 को एक प्रैस सम्मेलन में शान्ति की दिशा में की गयी पहल का स्वागत करते हुए और जम्मू तथा कश्मीर के लोगों द्वारा शांति पहलों को दिए गए समर्थन को संज्ञान में लेने, और जम्मू तथा कश्मीर में शान्ति की बहाली की आवश्यकता को मानते हुए, सरकार ने एच.एम. के नेता को सामने आने और बातचीत शुरू करने के लिए आवश्यक तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने और शांति बहाली के लिए आधार तैयार करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव के साथ सम्पर्क स्थापित करने की पेशकश की है। यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य में शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए सभी उग्रवादी ग्रुपों और राजनैतिक नेताओं को आगे आने का निमंत्रण देती है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1990-91 में आतंकवाद के शुरू होने और उसके पश्चात् से जम्मू और कश्मीर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित अन्य राज्यों को 22,048 परिवार पलायन कर गए हैं। साथ ही 31490 परिवार जम्मू को पलायन कर गए।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर की सरकार घाटी में प्रवासियों की शीघ्र और सुरक्षित वापसी के लिए कार्रवाई योजना को अंतिम रूप दे रही है। अलग से, एक सामाजिक पारस्परिक बातचीत कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत कुछ प्रवासियों ने, घाटी में वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए घाटी का दौरा किया है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न प्रवासी संगठनों और शिविरों के साथ परामर्श करने में जुटी हुई है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

***225. श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव लम्बे समय से सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस इकाई के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) के पुनरुद्धार के लिए सरकार पिछले कुछ समय से प्रयास करती रही है तथा इस्को के प्रचालन को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के एक प्रस्ताव का हाल ही में अनुमोदन किया गया है। तदनुसार, सेल ने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में भागीदारी हेतु स्वदेशी/विदेशी कंपनियों से "एक्सप्रैशन ऑफ इंटरैस्ट" आमंत्रित किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्ति

***226. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री जोरा सिंह मान:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक वर्ष रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर पलायन करने वाले युवकों का प्रतिशत कितना है;

(ग) ऐसे पलायन का राज्यवार वार्षिक प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन विभिन्न चरणों में सर्वेक्षण

करके ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बेरोजगारी की स्थिति का आकलन करता है। उपलब्ध अद्यतन आकलनों के अनुसार, सर्वेक्षण के 50वें दौर (1993-94) के आधार पर आकलित ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की राज्यवार संख्या (महाराष्ट्र सहित) संलग्न विवरण में दी गई है।

2. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने वाले युवाओं (प्रत्येक वर्ष रोजगार की खोज में) से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन 1991 की जनगणना के अनुसार, युवाओं सहित लगभग 8,445,922 व्यक्तियों ने रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करने वाले व्यक्तियों का 21.16% है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की संख्या 1987-88 के 7.17 मिलियन से घटकर 1993-94 में 4.71 मिलियन होने की सूचना मिली है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या (हजार में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	196
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	502
4.	बिहार	511
5.	गोआ	33
6.	गुजरात	134
7.	हरियाणा	97
8.	हिमाचल प्रदेश	110
9.	जम्मू व कश्मीर	27
10.	कर्नाटक	157
11.	केरल	747
12.	मध्य प्रदेश	132
13.	महाराष्ट्र	287
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	260
19.	पंजाब	82
20.	राजस्थान	48
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	405
23.	त्रिपुरा	22
24.	उत्तर प्रदेश	410
25.	प. बंगाल	517
26.	अं. व निको. द्वीप समूह	5
27.	दादर व नगर हवेली	1
28.	दमन व दीव	0
29.	लक्षद्वीप	1
30.	पांडिचेरी	3
31.	चंडीगढ़	1
32.	दिल्ली	0
	अखिल भारत	4712

*सामान्य प्रमुख स्थिति आधार पर।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 50वें दौर के सर्वेक्षण (1993-94) के आधार पर।

संपत्ति विवरणी दाखिल कराना

***227. श्री डी.वी.जी. शंकर राव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने यह सिफारिश की है कि संसद सदस्यों और मंत्रियों को अपनी संपत्ति विवरणी दाखिल करनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने, प्रधान मंत्री के दिनांक 16.10.99 को देश के नाम सन्देश से इशारा लेते हुए, जिसमें प्रधान मंत्री ने "भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही थी" भारत सरकार के सभी मंत्रियों और सचिवों को 26.10.99 को एक नोट परिचालित किया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि संसद सदस्यों और मंत्रियों को अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणियां दाखिल करनी चाहिए। क्योंकि संसद सदस्य और मंत्री इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, अत: आयोग ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

***228. प्रो. रासा सिंह रावत:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की तरह केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान तथा अन्य राज्य सरकारों से उनके अपने-अपने राज्यों में संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख नहीं है।

(ग) और (घ) राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार का होता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय

***229. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस अपने प्रत्येक सत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होने वाले व्यय में वृद्धि करने की मांग करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विज्ञान कांग्रेस द्वारा इस संबंध में पिछले तीन सत्रों के दौरान क्या सिफारिशें की गई;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ विकासशील देशों की तुलना में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सबसे कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में व्यय में वृद्धि करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने अपने कुछ सत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक व्यय किए जाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) में 1.5% से 3% तक की वृद्धि करने के लिए कहा गया है।

(ग) जी, नहीं, भारत का अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) कार्यों पर किया जाने वाला व्यय जी.एन.पी. की प्रतिशतता के आधार पर कई अन्य विकासशील देशों जैसे अर्जेन्टीना, मिश्र, इण्डोनेशिया और फिलीपीन्स से अधिक तथा चीन के समतुल्य है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार विभिन्न सहायता उपायों एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मूलभूत सुविधाओं को सशक्त बनाती रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस. एंड टी.) के क्षेत्र के लिए योजना आबंटनों में विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में अनवरत रूप से वृद्धि की जाती रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए किये जाने वाले योजना आबंटन सातवीं योजना के दौरान 8,264 करोड़ रुपए से बढ़ाकर नौवीं योजना में 25,529 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं ताकि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मूलभूत सुविधाओं को सशक्त बनाया जा सके। जनवरी, 2000 में आयोजित 87वीं विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन भाषण के दौरान प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि अगले पांच वर्षों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर किये जाने वाले निवेश में जी.डी.पी. के 2% तक की वृद्धि की जाएगी। इस संबंध में वित्त मंत्री ने

वर्ष 2000-2001 के बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दो नई पहलों की घोषणा की जो नामशः न्यू मिलेनियम टैक्नोलॉजी लीडरशिप स्कीम तथा टैक्नोलॉजी विजन प्रोजेक्टस हैं। इसके अलावा, विभिन्न वैज्ञानिक विभागों द्वारा 21 जय विज्ञान मिशन परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु धनराशि

***230. श्री सुनील खां:**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण विकास योजना हेतु राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि का अभी तक उपयोग नहीं किया है;

(ग) विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल की कई जिला परिषदों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलायी जाती है जिसमें संपूर्ण निधियां ग्राम पंचायतों को जारी कर दी जाती हैं (संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के जरिए)। वर्ष 1999-2000 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन तथा उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है। यदि संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद ने दावा किया हो/उसे पिछले वर्ष दूसरी किस्त प्राप्त हुई हो तो उसे बिना किसी पूर्व शर्त के पहली किस्त जारी कर दी जाती है। संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद द्वारा उपलब्ध निधियों का 60 प्रतिशत उपयोग करने के बाद, राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर दूसरी किस्त तुरंत जारी कर दी जाती है, बशर्ते कि उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भेजने, राज्य अंशों की रिलीज तथा निधियों के गबन न होने का प्रमाणपत्र देने जैसी निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया हो। निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह के पहले प्रस्ताव भेजना होता है, अन्यथा, जनवरी तथा फरवरी के माह में प्राप्त प्रस्तावों के लिए वर्ष के कुल केन्द्रीय आबंटन में से क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत की कटौती की जाती है।

(घ) जी हां।

(ङ) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले राज्य सरकारें सामान्यतः सितम्बर/अक्तूबर तक अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पूरा करवा लेती हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति (अनंतिम)

3.2.2000 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	1.4.99 को अथशेष	आबंटन केन्द्र	आबंटन राज्य	आबंटन कुल	रिलीज केन्द्र (मार्च)	रिलीज राज्य	रिलीज कुल	कुल उपलब्ध निधियां	उपयुक्त निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3	1954.74	9319.52	3106.51	12426.03	9617.32	3205.45	12822.77	14777.51	9954.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	381.09	204.90	68.30	273.20	142.71	47.57	190.28	571.37	461.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	असम	3	4480.56	5324.02	1774.67	7098.69	3787.01	1262.21	5049.22	9529.78	7800.48
4.	बिहार	3	11666.61	30529.68	10176.56	40706.24	28484.06	9493.74	37977.80	49644.41	35324.14
5.	गोवा	3	3.16	137.12	45.71	182.82	124.11	41.37	165.48	168.64	114.34
6.	गुजरात	2	727.74	3508.04	1169.35	4677.39	3508.03	1169.23	4677.26	5405.00	3089.08
7.	हरियाणा	3	425.85	2063.84	687.95	2751.79	2063.87	343.94	2407.81	2833.66	2666.87
8.	हिमाचल प्रदेश	3	237.44	869.16	289.72	1158.88	1752.41	584.08	2336.49	2573.93	1163.94
9.	जम्मू व कश्मीर	3	159.84	1075.71	358.57	1434.28	897.74	299.22	1196.96	1356.80	611.66
10.	कर्नाटक	3	3919.71	7037.56	2345.85	9383.41	7037.56	2345.62	9383.18	13302.89	10191.73
11.	केरल	3	1129.91	3157.73	1052.58	4210.30	3157.72	1052.47	4210.19	5340.10	3652.85
12.	मध्य प्रदेश	3	4119.9	15474.69	5158.23	20632.92	16926.38	5641.56	22567.94	26687.84	20841.39
13.	महाराष्ट्र	3	3049.74	13911.52	4637.17	18548.70	13911.47	4636.69	18548.16	21597.90	18748.46
14.	मणिपुर	2	66.24	356.92	118.97	475.89	115.54	38.51	154.05	220.29	93.87
15.	मेघालय	8	280.64	399.88	133.29	533.17	132.18	44.06	176.24	456.88	180.98
16.	मिजोरम	3	14.38	92.53	30.84	123.38	92.37	30.79	123.16	137.54	187.20
17.	नागालैंड	12	85.84	274.30	91.43	365.73	223.90	74.63	298.53	384.37	222.99
18.	उड़ीसा	3	22.86.64	10659.61	3553.20	14212.82	15974.14	5324.18	21298.32	23584.96	13751.03
19.	पंजाब	3	214.15	1003.01	334.34	1337.34	975.08	324.99	1300.07	1514.22	1014.24
20.	राजस्थान	3	7037.70	5343.85	1781.28	7125.14	5343.85	1781.11	7124.96	14162.66	8149.69
21.	सिक्किम	2	20.24	102.45	34.15	136.60	102.45	34.15	136.60	156.84	156.95
22.	तमिलनाडु	3	263.93	8240.50	2746.83	10987.33	9163.14	3054.07	12217.21	12481.14	13391.37
23.	त्रिपुरा	2	0.00	644.43	214.81	859.24	487.95	162.63	650.58	650.58	643.70
24.	उत्तर प्रदेश	3	5471.85	33598.18	11199.39	44797.57	33593.14	11196.59	44789.73	50261.58	35804.80
25.	पश्चिम बंगाल	3	6840.43	11846.03	3948.68	15794.71	10800.26	3599.73	14399.99	21240.42	13074.47
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	2	48.49	93.87	0.00	93.87	13.00	0.00	13.00	61.49	14.29
27.	दा. व न. हवेली	7	0.00	61.96	0.00	61.96	30.98	0.00	30.98	30.98	0.85
28.	दमन व दीव	7	0.61	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00
29.	लक्षद्वीप	12	8.26	47.06	0.00	47.06	23.53	0.00	23.53	31.79	10.43
30.	पांडिचेरी	3	0.00	91.91	0.00	91.91	45.96	0.00	45.96	45.96	41.90
	योग		54895.69	165500.00	55058.39	220558.39	168527.86	55788.57	224316.43	279212.12	201559.90

नोट: खाली कालम का तात्पर्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आंकड़ों की सूचना न देने से है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

***231. श्री कृष्णमराजू:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य और केन्द्रीय स्तर की समन्वय समितियों की निगरानी में चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लेखा परीक्षा रिपोर्ट व समापन प्रमाण-पत्र के माध्यम से इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने व कार्यनिष्पादन की निगरानी हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ङ) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) 1 अप्रैल, 1999 को शुरू की गई थी। एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वार्षिक वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

2. 1999-2000 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार थीं:

(क) वित्तीय उपलब्धियां (करोड़ रु. में)

(1)	केन्द्रीय आबंटन (बजट अनुमान 1999-2000)	1105.00
(2)	केन्द्रीय रिलीज	932.23
(3)	कुल उपलब्ध निधियां	1459.64
(4)	उपयोग की गई कुल निधियां	952.71
(5)	उपयोग का प्रतिशत	65.27
(6)	कुल ऋण लक्ष्य	3205.00
(7)	जुटाया गया कुल ऋण	1027.48
(8)	जुटाए गए ऋण का प्रतिशत	32.06
(9)	प्रति परिवार निवेश (रुपये में)	16879

(ख) वास्तविक उपलब्धियां (लाख में)

(1)	बनाए गए स्व-सहायता समूह	2.89
(2)	आर्थिक गतिविधियां शुरू करने वाले स्व-सहायता समूह	0.28
(3)	आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कवर किए गए सदस्य	3.38
(4)	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	9.28
(5)	सहायताप्राप्त कुल अनु.जाति/जनजाति के स्वरोजगारी	4.03
(6)	अनु. जाति/जनजाति की कवरेज का प्रतिशत	43.43
(7)	महिला स्वरोजगारियों की कवरेज	4.04
(8)	महिला कवरेज का प्रतिशत	43.57

3. राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (प्रधान सचिव/विकास आयुक्त की अध्यक्षता में) कार्यक्रम के कार्यों का निरीक्षण करती है। राज्य स्तरीय समिति के कार्य हैं:

(1) कार्यक्रम की आयोजना, कार्यक्रम और निगरानी में नेतृत्व/मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

(2) एन जी एस वाई के अंतर्गत जिलावार प्रगति की समीक्षा करना तथा उपचारी उपाय सुझाना।

(3) इसके उद्देश्यों के संदर्भ में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी तथा मूल्यांकन करना।

(4) एस.जी.एस.वाई. में ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी की समीक्षा करना तथा जहां कहीं आवश्यक हों, निदेश देना।

(5) नीति निर्धारकों (राज्य स्तर पर) तथा कार्यान्वयन-कर्ताओं (क्षेत्र स्तर पर) के साथ-साथ बैंकों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत के लिए एक मंच की व्यवस्था करना।

4. केन्द्र स्तर पर, केन्द्रीय स्तरीय समन्वय समिति नीति बनाने, निगरानी और मूल्यांकन में सहायता करती है। इस समिति के कार्य हैं-

(1) कार्यक्रम की समीक्षा तथा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(2) एस.जी.एस.वाई. के लिए सहयोगी सेवाओं हेतु सम्पर्कों की समीक्षा करना।

(3) ऋण सहायता सहित वास्तविक, वित्तीय तथा गुणात्मक रूपों में कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करना।

(4) समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार करना।

(5) राज्य सरकारों तथा बैंकवालों के साथ निरन्तर वार्ता के लिए एक मंच की व्यवस्था करना।

(6) ऋण प्रबंधों की समीक्षा करना तथा जहां कहीं आवश्यक हों, परिवर्तनों/सुधारों की सिफारिश करना।

5. एस.जी.एस.वाई. दिशा-निर्देशों में लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा संबंधित जानकारी के माध्यम से वित्तीय निष्पादन की निगरानी करने के लिए एक सरल प्रक्रिया की परिकल्पना की गई हैं। किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसी एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निधियों की दूसरी किस्त के लिए पात्र है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों-

(1) संबंधित राज्य सरकार ने विगत वर्ष के दौरान अपने अंश को जारी किया हो।

(2) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने अगले वर्ष में ले जाने वाली निधियों सहित उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग किया हो।

(3) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ने विगत वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा उपयोग और बैंक समाधान प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत किया हों।

(4) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की कार्य-योजना को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

6. केन्द्र स्तर पर समापन प्रमाणपत्र नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती नियम

***232. श्री राधा मोहन सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी निकाय ने 1989-90 में भर्ती नियमों, मूल्यांकन प्रक्रिया और केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया में किए गए परिवर्तनों को कार्योत्तर स्वीकृति दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पहले के नियमों सहित संशोधित भर्ती नियमों का और मूल्यांकन मानदण्डों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 22.8.1990 को आयोजित अपनी 54वीं बैठक में केन्द्रीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों/स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के संबंध में जून, 1989 में अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया। चूंकि, मूल्यांकन प्रक्रिया/कार्यविधि एक प्रशासनिक मामला था, अतः शासी बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक नहीं था। वर्तमान भर्ती नियमावली की समीक्षा के आदेश दे दिये गये हैं।

(ख) प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों तथा स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदों के लिए पूर्व-संशोधित तथा उस समय संशोधित भर्ती नियमों को दर्शाने वाला एक विवरण मूल्यांकन मानदण्डों सहित संलग्न है।

विवरण

भर्ती नियम

अंग्रेजी	पूर्व संशोधित	जून 1989 में संशोधित
	2	3
	उच्चतर माध्यमिक के साथ जे.बी.टी. (2 वर्ष)/ इण्टरमीडियेट के साथ जे.बी.टी. (1 वर्ष)/+2 परीक्षा (वरिष्ठ स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा) के साथ जे.बी.टी. (1 वर्ष)।	(1) कोई परिवर्तन नहीं।
	(2) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों माध्यमों में शिक्षण देने में सक्षमता।	(2) कोई परिवर्तन नहीं।

1	2	3
	(1) द्वितीय श्रेणी में स्नातक डिग्री (वैकल्पिक एवं भाषा विषयों सहित समकक्ष माने जाने वाले डिग्री परीक्षा में कुल 45 प्रतिशत अंक)	(1) कोई परिवर्तन नहीं।
	(2) विश्वविद्यालय द्वारा दी गई शिक्षा/शिक्षण में डिग्री/डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों का चार-वर्षीय एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम।	(2) कोई परिवर्तन नहीं।
	(3) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों माध्यमों में पढ़ाने की योग्यता।	(3) कोई परिवर्तन नहीं
	नोट: उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने कला स्नातक/विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में कुल 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा निष्णात डिग्री परीक्षा में 55 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त किये हों, तो उनके लिए ऊपर दर्शायी गयी आवश्यक योग्यताओं में से (2) के लिए सीमित अवधि के लिए छूट दी जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों का यदि चयन किया गया तो उन्हें, आरंभत: प्रायोगिक आधार पर दो वर्षों के लिए परीक्षण आधार पर रखा जायेगा जिसे कि अभ्यर्थी द्वारा शिक्षण डिग्री/डिप्लोमा अपरिहार्य कारणों से, दो वर्षों की निर्धारित अवधि में प्राप्त न कर सकने की दशा में एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जायेगा। इसके बाद यह अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी।	*नोट:* उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने कला स्नातक/विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में कुल 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा निष्णात डिग्री परीक्षा में विज्ञान विषयों में 65 प्रतिशत अथवा अधिक, कला विषयों में 60 अथवा अधिक अथवा वाणिज्य विषयों में 55 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त किये हों, तो उनके लिए दर्शायी गयी आवश्यक योग्यताओं में से (2) में सीमित अवधि के लिए छूट दी जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थियों को आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए परीक्षण आधार पर रखा जायेगा। इसके बाद यह अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। (वर्तमान में यह अवधि अधिकतम पांच वर्षों के लिए है) .
	(संशोधित नियम 1990 से लागू मानी जाएगी) (1) संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री (45 प्रतिशत और इससे ऊपर के अंकों को इसके समकक्ष माना जाएगा)	(1) कोई परिवर्तन नहीं
	(2) शिक्षा/शिक्षण में विश्वविद्यालय की डिग्री/डिप्लोमा अथवा एन सी ई आर टी की क्षेत्रीय शिक्षा कालेज से समेकित दो वर्षीय स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम एम.एस.सी.एम.एड.	(2) कोई परिवर्तन नहीं

1	2	3
	(3) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों माध्यम से पढ़ाने में सक्षमता। *नोट:* प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री तथा प्रथम श्रेणी में ही स्नातक डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता (2) उपरोक्त में सीमित अवधि के लिए छूट दी जाएगी। यदि ऐसे उम्मीदवारों को चुन लिया जाता है तो वे दो वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार पर रखे जाएंगे जिसे एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है अगर वह अभ्यर्थी दो वर्षों की निर्धारित अवधि में अपरिहार्य कारणों से शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर लेते हैं। समय को और अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।	(3) कोई परिवर्तन नहीं *सभी स्नातकोत्तर विषयों के लिए नोट:* यदि किसी उम्मीदवार के स्नातक स्तर पर कम से कम 60 प्रतिशत अंक और स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान विषयों के लिए) कम से कम 70 प्रतिशत अंक और (कला विषयों के लिए) 65 प्रतिशत अंक (वाणिज्य तथा अंग्रेजी विषय के लिए) या कम से कम 60 प्रतिशत अंक है तो उसे शिक्षण में डिग्री/डिप्लोमा की आवश्यकता से छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि ऐसी अनिवार्य योग्यता तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त कर ली जाएगी। भर्ती सत्र 1990 से आगे इसका अनुसरण किया जाएगा। (वर्तमान में यह अवधि अधिकतम पांच वर्षों के लिए है।)
अनिवार्य शिक्षक वाणिज्य	*अनिवार्य* (1) कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री (45 प्रतिशत था इससे ऊपर के अंकों को इसके समकक्ष माना जाएगा। *वांछनीय* (1) शिक्षा/शिक्षण में विश्वविद्यालय (2) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों माध्यम से पढ़ाने में सक्षमता	संशोधित नियम 1990 से आगे लागू किए जाएंगे। *अनिवार्य* (1) कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री (45 प्रतिशत तथा इससे ऊपर के अंकों को इसके समकक्ष माना जाएगा) (2) शिक्षा/शिक्षण में विश्वविद्यालय की डिग्री/डिप्लोमा (3) अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों माध्यम से पढ़ाने में सक्षमता नोच-नीचे (1) कोई परिवर्तन नहीं (2) कोई परिवर्तन नहीं *नोट:* यथाऊपरोल्लिखित अनुसार परिवर्तन किया गया है।
अंग्रेजी	नोट-जैसा नीचे (1) मास्टर डिग्री में कम से कम द्वितीय श्रेणी (45 प्रतिशत और उससे अधिक अंकों को इसके समकक्ष माना जाएगा।) (2) शिक्षा/शिक्षण में विश्वविद्यालय डिग्री/डिप्लोमा *नोट:* जिन उम्मीदवारों के पास मास्टर डिग्री में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हैं और स्नातक डिग्री में कम से कम 55 प्रतिशत अंक है उनको उपर्युक्त अनिवार्य योग्यता (2) में सीमित अवधि के लिए छूट दी जाएगी। यदि ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाता है तो उनको दो वर्ष की अवधि के लिए प्रायोगिक आधार रखा जाएगा। जिसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।	*नोट:* यथाऊपरोल्लिखित अनुसार परिवर्तन किया गया है।

मूल्यांकन के मानदंड

पद		पूर्व संशोधित	जुलाई, 1989 में संशोधित
1		2	3
प्राथमिक शिक्षक			
उच्चतर माध्यमिक/ इण्टरमीडिएट/+2 परीक्षा (वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण-पत्र परीक्षा)		35	55
डिग्री		20	40
निष्णात डिग्री		05	05
व्यावसायिक योग्यताएं			
सीटी/जेबीटी/बीएड/ बीटी एल.टी.	सिद्धान्त	10	शून्य
	प्रैक्टिकल	10	शून्य
पाठ्येत्तर कार्यकलाप		10	शून्य
शिक्षण अनुभव		10	शून्य
कुल		100	100
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक			
उच्चतर माध्यमिक/ इण्टरमीडिएट/+2 परीक्षा		10	15
डिग्री		35	55
निष्णात डिग्री		20	30
शिक्षा/शिक्षण में विश्वविद्यालय *डिग्री/डिप्लोमा*	सिद्धान्त	10	शून्य
	प्रैक्टिकल*	05(05)	शून्य
पाठ्येत्तर कार्यकलाप		10	शून्य
शिक्षण अनुभव		10	शून्य
कुल		100	100
स्नातकोत्तर शिक्षक (1990 से लागू होगा)			
उच्चतर माध्यमिक/ इण्टरमीडिएट/+2 परीक्षा (एस.एस.सी.)		10	10
डिग्री		25	30

*एक वर्ष के लिए अथवा समानुपात

1	2	3
निष्णात डिग्री	35	60
शिक्षा/शिक्षण में विश्वविद्यालय डिग्री/डिप्लोमा — सिद्धान्त	05	शून्य
शिक्षा/शिक्षण में विश्वविद्यालय डिग्री/डिप्लोमा — प्रैक्टिकल	05	शून्य
पाठ्येत्तर कार्यकलाप	10	शून्य
शिक्षण अनुभव	10	शून्य
कुल	100	100

पद	पूर्व संशोधित	अगस्त, 1989 में संशोधित
पुस्तकालयाध्यक्ष		
उच्चतर माध्यमिक/ इण्टरमीडिएट/पीयूसी	15	15
कला स्नातक	15	15
कला निष्णात	10	10
पुस्तकालय विज्ञान में	40	60
डिप्लोमा अनुभव	10	शून्य
पाठ्येत्तर कार्यकलाप	10	शून्य
कुल	100	100
एस.यू.पी. डब्ल्यू शिक्षक		
उच्चतर माध्यमिक/इण्टर/पीयूसी	15	15
इलैक्ट्रीकल गैजेट अथवा समकक्ष में 3 वर्षीय डिप्लोमा/ बीएससी (तक) बीएड	65	60
अनुभव	10	25
पाठ्येत्तर कार्यकलाप	10	शून्य
कुल	100	100
संगीत शिक्षक		
उच्चतर माध्यमिक/ इण्टर/पीयूसी	25	25
कला स्नातक/विज्ञान स्नातक/वाणिज्य स्नातक	15	15
गायन/वाद्य संगीत/ कला निष्णात (संगीत)	40	60
शिक्षण में अनुभव	10	शून्य
पाठ्येत्तर कार्यकलाप	10	शून्य
कुल	100	100

[अनुवाद]

गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग

***233. श्री रघुनाथ झा:**
श्री पी.आर. किन्डिया:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का प्रतिशत कई गुना बढ़ गया है और उनके उत्थान के लिए उठाए गए कदम अब तक निरर्थक साबित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के उत्थान के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(घ) चालू योजना अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ उनको आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने देश में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के खराब कार्यनिष्पादन पर निराशा व्यक्त की है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ज) योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 1973-74 में 56.44 प्रातेशत से घटकर 1993-94 में 37.27 प्रतिशत रह गया है।

2. हालांकि चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी कम करने के संबंध में कोई भी वास्तविक लक्ष्य (वार्षिक) का निर्धारण नहीं किया गया है, फिर भी, वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत और वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा के नीचे के सहायताप्राप्त परिवारों की संख्या के रूप में वास्तविक उपलब्धि निम्नानुसार है:

कार्यक्रम	1997-98 सहायता प्राप्त परिवार (संख्या)	1998-99 सहायता प्राप्त परिवार (संख्या)	1999-2000 सहायता प्राप्त स्वरोजगारी (संख्या)
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1706609	1677182	-
2. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	-	-	927648

3. पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित, उपलब्ध और प्रयुक्त निधियां संलग्न विवरण में दर्शायी गयी हैं। विषम भूभाग, भूमि रिकार्डों की सीमाएं, जागरूकता की कमी और बैंकों तक पहुंचने की समस्याएं पूर्वोत्तर राज्यों में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ मुख्य बाधा हैं।

4. "भारत: गरीबी उपशमन करने और स्थायी विकास में तेजी लाने संबंधी नीतियां" (जनवरी, 2000) नामक विश्व बैंक रिपोर्ट सं. 19471-आई एन में उल्लेख है कि यद्यपि भारत के परिवार नमूना सर्वेक्षणों ने सुझाव दिया है कि देश में गरीबी उपशमन का कार्य काफी मन्द रहा है परन्तु समग्र गरीबी उपशमन में अनुमानित कमी से सिर्फ सांख्यिकीय विसंगति ही परिलक्षित होती है। रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि सुधार कार्य गरीबों के प्रतिकूल रहे हैं।

5. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) राज्य/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं जानकारी देना।

(2) ऋण सुविधाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और व्यावसायिक बैंकों के साथ नियमित परामर्श।

(3) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी।

(4) ढांचागत विकास के लिए वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान 40 प्रतिशत तक के व्यय से संबंधित अनुमति।

(5) स्व-सहायता समूहों के विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी।

(6) मासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए कार्यक्रम की निगरानी।

(7) संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा कार्यक्रम (राज्य स्तर पर) की समीक्षा।

(8) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियों का गठन (स्थानीय संसद सदस्य, और विधान सभा सदस्य, जिला और ब्लाक स्तरीय समितियों के सदस्य होते हैं।)

विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सं.ग्रा. विकास कार्यक्रम						स्व.ग्रा. स्वरोजगार योजना		
		1997-98			1998-99			1999-2000		
		कुल आवंटन	उपलब्ध निधियां	उपयोग	कुल आवंटन	उपलब्ध निधियां	उपयोग	कुल आवंटन	उपलब्ध निधियां	उपयोग
1.	अरुणाचल प्रदेश	644.07	936.08	565.71	403.82	760.65	566.62	182.32	307.40	377.09
2.	असम	2834.27	4129.81	3561.33	10492.72	6949.48	3907.11	4737.45	6871.07	4509.16
3.	मणिपुर	464.47	366.47	286.88	703.42	257.79	188.19	317.59	188.70	असूचित
4.	मेघालय	493.36	536.70	374.82	788.10	355.08	267.34	355.83	277.31	75.02
5.	मिजोरम	208.50	248.69	213.58	182.36	232.25	227.24	82.33	83.72	9.98
6.	नागालैंड	346.81	349.45	221.49	540.60	519.20	473.37	204.13	147.92	असूचित
7.	सिक्किम	57.79	131.94	112.41	201.90	161.79	132.13	91.17	120.84	81.62
8.	त्रिपुरा	662.64	778.88	736.08	1270.06	1273.94	1045.52	573.44	835.64	813.62
	कुल	5711.91	7478.02	6072.30	14582.98	10510.18	6807.52	6544.26	8832.60	5866.49

हिरासत में मौतें

*234. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान हिरासत में राज्य-वार कुल कितनी मौतें होने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी मौतों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने मामले हैं जिनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकारों को हिरासत में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी), द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार, गत तीन वर्षों अर्थात 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान हिरासत में हुई मौतों की संख्या क्रमश: 1012, 1297 और 1143 थी। संदर्भाधीन अवधि के दौरान पुलिस और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) यद्यपि पुलिस राज्य का विषय है फिर भी भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस मानवीय रूप से व्यवहार करें और यह कि हिरासत में कथित मौतों और पुलिस ज्यादतियों के मामले, जहाँ कहीं भी होते हैं, उनकी जांच की जाए एवं उनसे सख्ती के साथ निपटा जाए। सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मानवाधिकारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रारंभिक और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, जांच-पड़ताल के लिए वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल के बारे में पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाने के लिए विशेष जानकारियां भी शामिल हैं।

(ग) मानवाधिकार आयोग ने गत तीन वर्षों के दौरान हिरासत में हुई मौत के कारण पीड़ितों के आश्रितों को 47 मामलों में मुआवजा देने के लिए राज्य सरकारों को निदेश दिए थे।

विवरण

हिरासत में हुई मौतों के ब्यौरे दर्शाते हुए विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	21	52	24	98	10	73
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	02	03	—	04	—
3.	असम	14	20	16	21	11	23
4.	बिहार	09	110	09	184	08	152
5.	गोवा	—	03	01	—	02	09
6.	गुजरात	09	28	08	42	14	21
7.	हरियाणा	03	08	03	18	05	23
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	02	—	01	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	06	35	08	41	07	34
11.	केरल	06	29	04	26	06	14
12.	मध्य प्रदेश	18	43	19	101	14	59
13.	महाराष्ट्र	19	115	21	98	30	130
14.	मणिपुर	01	—	03	—	—	01
15.	मेघालय	02	—	01	06	—	02
16.	मिजोरम	—	01	—	—	—	—
17.	नागालैंड	01	—	01	—	—	—
18.	उड़ीसा	04	19	08	60	01	47
19.	पंजाब	11	26	12	46	11	43

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	12	32	03	49	03	51
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	11	55	13	42	08	48
23.	त्रिपुरा	03	—	01	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	16	169	16	221	26	161
25.	पश्चिम बंगाल	10	43	06	41	18	44
26.	अ. और नि. द्वीप समूह	—	—	—	02	01	02
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
29.	दमण और दीव	—	—	—	01	—	—
30.	दिल्ली	12	29	—	17	06	20
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	01	—	—	—	—	—
	कुल	193	819	183	1114	186	957

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाएं

***235. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा देश में ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई अनेक योजनाओं से कोई संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं जैसा कि 1 जुलाई, 2000 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का इन योजनाओं के क्रियान्वयन में आवश्यक बदलाव लाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

जातीय आधार पर हत्याएं

***236. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जातीय आधार पर हत्याओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके इस स्थिति से निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्थिति से निपटने के लिए ऐसे राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वर्ष के दौरान जातीय हिंसा में मारे गए व्यक्तियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) भारत के संविधान के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं और अपने-अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार समय-समय पर, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके स्थिति की पुनरीक्षा करती है।

(घ) केन्द्र सरकार, इस आशय से कि वे समुचित कार्रवाई कर सकें, उपलब्ध आसूचना का संबंधित राज्य सरकारों के साथ आदान-प्रदान करती है। केन्द्र सरकार, जहां तक सम्भव हो, राज्य सरकारों को अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती करके, कानून और व्यवस्था की समस्याओं से और कारगर रूप से निपटने के लिए उन्हें सुसज्जित करने हेतु राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां प्रदान करने के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बटालियन खड़ी करके उनकी सहायता करती है। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 179.50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

पंचायतों की निधियों की लेखापरीक्षा

***237. श्री तिरुनावकरसू:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायतों के बजट/निधियों की भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ञ), जो पंचायतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित है, में यह प्रावधान है कि राज्य का विधान मंडल पंचायतों के लेखाओं के रख-रखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में, कानून द्वारा प्रावधान कर सकता है।

2. उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार यह राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है कि वे पंचायतों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने से संबंधित प्रणाली तैयार करने के लिए कानून बनाएं।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान

***238. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने अपने अनुसंधान कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीएसआईआर ने अनुसंधान हेतु धन जुटाने के लिए कहां तक निजी क्षेत्र से सम्पर्क किया है;

(ग) क्या सीएसआईआर की सरकारी निधियों पर निर्भरता कम करने का कोई प्रस्ताव था;

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है;

(ङ) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अपने अनुसंधान कार्य हेतु धन जुटाने के लिए कौन-कौन से उपाय ढूंढे जा रहे हैं; और

(च) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इस तरह जुटाए गए धन और सरकार द्वारा आवंटित धन का अनुपात क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने स्वयं को सौंपी गई भूमिका को राष्ट्र की विज्ञान व प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप समय-समय पर निभाया है। इन आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों के रूप में मूल्यांकित इसके अनुसंधान उत्पाद, पेटेंटों जैसी सर्जित बौद्धिक संपदा, उद्योग को उपलब्ध कराए गए प्रौद्योगिकीय प्रक्रम और उत्पाद, संविदागत अनुसंधान एवं विकास परामर्श तथा वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं इत्यादि द्वारा सृजित राजस्व में सतत् सुधार हुआ है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों पर विशेष ध्यान देते हुए सीएसआईआर ने वर्ष 1996 में सीएसआईआर 2001—दूरदृष्टि एवं रणनीति नामक कार्यक्रम तैयार किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसके अनुसंधान एवं विकास उत्पादों को और उन्नत बनाने की क्रियाविधि और साधनों की रूपरेखा दी हुई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—(1) कार्यक्रमों

और गतिविधियों का पुनरानुकूलन करना ताकि इनमें उपभोक्ताओं की भागीदारी प्रतिबिम्बित हो सके। (2) परियोजनाओं के संतुलित पोर्टफोलियो तैयार करना। जिनमें से कुछ बाजारोन्मुखी हों और अन्य स्वत: प्रेरित हो तथा जो बाजार को प्रभावित करे। (3) बौद्धिक संपदा पूर्वाभिमुख दृष्टिकोण को प्रेरित व प्रोत्साहित करना (4) अनुसंधान व विकास कार्य में रत होनहार युवा प्रतिभाओं को सतत् रूप से आकर्षित करना, तथा (5) ऐसे मूल अनुसंधान में निवेश करना जो भावी प्रौद्योगिकी का अग्रदूत हो।

सीएसआईआर उपभोक्ताओं और पणधारियों (स्टेकहोल्डर) से निरन्तर संपर्क बनाए रखता है, इनमें निजी क्षेत्र के उपभोक्ता व पणधारी भी शामिल हैं। प्रत्येक प्रयोगशाला की अनुसंधान परिषदों में अधिकांशत: उपभोक्ता और पणधारी होते हैं जिनमें से अनेक निजी क्षेत्र से होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रयोगशाला में एक समर्पित व्यापार विकास समूह का गठन किया गया है ताकि सभी उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बढ़ाया जा सके। सीएसआईआर के निर्णय लेने वाले उच्चतम निकायों नामश: शासी निकाय एवं सोसाइटी में काफी संख्या में बाहरी सदस्य होते हैं। सीएसआईआर के स्तर पर ख्याति प्राप्त अखिल भारतीय उद्योग संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पन्न किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली सीएसआईआर सोसाइटी ने सीएसआईआर को निदेश दिया था कि वह केन्द्रीय सरकार से प्राप्त मूल अनुदान के अलावा वर्ष 1992-93 तक अपने अनुसंधान व विकास पर किये जाने वाले व्यय का 33.3 प्रतिशत तथा वर्ष 1999-2000 तक 40 प्रतिशत अन्य स्रोतों से अर्जित करे। इस मद में सीएसआईआर ने वर्ष 1999-2000 में सरकारी अनुदान के अलावा अन्य स्रोतों से अपना 27 प्रतिशत व्यय जुटाया है।

(ङ) सीएसआईआर ने अपनी अनुसंधान गतिविधियों हेतु संसाधनों को जुटाने के लिए विविध अभिनव उपाय किये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास मैत्री करना, संयुक्त प्रयासों द्वारा क्षमताओं एवं संसाधनों के साथ सहक्रिया करना, उपयुक्त अवसर वाले क्षेत्रों में उद्योग के साथ दीर्घावधि अनुसंधान एवं विकास सहयोग स्थापित करना सम्मिलित है।

(च) वर्ष 1997-2000 की अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास हेतु सीएसआईआर द्वारा सृजित कुल निधियां 944 करोड़ रुपये थी जबकि सरकार द्वारा 2068 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे जिसका अनुपात 45:55 है।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना

*239. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री राम शकल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए भारत-पाक सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने और फ्लड लाईट लगाने का कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या शेष सीमा क्षेत्र में कंटीले तारों की बाड़ लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य के कब तक शुरू हो जाने और कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पंजाब और राजस्थान सैक्टरों में पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल 452 कि.मी. और 1048 कि.मी. में क्रमश: 141.90 करोड़ रु. और 399.91 करोड़ रु. की लागत से बाड़ लगाई गई है तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है। पंजाब और राजस्थान में क्रमश: कुछ अव्यवहार्य नदी-तटीय और बदलते रहने वाले रेतीले टीलों वाले क्षेत्रों को बिना बाड़ लगाए छोड़ दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने गुजरात सैक्टर में कच्छ के रण क्षेत्र में 310 कि.मी. में निर्मित तटबंधों, संपर्क सड़कों और सीमा चौकियों पर बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने के लिए 380.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक व्यापक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। दस कि.मी. टुकड़े में कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है और संपूर्ण परियोजना के पांच वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 180 कि.मी. के साथ-साथ बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का काम शुरू करने और संवेदनशील टुकड़ों में इलैक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लगभग डेढ़ वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

***240. श्री नारायण दत्त तिवारी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू संसाधनों से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी कोई योजना शुरू किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक प्रयास की सहभागिता को प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कार्यक्रम के दिशामान में परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) चालू वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान नामक एक समग्र तथा विकेन्द्रित कार्यक्रम आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) अक्तूबर, 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) नामक योजना तैयार की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में जन-जन तक पहुंचाना है।

प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में जन-जन तक पहुंचाने संबंधी कार्यढांचा तथा रूपरेखा तैयार करने के लिए उक्त सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों के साथ कई बार किये गये परामर्श के आधार पर इस मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान नामक एक नई योजना तैयार की है। प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान योजना का दृष्टिकोण समुदाय आधारित है तथा पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनाएं, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं के लिए आधार बनाएंगी।

केन्द्रीय संसाधन केन्द्र का खोला जाना

2423. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बागवानी से संबंधित विषयों पर राज्य सरकारों, नगर निगमों और अन्य एजेंसियों को सहयोग और सलाह देने हेतु एक केन्द्रीय संसाधन केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह केन्द्र कब से काम करना शुरू कर देगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) 29 जून, 2000 को शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री ने एक अखिल भारतीय बागवानी सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में मंत्री ने राज्य सरकारों नगर निगमों तथा बागवानी भूदृश्यांकन (लैंड स्केपिंग) मामलों से संबंधित एक अन्य विकास एजेंसियों की सहायता और सलाह के लिए एक संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का इस सम्मेलन में अनुमोदन किया गया। इसकी मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। संसाधन केन्द्र स्थापित करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

1. राज्य सरकारों, नगर निगमों और बागवानी व भूदृश्यांकन मामलों से संबंधित अन्य विकास एजेंसियों की सहायता और परामर्श के लिए एक केन्द्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित किया जाए। इस विषय में एक मैनुअल भी तैयार किया जाए।

2. मरुस्थलीय स्थानों वाले शहरों के चारों और विशेष प्रकार के मोटे पेड़ लगाए जाएं।

3. पेड़ों की प्रतिरोधक प्रौद्योगिकी उन्नत की जाए ताकि कम से कम 80 प्रतिशत सफलता मिले।

4. सभी बागवानी विभागों में रोगोपचार के लिए एक लघु वृक्ष रोग उपचार यूनिट खोली जाए।

5. जहां तक संभव हो नर्सरी में उगे 4 से 6 मीटर ऊंचाई के पेड़ लगाए जाएं।

6. भूमि तथा आवास विकास की किसी ले-आउट प्लान में परियोजना लागत की कम से कम 2.5% राशि भूदृश्यांकन और हरित विकास के लिए निर्धारित की जाए।

7. भवन और भूदृश्यांकन सामग्री निर्माण के लिए किचन और गार्डन अपशिष्ट के उपयोग की प्रौद्योगिकी तैयार की जाए और सभी शहरी विकास एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाए।

8. पटरियों पर अव्यवस्थित टाइलें बिछाने पर अब से कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। टाइलों से वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी जड़ों तक नमी नहीं पहुंचती और जड़ों का वातन पूरी तरह अवरुद्ध होने से पेड़ों का श्वासावरोधन होता है यदि टाइलें लगानी कहीं आवश्यक हो तो केवल "पोरस" टाइलें ही लगाई जाए।

9. सड़क के किनारे बड़े और पुराने वृक्षों के लिए 6×6 फुट का अतिरिक्त स्थान रखा जाए। सभी मध्य की किनारी पट्टियों को अवरुद्ध (डि-चोक) किया जाए।

10. प्रदूषण नियंत्रण तथा धूल सोखने की क्षमता के आधार पर पेड़ लगाने के लिए नयी प्रजाति के वृक्षों की श्रृंखला का चयन किया जाए। समिति द्वारा सुझाए गए सदाबहार पेड़ों की सूची में से पेड़ लगाए जाए। सम्मिश्रित वृक्ष, झाड़ियां तथा घास उगायी जाए।

11. पत्तों को जलाना पूर्णतया बंद किया जाए। स्थानीय निकायों के बागवानी विभाग समीपवर्ती पार्क में पत्तियों की खाद बनाने की प्रणाली विकसित करें।

12. विद्युत और टेलीफोन केबल कर्ब-स्टोन के नीचे डाली जाए, जो सड़क की पटरी के अंत में हो ताकि मरम्मत कार्य करते समय वृक्षों की जड़ों को हानि न पहुंच सके।

13. हमारे जल साधनों की उपेक्षा हुई है और समुचित भूदृश्य अभिकल्पन और उन्नयन के द्वारा इन्हें लाभकर स्रोत में बदलने की जरूरत है।

14 ऐतिहासिक भवनों, धरोहरों (हेरिटेज बिल्डिंग्स) के आस-पास के क्षेत्र में उपयुक्त भू-दृश्यांकन किया जाना चाहिए तथा उन्हें आकर्षक बनाया जाना चाहिए।

15. शहरों में खाली क्षेत्र नहीं छोड़े जाने चाहिए और जिस क्षेत्र में विकास और निर्माण तत्काल अपेक्षित नहीं है उन्हें उपयुक्त भू-दृश्यांकन करके हरा-भरा रखा जाना चाहिए और चारों और बाड़ लगानी चाहिए।

16. पानी के लाभप्रद उपयोग के बारे में जनता को सूचना दी जानी चाहिए और इसके उपयोग के लिए उन्हें प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पानी की गुणवत्ता खराब न हो जिसके लिए अपेक्षित उपाय किये जाने हैं।

[हिन्दी]

नया आतंकवाद विरोधी अधिनियम

2424. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री अबुल हसनत खां:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री शिवाजी माने:
श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सीमापार से आतंकवाद और उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नए कानून का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) भारत के विधि आयोग ने, आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 प्रस्तुत कर दिया है। विधेयक के प्रारूप में, देश में आतंकवाद के बढ़ते खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को समुचित शक्तियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसमें जांच एजेंसियों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने संबंधी उपबंध भी हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए एक नए कानून की आवश्यकता पर अपनी असहमति प्रकट की है। उनके मतानुसार:

(1) वर्तमान कानून, यदि उन्हें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित और उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए तो, जहां कहीं भी आवश्यक हो, यह आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त है; और

(2) आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 के उपबंधों में ऐसी शक्तियां हैं जिनका घोर दुरुपयोग किया जा सकता है।

सरकार ने भारत के विधि आयोग द्वारा तैयार आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 के प्रारूप के विभिन्न उपबंधों पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विचार मांगे हैं। सरकार, मानवाधिकार आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करेगी और मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले नागरिक स्वतंत्रता के साथ सुरक्षा उपायों को सुमेलित करने के विचार से राजनैतिक दलों, अन्य ग्रुपों इत्यादि के साथ भी विचार-विमर्श करेगी।

[अनुवाद]

पंजाब में नए नगरों का निर्माण

2425. श्रीमती प्रेनीत कौर: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब सरकार ने संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ की परिधि में आनन्दगढ़ नाम के नए नगर के निर्माण हेतु अपने प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हुडको या किसी अन्य वित्तीय संस्थान ने उक्त परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार को कोई आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र की परिसीमा पर आनन्दगढ़ नामक एक नया शहर बनाने में वित्तीय सहायता के लिए हडको को निर्देश देने हेतु भारत सरकार की सहायता मांगी है। पंजाब सरकार को यह सलाह दी गई है कि नए शहर की स्थापना के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय करने से पहले परियोजना की आयोजना, पर्यावरण, वित्तीय तथा अन्य जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए।

(ग) आनन्दगढ़ परियोजना के संबंध में हडको को अभी तक ऋण/वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"के.टी.पी.एस." को कोयला आपूर्ति

2426. श्री सुबोध मोहिते: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरडी ताप विद्युत केन्द्र (के.टी.पी.एस.) ने "वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि." के "गिलेवेयर ग्राउन्ड बंकर" से कोयला लेना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने डम्पिंग को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) कोरडी ताप विद्युत केन्द्र को सामान्य कोयला आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल का कोरडी ताप विद्युत केन्द्र, वे.को.लि. के सिलवाड़ा ग्राउन्ड बंकर से नियमित रूप में कोयला प्राप्त कर रहा है। वे.को.लि. में गिल्वेयर नाम का कोई ग्राउन्ड बंकर नहीं है।

(ख) भाग (क) में दिए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सिलेवारा में कोई डम्पिंग नहीं है।

(घ) चालू वर्ष की पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल से जून, 2000 तक, एमएसईबी के कोरडी ता.वि.के को प्रेषित कुल कोयला 12.42 लाख टन है (अनंतिम)।

[हिन्दी]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती

2427. श्री राजो सिंह:
मोहम्मद अनवारूल हक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती हेतु कोई राज्य-वार कोटा निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कोटे से प्रत्येक राज्य में कुल कितने युवकों को भर्ती किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) कांस्टेबलों की भर्ती के लिए राज्यवार कोटा निर्धारित किया जाता है जबकि उप-निरीक्षकों और सहायक कमांडेन्टों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर की जाती है। सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और असम राईफल्स में कांस्टेबलों की 90 प्रतिशत रिक्तियां और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 100 प्रतिशत रिक्तियां संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जनसंख्या अनुपात के आधार पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच आवंटित की जाती हैं। सीमा सुरक्षा बल, आईटीबीपी और असम राईफल्स में शेष 10 प्रतिशत रिक्तियां सीमावर्ती राज्यों, जहां संबंधित केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल तैनात हैं, को आवंटित की जाती है।

(ग) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में गत तीन वर्षों में भर्ती किए गए युवकों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1955
2.	अरुणाचल प्रदेश	196
3.	असम	1687
4.	बिहार	1695
5.	गोवा	22
6.	गुजरात	1465
7.	हरियाणा	778
8.	हिमाचल प्रदेश	752
9.	जम्मू और कश्मीर	2107
10.	कर्नाटक	1598
11.	केरल	543
12.	मध्य प्रदेश	2162
13.	महाराष्ट्र	3295
14.	मणिपुर	477
15.	मेघालय	393
16.	मिजोरम	237
17.	नागालैंड	394
18.	उड़ीसा	1604
19.	पंजाब	818
20.	राजस्थान	1138
21.	सिक्किम	135
22.	तमिलनाडु	1677
23.	त्रिपुरा	568
24.	उत्तर प्रदेश	2976
25.	पश्चिम बंगाल	2602
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	2
27.	चंडीगढ़	60
28.	दादर और नागर हवेली	00
29.	दमण और दीव	3
30.	दिल्ली	447
31.	लक्षद्वीप	00
32.	पांडिचेरी	50

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

2428. श्री मोहन रावले: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण के दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के संबंध में हुई देरी की जांच के लिए किसी जांच समिति के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उक्त इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सरकार द्वारा जांच करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण का अनुमोदन क्रमशः फरवरी, 1989, अक्तूबर, 1989 और जुलाई, 1993 में किया गया था और ये कार्य क्रमशः मार्च, 1998, नवम्बर, 1999 और जनवरी, 2000 में पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

पालिटेकनिक

2429. श्री अनादि साहू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1999 तक ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा स्वीकृत कितने पालिटेकनिक संस्थान मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान देश में ऐसे संस्थानों की स्थापना का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) 31 दिसम्बर, 1999 तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मांन्यता प्राप्त पॉलीटेक्निकों की कुल संख्या 1215 है। भारत सरकार के पास इस समय नए संस्थान स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2000-2001/2001-2002 के लिए डिप्लोमा स्तरीय संस्थान खोलने के आशय से आवेदन करने को कहा है ताकि वे अपने नियमों के अनुसार इस पर कार्रवाई कर सकें।

[हिन्दी]

कोयला भण्डार में वृद्धि

2430. श्री सुरेश चन्देल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "कोल इंडिया लि." की सभी अनुषंगी कंपनियों में कोयले के भण्डार में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रतिमाह वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए "कोल इंडिया लि." की गलत विपणन और मूल्य निर्धारण नीतियां जिम्मेदार हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विपणन और मूल्य निर्धारण नीतियों में सुधार हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) को.इं.लि. की अनुषंगी कंपनियों में वर्ष 1999-2000 का विक्रय कोयला भंडार (अंतिम), महीना-वार संलग्न विवरण में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि एसईसीएल और एमसीएल को छोड़कर 1998-99 की तुलना में 1999-2000 के दौरान सभी अनुषंगी कंपनियों में विक्रय भंडार में कमी रही है। तथापि, एसईसीएल में उत्पादन में 1.19 मि.ट. की वृद्धि पर भंडार में वृद्धि, केवल 0.83 मि.ट. थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1998-99 की तुलना में 1999-2000 के दौरान विक्रय भंडार की स्थिति महीना-वार (सहायक कंपनी-वार)

(अनंतिम डाटा)
(आंकड़े मिलियन टन में)

अवधि	ईसीएल विक्रय भंडार	बीसीसीएल विक्रय भंडार	सीसीएल विक्रय भंडार	एनसीएल विक्रय भंडार	डब्ल्यूसीएल विक्रय भंडार	एसईसीएल विक्रय भंडार
1	2	3	4	5	6	7
अप्रैल, 99	3.681	3.694	3.773	1.515	3.06	5.955

1	2	3	4	5	6	7
मई, 99	3.282	3.259	2.88	1.131	2.76	5.386
जून, 99	2.84	3.009	2.429	0.79	2.426	5.097
जुलाई, 99	2.524	2.477	2.117	0.506	2.112	4.607
अगस्त, 99	2.259	2.157	1.916	0.427	1.815	4.687
सितम्बर, 99	1.986	2.238	1.817	0.241	1.667	4.737
अक्तूबर, 99	2.255	2.333	1.643	0.311	1.653	4.739
नवम्बर, 99	2.159	2.515	1.807	0.481	1.864	5.219
दिसम्बर, 99	2.267	2.729	1.886	0.545	2.066	5.567
जनवरी, 2000	2.483	2.996	2.296	0.962	2.241	6.072
फरवरी, 2000	2.653	3.206	3.007	1.126	2.25	6.597
मार्च, 2000	3.06	3.277	4.354	1.442	2.321	7.094
1.4.2000 के अनुसार	3.06	3.277	4.354	1.442	2.321	7.094
1.4.99 के अनुसार	4.296	4.169	4.723	2.287	3.307	6.265
(+/-)	-1.236	-0.892	-0.369	-0.845	-0.986	0.829

अवधि	एमसीएल विक्रय भंडार	एनईसी विक्रय भंडार	कोल इंडिया लि. विक्रय भंडार
1	2	3	4
अप्रैल, 99	3.716	0.821	26.215
मई, 99	3.394	0.791	22.883
जून, 99	3.171	0.757	20.519
जुलाई, 99	3.059	0.736	18.138
अगस्त, 99	3.291	0.728	17.28
सितम्बर, 99	3.14	0.722	16.548
अक्तूबर, 99	3.31	0.7	16.944
नवम्बर, 99	3.595	0.664	18.304
दिसम्बर, 99	4.282	0.628	19.97
जनवरी, 2000	4.947	0.601	22.598

1	2	3	4
फरवरी, 2000	5.185	0.591	24.617
मार्च, 2000	5.493	0.578	27.619
1.4.2000 के अनुसार	5.493	0.578	27.619
1.4.99 के अनुसार	4.066	0.844	29.957
(+/-)	1.427	-0.266	-2.338

कर्मचारियों की छंटनी

2431. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कोयला कंपनियों, विशेषकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के कर्मचारियों की छंटनी का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं। सरकार ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, ऐसे कर्मचारी सरकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि. के प्रचालन में इस प्रकार की पृथककरण योजना है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

किसानों को वैकल्पिक भूमि

2432. **श्री रामदास आठवले:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार किसानों को वैकल्पिक भूखंड उसी दर पर प्रदान करने का है जिस दर पर उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी नहीं। तथापि अधिग्रहण और विकास प्रभार की लागत के आधार पर आकलित पूर्व निर्धारित दरों पर दिल्ली में भूमि का व्यापक मात्रा में अधिग्रहण, विकास और निपटान (लार्ज स्केल एक्वीजिशन, डेवलपमेंट एण्ड डिस्पोजल ऑफ लैण्ड) के अंतर्गत शहर के नियोजित विकास के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है उन्हें वैकल्पिक भूमि दी जाती है।

[अनुवाद]

कोयले का मूल्य

2433. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उद्योग अपने संसाधनों से अपना व्यय वहन नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की आठ सहायक कंपनियों में से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) और भारत कोकिंग कोल लि. (भाकोकोलि) अपने ही संसाधनों से अपना-अपना खर्च पूरा करने में समर्थ नहीं हैं।

(ख) ईसीएल और बीसीसीएल द्वारा उठाए गए उत्तरोत्तर घाटों ने उनके तरीकों और उपायों की स्थिति असंतुलित कर दी है, जिससे संसाधनों में भारी अंतराल आ गया है।

(ग) सीआईएल के द्वारा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को ईसीएल और बीसीसीएल हेतु पुनरुद्धार पैकेज बनाने के लिए लगाया गया था। कोयला मंत्रालय ने आईसीआईसीआई की अंतिम रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने ईसीएल के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज का सुझाव दिया है, प्राप्त कर ली है। तथापि, ईसीएल के पुनरुद्धार पैकेजों के लिए सरकार से अनुमोदन मांगने हेतु अब तक उन्हें कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कोयला मंत्रालय में, बीसीसीएल के पुनरुद्धार पैकेजों पर आईसीआईसीआई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है।

अपराधियों का हिरासत में लिया जाना

2434. श्री ई. अहमदः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में अपराध कर अन्य देशों में भाग गये अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस के कितने दल बाहर गये और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) 31 अगस्त, 2000 की तिथि के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा वांछित, कितने लोग विदेश में हैं; और

(ग) उन्हें वापिस लाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है:

वर्ष	बाहर भेजे गए दल	खर्च की गयी राशि (रु. में)
1997	1	2,70,052
1998	शून्य	शून्य
1999	शून्य	शून्य
2000 (31.7.2000 तक)	1	4,27,869

(ख) दिल्ली पुलिस/केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वांछित ऐसे व्यक्तियों की संख्या इस समय 140 है।

(ग) भगोड़ों को वापस लाने के लिए उठाये जा रहे कदमों में रेड कारनर नोटिस जारी करना और प्रत्यवर्तन कार्यवाहियां शुरू करना शामिल है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्ति की आयु

2435. श्री राजेन गोहेनः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के निर्णय के तहत सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय समान सेवानिवृत्ति आयु का पालन करते हैं;

(ख) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालयों के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में केन्द्र सरकार के कतिपय निर्देशों का पालन नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों को दिनांक 27.7.1998 तथा 6.11.1998 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्रों द्वारा परिचालित विश्वविद्यालय एवं कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन की योजना में यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु 62 वर्ष होगी। यह 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु रजिस्ट्रारों, पुस्तकाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा कार्मिकों, परीक्षा-नियंत्रकों, वित्त अधिकारियों तथा ऐसे अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों, जिन्हें शिक्षकों के समकक्ष समझा जा रहा है और जिनकी अधिवार्षिता आयु 60 वर्ष थी, पर भी लागू होगी।

पेयजल मिशन

2436. श्री ए. ब्रह्मनैयाः क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मौजूदा संरक्षित जल आपूर्ति योजना के अनुरक्षण हेतु पेयजल मिशन द्वारा धनराशि का एक भाग नियत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा जल परियोजनाओं के अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) देश में पेयजल योजनाओं के बेहतर और उचित अनुरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देती है। राज्य सरकारों को व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को बनाने, स्वीकृति देने तथा कार्यान्वित करने का अधिकार सौंपा गया है। राज्यों को जारी की त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों के 15 प्रतिशत का उपयोग राज्यों द्वारा 1.4.1999 से ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रख-रखाव के लिए किया जा सकता है जबकि पहले 10 प्रतिशत का प्रावधान था। राज्य सरकारें ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से सदृश अनुदान मुहैया कराएंगी।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत अद्यतन जानकारी के अनुसार उन्होंने 1999-2000 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियों से ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और रख-रखाव पर 536.00 करोड़ रु. (लगभग) खर्च किए हैं।

राज्य सरकारों द्वारा चयनित 58 प्रायोगिक जिलों में सामुदायिक भागीदारी के आधार पर क्षेत्र सुधार परियोजनाएं शुरू की गयी हैं जिनका आंशिक पूंजी लागत और पूर्ण संचालन और रख-रखाव खर्च समुदाय द्वारा वहन किया जाएगा।

2000-2001 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के आबंटन से संबंधित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2000-2001
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11600.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3492.00
3.	असम	5898.00
4.	बिहार	9380.00
5.	गोआ	1404.00
6.	गुजरात	7085.00
7.	हरियाणा	1943.00
8.	हिमाचल प्रदेश	5091.00
9.	जम्मू कश्मीर	8788.00
10.	कर्नाटक	10350.00
11.	केरल	5746.00
12.	मध्य प्रदेश	11109.00
13.	महाराष्ट्र	16934.00
14.	मणिपुर	1282.00
15.	मेघालय	1373.00
16.	मिजोरम	981.00
17.	नागालैण्ड	1020.00
18.	उड़ीसा	8213.00
19.	पंजाब	2383.00
20.	राजस्थान	16361.00
21.	सिक्किम	650.00
22.	तमिलनाडु	7308.00
23.	त्रिपुरा	1216.00
24.	उत्तर प्रदेश	14775.00
25.	पश्चिम बंगाल	7895.00
26.	अंडमान निकोबार	13.00
27.	दादर व नगर हवेली	7.00
28.	दमन व दीव	0.00
29.	दिल्ली	5.00
30.	लक्षद्वीप	0.00
31.	पांडिचेरी	5.00
	कुल	160306.00

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर

2437. श्री नरेश पुगलिया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षा के स्तर का आकलन करने और सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का समान स्तर सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बेहतर शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा में मानक निर्धारित करने के लिए की गई थी। तथापि, मुख्य उद्देश्य मानकों में केवल एकरूपता लाना ही नहीं है बल्कि उसके द्वारा न्यूनतम मानक निर्धारित करने की आवश्यकता भी है।

(ख) और (ग) अपने सभी छात्रों के लिए उत्तम शिक्षा सुनिश्चित करना सभी विश्वविद्यालयों के कर्त्तव्य का एक हिस्सा है। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) नामक एक अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना की गई है। 17 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा प्रत्यापित किए गए विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं:

1. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
2. अविनाशिलिंगम गृह विज्ञान तथा महिला उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोयम्बतूर
3. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै
4. बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी
5. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की
6. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
7. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर
8. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
9. एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई
10. अन्नामलै विश्वविद्यालय, अन्नामलै नगर

उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में से 5 विश्वविद्यालयों को 4-स्टार स्तर पर तथा शेष विश्वविद्यालयों को 5-स्टार पर प्रत्यायित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए मूल्यांकन तथा प्रत्यायन अनिवार्य होगा तथा यह प्रक्रिया 31 दिसम्बर, 2000 तक पूरी करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड का विनिवेश

2438. श्री रिजवान जहीर: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड" के विनिवेश को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस बारे में कोई अंतिम निर्णय लेते समय कम्पनी के कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों का उपयोग करने हेतु बकाया की वसूली

2439. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक ने अर्द्धसैनिक बलों का उपयोग करने के कारण विभिन्न राज्यों से 800 करोड़ रुपये वसूल करने के लिए केन्द्र सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मांग छोड़ देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन अनुरोध पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने राज्यों को अनैच्छिक रोलिंग आर्थिक सहायता का उल्लेख किया है और यह टिप्पणी की है कि बकाया राशि का भुगतान न करने की राज्य सरकार की प्रवृत्ति को स्वीकार करने के किसी भी संकेत से अन्य राज्यों को भी प्रतिपूर्ति में देरी करने और प्रतिपूर्ति न करने की दिशा में बढ़ावा मिल सकता है। रिपोर्ट में, सी.सु. बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती के कारण कुल बकाया राशि 796.24 करोड़ रु. दिखायी गयी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, बकाया राशि की एक सूची संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान। तथापि, विचार करने के बाद यह महसूस किया गया कि राज्यों की सम्पूर्ण बकाया राशि को माफ कर देना केन्द्र सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा। केन्द्र सरकार, कुछ राज्यों को जो आतंकवाद की समस्या से जूझ रहे हैं, सुरक्षा संबंधी व्यय की स्कीम के माध्यम से पहले ही विशेष सहायता दे रही है।

विवरण

विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती के कारण बकाया राशि का ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	मार्च 1999 को बकाया राशि			
		सी.आर.पी.एफ.	बी.एस.एफ.	सी.आई.एस.एफ.	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8112.97	521.06	—	8634.03
2.	असम	2819.75	182.16	—	3001.91
3.	बिहार	3849.58	0.46	50.48	3900.52
4.	दिल्ली	10955.33	—	11367.53	22322.86
5.	गुजरात	11.21	—	—	11.21
6.	हरियाणा	191.05	5.46	—	196.51
7.	कर्नाटक	181.87	—	1.05	182.92
8.	केरल	12.71	—	—	12.71
9.	मध्य प्रदेश	19.99	—	6.98	26.97
10.	महाराष्ट्र	—	—	9.71	9.71
11.	उड़ीसा	33.33	—	—	34.33
12.	पांडिचेरी	106.45	—	—	106.45
13.	पंजाब	20988.76	2983.44	14.62	23986.82
14.	राजस्थान	3.23	—	—	3.23

1	2	3	4	5	6
15.	तमिलनाडु	6234.13	—	142.52	6376.65
16.	उत्तर प्रदेश	10727.42	3.99	84.96	10816.37
17.	पश्चिम बंगाल	2.00	—	—	2.00
	कुल	64249.78	3696.57	11677.85	79624.20

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु वार्षिक आबंटन

2440. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आबंटन में कमी के कारण कई योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ग्रामीण विकास की मुख्य प्राथमिकताप्राप्त योजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय को निधियां प्रदान करते हैं।

(ङ) ग्रामीण विकास योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निष्पादन समीक्षा समिति की आवधिक बैठकें, आवधिक प्रगति रिपोर्टों और क्षेत्रीय निरीक्षण के जरिए कार्यान्वयन संबंधी निगरानी शामिल हैं। सरकार ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर निगरानी और सतर्कता समितियां भी गठित की हैं। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं के जरिए योजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

[अनुवाद]

जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाएं

2441. श्री साहिब सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली जुलाई, 1998 की "जल आपूर्ति और सफाई परियोजना" के संघटक क्या हैं;

(ख) क्या यह योजना शुरू कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन में आज तक संघटक-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परियोजना में जल और सीवर क्षेत्र की योजनाएं आती हैं।

(ख) से (घ) भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 2.5 मिलियन यू.एस. डालर की परियोजना निर्माण सुविधा के करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। परियोजना निर्माण सुविधा योजना के अंतर्गत परामर्श देने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चल रही है।

जैवप्रौद्योगिकी वैज्ञानिक

2442. श्री कोलूर बसवनगौड: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अच्छे जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुसंधान कार्य और जनशक्ति के विकास के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) से (घ) देश में अच्छे जैवप्रौद्योगिकीविदों की कमी नहीं है। कई प्रतिभावान वैज्ञानिक अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थानों में जैवप्रौद्योगिकी के सभी अग्रणी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण जैवप्रौद्योगिकी विकास का एक अभिन्न अंग है। केन्द्र सरकार के समक्ष राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है। 50 संस्थानों में जैवप्रौद्योगिकी में एकीकृत मानव संसाधन विकास कार्यक्रम और कई पुरस्कार एवं प्रोत्साहन-योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। प्रतिवर्ष लगभग 500 छात्र प्रशिक्षित किये जाते हैं और 200 से भी अधिक वैज्ञानिक अन्य विभिन्न स्कीमों से लाभ उठाते हैं। लगभग 10 वर्षों के दौरान कार्यक्रम में हुए नियमित विस्तार से 6000 से भी ज्यादा जैवप्रौद्योगिकीविदों को अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के अति-उन्नत क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली को अतिरिक्त जल

2443. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त जल प्रदान करने के मुद्दे को हरियाणा सरकार के साथ उठाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि नांगलोई में जल शोधन संयंत्र पूरा होने के बाद संयंत्र चलाने के लिए कच्चा पानी हासिल करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए गए। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड से कच्चा पानी हासिल करने के लिए अप्रैल, 99 में जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10.5.2000 के आदेश के निबंधनों के अनुसार इंजीनियरों के केन्द्रीय दल की निगरानी में हरियाणा "कैरियर सिस्टम" के जरिए भाखड़ा जलाशय (स्टोरेज) से 31.8.2000 तक 125 क्यूसेक अतिरिक्त कच्चा पानी उपलब्ध हो गया है।

[अनुवाद]

समुद्री जल को पेयजल के रूप में तैयार करना

2444. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए समुद्री जल को पेयजल के रूप में तैयार करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या इस समुद्री खारे जल को पीने के लिए योग्य बनाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हथियारों को सस्ते दामों पर भेजना

2445. श्री के. येरननायडू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देश भारतीय द्वीप में सस्ते दामों पर औषधियां, हथियार और गोला-बारूद भेज रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय नौसेना को मजबूत/सुसज्जित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि इस राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा की जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र में नौसेना की उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले उपायों में सम्मिलित हैं: पोर्ट ब्लेयर में अतिरिक्त बर्थिंग स्पेस का सृजन, पोर्ट ब्लेयर और कैम्प बेल बे में रनवे का विस्तार और क्षेत्र में समुद्री और हवाई गतिविधियों का प्रबोधन करने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में मुख्य स्थानों पर अधुनातम उपस्कर लगाना।

[हिन्दी]

पनधारा विकास योजना

2446. श्री रामटहल चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पनधारा विकास योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके अंतर्गत राज्य-वार प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय वाटरशेड विकास के लिए तीन मुख्य कार्यक्रम नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) कार्यान्वित कर रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन सभी कार्यक्रमों के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

आठवीं योजना	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
बजट अनुमान	206.75	5000.00	500.00
संशोधित अनुमान	206.49	448.26	410.00
वास्तविक व्यय	215.31	442.18	376.78

1.4.1995 से इन कार्यक्रमों को वाटरशेड विकास संबधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाएं बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को पांच वर्षों की अवधि के दौरान विकसित करने के लिए स्वीकृत की जाती है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के लिए निधियां कार्य की प्रगति पर निर्भर करते हुए परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर जारी की जाती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्ष्यों को कारगर रूप से प्राप्त किया जाए, मार्गदर्शी सिद्धांतों में जिला स्तर पर वाटरशेड विकास सलाहकारी समिति और राज्य स्तर पर वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समीक्षा समिति गठित करने के लिए व्यवस्था है। केन्द्रीय स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन पर सचिव (ग्रामीण विकास) द्वारा संबंधित राज्य सचिवों के साथ आवधिक तौर पर समीक्षा करके निगरानी रखी जाती है। कार्यक्रम के प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा भी ऐसी ही समीक्षाएं की जाती हैं। कार्यक्रमों से संबंधित केन्द्रीय अधिकारियों तथा क्षेत्र अधिकारियों द्वारा परियोजना क्षेत्र का दौरा करने से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

विवरण

आठवीं योजना अवधि (1992-93 से 1996-97 तक) के दौरान जारी निधियां

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य के नाम	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2853.15	76.53	1078.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	1208.51	21.45	0.00
5.	दिल्ली	15.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	2308.05	32.93	4001.54
7.	हरियाणा	1138.08	2.99	2969.19
8.	हिमाचल प्रदेश	862.57	2.61	2276.43
9.	जम्मू और कश्मीर	111.79	10.03	3589.31
10.	कर्नाटक	709.29	41.08	822.15
11.	केरल	940.66	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1207.54	57.10	0.00
13.	महाराष्ट्र	180.50	56.86	0.00
14.	मणिपुर	161.06	0.00	0.00
15.	मेघालय	57.42	0.00	0.00
16.	मिजोरम	351.95	0.00	0.00
17.	नागालैंड	1028.71	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	1242.56	20.67	0.00
19.	पंजाब	771.16	0.00	0.00
20.	राजस्थान	2127.06	19.99	22940.81
21.	सिक्किम	758.03	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	638.44	34.26	0.00
23.	त्रिपुरा	64.58	0.00	0.00

1	2	3	4	5
24.	उत्तर प्रदेश	1987.27	56.21	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	807.49	9.47	0.00
26.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
27.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
28.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	000
30.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
	योग	21530.87	442.18	37677.93

[अनुवाद]

आतंकवाद के मामले

2447. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि देश में आतंकवाद के मामलों की जांच करने के लिए केवल उच्चस्तरीय नीति संबंधी अधिकारी ही सक्षम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 के मसौदे में उप पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा अपराध की जांच-पड़ताल करने की व्यवस्था है। सरकार ने इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विचार मांगे हैं। सरकार, अंतिम निर्णय लेने से पूर्व राजनैतिक पार्टियों और अन्य संबंधित एजेंसियों/ग्रुपों से विचार-विमर्श करेगी।

लम्बित विधेयक

2448. श्री अली मोहम्मद नायक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित कितने विधेयक महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति या सहमति या अन्यथा के लिए भेजे गए;

(ख) राज्य-वार कितने-कितने विधेयक किस-किस तारीख को महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए;

(ग) क्या सरकारिया आयोग ने इस सिलसिले में स्वीकृति, सहमति अथवा अन्यथा हेतु चार महीने की समय-सीमा की सिफारिश की थी; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) विभिन्न राज्य विधान मण्डलों द्वारा पास किए गए और संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति महोदय की सहमति के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयकों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है कि चली आ रही स्वस्थ परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति महोदय की सहमति के लिए सुरक्षित रखा गया कोई भी विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्ति की तारीख से चार माह की अवधि के अन्दर राष्ट्रपति द्वारा निपटा दिया जाना चाहिए। यदि विधेयक के उपबंधों पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है तो स्पष्टीकरण प्राप्त होने के चार माह के भीतर अथवा पुनः विचारित विधेयक वापिस आने पर, जैसा भी मामला हो, निपटाया जाना चाहिए।

(घ) राज्य विधान मण्डलों से राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्राप्त विधेयकों की जांच भारत सरकार द्वारा तीन दृष्टिकोणों (क) किसी केन्द्रीय विधि से विरोध (ख) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से विचलन, और (ग) विधिक और संवैधानिक मान्यता, से की जाती है। राज्य सरकारों को उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे

विधेयकों के उपबंधों में परिवर्तन/संशोधन करने की सलाह दी जाती है। शीघ्रता से अंतिम निर्णय पर पहुंचने की दृष्टि से राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है।

विवरण

3.8.2000 की स्थिति

क्र.सं.	प्राप्ति की तारीख	राज्य का नाम	विधेयक का नाम
1	2	3	4
1.	29.6.1999	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश भूमि राजस्व संहिता विधेयक, 1999
2.	11.5.2000	-तदैव-	दण्ड प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000
3.	25.1.1995	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन आफ कस्टमरी ला एण्ड सोशल प्रोटेक्शन विधेयक, 1994
4.	6.5.1997	-तदैव-	अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज विधेयक, 1997
5.	27.7.1998	असम	असम कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियां) विधेयक, 1998
6.	28.6.2000	-तदैव-	असम कृषि उत्पाद मार्किट (संशोधन) विधेयक, 2000
7.	20.11.1995	बिहार	बिहार में पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए) (संशोधन) विधेयक, 1995
8.	8.10.1999	-तदैव-	पंचाट और समाधान (बिहार संशोधन) विधेयक, 1999
9.	11.8.1997	गोवा	गोवा पुलिस विधेयक, 1997
10.	6.5.1996	हरियाणा	पंजाब शडुल्ड रोडज एण्ड कन्ट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन आफ अनरेगुलेटिड डेवेलपमेन्ट (हरियाणा संशोधन एण्ड वैलिडेशन) विधेयक, 1996
11.	7.1.2000	-तदैव-	हरियाणा लोक आयुक्त विधेयक, 1999
12.	18.1.2000	-तदैव-	हरियाणा पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999
13.	21.3.1997	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश मेन्टिनैन्स आफ पेरन्टस एण्ड डिपेन्डन्ट्स विधेयक, 1996
14.	8.6.2000	-तदैव-	हिमाचल प्रदेश प्रिवेन्शन आफ स्पैसिफिक करप्ट प्रैकटिसिज (संशोधन) विधेयक, 2000
15.	7.7.1998	कर्नाटक	कर्नाटक इन्लैंड फिशरीज (कन्जरवेशन डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) विधेयक, 1996
16.	24.5.1999	-तदैव-	कर्नाटक टैक्सेशन लॉं (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

1	2	3	4
17.	25.6.1999	कर्नाटक	मैसूर टोबैको कम्पनी लिमिटेड (एक्विजिशन आफ शेयर्स) विधेयक, 1998
18.	3.8.1999	-तदैव-	कर्नाटक फारेस्ट एण्ड सर्टेन अदर लॉ (संशोधन) विधेयक, 1999
19.	5.8.1999	-तदैव-	कर्नाटक ग्राउंट वाटर (रेगुलेशन फार प्रोटेक्शन आफ सोर्सिज आफ ड्रिंकिंग वाटर) विधेयक, 1999
20.	12.6.2000	-तदैव-	कर्नाटक टैक्स आन एन्ट्री आफ गुड्स (संशोधन) विधेयक, 2000
21.	13.5.1999	केरल	केरल ग्रांट एण्ड लीज (मोडीफिकेशन आफ राइट्ज) संशोधन विधेयक, 1999
22.	27.10.1995	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 1995
23.	30.3.1998	-तदैव-	मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997
24.	3.7.1998	-तदैव-	मध्य प्रदेश राइट्स टू इन्फर्मेशन विधेयक, 1998
25.	7.7.2000	-तदैव-	मध्य प्रदेश मनी लैन्डर (संशोधन) विधेयक, 2000
26.	1.2.1996	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र एनिमल प्रिजर्वेशन (संशोधन) विधेयक, 1995
27.	2.2.1996	-तदैव-	महाराष्ट्र प्रिवेंशन आफ बिगामौस मैरेज विधेयक, 1995
28.	22.8.1997	-तदैव-	महाराष्ट्र मेन्टिनेन्स आफ पेरन्ट्स एण्ड डिपेन्डन्ट्स विधेयक, 1997
29.	21.5.1999	-तदैव-	महाराष्ट्र प्रोजेक्ट इफेक्टिड पर्सन्ज रिहेबिलिटेशन विधेयक, 1999
30.	9.5.2000	-तदैव-	महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, डी-नोटिफाईड ट्राइब्स (विमुक्ता जातियां), नोमाडिक जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ी श्रेणी (रेगुलेशन आफ इशुएन्स एण्ड वैरिफिकेशन आफ) जाति प्रमाणपत्र विधेयक, 2000
31.	15.5.2000	-तदैव-	महाराष्ट्र ऑनरशिप फ्लैट्स (निर्माण, बिक्री, प्रबंध और स्थानान्तरण के उन्नयन का विनियमन) (रिट्रोस्पैक्टिव एक्टेंन्शन आफ डूरेशन) विधेयक, 2000
32.	9.12.1992	मणिपुर	मणिपुर प्रिवेन्शन आफ मालप्रेक्टिस एंट पब्लिक एक्जामिनेशन विधेयक, 1992
33.	24.9.1998	नागालैंड	नागालैंड (ओनरशिप एण्ड ट्रांसफर आफ लैंड एण्ड इट्स रिसोर्सिज) संशोधन विधेयक, 1995

1	2	3	4
34.	14.1.1997	उड़ीसा	उड़ीसा लेबर वेल्फेयर फण्ड विधेयक, 1996
35.	14.10.1999	पंजाब	पंजाब म्युनिसिपल विधेयक, 1999
36.	3.5.2000	–तदैव–	पंजीकरण (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2000
37.	23.8.1996	राजस्थान	मोटर वाहन (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1996
38.	1.11.1989	सिक्किम	सिक्किम एनएनेशन आफ लैंड (विनियमन) विधेयक, 1989
39.	1.11.1989	–तदैव–	सिक्किम ट्रांसफर आफ लैंड (विनियमन) विधेयक, 1989
40.	27.5.1986	तमिलनाडु	मद्रास रेस क्लब (एक्यूजिशन एण्ड ट्रांसफर आफ अण्डरटेकिंग) संशोधन विधेयक, 1986
41.	5.5.1997	–तदैव–	तमिलनाडु विशेष न्यायालय विधेयक, 1997
42.	12.11.1997	–तदैव–	भारतीय स्टाम्प (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1997
43.	25.6.1998	–तदैव–	तमिलनाडु वन (संशोधन), 1998
44.	12.6.2000	–तदैव–	तमिलनाडु पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000
45.	12.6.2000	–तदैव–	तमिलनाडु पंचायत (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2000
46.	12.6.2000	–तदैव–	तमिलनाडु म्युनिसिपल लॉ (संशोधन) विधेयक, 2000
47.	21.6.2000	–तदैव–	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2000
48.	22.6.2000	–तदैव–	तमिलनाडु फारमर्स मैनेजमेन्ट आफ इर्रिगेशन सिस्टम विधेयक, 2000
49.	8.9.1999	त्रिपुरा	इंडियन एविडेन्स (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 1999
50.	1.6.1992	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन आफ काऊ स्लाटर (संशोधन) विधेयक, 1992
51.	12.8.1999	–तदैव–	दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1999
52.	4.2.2000	–तदैव–	उत्तर प्रदेश रेगुलेशन आफ पब्लिक रिलिजियस बिल्डिंग एण्ड प्लेसिज विधेयक, 2000
53.	13.10.1993	पश्चिम बंगाल	ग्रेचुइटि का भुगतान (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1993
54.	8.7.1994	–तदैव–	दण्ड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1994
55.	9.11.1995	–तदैव–	पश्चिम बंगाल गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान और स्थानीय प्राधिकरण (कर्मचारियों की भविष्य निधि का नियंत्रण) विधेयक, 1995

1	2	3	4
56.	2.7.1997	-तदैव-	बंगाल पब्लिक डिमांड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, 1997
57.	7.9.1999	-तदैव-	भूमि अधिग्रहण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1999
58.	28.4.2000	-तदैव-	विशेष विवाह (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1999
59.	1.5.2000	-तदैव-	पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग (रिकवरी आफ ड्युज) विधेयक, 2000

अटारी रेलवे स्टेशन पर आव्रजन केन्द्र

2449. श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान से आने वाले यात्रियों को स्वीकृति दिये जाने के संबंध में अटारी रेलवे स्टेशन के आव्रजन कर्मचारियों में व्याप्त अत्यधिक भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इसमें लिप्त पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) समाचार-पत्रों में छपे एक समाचार में अटारी रेलवे स्टेशन पर तैनात आप्रवासन/सीमा शुल्क कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए थे। इस मामले में की गई जांच-पड़ताल से प्रश्नाधीन समाचार में लगाया गया कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

इस्पात संयंत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2450. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस्पात संयंत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इन कंपनियों के इक्विटी अंश का प्रतिशत कितना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) विद्यमान नीति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत स्वत: प्रक्रिया के जरिए लोहा और इस्पात क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमेय है।

(ख) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लिग्नाइट पर रायल्टी

2451. श्री पी. कुमारासामी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार एक वर्ष से अधिक समय से लिग्नाइट पर रायल्टी बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) लिग्नाइट पर रायल्टी की विद्यमान दर में वृद्धि करने संबंधी एक प्रस्ताव तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुआ है और इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

"सेल" के अंतर्गत आने वाली कम्पनियां

2452. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली कम्पनियां इस समय अपना कुल उत्पादन बेचने में समर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मुनाफा कमाने वाली इन कम्पनियों का कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन दो कम्पनियां अर्थात् इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) और महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.) हैं। 2000-2001 (अप्रैल-जुलाई, 2000) के दौरान इनके मुख्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(1) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को)

(हजार टन)

उत्पाद	उत्पादन	बिक्री
विक्रेय इस्पात	87.5	86.3
कच्चा लोहा	85.4	79.4

(2) महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.)

(टन)

उत्पाद	उत्पादन	बिक्री
उच्च कार्बन फैरो मैंगनीज	15374	18258
सिलिका मैंगनीज	11684	12940

(घ) सेल की सहायक कम्पनियों का पिछले तीन वर्षों का कर पूर्व लाभ और हानि (-) निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	इस्को	एम.ई.एल.
1997-98	-395	1.64
1998-99	-357	-11.07
1999-2000	-210	-16.10

कोल इंडिया लि. के कर्मचारियों पर व्यय

2453. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और आज तक कोल इंडिया लि. और इसकी अनुषंगी इकाइयों के कर्मचारियों के कल्याण कार्यों पर वार्षिक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कोयला खानों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संदर्भ में कोई ज्ञापन मिला है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इनके कर्मचारियों के आश्रितों के लिए शिक्षण संस्थानों का कोई प्रबंध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.टी. षणमुगम): (क) को.इं.लि. द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार, वर्ष 1999-2000 के लेखाओं की लेखापरीक्षा अभी नहीं हुई है, गत तीन वर्षों यानी 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान को.इं.लि. और इसकी सहायक इकाइयों में कर्मचारियों के कल्याण क्रियाकलापों पर किए गए वार्षिक व्यय का विवरण निम्नलिखित है:-

(करोड़ रु. में)

कंपनी का नाम	1996-97	1997-98	1998-99
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	224.49	229.19	205.98
भारत कोकिंग कोल लि.	206.27	226.17	233.92
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	132.83	141.87	141.78
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	165.17	231.73	207.65
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	228.37	184.69	244.32
महानदी कोलफील्ड्स लि.	69.85	84.40	86.28
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	90.99	127.86	129.81
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	13.45	13.06	13.73
सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	7.25	7.92	7.70
जोड़	1138.67	1246.89	1271.17

(ख) और (ग) कोयला खान शिक्षक मोर्चा से, उनके जंतर-मंतर, नई दिल्ली पर हुए प्रदर्शनों के बारे में कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियों के साथ कोयला मंत्रालय को उनके

अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। उनकी अनेक मांगों में, अनुदानों में वृद्धि, कोल इंडिया लि., इत्यादि के कर्मचारियों के समान सुविधाएं, राज्य सरकार के शिक्षकों के बराबर वेतनमान और कंपनी की पंजी में उनको विनियमित करना प्रमुख मांगे हैं। कोयला खानों में स्थित निजी तौर पर प्रबंधित स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के नेताओं के साथ मंत्रालय में अनेक बैठकें हो चुकी हैं। सचिव (कोयला) के साथ अक्तूबर/नवम्बर, 1998 में इन नेताओं की एक बैठक में यह सहमति हुई थी जिसमें यह मान लिया गया था कि कोलफील्ड्स क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को कोल इंडिया लि. 50% तक अनुदान बढ़ा देगा, बशर्ते कि शिक्षक मोर्चा अपना आंदोलन वापस ले ले, लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि ऊपर बताई गई बैठक में मानी गई शर्तों को शिक्षक मोर्चा ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

(घ) और (ङ) शिक्षा संबद्ध राज्य सरकारों के क्षेत्र का विषय है। कोल इंडिया और उसकी सहायक कोयला कंपनियां कोई भी स्कूल या अन्य शिक्षा संस्था का संचालन नहीं करती। लेकिन चालू केन्द्रीय मजदूर संघों और प्रबंधकों के सदस्यों वाली द्विपक्षीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कोयला कंपनियां कल्याण/सामुदायिक विकास के कार्यकलापों के अंग के रूप में कुछ स्कूलों जैसे डी.ए.वी. स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल और निजी प्रबंधित ऐसे स्कूलों को वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, जो कोलफील्ड क्षेत्रों में स्थित हैं। कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों की भूमिका केवल वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता देने तक ही सीमित है, किन्तु अध्यापकों और कंपनी के बीच नियोक्ता-कर्मचारी जैसा संबंध नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान में प्रवेश

2454. श्री अशोक प्रधान:
श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:
श्री शमशेर सिंह दूलो:
श्री कांतिलाल भूरिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समिति ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को इन्हीं समुदायों के लोगों द्वारा पूर्णतया भरा जाना सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) तकनीकी संस्थानों/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान, मुम्बई, योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय फाउन्ड्री संस्थान, रांची और सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर विज्ञान संस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों/विषयों के सभी पाठ्यक्रमों में कितने-कितने स्थान दिए गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कुल स्थानों की तुलना में विभिन्न संकायों/पाठ्यक्रमों के उक्त पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत सहित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) जी, हाँ। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के दाखिला के लिए केन्द्रीय तकनीकी शैक्षिक संस्थानों में स्थान आरक्षित हैं और इन आरक्षित सीटों के दाखिला संबंधी मानकों में छूट दी जाती है। फिर भी, कुछ पाठ्यक्रमों में इन श्रेणियों में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप इन आरक्षित सीटों को भरने में कमी रह जाती है। विभिन्न संस्थाओं, पाठ्यक्रमों तथा भिन्न-भिन्न वर्षों में वास्तविक रूप से दाखिल किए गए कुल छात्रों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का प्रतिशत काफी बदलता रहता है।

[हिन्दी]

टी.सी.एल. के अंतर्गत अधिग्रहण की गई भूमि

2455. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छिन्दवाड़ा जिले में तामजी कोल प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने भूस्वामियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) इन्हें दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भूस्वामियों में से कितने को अब तक मुआवजा दिया जा चुका है; और

(घ) शेष लोगों को कब तक मुआवजा दिए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा, जैसी रिपोर्ट दी गई है, मध्य प्रदेश

के छिंदवाड़ा जिले में तामजी कोयला परियोजना नाम की कोई परियोजना नहीं है। तथापि, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में ढांडसी परियोजना हेतु रामपुर और कांगड़ा ग्रामों के 19 भूस्वामियों की भूमि अधिग्रहित की गई है।

(ख) और (ग) रामपुर और कांगड़ा ग्रामों के सभी 19 भूस्वामियों को, 2.6.1986, 30.4.1986 और 6.2.1987 को राजस्व न्यायालय के आदेशों के अनुरूप, राज्य प्राधिकारियों के समक्ष क्षतिपूर्ति दे दी गई है। भूस्वामियों को दी गई क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3,31,03,115.00 रु. है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जनजातियों के उत्थान/सुरक्षा हेतु योजनाएं

2456. **श्री राशिद अलवी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि वृक्षारोपण में लगे बाहर से आए तौनन्योगा आदिवासियों को उत्तर प्रदेश से विस्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे भी अन्य आदिवासी हैं जिनकी सुरक्षा की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे आदिवासियों के उत्थान और सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा कौन-सी योजनाएं तैयार की गई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) इस प्रकार का कोई मामला इस मंत्रालय को सूचित नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने 14 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में 75 आदिवासी समुदायों की पहले ही पहचान कर ली है और उन्हें प्रौद्योगिकी के कृषिपूर्व स्तर, साक्षरता के निम्न स्तर एवं स्थिर या घटती हुई जनसंख्या पर आधारित आदिम जनजातीय समूहों (पी.टी.जी.) के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। वर्ष 1998-99 के दौरान उनके चहुंमुखी विकास के लिए आदिम जनजातीय विकास के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है।

दो जिलों का पुनः विलय

2457. **श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से वनांचल बनाते वक्त दो पूर्व रजवाड़ों-हरिकेला और खारसवां के पुनः विलयन संबंधी कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन के द्वारा नए राज्य उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड बनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने, नए राज्यों में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों पर निर्णय सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। सरकार सामान्यतः राज्यों के किसी पुनर्गठन का कोई इरादा नहीं रखती है।

अनु.जा./अनु. जनजातियों के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण/नियत कार्यों के लिए भेजना

2458. **श्री भेरूलाल मीणा:**
श्री शमशेर सिंह दूलो:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न योजनाओं के अनुपालन में विदेश में प्रतिनियुक्ति पर पदों/नियत कार्यों हेतु प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए विभिन्न रैंकों/ग्रेडों से संबंधित अधिकारियों/कर्मियों को नामित/प्रतिनियुक्त करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अंशकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, दोनों के लिए कितने अधिकारियों को विदेश भेजा गया;

(ग) उक्त प्रशिक्षण हेतु अनु.जा./अनु.ज. जातियों से संबंधित कितने अधिकारियों को विदेश भेजा गया और कुल संख्या की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या उक्त प्रशिक्षण के लिए अनु.जा./अनु.ज. जातियों के अधिकारियों की पर्याप्त संख्या नामित नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को छोड़कर शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	अधिकारियों की कुल सं.	उनमें अनु.जा./ अनु.ज.जाति की संख्या	प्रतिशतता
1997	43	1	2.3
1998	50	3	6
1999	53	3	5.6

दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नामांकन वरिष्ठता, तकनीकी अर्हता, आयु सीमा तथा प्रशिक्षण आयोजित करने वाले देश द्वारा अपेक्षित संबंधित अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह मानदंड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य अधिकारियों के लिए समान रूप से अपनाया गया है। अंतिम रूप से प्रशिक्षणार्थियों का चयन पाठ्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान पर निर्भर है।

सी.आई.ए. की गतिविधियों पर श्वेत-पत्र

2459. श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री वी.के. पार्थसारथी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सी.आई.ए. की गतिविधियों पर श्वेत-पत्र लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

पाकिस्तानी आप्रवासियों द्वारा नागरिकता की मांग

2460. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्रीमती रेणुका चौधरी:
प्रो. रासासिंह रावत:
श्री मोहन रावले:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1965 और 1971 में पाकिस्तान से आए बहुत से आप्रवासी शरणार्थी जो गुजरात में रह रहे हैं, भारत की नागरिकता की मांग करते आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे शरणार्थियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) इनके पुनर्वास में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन पाकिस्तानी आप्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का है; और

(च) यदि हां, तो इन्हें भारत की नागरिकता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) भारत सरकार को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान लगभग 3 लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए। इनमें से अधिकांश व्यक्ति युद्ध-विराम के पश्चात् अपने-अपने मूल निवास स्थानों को वापिस चले गए। 1971 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप पाकिस्तान से 53,000 व्यक्ति राजस्थान और गुजरात में पलायन कर गए। इन व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है।

(ङ) और (च) नागरिकता अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार, भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए, पाकिस्तान से आए व्यक्तियों सहित संबंधित राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित आवेदनों पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

बी सी सी एल में गगलीटांड खान दुर्घटना

2461. श्री दिलीप संघाणी:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. में गगलीटांड खान दुर्घटना की जांच हेतु गठित जांच न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला खानों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) जांच न्यायालय की टिप्पणियां और सिफारिशें संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

(ग) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कोल इंडिया लि. निम्नलिखित निवारक उपाय कर रहा है:

1. सांविधिक नियमों व विनियमों का पालन करना।
2. खानों में सुरक्षा की वास्तविक स्थिति की निगरानी स्थानीय प्रबंधकों, कंपनियों के आंतरिक सुरक्षा संगठनों (आईएसओ) के साथ-साथ को.इं.लि. के आंतरिक सुरक्षा संगठनों द्वारा की जाती है, कामगार निरीक्षकों जैसे कामगारों के प्रतिनिधियों द्वारा खान स्तर पर सुरक्षा समितियों द्वारा, कंपनी स्तर पर त्रिपक्षीय समितियों द्वारा को.इं.लि. के सुरक्षा बोर्ड में मजदूर संघों के सदस्यों द्वारा, और कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समितियों के साथ श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षणों द्वारा की जाती है।
3. सीएमडी की मासिक बैठकों में सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जाती है।
4. बाहर के विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा जांच करना और उनकी सिफारिशों को लागू करना।
5. समय-समय पर सुरक्षा अभियान चलाना।
6. कामगारों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण देना।
7. कामगारों को खनन में आने वाले खतरों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकीय सुधार करना जो नीचे दिए गए हैं:

(1) 80 प्रतिशत से अधिक कोयले का उत्पादन खुली खानों से बढ़िया और पूंजीप्रधान हैवी अर्थ मूविंग मशीनों से किया जाता है जहां खनन के खतरे कम हैं।

(2) भूमिगत खानों में विकास के कामों में छत को संभालने की प्रणाली का डिजाइन वैज्ञानिक अवलम्ब पद्धति द्वारा किया जाता है जो वैज्ञानिक अवलम्ब पद्धति द्वारा किया जाता है जो चट्टान-भार के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है।

(3) जहां भी संभव हो, भूमिगत खानों में लकड़ी के अवलम्बों को धीरे-धीरे हटाकर उनके स्थान पर स्टील के अवलम्बों का प्रयोग लगातार बढ़ाना।

(4) भूमिगत खानों में नई खुदाई के कार्यों में अवलम्ब के लिए छत में लगे बोल्टों में भरने के लिए जल्दी पक्का होने वाले सीमेंट का अधिक प्रयोग करना।

(5) भूमिगत खानों में लदाई के कामों के लिए एसडीएल और एलएसडी मशीनों का अधिक प्रयोग करके मजदूरों को खनन के खतरों से दूर रखना।

(6) भूमिगत खानों में जहां कामगार स्टील की छत के अवलम्बों के बीच एक दूसरे से सटे हुए होकर काम करते हैं वहां बिजली की शक्ति से लम्बी दीवार के साथ खनन करने वाली पूंजी प्रधान मशीनों का चलन बढ़ाने की दिशा में निरन्तर प्रयास करना।

विवरण

सिफारिशें और टिप्पणियां

खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत जांच का एक प्रयोजन इस संबंध में अपनी टिप्पणी देना और उसे रिपोर्ट में शामिल करके केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना है। तथापि मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि देश के सर्वाधिक बड़े कोयला भंडारों वाले धनबाद-झरिया कोयला क्षेत्र में दशकों में कई दुर्घटनाएं घटी हैं, लेकिन उनसे कोई सीख नहीं ली गई। मुझे आशा है कि कम से कम इस दुर्घटना से सीख लेंगे। मैंने जांच के दौरान अपने द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को सिफारिशों के रूप में प्रस्तुत किया है, जिनका मंतव्य भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना है। मुझे संबद्ध दुर्घटना के सभी मामलों की जांच करने का अवसर नहीं दिया गया, जिससे कि मैं एक संपूर्ण नतीजे पर पहुंच सकता। तथापि अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए मैंने फिर भी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, ताकि जलप्लावन से संबंधित सुरक्षा मानकों में सुधार लाया जा सके। इन सिफारिशों को संक्षेप में बाद के पैराग्राफों में दर्शाया गया है।

1. खान सुरक्षा महानिदेशक एक पार्टी द्वारा उठाए गए उस मामले की जांच करे, जो रिपोर्ट के पृष्ठ 135 में दिया गया है और जहां मैंने भी इस संबंध में अपनी टिप्पणी दी है।

2. खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा का "पहरुआ" होता है। इस संगठन को उपयुक्त रूप से सुसंगठित और प्रभावकारी बनाया जाए, ताकि वह अपनी भूमिका और कार्यों का निर्वाह कर सके। मुझे यह बतलाया गया है कि कई दशक से संगठन में भर्ती नहीं की गई है।

3. खान अधिनियम, 1952 के उल्लंघन किये जाने के सभी अभियोजन संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। सरकार सीआरपीसी और खान अधिनियम में अपेक्षित संशोधन करने के तरीकों और साधनों पर विचार करे ताकि ऐसे मामलों की सुनवाई किसी विशेष मजिस्ट्रेट से करवाई जा-सके और उनका निपटारा एक निर्धारित समय में किया जा सकें। मामले का विलंब से निपटारा किये जाने से, निपटारे का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है, क्योंकि तब तक गवाह उपलब्ध नहीं होते हैं और अधिकारी स्थानांतरित हो जाते हैं।

4. मानसून के आने से पूर्व खान प्रबंधन सहित खान सुरक्षा महानिदेशालय नदी अथवा अन्य जल स्रोतों के किनारे स्थित खानों का मुआयना करें। तदनुसार खान सुरक्षा महानिदेशक निर्देश जारी करें।

5. अप्रयुक्त खदानों सहित ओपन कास्ट खदान, जो नदियों और पानी के बड़े स्रोत के निकट स्थित हैं, खासकर वे खान जो सीधे अथवा धंसाव से उत्पन्न दरारों और विवरों से भूमिगत खदानों से जुड़े हैं, के पुनरुद्धार की व्यवहार्यता की जांच की जाए ताकि इन खानों को जलमग्न होने से बचाया जा सके।

6. भूमि के नीचे अथवा नदियों और बड़े सतही जल स्रोतों के आसपास स्थित खदानों के विशेषकर बारिश के मौसम में, जलमग्न होने के खतरों के विरुद्ध सावधानी बरतने के विस्तृत उपायों को निर्धारित किए जाएं। इन उपायों में निम्नलिखित को शामिल किया जाए— लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने से संबंधित स्थायी आदेशों को तैयार करना और कार्यान्वित करना, नदी के जलस्तर के बढ़ने के मामले में चेतावनी दिये जाने के साधन के रूप में प्लावित संकट सूचक के साथ-साथ नदी पर चौकसी करने वाले गार्ड और एक प्रभावकारी और द्रुतगामी संचार प्रणाली, जो बिजली के बिना और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य कर सकें।

7. समुद्री तटों पर आसन्न तूफान की चेतावनी देने वाले उपकरणों के समान ही खानों में आसन्न भारी बारिश की पूर्व चेतावनी देने वाले उपकरण लगाए जाने की आवश्यकता है, जिससे जलमग्न के खतरों से खनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में समय से सूचना प्रदान करने के लिए मौसम-विज्ञान संबंधी स्थानीय वेधशालाओं को खोलफील्ड्स से जोड़े जाने की व्यवहार्यता की जांच की जाए।

8. विशेषकर प्रतिकूल मौसम में प्रेरक शक्ति के अभाव, चाहे वह भाप अथवा बिजली हो, के कारण वाइंडरों के बंद होने की संभावना खान में बनी रहती है। अतः उन खानों में, जहां बाहर निकलने के एक मात्र साधन गड्ढे हैं, आपातकाल के मामले में वाइंडरों को चलाने के लिए ग्रहीत जेनरेटरों की आवश्यकता पड़ सकती है। स्टीम बायलर के मामले में उपयुक्त शेड के अंदर बॉयलर को रखने, बायलर और पाईपलाईनों के चारों ओर पर्याप्त ऊष्मा रोधी सामग्री की व्यवस्था के साथ-साथ विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम में बायलर की लगातार देखभाल करने जैसे एहतियाती उपाय के कार्य कर्त्तव्यनिष्ठा से किए जाएं।

9. संकेतक प्रणाली के अलावा सतह और भूमि के नीचे के बीच की प्रभावकारी संचार प्रणाली, जो बिजली चले जाने के बाद भी बने रहे और उन्हें इस प्रकार से बनाये रखे जाएं जिससे कि प्रतिकूल परिस्थिति में वे संचलन में रहें, की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई। यदि पहले से उपयुक्त प्रणाली उपलब्ध न हो तो, उन उपयुक्त प्रणाली का विकास किया जाए और भूमिगत खानों में उपयोग किया जाए।

10. एक खान से दूसरी खान तक खतरा न पहुंचे, इसके लिए अंतर खान अवरोध एक प्रभावकारी साधन हैं। उन खानों में, जहां कि अंत संबंध अथवा अन्य कारणों से अवरोध निष्प्रभावी हो गए हैं, कृत्रिम रूप से ही सही, शीघ्र अवरोध लगाए जाएं, जो उपर्युक्त डैम, विस्फोटक अभेद्य भराई और अन्य पद्धतियों के निर्माण से किए जाएं।

11. नदी अथवा सतह के जल के स्रोत के आस-पास स्थित सभी अप्रयुक्त गढ्ढों, पॉटहोल और सतही धंसाव और वर्तमान में जहां कहीं भी जलमग्न होने का खतरा हो, को प्रबलिक कंक्रीट सीलों अथवा अन्य उपयुक्त और प्रभावकारी साधनों से सील किए जाएं।

12. सरकार द्वारा नोट की जाने वाली टिप्पणियां

अंत में इस रिपोर्ट के माध्यम से जांच न्यायालय केन्द्र सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता है कि गैसलीटांड खान में मरे 64 निर्दोष

खनिकों की मृत्यु के मामले प्रतिकार रहित न रहें और न्यायालय में संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा तथाकथित आरोपियों के प्रति कोई ढील न दी जाए अथवा पक्षपातपूर्ण न हो। इस संबंध में लंबित आपराधिक मामले पर गंभीरता से शीघ्र कार्यवाही की जाए। सरकार उन सभी उपायों को सुनिश्चित करे जिससे कि उन सभी व्यक्तियों, जिनके विरुद्ध धनबाद जिला न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित हैं अथवा जिन पर अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही की जाने की संभावना है, को अंततः उच्चतर न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध सभी कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिये जाने से पहले किसी भी प्रकार की पदोन्नति न दी जाए। उनके हाथ खून से सने हैं, अतः जहां तक संभव हो सके कानून द्वारा विहित कार्यवाही के अनुसार न्याय किया जाए। उपर्युक्त आपराधिक मामले में आरोपियों को कड़े से कड़े दंड दिए जाने की आवश्यकता है। यदि किसी मामले में उनके विरुद्ध के साक्ष्य से उन्हें कोई सजा देना अपेक्षित हो, तो उन्हें यह सजा उनके द्वारा किए गए अपराध के अनुपात में ही हो। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार और मै. भारत कोकिंग कोल लि. अथवा मै. कोल इंडिया लि. मेरी उपर्युक्त टिप्पणियों को गंभीरता से लेगी। इस जांच न्यायालय की खान अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत सीमित कार्यक्षेत्र है, लेकिन उपर्युक्त "टिप्पणियां" पूरी जिम्मेदारी के साथ की गई हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि भारत सरकार अपने उपयुक्त मशीनरी के माध्यम से उपर्युक्त निर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

हिन्दी की लोकप्रियता

2462. श्रीमती शीला गौतम:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ाने हेतु राजभाषा डॉट कॉम आरम्भ करने या कोई कार्य योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ाने में कहां तक सहायता मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि राजभाषा विभाग की डोल. निक. इन. में एक वेबसाइट है और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.सी.एस.टी.टी.एन.आई.सी.आई.एन. की एक बेबसाइट है जहां राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सर्वर पर विभिन्न विषयों की शब्दावली निर्धारित की जा सकती है। तथापि, सरकार हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं पहले से ही कार्यान्वित कर रही है:

(1) पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से गैर-हिन्दी भाषी भारतीयों तथा विदेशियों को दूसरी और विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी का शिक्षण।

(2) कैसेट द्वारा हिन्दी का शिक्षण।

(3) हिन्दी और विदेशी भाषाओं में शब्द कोश और वार्तालाप गाइड।

(4) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को अनुदान।

(5) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण।

(6) विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना।

(7) इसके अलावा सितम्बर, 2000 तक इन्टरनेट पर नागरी प्रचारणी सभा (वाराणसी) द्वारा प्रकाशित "हिन्दी विश्व कोश" के प्रथम भाग को शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त सभी योजनाएं विशेष रूप से भारत के दक्षिण और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में काफी सफल हुई हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में "इंदिरा आवास योजना"

2463. श्रीमती हेमा गमांग:
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी:
श्री जगन्नाथ मलिक:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्ष की अवधि के दौरान "इंदिरा आवास योजना" के कार्य-निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार कितने आवासों का निर्माण किया गया और कितने रहने लायक स्थिति में नहीं पाए गए;

(घ) आवासों के निर्माण कार्य में विलम्ब के राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस योजना का लाभ सशस्त्र और अर्ध-सैनिक बलों के उन पूर्व सैनिकों के परिवारों को भी दिया गया जो सैन्य-कार्यवाही के समय शहीद हो गए थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कुछ पिछड़े जिलों की एक प्राथमिकता सूची भी तैयार की है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करता है। क्षेत्रीय अधिकारियों को पदनामित किया जाता है कि वे नियमित रूप से देश के विभिन्न भागों का दौरा करें और क्षेत्र दौरों के जरिए यह मालूम करें कि कार्यक्रम को संतोषप्रद तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं और आवासों का निर्माण निर्धारित कार्यविधि के अनुरूप हो रहा है या नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करता है जहां सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। मंत्रालय इस समय इंदिरा आवास योजना का समवर्ती मूल्यांकन कर रहा है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय रहने लायक स्थिति में नहीं पाये गए इंदिरा आवास योजना के आवासों या व्यक्तिगत आवासों के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारणों का लेखा-जोखा नहीं रखता है क्योंकि आवासों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाता है।

(ङ) और (च) जी हां, 1995-96 से इस योजना का लाभ आय मानदंडों पर ध्यान दिए बिना, सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए, रक्षा कार्मिकों तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की विधवाओं या निकटतम संबंधियों को दिया जाता हैं बशर्ते कि (1) वे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हों (2) उन लोगों को आश्रय पुनर्वास की किसी भी योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया हो, और (3) वे आवासहीन हों या उन्हें आवास की या आवास में सुधार की जरूरत हो।

(छ) से (झ) जी, नहीं। सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पिछड़े जिलों की एक प्राथमिकता सूची तैयार नहीं की है।

नया माडल आवास अधिनियम

2464. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी मानेः
श्री सुरेश रामराव जाधवः

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार एक नया माडल आवास अधिनियम, एक अलग सहकारी आवास अधिनियम बनाने और अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन शहरों में अलग प्रवासी कालोनियां बनाने का है जहां प्रवासियों को अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रवासियों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सरकार एक सुविधादाता के रूप में देश में आवास एजेंसियों के पुनर्गठन और साथ ही नए आवास बोर्ड अधिनियम बनाने की जरूरत पर विचार कर रही है। प्रस्तावित अधिनियमों में वे सुविधाएं सम्मिलित होंगी, जो किसी निगमित निकाय को उपलब्ध होती हैं, जैसे निर्णय लेने में लचीलापन व तत्परता, वे सुविधाएं जो राज्य की प्रभुसत्ता संपन्न एजेंसी में निहित होती हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण और भू-राजस्व के बकाया की वसूली। चूंकि प्रस्तावित अधिनियम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होगा, इसलिए भारत सरकार एक सुविधादाता की भूमिका निभाएगी।

(ग) और (घ) दिल्ली में चुनिन्दा क्षेत्रों/अंचलों में "प्रवासी कालोनियां" बनाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्लमों और अनधिकृत कालोनियों के वास ढूंढने वाली प्रवासी आबादी को नियंत्रित करने और सार्वजनिक भूमि को भावी अतिक्रमणों से बचाने में भी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों का समय

2465. श्री अखिलेश यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों की सभी कक्षाओं के समय विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में डा. वीर राघवन समिति की सिफारिशों का पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिक कक्षाओं के समय बढ़ाने का बच्चों, उनके माता-पिता और साथ ही शिक्षकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों के पूरी तरह से क्रियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

कोयले का मूल्य

2466. श्री जे.एस. बराड़: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कोयले का मूल्य निर्धारित करने हेतु एक नई व्यवस्था तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से कैसे अलग है;

(ग) इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं और उत्पादकों को कितना लाभ होने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सभी श्रेणियों के कोककर और अ-कोककर कोयले की कीमतों के निर्धारण पर 1 जनवरी, 2000 से नियंत्रण हटा लिया गया है फिर भी कोयले के श्रेणी का निर्धारण की शक्तियां अभी तक सरकार के पास हैं। सकल उष्मा मूल्य (जीसीवी) के बजाय अ-कोककर कोयले के श्रेणीकरण की वर्तमान पद्धति को उपयोगी ताप मूल्य (यूएचवी) की पद्धति के आधार पर बदलने का एक प्रस्ताव कोयला मंत्रालय को प्राप्त हुआ है।

(ख) अ-कोककर कोयले के श्रेणीकरण की सकल उष्मा मूल्य (जीसीवी) पद्धति में उस अ-कोककर कोयले का सही-सही मान निर्धारित करना संभव है जो उपभोक्ताओं को दिया जाता है जबकि वर्तमान उपयोगी ताप मूल्य (यूएचवी) पद्धति में ताप मूल्य का निर्धारण सीधे ही नहीं किया जाता बल्कि एक अनुभव सिद्ध सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाला जा सकता है। अ-कोककर कोयले की (जीसीवी) श्रेणियों का बैंड वेरिएशन यूएचवी पद्धति में उष्मा मूल्य में वर्तमान वैरिएशन संकीर्ण होता है।

(ग) जीसीवी पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता को यह लाभ है कि उसे जो अ-कोककर कोयला मिला है उसकी विशेष किस्म के अनुसार भुगतान करेगा और उत्पादक को अपने उत्पादन की किस्म में सुधार करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

(घ) खान मंत्रालय द्वारा जीसीवी पद्धति को अपनाने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। अ-कोककर कोयला की श्रेणी के लिए जीसीवी पद्धति को अपनाने का अ-कोककर कोयले की कीमत पर क्या असर पड़ेगा इसका आकलन नहीं किया गया है। इस समय यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि जीसीवी पद्धति व्यवहार में कब तक लागू की जा सकेगी।

[अनुवाद]

इस्पात क्षेत्र का निष्पादन

2467. श्री अनंत गुढ़े: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात क्षेत्र के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस्पात विकास कोष के अंतर्गत संग्रहीत उपकर का ब्यौरा क्या है और उससे कितनी धनराशि वितरित की गई; और

(घ) इस संबंध में मुख्य इस्पात उत्पादकों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सरकार सरकारी और निजी क्षेत्र के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करती है। पिछले 4 वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन में परिसज्जित (कार्बन) इस्पात उत्पादन का रुख निम्न प्रकार था:

(मात्रा दस लाख टन में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1996-97	8.53(37.5%)	14.19(62.5%)	22.72
1997-98	8.54(36.5%)	14.83(53.5%)	23.37
1998-99	7.64(33.2%)	16.16(66.8%)	23.82
1999-2000	8.52(31.9%)	18.19(68.1%)	26.71

इस्पात क्षेत्र के उदारीकरण के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र में इस्पात की उत्पादन क्षमता चालू करने के कारण 1996-97 से परिसज्जित (कार्बन) इस्पात के उत्पादन में निजी क्षेत्र की प्रतिशतता काफी बढ़ी है। 1999-2000 में भी यही रुख बना रहा।

(ग) 31.3.99 की स्थिति के अनुसार इस्पात विकास निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर तथा उससे संवितरित निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

विवरण	सेल	इस्को	टिस्को	आर आई एन एल
संग्रहित उपकर	3506.17	45.88	1013.79	27.03
ऋण की अदायगी	3113.62	0.00	610.01	15.00
ऋण पर ब्याज	1609.49	0.00	302.29	1.00

कुल प्राप्तियां = 10404.94 करोड़ रुपये

प्रमुख उत्पादकों को संवितरण

(करोड़ रुपये)

विवरण	सेल	इस्को	टिस्को	आर आई एन एल
ऋण	7873.98	44.68	1533.27	15.00

कुल संवितरण = 10325.90 करोड़ रुपए

(घ) एक प्रमुख उत्पादक से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उपकर के जरिए संग्रहित निधियों का उपयोग केवल उपकर के अंशदाताओं के लिए प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया है। यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए भी आया जिसने इन विचारों को मान्य करार दिया।

[हिन्दी]

भूमि सुधार

2468. प्रो. दुखा भगत: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में भूमि सुधार केवल कागजों तक सीमित है, जिसके कारण बेनामी लेन-देन हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथ्य क्या हैं;

(ग) अतिरिक्त भूमि का राज्य-वार कुल कितना क्षेत्रफल भूमिहीन कृषि मजदूरों को वितरित किया गया/जाना है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि सुधारों को यथार्थ रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ङ) इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(च) क्या नक्सलवादी आन्दोलन के कारण ऐसे भूमि सुधार झूठे साबित हुए; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार भूमि सुधार का विषय पूर्णत: राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तथा केन्द्रीय सरकार केवल एक सलाहकार और समन्वयक की भूमिका निभाती है। इसके बावजूद भी वास्तविक कृषकों तथा भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए भूमि सुधार संबंधी विषय, स्वतंत्रता प्राप्ति से ही हमारी राष्ट्रीय कार्यसूची का एक मुख्य मुद्दा बना रहा है। यह कहना सही नहीं है कि कुछेक राज्यों में भूमि सुधार केवल कागज तक ही सीमित है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर दिसम्बर, 1999 तक विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के

परिणामस्वरूप निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं:

- 15 मिलियन एकड़ भूमि के संबंध में बिचौलियों को समाप्त किया गया तथा 20 मिलियन कृषकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किये गये।
- अधिकतम सीमा से फालतू 5.26 मिलियन एकड़ भूमि क्षेत्र को 5.46 मिलियन गरीबों को वितरित किया गया।
- 14.74 मिलियन एकड़ सरकारी बंजरभूमि तथा 2.18 मिलियन एकड़ भू-दान भूमि पात्र ग्रामीण गरीबों को वितरित की गई।
- देश में 161.53 मिलियन एकड़ भूमि क्षेत्र की चकबंदी की गई।
- 15.63 मिलियन एकड़ भूमि क्षेत्र के संबंध में 12.42 मिलियन काश्तकारों के अधिकारों का संरक्षण किया गया।
- 0.43 मिलियन एकड़ हस्तांतरित भूमि अनुसूचित जनजातियों को वापस दिलायी गयी।

(ग) भूमिहीन कृषि मजदूरों को वितरित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का आकलन करना संभव नहीं है क्योंकि वितरण के लिए लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में (31 मार्च को) उपलब्ध निवल क्षेत्र के आधार पर वार्षिक तौर पर निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) आठवीं योजना के दौरान विभिन्न सुधार कार्यक्रमों की राजस्व मंत्रियों तथा राजस्व सचिवों के सम्मेलनों में समीक्षा की गई थी। इन सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों को उपयुक्त कार्रवाई किये जाने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को अग्रेषित किया गया था। भूमि सुधारों में उपलब्धियों के संबंध में सूचना प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में पहले ही दी गई है।

(ङ) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए लक्ष्य बीस सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 5-क के अंतर्गत निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1997-98 से लेकर वर्ष 2000-2001 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) और (छ) यह नहीं कहा जा सकता है कि नक्सलवादी आंदोलन के कारण यह भूमि सुधार मिथ्य साबित हुए हैं क्योंकि विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए अनुभवजन्य अध्ययनों से यह सिद्ध नहीं हुआ है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2001 के दौरान अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए लक्ष्य

(एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	लक्ष्य 1997-98	लक्ष्य 1998-99	लक्ष्य 1999-2000	अंतिम लक्ष्य 2000-2001
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10000	12290	11826	2000
2.	असम	10000	10000	19264	नगण्य
3.	बिहार	3720	2820	1418	50
4.	गुजरात	1500	2000	858	242
5.	हरियाणा	890	510	366	75
6.	कर्नाटक	1780	1000	1000	1500
7.	केरल	2700	2600	3846	600
8.	मध्य प्रदेश	5910	19150	1036	1000

1	2	3	4	5	6
9.	महाराष्ट्र	1670	2600	600	300
10.	उड़ीसा	740	670	572	50
11.	पांडीचेरी	190	220	45	नगण्य
12.	पंजाब	1150	50	6	नगण्य
13.	राजस्थान	3150	1370	1003	500
14.	तमिलनाडु	2550	2110	—	1500
15.	त्रिपुरा	—	—	—	नगण्य
16.	उत्तर प्रदेश	5000	5000	500	500
17.	दादर और नगर हवेली	350	340	—	नगण्य
18.	पश्चिम बंगाल	1000	2835	2500	5000
	कुल योग	52300	65565	44840	13317

[अनुवाद]

इस्पात उत्पादों का अभाव

2469. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वव्यापी मूल्यों के बढ़ने के कारण इस्पात उत्पादकों द्वारा अत्यधिक इस्पात निर्यात के कारण घरेलू इस्पात उत्पादों में कमी आने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की संभावित घटना का सामना करने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आई.आई.टी. में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए पद

2470. सरदार बूटा सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फोरम आफ एससी/एसटी आफ एम.पी." ने सभी विभागों में महत्वपूर्ण पदों/नियोजन में पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को तैनात करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रोफेसरों/असिसटेंट प्रोफेसरों अथवा इसके समतुल्य पदों तथा व्याख्याताओं के कितने पद हैं तथा 1 जनवरी 1996 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने व्यक्तिगत कार्यरत थे तथा कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है; और

(ग) 1 जनवरी, 1997 से आगे इन पदों पर कितनी नियुक्तियां की गई हैं तथा इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने व्यक्ति हैं तथा इनका कुल नियुक्तियों की तुलना में प्रतिशत क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि संसाधन प्रबंधन नीति

2471. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भू-संसाधनों का सक्रिय रूप से संरक्षण और सतत उपयोग पर बल देते हुए देश के भू-संसाधनों के प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र बंजर भूमि की विभिन्न श्रेणियों के तहत आता है; और

(घ) इस नीति के कब तक बनाए जाने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। भूमि संसाधन विभाग संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद की सहयोग से सक्रिय संरक्षण और सतत उपयोग पर बल देते हुए देश के भूमि संसाधनों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार कर रहा है।

(ग) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी" हैदराबाद के सहयोग से दूर संवेदी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में "भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000" (बेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इंडिया, 2000) प्रकाशित किया है। इस एटलस के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20.17 प्रतिशत क्षेत्र बंजरभूमि की 13 श्रेणियों के अंतर्गत आता है।

(घ) नीति को यथाशीघ्र तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस नीति को अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के बाद इसका कार्यान्वयन आरंभ किया जाएगा।

राजनैतिक नेताओं के खिलाफ मामले

2472. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सत्रह राजनैतिक नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामले शुरू करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र में निवेश

2473. श्री नवल किशोर राय: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सत्तर के दशक के प्रारंभ में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के बाद इस क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीयकरण के समय और अप्रैल, 2000 में विभिन्न श्रेणियों के कोयले का तुलनात्मक मूल्य क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) निजी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के तत्काल बाद राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एनसीडीसी), भाकोकोलि (बीसीसीएल) और कोयला खान प्राधिकरण लि. (सीएमएएल), में 1973-74 में कुल किया गया पूंजी निवेश 33.64 करोड़ रु. था। एनसीडीसी की खानों को सीएमएएल के नियंत्रण में लाया गया। सितम्बर, 1975 में कोल इंडिया लि. (सीआईएल), जो सीएमएएल की उत्तराधिकारी कंपनी थी, उसे सितम्बर, 1975 में पांच सहायक कंपनियों यथा बीसीसीएल, सेकोलि, ईकोलि, वकोलि और सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एन्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि. के साथ, बतौर धारक कंपनी बनाया गया। 28.11.85 को सीआईएल की दो नई सहायक कंपनियां यथा नाकोलि और साईकोलि, बनाई गई थीं। महानदी कोलफील्ड्स लि., सीआईएल की आठवीं सहायक कंपनी 3.4.92 को स्थापित की गई। को.इं.लि. और इसकी आठ सहायक कंपनी जो कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के रूप में कार्य कर रही है, में 31.3.2000 तक की गणना के अनुसार रु. 26,195.00 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है।

(ग) दिनांक 1.8.75 से कोयला मूल्य, केन्द्र सरकार के नियंत्रण में लाए गए। 1.8.75 को राष्ट्रीयकृत कोयला खानों से संबद्ध श्रेणी-वार निर्धारित कोयला मूल्यों की औसत संलग्न विवरण-I में दी गई है। 1.8.75 से 1994 तक की अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार ने सीआईएल हेतु कोयला-मूल्य निर्धारित किए। सीआईएल द्वारा, अप्रैल, 2000 में निर्धारित कोयले के श्रेणीवार मूल्य, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण I

कोल इंडिया लि. के अंतर्गत 1.8.1975 की तिथि के अनुसार चालू खानों के कोयले का मूल्य

(रु. प्रति टन)

(अ) कोकनकर कोयला:	
क. कम नमी वाला कोयला	
चयनित ए	77.75
चयनित बी	75.75
ग्रेड-1	71.35
ग्रेड-2	85.40
ग्रेड-3ए	58.05
ग्रेड-3बी	49.15
अनग्रेडिड	37.90
ख. अधिक नमी वाला कोयला	
चयनित ए	72.80
चयनित और चयनित बी	70.35
ग्रेड-1 और असम कोयला	64.95
ग्रेड-2	57.05
ग्रेड-3	48.20
अनग्रेडिड	37.90
कोककर कोयला:	
ए	100.80
बी	98.35
सी	96.70
डी	95.10
ई	93.45
एफ	91.00
जी	89.35
एच	87.70
एचएच	81.95
जे	73.80
के	63.10

विवरण II

20 अप्रैल, 2000 से प्रभावी कोल इंडिया लि. की विभिन्न कोयला कंपनियों का बिक्री मूल्य (आधार मूल्य)

तालिका-1 (अ-कोककर कोयला)

अनुषंगी कंपनियां	कोयले का ग्रेड	स्टीम और रुबल रु./टन	स्लैक रु./टन	रन आफ माइन रु./टन
1	2	3	4	5
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है			
	ए	1362	1274	1262
	बी	1293	1204	1193
	सी	1116	1028	1016
	डी	923	830	823

1	2	3	4	5
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (रानीगंज)	रानीगंज कोयला क्षेत्रों की अन्य कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियां (क) लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1248	1158	1148
	बी	1184	1094	1084
	सी	1025	935	925
	डी	849	755	749
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1176	1086	1076
	बी	1114	1024	1014
	सी	954	864	854
	डी	780	686	680
	ई	576	482	476
	एफ	479	385	379
	जी	371	277	271
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सालनपुर)	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1170	1080	1070
	बी	1063	973	963
	सी	891	802	791
	डी	731	637	631
	ई	576	482	476
	एफ	479	386	379
	जी	371	278	271
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.पी. माइन्स)	कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है			
	ए	1299	1210	1199
	बी	1184	1095	1084

नोट: संबद्ध क्षेत्रों के स्टीम कोयले के सूचित मूल्य के अतिरिक्त, अनुबंध-4 में सूचित ई.सी.एल. की खानों से उत्पादित स्टीम कोयले का 25.00 रु. प्रति टन का अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

1	2	3	4	5
	सी	1005	916	905
	डी	832	742	736
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.पी. माइन्स)	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1190	1101	1090
	बी	1086	997	986
	सी	923	834	823
	डी	768	675	668
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1118	1028	1018
	बी	1015	925	915
	सी	853	763	753
	डी	700	606	600
	ई	576	482	476
	एफ	479	385	379
	जी	371	277	271
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (मुग्मा)	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1190	1100	1090
	बी	1086	996	986
	सी	923	833	823
	डी	768	674	668
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1118	1029	1018
	बी	1015	925	915
	सी	853	764	753
	डी	700	606	600
	ई	576	482	476
	एफ	479	386	379
	जी	371	278	271

1	2	3	4	5
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजमहल प्रोजेक्ट)	लम्बी लौह वाला कोयला डी	932	838	832
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ई	739	646	639
	एफ	643	550	543
	जी	535	441	435
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	लम्बी लौह वाला कोयला ए	1096	1046	1036
	बी	1038	968	978
	सी	974	924	914
	डी	923	869	863
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1033	983	973
	वी	975	925	915
	सी	912	862	852
	डी	859	805	799
	ई	685	671	665
	एफ	574	560	554
	जी	438	424	418
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला उत्पादन कोलियरियों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है			
	ए	1134	1079	1068
	बी	1032	977	966
	सी	872	817	806
	डी	748	694	688
	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1030	980	970
	बी	938	888	878
	सी	793	743	733
	डी	685	631	625

1	2	3	4	5
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	967	917	907
	बी	875	825	815
	सी	730	680	670
	डी	621	567	561
	ई	465	451	445
	एफ	375	361	355
	जी	274	260	254
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लि.	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1079	1029	1019
	बी	982	932	922
	सी	830	780	770
	डी	716	662	656
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1012	962	952
	बी	916	866	856
	सी	764	714	704
	डी	649	595	589
	ई	487	473	467
	एफ	393	379	373
	जी	287	273	267
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1088	1038	1028
	बी	991	941	931
	सी	837	787	777
	डी	723	669	663
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1021	971	961
	बी	924	874	864
	सी	770	720	710
	डी	655	601	595
	ई	492	478	472
	एफ	396	382	376
	जी	289	275	269

1	2	3	4	5
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	992	942	932
	बी	903	853	843
	सी	765	715	705
	डी	663	609	603
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	929	879	869
	बी	840	790	780
	सी	702	652	642
	डी	599	545	539
	ई	448	434	428
	एफ	361	347	341
	जी	263	249	243
तालिका-2 (कोककर कोयला)				
भारत कोकिंग	इस्पात ग्रेड-1	1800	1750	1740
कोल लिमिटेड	इस्पात ग्रेड-2	1513	1463	1453
(अनुबंध-3)	वाशरी ग्रेड-1	1319	1269	1259
में कोलियरियों की	वाशरी ग्रेड-2	1103	1053	1043
सूची दी गई है)	वाशरी ग्रेड-3	831	781	771
	वाशरी ग्रेड-4	777	727	717
भारत कोकिंग कोल	इस्पात ग्रेड-1	1601	1551	1541
लिमिटेड	इस्पात ग्रेड-2	1347	1297	1287
	वाशरी ग्रेड-1	1175	1125	1115
	वाशरी ग्रेड-2	984	934	924
	वाशरी ग्रेड-3	743	693	683
	वाशरी ग्रेड-4	965	645	635
ईस्टर्न कोलफील्ड्स	वाशरी ग्रेड-1	1293	1203	1193
लिमिटेड (मुग्मा)	वाशरी ग्रेड-2	1088	999	988
	वाशरी ग्रेड-3	830	741	730
	वाशरी ग्रेड-4	779	690	679

1	2	3	4	5
सेंट्रल कोलफील्ड्स	वाशरी ग्रेड-1	1175	1125	1115
लिमिटेड	वाशरी ग्रेड-2	984	934	924
	वाशरी ग्रेड-3	743	693	683
	वाशरी ग्रेड-4	695	645	635
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	वाशरी ग्रेड-1	1084	1034	1024
लिमिटेड	वाशरी ग्रेड-2	908	858	848
	वाशरी ग्रेड-3	687	637	627
	वाशरी ग्रेड-4	644	594	584
वेस्टर्न कोलफील्ड्स	वाशरी ग्रेड-1	1084	1034	1024
लिमिटेड	वाशरी ग्रेड-2	908	858	848
	वाशरी ग्रेड-3	825	775	765
	वाशरी ग्रेड-4	688	638	628
तालिका-3 (अर्द्ध-कोककर और कम तापीय कोककर कोयला)				
भारत कोकिंग कोल	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1274	1224	1214
लिमिटेड	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	1065	1015	1005
(कोलियरियों की सूची अनुबंध-3 में दी गई है)				
भारत कोकिंग कोल	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1135	1085	1075
लि.	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	950	900	890
ईस्टर्न कोलफील्ड्स	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1336	1247	1236
लिमिटेड (रानीगंज)	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	1124	1034	1024
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1135	1085	1075
	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	950	900	890
भारत कोकिंग कोल लि.	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1084	1034	1024
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अतिरिक्त सभी अनुषंगी कंपनियां	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	908	858	848

तालिका-4 (प्रत्यक्ष फीड कोककर कोयला)

कोयले का ग्रेड	स्टीम और रूबल रु./टन	स्लैक रु./टन	रन-आफ-माइन रु./टन
राख 20% से अधिक किन्तु 21% से अधिक नहीं वाली प्रत्यक्ष फीड कोककर कोयले की कोलियरियों को अनुबंध-2 में दर्शाया गया है।	1786	1736	1726

(नोट: बोनस/दंड-राख में कमी बढ़त के अनुसार 119 रु. की दर पर प्रति टन प्रति प्रतिशत)

नोट: एस.ए.आई.एल. (सेल) के लिए आपूर्ति हेतु यह मूल्य लागू नहीं होगा, जब तक कि ऐसे कोयले के मूल्य का करार द्वारा समाविष्ट न कर लिया गया हो।

तालिका–5 (असम कोयला)

यूनिट	कोयले का ग्रेड और यू.एच.वी. रेंज (कि.कैलो./कि.ग्रा.)	स्टीम और रुबल रु./टन	स्लैक रु./टन	रन-आफ-माइन रु./टन
नार्थ इंस्टर्न कोलफील्ड्स	ए 6200-6299	984	934	924
	बी 5600-6199	801	751	741

नोटः 1. ग्रेड "ए" में 6299 कि.कैलो. प्रति कि.ग्रा. से अधिक पर 100 कि.कैलो. प्रति कि.ग्रा. के प्रत्येक अतिरिक्त यू.एच.वी. हेतु ग्रेड "ए" के मूल्य में 60 रु. प्रति मि.ट. अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

2. 7099 कि. कैलो. प्रति. कि.ग्रा. से अधिक यू.एच.वी. हेतु आर.ओ.एम. कोयले के लिए कोयले का मूल्य 1700 रु. होगा और स्टीम, स्लैक तथा रन-आफ-माइन कोयले के बीच मूल्य का अंतर वही रहेगा।

अनुबंध-1

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. दालुरबंद
2. पांडवेश्वर
3. केन्द्रा
4. खोटाडीह भू.ग.
5. खोटाडीह ओ सी पी
6. खोटाडीह सी एच पी
7. समला
8. पुरुषोत्तमपुर
9. दालुरबंद ओ सी पी
10. नूतनडंगा
    क. पनसुली (नूतनडंगा 1 और 2 पीट्स)
    ख. पूरे समला (5 और 6 पीट्स)
    ग. दरुला (साउथ समला)
11. गंगारामचक
12. जौरेकुरी/पलासथली
13. झांजरा प्रोजेक्ट
    क. झांजरा 1 और 2 इन्क्लाइन
    ख. झांजरा 3 और 4 इन्क्लाइन
    ग. एम.आई.सी.
14. नकरकोंदा
15. सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट (कुमारखेला ओ सी पी)
16. सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट (कुमारखेला ओ सी पी) सी एच पी
17. न्यू केन्दा
    क. न्यू केन्दा भू.ग.
    ख. केन्दा वेस्ट ओ सी पी यूनिट
18. न्यू केन्दा सी एच पी
19. कृष्णानगर
20. बहुला
21. बहुला सी एच पी
22. लोअर केन्दा
23. हरीपुर
24. हरीपुर ओ सी पी
25. चोरा
26. चोरा ओ सी पी
27. सिदुली
28. सी.एल. जामबाद
29. मधईपुर
30. मंदेरबोनी
31. बंकोला
32. सेंचुरी इन्क्लाइन
33. श्यामसुंदरपुर
34. कुमारडीही "ए"
    क. 3 और 4 पिट्स
    ख. नार्थ इन्क्लाइन

35. टीलाबोनी
36. मोरिया
37. खन्द्रा
38. कुमारडीही बी
क. 5 और 6 पिट्स
ख. गोयंका काजोरा ए और बी पिट्स
ग. सी. पिट
39. शंकरपुर
40. शंकरपुर (3 और 4 पिट्स)
41. शंकरपुर (बोनबहल)
42. शंकरपुर ओ सी पी
43. नाबा काजोरा
44. मधबपुर
45. मधबपुर 10 और 11 पिट्स
46. धनदरडीह ओ सी पी
47. लाचीपुर
48. घनश्याम
49. खास काजोरा
50. घनश्याम ओ सी पी (क्वैरी नं. 4)
51. मधुजोरे
52. मधुसुदनपुर
53. पारसकोले
54. पारसकोले ओ सी पी
55. जामबाद
56. जामबाद ओ सी पी
57. सेंट्रल काजोरा
58. अमृतनगर
59. अमृतनगर सी एच पी
60. महावीर
61. नार्थ सियरसोल
62. कुनुस्टोरिया
63. कुनुस्टोरिया सी एच पी
64. बंसरा
65. बंसरा ओ सी पी
66. टोपोसी
67. टोपोसी निबोन पुनर्निर्माण
प्रोजेक्ट/ओ सी पी
68. चोरा ब्लाक खान
69. परासिया
70. परासिया ओ सी पी
71. परासिया 6 और 7 इन्क्लाइन
72. बेलबेद
73. अमरासोता इन्क्लाइन ए और बी
74. भनोरा
75. भनोरा वेस्ट
76. ब्लाक खान
77. गिरीमिंट
क. एडज्वाय 1
ख. कुसाडंगा इन्क्लाइन
78. श्रीपुर
79. जमूरिया (ए और बी पिट)
80. निंघा
81. एस.एस. इन्कलाइन
82. राणा
83. राणा जी जी एफ
84. घुसिक
85. न्यू घुसिक
86. मुसलिया
87. कालीपहाड़ी
88. डमरा

89. रामजीवनपुर
90. बरमोंदिया
91. चाकबलंवपुर
92. मनोहरबहल
93. तीरत
94. कोरडीह
95. रतीबती
96. रतीबती प्रोजेक्ट (7 पिट)
97. चपुई खास
98. जे.के. नगर
99. जेमेहारी
100. निमचा
101. निमचा ओ सी पी
102. सतग्राम प्रोजेक्ट
103. बेनाली
104. मीथापुर
105. पूरे सियरसोल
106. सतग्राम इन्क्लाइन
107. कालीदासपुर प्रोजेक्ट
108. अर्द्धग्राम ओ सी पी
109. जे.के. नगर फायर प्रोजेक्ट का सीतलदासजी क्षेत्र
110. रानीपुर
111. परबेला
112. दुबेश्वरी
113. भमूरिया
114. सीतलपुर
115 सोदेपुर
116. माउथडीह
117. पौएडीह भू.ग.
118. पौएडीह ओ सी पी
119. चीनाकुरी 1 और 2 पिट्
120. चीनाकुरी 3 पिट
121. पटमोहना पिट
122. बेजडीह
123. मेथानी भू.ग.
124. मेथानी ओ सी पी
125. घेमोमेन
126. नरसमुडा
127. बी.सी. इन्क्लाइन
128. नागेश्वर
129. कंकरताला

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. चुर्चा (विस्तार और वेस्ट)
2. कथोना (3 और 4)
3. पांडवपारा
4. बिसरामपुर ओ.सी.एम.
5. जयनगर 3 और 4
6. जयनगर 5 और 6
7. कुम्दा 1 और 2
8. कुम्दा 7 और 8
9. बलरामपुर
10. दुग्गा ओ.सी.एम.
11. भालगांव
12. कल्याणी भू.ग.
13. महामाया
14. चिरीमिरी ओ.का.
15. वेस्ट चिरीमिरी ओ.का.
16. कोरिया ओ.का./भू.ग.

17. कुरासिया भू.ग./ओ.का.
18. अजंता इन्क्लाइन
19. चिरीमिरी भू.ग.
20. दुमन हिल भू.ग. (कोटमा)
21. न्यू चिरीमिरी पोनरी हिल (एन.सी.पी.एच.)
22. नार्थ चिरीमिरी (घोरघेला/बिजोरा)
23. सोनावानी
24. वेस्ट चिरीमिरी भू.ग.
    क. कंचन इन्क्लाइन
    ख. मेन सीम
25. नार्थ चिरीमिरी कपारती/नं. 1
26. राजनगर ओ.सी.एम.
27. बिजुरी
28. झीमर-2 (14-15)
29. कपीलधारा
30. कुरजा
31. मलगा
32. न्यू राजनगर (जेकेडी ए-1)
33. राजनगर (जे.के.डी. 4ए)
34. राजनगर 7 और 8 (जे.के.डी. 4ए)
35. राजनगर 7 और 8 (जे.के.डी. ए.-2)
36. सोमना
37. साउथ जे.के.डी. (5 और 6)
38. वेस्ट जे.के.डी.
39. वेस्ट जे.के.डी. (बी सीम/पलकीमारा)
40. बेहराबंद पायलट खान
41. दैखल एच. ओ.सी. (जमूना ओ.सी.एम.)
42. कोटमा वेस्ट ओ.सी.एम.
43. भद्रा 7 और 8 (नारायण इन्क्लाइन)
44. गोविंदा
45. हरद इन्क्लाइन
46. जमूना 1 और 2
47. जमूना 3 और 4
48. जमूना 7 और 8
49. जमूना 9 और 10
50. जमूना 11 और 12
51. कोटमा
52. मीरा इन्क्लाइम
53. अमलई ओ.सी.एम.
54. बैगा ओ.सी.एम.
55. धनपुरी ओ.सी.एम.
56. अमलई भू.ग.
57. बंगवार
58. धनपुरी इन्क्लाइन
59. नवगांव
60. न्यू अमलई भू.ग.
61. न्यू चचई इन्क्लाइन
62. राजेन्द्र भू.ग.
63. सुभाष इन्क्लाइन
64. बीरसिंहपुर
65. नौरोजाबाद ईस्ट (सं. 8)
66. नौरोजाबाद वेस्ट (सं. 5 और 10)
67. पाली
68. पिनौरा
69. पिपरिया
70. उमारिया
71. विंध्या
72. शिवानी भू.ग.
73. झिलमिल भू.ग.
74. भासकरडीह रा.भू.ग.
75. नार्थ चिरीमिरी (देवा इन्क्लाइन)
76. बारतराई भू.ग.
77. शारदा ओ.सी.एम.

अनुबंध-2

प्रत्यक्ष फीड कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची

भंवरा (एन)	XIV (एल.ओ.सी. XIII) XVIII टी XVIII बी, XVII, XIV, XIII
भंवरा (एस)	XVII
बलिहारी	XI/XII, XV
पी.बी. प्रोजेक्ट	XI/XII
भागबंद	XV
पुटकी	XI/XII
कुस्टोरे	XI/XII
बुरारगढ़	XIV
सिमलाबहल	XI/XII
हुरिलाडीह	XIV, XI, XVI
भालगोरा	XI/XII
मधुबन	XVI सी. (एल ओ.सी. एक्स.वी.टी.)
बेगुनिया	चांच सीम
विक्टोरिया वेस्ट	लैकडीह

अनुबंध-3

कोककर कोयला संयोजित से वाशरियों तक उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची

कोलियरी	सीम
1	2
मुरलीडीह 20/21	III (मोह. टी)
भटडीह	III (मोह. टी)
मूनीडीह	XVIII XVII टी XVII बी XVI टी एण्ड बी
एन. तिसरा	IX/X (लोकल X)/1 (लोकल ओ)
जयरामपुर	VIIIए (एल.ओ.सी. IX)
लोडना	IX/X (एल.ओ.सी.)/VIIIए(एल.ओ.सी. IX) XI/XII VIII VII
बगडीगी	IX/X (एल.ओ.सी. X)/VIII
जीलगोरा	XIIIए (एल.ओ.सी.XIII)/XIII बी/XI/XII/XIV
बरारी	XIII ए/XI/XII/XIII/IX/VIII
भंवरा (एन.)	VI (लोकल VII) XII (लोकल XI) X (लोकल IX) XI/XII (एल.ओ.सी.XII)
भंवरा (एस.)	IX/X (एल.ओ.सी. X/XI) VIIIए (एल.ओ.सी. IXबी) IVटी
भंवरा ओ.सी.पी.	XIV/XV (XIII/XIV)
3 पिट ओ.सी.पी.	IX/X (एल.ओ.सी. X/XI)
नार्थ अमलाबाद/	XV ए (एल.ओ.सी. XV)
अमलाबाद	XVI एम (एल.ओ.सी. XVI टी)
सुदामडीह	VIII ए
(शाफ्ट)	IX/X XI/XII लोकल
सुदामडीह (इन्क.)	VI VIII लोकल VIII ए
पाथरडीह	VIII ए VII VI
चंदन ओ.सी.पी. (सुदामडीह क्षेत्र)	ईब
दोबारी	1 (लोकल ओ.)
कुया	1 (लोकल ओ.)
दामोदा	X XI/XII XIII

1	2
मधुबद	XVIए/एबी (एल.ओ.सी. XVB)
फुलारीटांड	XI/XII
	X
बीएल-3 ओ.सी.पी.	X
बी.एल.-2 ओ.सी.पी.	X/XI स्पे. (एल.ओ.सी. IX)/XI/XII (एल.ओ.सी. XI/XI)XIII/XIV (एल.ओ.सी. XII)/XV(एल.ओ.सी.XII) XV (लोकल XV)
महेशपुर	X
खरखरी	एल-12
	XVII टी
	XIV
जोगीडीह	VIIIए (एलओसी ए)
बीएल-4 ओसी (कोक)	X
साउथ गोविंदपुर	Xए (टी और बी)/एक्स. बी.
कुरीडीह बजरंग	1
सालनपुर	X(टी और बी)
अंगरथरा	IX(लोकल X स्पे.)/X (टी एण्ड बी)
कटरास छोटुडीह	X
	IX (लोकल एक्स. ए.)
	VIII बी (लोक. एक्स. टी.)
कटरास प्रोजेक्ट	X
	VIIIबी (लोक. एक्स टी)
बंसदिओपुर	XII
	XI
कनकनी	X/XI
	XII
मुडीडीह	IX(Xए)
	X(टी एण्ड बी)
	X
	VIII बी (IX टी)
	VIII ए (IX बी)

1	2
लोयाबाद	XVIए
	XVI
	XII
	XI
	X
ईस्ट भमतडीह	X
ऐना ओ.सी.पी.	XI/XII/XV
सिमलाबहल	एक्स बी
	एक्स एम
लैकडीह दीप	जोगरत
गंगा ओ.सी.पी.	X
गोडुडीह ओसीपी	X
कुसुंदा ओसी	X
गोधुर भू.ग. और ओ.का.	X
गोपालीचक	X
	XI
	VIII (लोकल IX)
पुटकी	X
गोपालीचक 5/6	XIV
	X
भागबंद	XVII बी
	XVI ए

अनुबंध-4

प्रीमियम स्टीम अ-कोककर कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची

फील्ड	एरिया	कोलियरी
1	2	3
रानीगंज	काजोरा	जामबाद भू.ग.
		नाबा काजोरा
		मधबपुर
		परासिया ओ.सी.पी.
		पूर्णदीप इन्क्लाइन

1	2	3
		बंसरा ओ.सी.पी. परासिया 6 और 7 परासिया बेलबेद
रानीगंज	सोदेपुर	पटमोहना
रानीगंज	पांडेश्वर	खोट्टाडीह ओसीपी चापापुर-2 बदजना श्यामपुर बी राजपुरा ओसीपी निरशा ओसीपी
मुग्मा	मुग्मा	मंडमान इन्क्लाइन खुदिया कापासरा लक्ष्मीमाटा कुमारधुबी बरमूरी प्रोजेक्ट

पनधारा योजना

2474. **डा. जसवंत सिंह यादव:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मरूस्थल विकास योजनान्तर्गत सरकार द्वारा किन-किन राज्यों को पनधारा परियोजनाओं की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस योजना हेतु कोई धनराशि आबंटित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के तहत स्वीकृत की गई वाटरशेड विकास परियोजनाओं तथा सरकार द्वारा जारी की गई केन्द्रीय निधियों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई केन्द्रीय निधियां (लाख रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	196	1341.37
2.	गुजरात	350	4712.17
3.	हरियाणा	176	1858.39
4.	कर्नाटक	151	1407.51
5.	राजस्थान	883	12428.67
6.	जम्मू और कश्मीर	132	1296.02
7.	हिमाचल प्रदेश	48	435.00
	योग	1936	23479.13

प्रत्येक वाटरशेड परियोजना में लगभग 500 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल होता है और 5 वर्षों की अवधि में इसकी कुल लागत 22.50 लाख रुपये से लेकर 25.00 लाख रुपये तक अलग-अलग होती है।

[अनुवाद]

मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज

2475. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर पुणे में गत दो वर्षों के दौरान आज तक इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए अनुमति देने हेतु स्वैच्छिक संगठनों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.-टी.ई.)-तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन देने वाला सांविधिक निकाय-देश भर में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए न्यासों/सोसाइटियों/सरकार/विश्वविद्यालय विभागों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है। परिषद प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों के जिलेवार ब्यौरे नहीं रखती है। तथापि, वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान परिषद को महाराष्ट्र राज्य से नए इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना के लिए 129 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इसमें अनुमोदित इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या 1998-99 में 6 (पुणे में 4), 1999-2000 में 17 (पुणे में 3) और 2000-2001 में 2 (पुणे में सभी) थी।

महिलाओं, बच्चों और युवकों के कल्याण हेतु योजना

2476. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक महिलाओं, बच्चों और युवकों से संबंधित कितनी कल्याण योजनाएं क्रियान्वित की गई;

(ख) निर्धारित किए गए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार योजना-वार और राज्य-वार विशेषकर जम्मू और कश्मीर राज्य में उक्त योजनावधि के दौरान कितनी उपलब्धि हासिल की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्य-निष्पादन के आधुनिकीकरण/मध्यावधि संशोधन की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन

2477. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को बनाये रखने हेतु केन्द्रीय सहायता जारी रखने की मांग की है तथा इस योजना के तहत पके पकाए भोजन को उपलब्ध कराने के लिए अधिक निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं तथा उनके द्वारा किस प्रकार की सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भारतीय खाद्य निगम के जरिए निःशुल्क खाद्यान्न दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदामों से स्कूलों तक खाद्यान्न ले आने तथा ले जाने तक की परिवहन लागत की भी प्रतिपूर्ति जिला प्राधिकारियों तथा खाद्यान्न उठाने वाली एजेंसियों को वास्तविक लागत दर पर की जाती है, किन्तु यह लागत अधिक से अधिक 50 रु. प्रति क्विंटल है। खाद्यान्न को पके-पकाए भोजन के रूप में परिवर्तित करने की लागत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन की जाती है। अतः इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई निधि आवंटित नहीं की जाती।

कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिक

2478. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की कोयला खानों में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इन श्रमिकों को पर्याप्त वेतन मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके जीवन और भविष्य की रक्षा के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोल इंडिया लि. और उसकी सहायक कंपनियां, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) और नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. (एनएलसी) में अधिकारी वर्ग को छोड़कर कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

को.इं.लि. और उसकी सहायक कंपनियां	5,39,056
एससीसीएल	1,04,880
एनएलसी	16,925
कुल	6,60,861*

*इसमें ग्रहीत कोलियरियों के आंकड़े शामिल नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) नेशनल कोलवेज एग्रीमेंट-5 के अनुसार कर्मचारी वर्ग के मजदूरी/वेतन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) कर्मचारियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नीचे दी गई है:

(1) अधिकतम 3.50 लाख रु. का उपदान का भुगतान करना।

(2) लाइफ कवर स्कीम—मृतक कर्मचारी के वैध उत्तराधिकारी को सामान्य उपदान की राशि के अलावा रु. 20,000 की धनराशि भी प्रदान की जाती है।

(3) कामगार मुआवजा हितलाभ।

(4) सेवा के दौरान मृतक कामगार के एक आश्रित व्यक्ति को रोजगार देना।

(5) महिला आश्रितों को रोजगार/धन के रूप में मुआवजा देना।

(6) कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत भविष्यनिधि।

(7) कोयला खान पैंशन योजना 98, के अधीन पैंशन देना।

विवरण

राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 के वेतनमान
वेतनमान दिनांक 1.7.1991 से प्रभावी

ए. दैनिक दर पर कार्य करने वाले कर्मचारी

श्रेणी	
I.	रु. 65.40-1.08-80.52
II.	रु. 66.86-1.33-85.48
III.	रु. 68.90-1.72-92.98
IV.	रु. 70.30-2.12-99.98
V.	रु. 73.22-2.64-110.18
VI.	रु. 76.42-3.54-125.98

बी. उत्खनन

श्रेणी	
एसपीएल	रु. 90.09-5.39-160.16
ए.	रु. 85.72-5.04-156.28
बी.	रु. 80.75-4.55-144.45
सी.	रु. 77.32-3.85-131.22
डी.	रु. 74.62-2.95-115.92
ई.	रु. 69.75-1.85-95.65

सी. मासिक दर पर कार्य करने वाले
(तकनीकी और सुपरवाइजर तथा फुटकर वेतनमान)

ए.	रु. 2220-132-3540-140-4240
बी.	रु. 2064-118-3008-130-4048
सी.	रु. 1990-100-2790-110-3670
डी.	रु. 1905-80-2545-96-3313
ई.	रु. 1826-60-2666

एफ.	रु. 1806-48-2478
जी.	रु. 1781-43-2383
एच.	रु. 1743-36-2247

डी. लिपिकीय कैडर

एसपीएल	रु. 2064-118-3008-130-4048
I.	रु. 1990-100-2790-110-3670
II.	रु. 1905-80-2545-96-3313
III.	रु. 1826-60-2666

असम कोयला क्षेत्र के लिए वेतनमान
(1.7.1991 से प्रभावी वेतनमान)

ए. दैनिक दर पर कार्य करने वाले कर्मचारी

श्रेणी	
I.	रु. 75.21-1.24-92.57
II.	रु. 76.89-1.53-98.31
III.	रु. 79.24-1.98-106.96
IV.	रु. 80.85-2.44-115.01
V.	रु. 84.20-3.04-126.76
VI.	रु. 87.88-4.07-144.86

बी. उत्खनन

श्रेणी	
एसपीएल	रु. 103.60-6.20-184.20
ए.	रु. 98.58-5.80-179.78
बी.	रु. 92.86-5.23-166.08
सी.	रु. 88.92-4.43-150.94
डी.	रु. 85.81-3.39-133.27
ई.	रु. 80.21-2.31-110.03

सी. मासिक दर पर कार्य करने वाले
(तकनीकी और सुपरवाइजर तथा फुटकर वेतनमान)

ए.	रु. 2553-152-4073-161-4878
बी.	रु. 2374-136-3462-150-4662
सी.	रु. 2289-115-3209-127-4225
डी.	रु. 2191-92-2927-110-3807
ई.	रु. 2100-69-3066
एफ.	रु. 2077-55-2847
जी.	रु. 2048-49-2734
एच.	रु. 2005-41-2579

डी. लिपिकीय कैडर

एसपीएल	रु. 2374-136-3462-150-4662
I.	रु. 2289-115-3209-127-4225
II.	रु. 2191-92-2927-110-3807
III.	रु. 2100-69-3066

उजरती दर कामगारों हेतु संशोधित आधारिक मजदूरी दरें
(1 जुलाई, 1991 से प्रभावी)

ग्रुप	दर	फाल बैक वेजिज
I.	65.75	65.40
II.	67.16	66.31
III.	68.91	67.45
IV.	69.25	69.25
V.	71.68	71.68
Vक.	72.03	72.03
प्री. ट्रैमर्स	71.68	71.68

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त ग्रामीण विकास योजना

2479. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्र से सहायता प्राप्त बड़ी ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) जी, हां। राज्यों को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अलावा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करें, जिससे केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। शीघ्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य सरकारों से मासिक प्रगति रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है।

दोहरी नागरिकता

2480. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में अनिवासी भारतीयों के योगदान को मानती है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता का अधिकार देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) भारतीय मूल का व्यक्ति (पी आई ओ) कार्ड जारी करने की योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों, नामतः आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक, में उपलब्ध कराई गई सुविधायें पर्याप्त समझी गई हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

2481. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार आयोग को कितनी याचिकाएं दाखिल की गईं;

(ख) क्या कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मानवाधिकार आयोग इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर रहा है;

(ग) इनमें से आज की स्थिति के अनुसार कितने मामले निपटा लिए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न राज्यों के राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा लम्बित शिकायतों को शीघ्र निपटाने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा आयोग के पास दाखिल किए गए मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान क्रमशः 36791, 40724 और 50634 शिकायतें प्राप्त की। इनमें से, आयोग ने इन वर्षों के दौरान क्रमशः 18801, 46285 और 28281 शिकायतें निपटाई।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जितना शीघ्र संभव हो सके, मामलों को निपटाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। आयोग लंबित मामलों की आवधिक पुनरीक्षा करता है और लंबित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु विशेष अभियान भी चलाता है।

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित उपबंधों के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग शिकायतों का समय पर निपटान करने के लिए अपनी पद्धति को सुव्यवस्थित करते हैं।

[अनुवाद]

आवास क्षेत्र के लिए योजना

2482. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आवास क्षेत्र के सुचारू विकास हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा तैयार की गई वित्तीय योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001 तक विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) सरकार को देश में आवास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय रियायतें प्रदान करने हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ सहित आवास उद्योग की विभिन्न संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये अवस्थापना सुविधाओं के बराबर रियायतें बढ़ाने, आवास क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए आवास वित्त संस्थानों को अधिक रियायतें देने, अनिवासी भारतीयों को बेची गई स्थावर सम्पदा को निर्यात का दर्जा देने आवास ऋण की पुनर्अदायगी और ब्याज पर आयकर रियायतें देने, नई निर्माण सामग्री का उत्पादन करने वाले उद्योगों को वित्तीय रियायतें देने आदि से संबंधित हैं। वित्तीय रियायतें एक सतत प्रक्रिया हैं और सरकार शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करती है और बजट तैयार करते समय वित्त मंत्रालय को उनकी संस्तुति करती है।

(ग) इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2001 तक शहरी क्षेत्रों में 6.64 मिलियन और ग्रामीण क्षेत्रों में 12.76 मिलियन आवास की कमी होगी।

मलिन बस्ती सुधार योजनाओं हेतु निधियां

2483. श्री किरीट सोमैया:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मलिन बस्तियों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या धनराशि के उपयोग की निगरानी करने हेतु कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शसित प्रदेशों को जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा मार्च, 2000 तक, उनके द्वारा यथासूचित, उपयोग की गई संचयी राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) से (ङ) स्लम विकास राज्य का विषय है, इसलिए स्कीम का कार्यान्वयन उनके द्वारा किया जाता है। राशियों के उपयोग की जांच कार्य की नियमित निगरानी, फील्ड दौरों, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) रिपोर्टों में सूचित खर्च के सत्यापन, प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृतियों, नियत कालिक समीक्षा आदि के जरिए की जाती है।

विवरण I

राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) (अगस्त, 1996 में शुरू) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	सकल योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2205	2842.00	3575.00	8622.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	88	88.00	110.00	286.00
3.	असम	207	253.00	281.00	741.00

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	1818	2425.00	2668.00	6911.00
5.	गोवा	88	12.00	110.00	210.00
6.	गुजरात	1368	2292.00	2013.00	5673.00
7.	हरियाणा	429	514.00	565.00	1508.00
8.	हिमाचल प्रदेश	88	168.00	106.00	362.00
9.	जम्मू व कश्मीर	374	590.00	725.00	1689.00
10.	कर्नाटक	1485	2112.32	2174.00	5771.00
11.	केरल	847	929.00	1028.00	2804.00
12.	मध्य प्रदेश	1738	2192.00	2088.00	6018.00
13.	महाराष्ट्र	4191	5713.00	5831.00	15735.00
14.	मणिपुर	88	100.00	110.00	298.00
15.	मेघालय	88	88.00	110.00	286.00
16.	मिजोरम	88	88.00	110.00	286.00
17.	नागालैण्ड	88	88.00	122.00	298.00
18.	उड़ीसा	528	560.00	727.00	1815.00
19.	पंजाब	825	904.00	994.00	2723.00
20.	राजस्थान	1232	1349.12	1479.00	4060.12
21.	सिक्किम	88	92.00	88.00	268.00
22.	तमिलनाडु	2233	2674.00	2711.00	7618.00
23.	त्रिपुरा	88	90.00	110.00	288.00
24.	उत्तर प्रदेश	3674	3674.00	4026.50	11374.00
25.	प. बंगाल	2893	3101.00	4093.00	10087.00
26.	अंडमान व निकोबार	100	100.00	100.00	300.00
27.	चंडीगढ़	100	100.00	100.00	300.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	100	100.00	100.00	300.00
29.	दमन एवं दीव	100	100.00	100.00	300.00
30.	लक्षद्वीप	100	100.00	100.00	300.00
31.	पांडिचेरी	100	100.00	100.00	300.00
32.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	1660	1819.00	2635.00	6114.00
	कुल	29099	35357.44	39189.50	103645.94

विवरण II

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी)-मार्च, 2000 तक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा सूचित संचयी खर्च

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ शासित प्रदेश	राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा सूचित खर्च (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5362.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	199.28
4.	बिहार	4136.00
5.	गोवा	0
6.	गुजरात	3930.00
7.	हरियाणा	776.43
8.	हिमाचल प्रदेश	350.00
9.	जम्मू व कश्मीर	0
10.	कर्नाटक	4536.00
11.	केरल	0
12.	मध्य प्रदेश	3038.89
13.	महाराष्ट्र	0
14.	मणिपुर	0
15.	मेघालय	68.37
16.	मिजोरम	137.00
17.	नागालैण्ड	0
18.	उड़ीसा	1108.96
19.	पंजाब	344.41
20.	राजस्थान	2170.02
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	8796.40
23.	त्रिपुरा	339.00
24.	उत्तर प्रदेश	10350.76
25.	प. बंगाल	7488.41
26.	अंडमान व निकोबार	0
27.	चंडीगढ़	0
28.	दादर एवं नगर हवेली	100 00
29.	दमन एवं दीव	0
30.	लक्षद्वीप	0
31.	पांडिचेरी	0
32.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	0
	कुल	53232.72

आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादी

2484. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1998 में पूर्वोत्तर राज्यों के आत्मसमर्पण कर चुके विद्रोहियों के लिए आरम्भ किये गये केन्द्रीय पुनर्वास कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है और कितने विद्रोहियों को रोजगार प्रदान किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, इस स्कीम के अंतर्गत 2100 उग्रवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अब तक 1.50 करोड़ व्यय किए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 437 आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है/प्रशिक्षण ले रहे हैं। आत्मसमर्पण कर चुके पात्र उग्रवादियों को राज्य पुलिस/केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

डी.डी.ए. की भूमि पर अतिक्रमण

2485. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी भूमि का रिकार्ड तैयार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को अतिक्रमित अपनी भूमि के बारे में किस तरह पता चलता है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी भूमि का रिकार्ड तैयार करने और सभी अतिक्रमित भूमि को खाली कराने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या ग्राम सभा भूमि की सूची तैयार नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने में अकर्मण्यता के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या ग्राम सभा भूमि पर अतिक्रमण हटाने और अतिक्रमित भूमि की पहचान करने में भी विशेष कृतिक बल और जिला कृतिक बल असफल रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा डी.डी.ए. और ग्राम सभा के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जून, 1999 में अपनी भूमि का रिकार्ड तैयार किया है।

(ख) और (ग) अतिक्रमित भूमि की रिकार्ड से पहचान कर ली गई है। डीडीए ने भूमियों पर अतिक्रमणों को रोकने तथा इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करने के लिए एक आंचलिक कार्य प्रणाली बनाई है। इसमें 6 अंचल हैं और हर अंचल का प्रमुख, संयुक्त/उप निदेशक के पद का एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। डीडीए की भूमि पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके विशेष गश्त क्षेत्र सौंपे जाते हैं, जो नियमित रूप से देख-रेख करते हैं। अतिक्रमण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए डीडीए द्वारा नियमित रूप से गिराने की कार्रवाई की योजना बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से गिराने संबंधी कार्रवाई की जाती है। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए डीडीए को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) से (च) डीडीए ने ग्राम सभा को अन्तरित भूमि का पूरा रिकार्ड तैयार किया है।

(छ) और (ज) दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण एक सतत समस्या है और इसको हटाना भी एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी भी ग्राम सभा भूमि पर अनधिकृत निर्माण अथवा अतिक्रमण का पता या सूचना मिलती है, डीडीए/संबंधित स्थानीय निकाय/दिल्ली सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम और/अथवा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। 1996 में इस प्रयोजनार्थ गठित कार्य बल (टास्क फोर्स) इस दिशा में कार्य करता है।

सरकार, अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण की समस्या से निपटने के लिए इन अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा शुरू में ही अतिक्रमण से सार्वजनिक भूमि को बचाने, अतिक्रमणकर्त्ताओं के खिलाफ अनधिकृत प्रवेश का अपराधिक मामला चलाने तथा दोषी कर्मचारियों व इस प्रकार की भूमि की देख-रेख के प्रभारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर समय-समय पर बल देती रही है। इस संबंध में भूस्वामी एजेंसियों स्थानीय निकायों तथा डीडीए को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

केन्द्रीय विद्यालय

2486. **श्री के. करूणाकरन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा सरकारी कर्मचारियों और अन्य अभिभावकों के बच्चों से प्रभारित किये जा रहे शुल्क ढांचे में व्याप्त भिन्नताओं से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन दो प्रकार के विद्यालय चलाता है अर्थात् (1) सिविल और रक्षा क्षेत्र के विद्यालय जो भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों द्वारा वित्त पोषित होते हैं, और (2) परियोजना विद्यालय जो प्रायोजक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्त पोषित होते हैं और जो मुख्य रूप से उन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करते हैं। सिविल और रक्षा क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के बच्चों से एकसमान शिक्षण शुल्क लिया जाता है। चूंकि परियोजना क्षेत्र के कुछ प्रयोजक प्राधिकारी संसाधन कमियों का सामना कर रहे हैं और अपनी वित्तीय वचनबद्धता को पूरा करने में असमर्थ है, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्रायोजक प्राधिकारियों को यह अनुमति प्रदान की कि वे परियोजना क्षेत्र के विद्यालयों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क की विभिन्न मात्रा का निर्धारण करे जैसा वे उचित समझे।

हुडको द्वारा निर्मित मकान

2487. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हुडको द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के राज्य-वार कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) किन-किन शहरों/कस्बों में ऐसे मकानों का निर्माण किया गया; और

(ग) कितने मकानों का लोग स्वामित्व ले चुके हैं और कितने खाली पड़े हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) पूरे देश में विभिन्न ऋण लेने वाली (बोरोइंग) एजेंसियों की विभिन्न प्रकार की आवास परियोजनाओं को केवल धन देता है। वास्तविक निर्माण कार्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में हडको द्वारा स्वीकृत रिहायशी यूनिटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में विभिन्न शहरों/कस्बों में हडको द्वारा स्वीकृत रिहायशी यूनिटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) मकानों का निर्माण और आबंटन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। कब्जा वाले (आक्यूपाइड) और खाली मकानों के बारे में आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 31.3.2000 की स्थिति अनुसार पूर्ण की गई और निर्माणाधीन यूनिटों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

1997-98 के दौरान राज्यवार स्वीकृत आवास स्कीमें

राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	ऋण राशि (करोड़ रु.)	रिहायशी यूनिटों की संख्या	अन्य यूनिटों की संख्या
1	2	3	4	5	6
अंडमान एवं निकोबार	2	2.81	1.38	115	0
आंध्र प्रदेश	75	254.75	153.12	183755	0
असम	3	17.94	10.23	321	1
बिहार	4	6.18	4.65	380	0
दिल्ली	1	3.36	1.66	0	0
गोवा	5	21.83	13.34	6590	0
गुजरात	22	82.97	66.31	35689	0
हरियाणा	9	28.43	19.41	1610	0
हिमाचल प्रदेश	20	85.31	56.64	26255	0
जम्मू व कश्मीर	6	37.49	30.33	6786	0
कर्नाटक	54	204.29	125.38	57104	0
केरल	80	374.39	230.58	66799	20
मध्य प्रदेश	44	90.60	67.67	15043	693

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	10	252.88	112.67	1637	6
मणिपुर	5	38.49	22.28	2391	0
मिजोरम	2	9.81	6.38	1930	0
नागालैंड	2	18.13	13.13	2519	0
ओड़िसा	11	85.84	54.28	3904	0
पाण्डिचेरी	2	2.30	1.71	0	50
पंजाब	7	90.26	50.50	192	0
राजस्थान	41	322.62	223.79	11977	0
तमिलनाडु	107	272.35	190.51	72539	0
त्रिपुरा	2	2.99	1.50	238	0
उत्तर प्रदेश	36	127.47	91.11	31497	1
प. बंगाल	18	53.57	32.69	4830	0
योग	568	2488.05	1581.22	534101	771

1998-99 के दौरान राज्यवार स्वीकृत आवास स्कीमें

अंडमान एवं निकोबार	1	2.15	1.50	15	0
आंध्र प्रदेश	124	655.14	413.67	309283	85
असम	8	256.57	166.53	35207	1
बिहार	19	27.85	23.26	1054	3
गुजरात	45	117.42	90.67	22071	1307
हरियाणा	15	61.76	45.76	5985	3
हिमाचल प्रदेश	16	84.20	65.66	19538	0
जम्मू व कश्मीर	8	25.45	18.11	516	0
कर्नाटक	188	870.04	618.40	321834	11
केरल	148	846.95	525.92	189520	20
मध्य प्रदेश	51	120.61	87.93	9573	388
महाराष्ट्र	31	671.36	481.43	32783	736
मणिपुर	2	29.05	18.79	2023	0

1	2	3	4	5	6
मेघालय	3	70.86	52.73	4136	2
मिजोरम	2	2.95	2.00	495	0
नागालैण्ड	2	25.99	19.55	2020	0
उड़ीसा	42	85.99	72.75	29100	0
पांडिचेरी	2	8.91	5.30	194	0
पंजाब	6	104.63	73.67	5276	0
राजस्थान	27	67.97	47.24	4207	1674
तमिलनाडु	204	638.90	478.90	111309	0
त्रिपुरा	1	.05	.02	11	0
उत्तर प्रदेश	19	243.95	183.59	48745	0
प. बंगाल	10	420.70	120.39	642567	36
कुल	974	5439.45	3613.75	1797462	4266

1999-2000 के दौरान राज्यवार स्वीकृत आवास स्कीमें

अंडमान एवं निकोबार	2	3.96	2.45	140	0
आंध्र प्रदेश	27	824.50	495.82	428283	42
असम	9	77.69	56.31	3515	17
बिहार	14	16.40	12.41	188	0
दिल्ली	3	10.66	10.46	0	1
गुजरात	25	143.62	110.59	23321	0
हरियाणा	5	15.87	11.52	1327	0
हिमाचल प्रदेश	2	36.68	29.10	655	0
जम्मू व कश्मीर	8	54.21	36.00	382	0
कर्नाटक	85	471.86	344.95	131556	0
केरल	79	780.57	639.44	180651	1
मध्य प्रदेश	57	122.89	91.89	4912	1470
महाराष्ट्र	33	168.99	83.30	1834	14519
मणिपुर	1	1.41	1.00	217	0
मेघालय	1	10.69	5.00	106	0

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	1	1.55	1.00	141	0
नागालैंड	4	50.38	33.82	2678	0
उड़ीसा	21	746.68	642.57	181622	0
पंजाब	1	126.71	100.00	0	0
राजस्थान	14	123.49	102.95	2809	0
तमिलनाडु	102	552.63	405.37	102220	1
त्रिपुरा	10	18.01	9.09	1863	0
उत्तर प्रदेश	27	208.21	119.14	3473	46
प. बंगाल	17	287.36	114.70	382117	3
योग	548	4855.04	3458.86	1454010	16100

विवरण II

1997-98 के दौरान तमिलनाडु में शहरवार स्वीकृत आवास स्कीमें

शहर का नाम	स्कीम की संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि	मकान	प्लाट
1	2	3	4	5	6
अंबात्तूर	1	1.07	.03	27	0
चेंगई अन्ना	1	2.52	1.71	214	0
चेंगलपट्टु	1	2.42	1.69	2200	0
चेन्नई	17	60.27	38.21	2430	0
चिदम्बरनार	1	1.16	.81	1050	0
कोयम्बटूर	4	12.43	9.15	2952	0
कुन्नूर	1	3.25	1.95	95	0
कुद्दलोर	1	2.41	1.70	1700	0
धर्मपुरी	2	5.45	3.86	4300	0
डिंडिगुल	1	1.51	1.06	1350	0
इरोड	1	3.58	2.51	155	0
होसूर	2	6.26	4.10	165	0

1	2	3	4	5	6
कामराजर	2	3.17	2.54	1950	0
कांचीपुरम	1	1.84	1.30	1300	0
कन्याकुमारी	1	.44	.31	400	0
मदुरै	2	4.35	3.06	3500	0
मरतन्दम	1	.36	.30	150	0
नागपट्टीनम	1	2.55	1.80	1800	0
नवलपट्टु	1	5.02	3.77	200	0
परमाकुडी	1	.23	.12	51	0
पेरमबलूर	2	3.92	2.71	1214	0
पेरियार	3	6.56	4.91	3795	0
पुडुकोट्टई	1	1.38	0.96	1250	0
औद-ई-मिलेथ	2	4.72	3.25	2214	0
रामनाथपुरम	2	3.33	2.66	2100	0
ग्रामीण क्षेत्र	8	13.12	9.78	8740	0
सलेम	3	10.79	7.61	3010	0
सेन्नापिराटी करूर	1	1.09	.75	75	0
शोलनगलूर	2	9.51	7.61	0	0
तेनकासी	1	.80	.56	80	0
तनजावूर	4	8.22	5.74	2436	0
थेनी	1	1.98	1.40	1400	0
तिरुवन्नामलाई	1	1.68	1.50	600	0
तिरुनेलवेली	3	5.68	4.31	2272	0
तिरुवालूर	1	1.84	1.30	1300	0
तिरुधन्नमलाई	2	5.66	4.32	2845	0
तिरुवारूर	1	2.12	1.50	1500	0
तिरीचि	2	2.14	1.51	1600	0
शहरी क्षेत्र	22	62.65	43.68	5889	0
वेल्लौर	1	2.80	2.00	2000	0
विल्लुपुरम	1	3.11	2.20	2200	0
कुल	107	273.35	190.51	72539	0

1	2	3	4	5	6
		1998-99 के दौरान तमिलनाडु में शहरवार स्वीकृत आवास स्कीमें			
अलगानालूर	1	.75	.58	350	0
अम्बातूर	2	6.37	4.78	152	0
चेन्नई	12	55.35	37.82	1732	25
कोयम्बटूर	2	3.33	3.18	70	0
कुद्दालोरे	1	1.05	.75	750	0
धरमपुरी	1	3.72	2.60	372	0
धरमपुरी	2	4.91	3.95	1550	0
दींदीगुल	3	6.51	4.99	3115	0
इडापडी	1	1.45	.96	40	0
इरोड	2	1.36	.94	901	0
गणपथी	1	1.65	1.24	57	0
कदामलाई कन्दू	1	.68	.55	400	0
कांचीपुरम	3	1.91	1.17	827	0
कन्याकुमारी	2	1.83	1.30	1300	0
करूर	2	1.83	1.83	1300	0
कोट्टाकौनदम्पती	1	6.06	4.17	210	0
कुम्बाकोनम	1	2.47	1.67	72	0
मदुरै	3	4.69	3.57	1367	0
नागपट्टनम	2	2.70	2.15	950	0
नागेरकोल	1	.56	.27	106	0
नमक्कल	3	4.53	3.48	2125	0
नवलपट्टु	1	2.44	1.83	100	0
नीलगिरीज	1	.56	.42	350	0
पलायमकोट्टय	1	1.72	1.26	65	0
पेरम्बालूर	2	2.45	2.00	1250	0

1	2	3	4	5	6
पेरियार	1	2.89	2.45	350	0
पुडुकोट्टई	3	3.90	2.77	2760	0
रामनाथपुरम	1	1.42	1.02	995	0
रमनाड	2	5.57	4.34	2325	0
ग्रामीण क्षेत्र	13	39.25	25.88	25600	0
सालेम	3	6.88	5.36	2900	0
शिवगंगा	2	3.45	2.45	2450	0
तमवरम	1	2.16	1.62	48	0
तंजावूर	3	11.89	7.83	3368	0
थेनी	2	3.27	2.62	1115	0
थिरुचेनगोड	1	5.14	3.85	208	0
थिरुनेलवेली	1	1.61	1.15	1150	0
थिरुवेल्लूर	1	.84	.60	600	0
थिरुवन्नीयूर	1	4.28	3.15	360	0
थिरुवन्नामलाई	3	6.55	5.58	2875	0
थिरुवरूर	1	1.23	.88	875	0
थडियालूर	1	7.10	5.15	300	0
तिरुचिपल्ली	1	2.52	2.25	900	0
तिरुनेलवेली	2	4.20	3.25	1835	0
तिरुवरूर	1	2.24	2.00	800	0
त्रिचि	2	2.63	1.93	995	0
तूतीकोरिन	2	3.49	2.48	2475	0
अर्बन एरियाज	98	387.41	297.80	31723	2754
वेल्लोर	3	3.09	2.04	1216	0
विलिलपुरम	1	1.40	1.00	1000	0
विरुधिनगर	2	3.63	2.58	2575	0
कुल	204	638.90	478.90	111309	2779

1	2	3	4	5	6
		1999-2000 के दौरान तमिलनाडु में शहरवार स्वीकृत आवास स्कीमें			
अयापेरुमलपट्टी	1	1.88	1.44	37	0
चेन्नई	7	51.81	31.52	22328	0
कोयम्बटूर	2	3.78	3.03	145	0
कुद्दालोर	1	3.04	2.40	100	0
धर्मपुरी	3	12.32	9.33	3257	0
इरोड	2	.57	.35	140	0
होसूर	3	8.57	6.52	380	0
कलापट्टी	1	3.25	2.55	100	0
कांचीपुरम	1	4.80	3.60	360	0
कन्नाकुरीचि	2	7.10	5.55	228	0
करायकुडी	1	1.98	1.62	100	0
मदुरै	1	1.68	1.20	1200	0
मुथमपलायम	3	9.98	7.81	313	0
ओडीपुथूर	1	24.25	18.74	472	0
पेरियार	1	1.19	.84	108	0
रूरल एरियाज	34	173.19	121.65	50230	0
सथुक्वारी	3	4.90	3.92	214	0
थंजावूर	1	1.68	1.20	1200	0
थिरुनेलवेल्लि	2	2.81	2.07	826	0
तिरुपुर	2	.63	.33	108	0
तिरूवनमियूर	1	4.80	3.60	40	0
तिरुवन्नामलाई	1	2.77	1.98	1980	0
उचिपली	1	.29	.18	150	0
अर्बन एरियाज	23	215.70	166.73	14808	2455
वेल्लोर	2	3.93	2.85	1968	0
विल्लिवाक्कम	1	3.83	3.05	78	0
विरुधुनगर	1	1.89	1.35	1350	0
कुल	102	552.63	405.37	102220	2455

विवरण III

पूर्ण किए गए और निर्माणाधीन यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा

(31.3.2000 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों का नाम	स्वीकृत स्कीमों की सं.	स्वीकृत मकानों की सं.	पूरे किए गए मकान					निर्माणाधीन मकान				
				ई. डब्ल्यू. एस.	एल. आई. जी.	एम. आई. जी.	एच. आई. जी.	कुल	ई. डब्ल्यू. एस.	एल. आई. जी.	एम. आई. जी.	एच. आई. जी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अंडमान एवं निकोबार	16	1034	28	4	65	164	261	0	0	0	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	1994	2076305	774620	136643	23382	3545	938190	52879	28877	2709	2364	12029
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	317	0	82	100	0	182	0	0	0	0	0
4.	असम	160	98833	17777	3385	3501	1531	26194	12982	631	125	360	14098
5.	बिहार	226	150866	55404	14484	2677	1159	73724	9215	1779	951	311	12256
6.	चंडीगढ़	74	26511	6955	9060	6650	3846	26511	0	0	0	0	0
7.	दिल्ली	60	16205	5829	6756	1431	2111	16127	0	3	0	74	77
8.	दादर नगर हवेली	2	87	45	0	42	0	87	0	0	0	0	0
9.	गोवा	29	9040	1227	290	146	118	1781	0	0	0	28	28
10.	गुजरात	1137	561541	335272	63100	47459	6445	452276	13832	6801	1460	394	22487
11.	हिमाचल प्रदेश	156	74921	29790	8026	1525	1763	41104	26965	319	193	1831	29308
12.	हरियाणा	366	101806	37818	22298	11453	6403	77972	5640	10125	0	23	15788
13.	जम्मू व कश्मीर	113	22611	9341	107	1576	1064	12088	0	0	375	670	1045
14.	केरल	1083	1178469	520277	145400	14547	5711	685935	54302	26519	2502	1689	85012
15.	कर्नाटक	1294	1229552	595351	46989	12949	4788	660077	43262	11647	2673	1573	59155
16.	मेघालय	30	17509	3133	2883	904	303	7223	4988	0	0	78	5066
17.	महाराष्ट्र	1124	391429	169388	91312	39810	17151	317661	9911	3999	2652	831	17393
18.	मणिपुर	39	15665	405	4281	1350	542	6578	416	0	0	0	416
19.	मध्य प्रदेश	965	206284	53615	29149	23534	5372	111670	2030	5976	3134	903	12043
20.	मिजोरम	19	10099	3025	1570	1205	460	6260	875	640	40	0	1555
21.	नागालैंड	20	20405	1584	8918	561	15	11078	228	0	0	0	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	उड़ीसा	418	350478	33106	20715	8645	2060	64526	36183	10582	523	267	47555
23.	पांडिचेरी	25	5317	1213	3372	410	82	5077	0	0	0	0	0
24.	पंजाब	524	122971	80928	12952	8797	8209	110086	2868	374	0	0	3242
25.	राजस्थान	1122	259327	93131	50533	32885	7557	184106	6547	7952	4720	1111	20330
26.	सिक्किम	37	12839	5085	2720	947	152	8904	1565	1291	693	376	3925
27.	तमिलनाडु	2157	1110857	679762	90356	50339	19824	840281	55686	9852	4570	2771	72879
28.	त्रिपुरा	32	7123	2642	432	213	143	3430	196	0	0	0	196
29.	उत्तर प्रदेश	1345	736367	434503	77077	35733	12714	560027	24842	13351	4193	2926	45312
30.	प. बंगाल	252	1146269	117660	3112	6360	5875	133007	27791	479	895	1086	30251
	योग	14821	9960037	4068914	856006	339196	119107	5383223	393203	141197	32408	19668	586476

जिला/महानगर योजना समितियां

2488. **डा. वी. सरोजा:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में जिला और महानगर योजना समितियां नहीं हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों से अपने यहां इन समितियों के गठन हेतु अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) उन राज्यों जहाँ जिला एवं महानगर योजना समितियाँ नहीं हैं, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जिला एवं महानगर योजना समितियों का अभी तक गठन न करने वाली राज्य सरकारों से यथाशीघ्र उन्हें गठित करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्युत्तर में राज्य सरकारों ने प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद यथाशीघ्र इन समितियों का गठन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की हे।

विवरण

ऐसे राज्यों का ब्यौरा जहाँ जिला योजना समितियाँ एवं महानगर योजना समितियाँ नहीं हैं

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जिला योजना समिति (डी.पी.सी.)	महानगर योजना समिति (एम.पी.सी.)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	गठित नहीं किया गया	गठित नहीं किया गया है
अरुणाचल प्रदेश	गठित नहीं किया गया	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है, अत: एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
असम	गठित नहीं किया गया	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है, अत: एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

1	2	3
बिहार	गठित नहीं किया गया	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
गोवा	गठित नहीं किया गया	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
गुजरात	गठित नहीं किया गया	गठित नहीं किया गया है।
हरियाणा	रेवाड़ी, पानीपत, करनाल एवं कैथल में डी.पी.सी. गठित है एवं अन्य जिलों में डी.पी.सी. का गठन विचाराधीन है।	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
हिमाचल प्रदेश	गठित नहीं किया गया	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं है, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
जम्मू एवं कश्मीर	संविधान (74वाँ संशोधन) अधिनियम अभी तक राज्य सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।	-
महाराष्ट्र	गठित नहीं किया गया है	गठित नहीं किया गया है।
मणिपुर	गठित नहीं किया गया है	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
मेघालय	गठित नहीं किया गया है	कोई महानगर क्षेत्र नहीं है, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता
मिजोरम	गठित नहीं किया गया है	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
नागालैंड	गठित नहीं किया गया है	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
उड़ीसा	गठित नहीं किया गया है	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
पंजाब	गठित नहीं किया गया है	सूचना प्रतीक्षित है।
सिक्किम	गठित नहीं किया गया है	कोई महानगरीय क्षेत्र नहीं, अतः एम.पी.सी. गठित करने का प्रश्न नहीं उठता है।
तमिलनाडु	डी.पी.सी. गठित	गठित नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश	डी.पी.सी. गठित	गठित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

नगरों का विकास

2489. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार सरकार द्वारा अपने शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु अग्रसारित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूर/रद्द/लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित योजनाओं की तदनुसार स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक योजना के अधीन विकास हेतु किन-किन शहरों की पहचान की गई है और इन पर कितनी राशि खर्च होने की संभावना है; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

1. छोटे एवं मझोले दर्जे के कस्बों का समन्वित विकास:

इस योजना में 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों के विकास की व्यवस्था है।

1997-98 के दौरान राज्य सरकार ने 4 कस्बों की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं जिनके नाम हैं-(1) माधेपुरा, (2) रक्सौल, (3) अररिया; और (4) खगारिया। माधेपुरा और रक्सौल को 10.00 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है।

राज्य सरकार को खर्च न की गई बकाया राशि का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। खर्च न की गई शेष धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र होने तक और धनराशि प्रदान नहीं की जा सकती।

राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए प्रस्तुत की गई कस्बों की प्राथमिकता सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

2. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी):

इस योजना के अंतर्गत 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों में पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

वर्ष 1998-99 के दौरान 496.27 लाख रु. की परियोजना लागत पर 4 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई थीं। इसी अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत 192.75 लाख रु. जारी किए गए थे।

वर्ष 1999-2000 के दौरान 1301.44 लाख रु. की परियोजना लागत पर 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। इसी अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत 319.47 लाख रु. जारी किए गए।

1999-2000 के दौरान 21 योजनाएं धनराशि की कमी के कारण वापस की गई।

3. हडको द्वारा वित्तपोषित शहरी अवस्थापना परियोजनाएं

वर्ष 1997-98 के दौरान 1134.09 लाख रु. की परियोजना लागत पर पटना में एक ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्वीकृत की गई। इसके लिए 400.00 लाख रु. का समूचा ऋण प्रदान कर दिया गया है।

1998-99 के दौरान 2477.64 लाख रु. की परियोजना लागत पर मीठापुर में एक अंतरराज्यीय बस अड्डे को स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 1200.00 लाख रु. ऋण घटक के हैं। अभी तक कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है क्योंकि ऋणदाता एजेंसी भूमि बंधक रखने की अनुमति के बारे में राज्य सरकार से विचार-विमर्श कर रही है।

119.15 लाख रु. के ऋण से सिवान में एक बस टर्मिनल योजना पर कार्रवाई की जा रही है। ऋणदाता एजेंसी से मूल्यांकन मदों के अनुपालन की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण

आई डी एस एम टी के तहत शामिल किए जाने वाले कस्बों की प्राथमिकता सूची: बिहार

क्र.सं.	कस्बे का नाम/श्रेणी		जिला	प्राप्त रिपोर्ट हां/नहीं
1	2		3	4
1.	बाढ़	बी	पटना	हाँ
2.	अररिया	बी	अररिया	हाँ
3.	खगरिया	बी	खगरिया	हाँ

1	2		3	4
4.	नरकटियागंज	बी	प. चंपारण	नहीं
5.	गुमला	ए	गुमला	नहीं
6.	पाकुर	बी	पाकुर	नहीं
7.	मांगो	बी	मांगो	नहीं
8.	औरंगाबाद	बी	औरंगाबाद	हां
9.	भभुआ	बी	भूभा	नहीं
10.	जमुई	बी	जमुई	नहीं
11.	फतुहा	बी	पटना	नहीं
12.	पतरातू	बी	हजारीबाग	नहीं
13.	चक्रधरपुर	बी	चाईबासा	नहीं
14.	बेरमो	बी	गिरीडीह	नहीं
15.	खगौल	ए	पटना	नहीं
16.	जयनगर	बी	मधुबनी	नहीं
17.	झाझा	बी	जमुई	नहीं
18.	खुंटी	बी	रांची	नहीं
19.	सुल्तानगंज	बी	भागलपुर	नहीं
20.	लातेहार	ए	डालटेनगंज	नहीं
21.	जामतारा	ए	दुमका	नहीं
22.	कहलगांव	ए	भागलपुर	नहीं

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्रों को पट्टे पर कोयला खान दिया जाना

2490. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय कोयले की खानों को गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को पट्टे पर दिए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे राज्यवार कितनी आय की प्राप्ति होगी;

(ग) क्या भारत में कोयले की खानों के सर्वेक्षण अध्ययन तथा दोहन हेतु अन्य देशों के खनन विशेषज्ञों को लगाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक,

2000 राज्य सभा में 24.4.2000 को पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य, निम्नलिखित प्रयोजनों से कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के संगत प्रावधानों में संशोधन करना है:

(1) भारतीय कंपनियों को मौजूदा ग्रहीत खपत पर किसी बन्दिश के बिना कोयला खनन की अनुमति देना।

(2) भारतीय कंपनियों को कोयला संसाधनों के अन्वेषण में लगने की अनुमति प्रदान करना।

कोयले के अग्रहीत-खनन तथा कोयला संसाधनों के अन्वेषण हेतु भारतीय कंपनियों में ये तभी शुरू हो सकते हैं, जब कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 को संसद द्वारा पारित कर दिया जाए। अत:, ऐसी निजी भारतीय कंपनियों तथा उनसे होने वाली आय का राज्यवार विवरण, इस समय में देना संभव नहीं है। देश में कोयला संसाधनों के अन्वेषण में अन्य देशों की कंपनियों को अनुमति देने का इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। कोयले के अन्वेषण और कोयला खनन हेतु खनन पट्टों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस, संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

पुराने और प्राचीन शहरों में भीड़भाड़ को कम करना

2491. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुराने शहरों में भीड़भाड़ को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहर कौन-कौन से हैं और नौवीं योजना के दौरान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित धनराशि सहित प्रयोजनार्थ उनमें से पहचान किए गए प्रत्येक शहर के लिए क्या योजना तैयार की गई है;

(ग) भीड़भाड़ को कम करने से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2492. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के दूरदराज क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु धनराशि देने पर सहमत हो गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गुजरात सरकार द्वारा दूर-दराज क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कंपनी

2493. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पुनरुद्धार पैकेज को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कम्पनी के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार योजना ऋणों का साम्या में परिवर्तन: 97.10 करोड़ रुपए।

(2) 31.3.99 तक के भारत सरकार के सभी ऋणों की अदायगी पर 10 वर्षों के लिए स्थगन और ब्याज से छूट देना।

(3) 31.3.99 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के सभी ऋणों पर उद्भूत और बकाया ब्याज जो लगभग 957.81 करोड़ रुपए है, को माफ करना।

(4) 1999-2000 के दौरान 79.33 करोड़ रुपये के गैर-योजना ऋण की अदायगी पर पांच वर्षों के लिए स्थगन एवम् ब्याज से छूट बशर्ते कि पांच वर्षों के अन्त में इसकी समीक्षा की जाए। यह ऋण केवल सांविधिक देयों के भुगतान के लिए है।

(5) 1% गारंटी कमीशन को माफ करते हुए 12 करोड़ रुपये के नकद ऋण के लिए सरकारी गारन्टी तथा 80 करोड़ रुपये की बैंक गारन्टी सुविधाओं को जारी रखना।

(6) ऋणों के ब्याज को माफ करने के कारण हुए भारी लाभ के कारण निगमित कर के भुगतान से छूट।

(7) सरकार तीन वर्षों अर्थात् 1999-2000 से 2001-2002 तक के दौरान प्रति वर्ष 2000 कर्मचारियों को पृथक करने के लिए 318.36 करोड़ रुपए की राशि जुटाने हेतु सरकारी गारन्टी और उस पर पूर्ण ब्याज राज सहायता मुहैया कराएगी। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में प्रथम चरण में 4000 कर्मचारियों को पृथक करने के लिए 209.82 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।

(ग) वित्तीय पुनर्गठन एवं वित्तीय सहायता पैकेज के जरिए एच.एस.सी.एल. के पुनरुद्धार प्रस्ताव को सरकार ने जुलाई, 1999 में अनुमोदित किया है तथा उपर्युक्त (ख) के (1) से (5) में दिए गए उपायों का कार्यान्वयन पूरा कर लिया गया है। तथापि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 209.82 करोड़ रुपये का ऋण जून, 2000 में ही दिया गया है। आशा है कि 2000-2001 में एच.एस.सी.एल. से 4000 कर्मचारियों को पृथक करने तथा पुनरुद्धार योजना द्वारा अन्य मितोपभोग उपायों के कार्यान्वयन से कंपनी की मजदूरी एवं वेतन संबंधी स्थिति में सुधार होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का बजट प्रस्ताव

2494. श्री रामजी मांझी:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के बजट प्रस्तावों में 2600 एक मंजिले भवन के निर्माण हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया था;

(ग) बजट प्रस्तावों को पूरा करने में दिल्ली विकास प्राधिकरण की विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना महरौली और तुगलकाबाद क्षेत्रों को विरासत क्षेत्रों के रूप में विभाजन करने तथा पांच और खेल परिसरों का निर्माण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में क्या प्रगति की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित डीडीए के बजट प्रस्ताव में 2600 एक मंजिले मकान/ईडब्ल्यूएस/जनता मकान वाली ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लक्षित और निर्मित एक कमरे के मकान/ईडब्ल्यूएस/जनता मकानों का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1997-98	848	848
1998-99	656	612
1999-2000	3824	3584

(ग) प्राप्तियों में कमी के कछ महत्वपूर्ण कारण यह है कि नरेला, कोंडली-घरौली में ईएचएस और द्वारका में निर्मित मकानों को आबंटियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि सेवा एजेंसियां अर्थात दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विद्युत बोर्ड पानी और बिजली जैसी आवश्यक सेवाएं मुहैया नहीं करा सके। भुगतान पर में दिल्ली सरकार द्वारा डीडीए को पर्याप्त भूमि न सौंपा जाना, कुछ आवास स्कीमों के खिलाफ न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने में विलम्ब आदि कारण थे, जिनके कारण नए मकानों का निर्माण करने में कमी आई जिससे बजट उपलब्धियों में कमी हुई।

(घ) से (च) जी हां, प्रस्ताव कार्यान्वयन चरण में हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु आवंटित निधियों का दुरुपयोग

2495. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री अधीर चौधरी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु एक निगम बनाने पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में स्वीकार किया है कि गत कुछ वर्षों में राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु आवंटित निधियों को या तो दूसरे प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया गया या फिर उनका बिल्कुल उपयोग ही नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) सरकार इस समय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ कार्यान्वयन संबंधी नीति भी शामिल होगी।

(ग) और (घ) जब कभी सरकार की जानकारी में कोई विशेष मामला लाया जाता है तो उस पर उपचारात्मक उपाय शुरू किये जाते हैं।

[हिन्दी]

विस्थापित कश्मीरी

2496. योगी आदित्यनाथ:
श्री समर चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विस्थापित कश्मीरियों के लिए राहत कैम्प चला रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राहत कैम्प पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर के पल्लनवाला सेक्टर के खूट क्षेत्र की उनकी यात्रा के दौरान वहां के विस्थापितों की ओर से सरकार को कोई मांग पत्र सहित ज्ञापन प्राप्त हुआ था और इस यात्रा के दौरान पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से हताहत व्यक्तियों को राहत उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो पीड़ित विस्थापितों को दी गई वित्तीय और वस्तुपूर्वक राहत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जून, 2000 तक पीड़ित परिवारों की संख्या और उनकी आबादी कितनी है और उन पर कितना खर्च हुआ है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर की सरकार ने उन कश्मीरी प्रवासियों, जो आतंकवादी हिंसा के कारण घाटी छोड़े गए हैं, को ठहराने के लिए जम्मू में 15 राहत शिविर स्थापित किए हैं। घाटी से आए प्रवासियों के कैम्पों में रहन-सहन की दशा सुधारने के लिए भारत सरकार ने 1998-99 के अन्त में 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। 1999-2000 में 1.50 करोड़ रुपये की और अतिरिक्त राशि जारी की गई। इसके अलावा, नकद और अन्य राहतों पर किए गए खर्च की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति की गई। गत तीन वर्षों के दौरान की गई प्रतिपूर्ति के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

1997-98	34.70 करोड़ रुपए
1998-99	38.94 करोड़ रुपए
1999-2000	37.08 करोड़ रुपए
2000-2001	07.18 करोड़ रुपए

कारगिल में भारत-पाकिस्तान युद्ध और कारगिल, लेह, जम्मू और कठुआ में सीमा-पार से शैलिंग/गोलाबारी के कारण बड़ी संख्या में परिवार पलायन कर गए। कारगिल, लेह और जम्मू में सुरक्षित स्थानों में हटाए गए व्यक्तियों (परिवारों) की संख्या क्रमशः लगभग 24,630 (3574 परिवार), 3245 (540 परिवार) और 1,00,000 (20,000 परिवार) थी। इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्कूलों/टैन्टों में ठहराया गया था। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कारगिल और लेह जिलों के सभी विस्थापित व्यक्ति अपने अपने घरों को वापिस चले गए हैं। तथापि, जम्मू क्षेत्र से विस्थापित हुए बहुत से लोग अपने घरों को अभी वापिस नहीं जा सके हैं।

राज्य सरकार ने अगस्त, 1999 से मई, 2000 तक 10 मास के लिए 3.50 करोड़ रुपये प्रति माह की दर से 35 करोड़ रुपए की राशि का एक राहत पैकेज विस्थापित परिवारों के लिए तैयार किया है। इस आवश्यकता के मुकाबले राज्य सरकार को अब तक 29.80 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 1999 में घोषित मूल राहत पैकेज को अगस्त, 1999 में संशोधित करना पड़ा क्योंकि केवल विस्थापित व्यक्तियों के लिए ही राशन और नकद सहायता का प्रावधान, उन सभी को, जो कि उस समय तक गोलाबारी/शैलिंग का सामना कर रहे थे, आकर्षित कर रहा था। संशोधित पैकेज से आगामी प्रवासन में कमी आई और विस्थापित परिवारों को अपने गांवों को वापिस जाने का उत्साह पैदा हुआ। संशोधित राहत पैकेज में केवल कारगिल/लेह क्षेत्र के लोगों के लिए ही प्रति व्यक्ति 200 रुपए की नकद सहायता का प्रावधान था। तथापि, खौर और उसके आस-पास के क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों की मांगों को देखते हुए लोगों के बीच किसी प्रकार की नाराजगी से बचने के लिए जम्मू डिवीजन और कश्मीर घाटी के विस्थापित व्यक्तियों के बीच समानता लाने की दृष्टि से राहत पैकेज को पुनः संशोधित किया गया। राहत पैकेज की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- मुफ्त राशन, प्रति व्यक्ति प्रति माह 9 किलोग्राम खाद्यान्न की दर से।
- मुफ्त मिट्टी का तेल, प्रति परिवार प्रतिमाह 10 लीटर की दर से।
- चारे के लिए नकद सहायता, 150 रुपए प्रति बड़े पशु प्रति-माह की दर से और 30 रुपए प्रति माह प्रति छोटे पशु की दर से।
- मूल-भूत आवश्यकताओं के लिए, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 200 रु.।
- द्रास, कारगिल और बटालिक क्षेत्रों में 16 अत्यधिक असुरक्षित गांवों में लगातार शैलिंग के कारण बाहर रहने को मजबूर परिवारों के लिए 200 रुपए प्रति माह मकान किराया।
- मारे गए व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को 1 लाख रुपए की दर से अनुग्रह पूर्वक राशि।
- आकलित क्षति के 50% की दर से अचल सम्पत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा, लेकिन प्रति मामले में अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए।
- औषधियों की लागत सहित मुफ्त चिकित्सा उपचार।
- पशुधन का मुफ्त चिकित्सा उपचार।

[अनुवाद]

जनगणना

2497. श्री टी.एम. सेल्वागणपति: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001 में होने वाली जनगणना में विकलांगों से संबंधित आंकड़े को शामिल करने का निर्णय अंतिम रूप से कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों से इस बारे में समुचित कदम उठाने के लिए कह दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) विकलांगता संबंधी आंकड़े एकत्रित करने के लिए, भारत की जनगणना, 2001 की परिवार अनुसूची में विकलांगता पर एक प्रश्न शामिल किया गया है। भारत की जनगणना 2001 में परिवार अनुसूची में पूछे जाने वाले प्रश्न जिसमें विकलांगता से संबंधित प्रश्न भी शामिल है, के बारे में दिनांक 19 जुलाई, 2000 को भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2-खण्ड 3-उपखण्ड (2) में राजपत्र अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। राजपत्र अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को उनके अपने-अपने राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए पहले ही भेजी जा चुकी है और जनगणना कराने में उनका सहयोग मांगा गया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के रुग्ण संयंत्र

2498. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु इस्पात संयंत्रों को रुग्ण घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संयंत्रों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नागरिकता पहचान-पत्र

2499. श्री एम. जनार्दन रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हाल के फैसले में कहा है कि नागरिकता के दावे को केवल निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान-पत्र अथवा खाद्य कार्ड (फूड कार्ड) प्राप्त कर लेने से ही वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के सभी वास्तविक निवासियों को नागरिकता पहचान-पत्र जारी करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और सरकार का देश से सभी विदेशी नागरिकों को निर्वासित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) देश में सभी नागरिकों का अनिवार्य पंजीकरण और उन्हें बहुउद्देश्य राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने संबंधी एक प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन रहा है। इस समय इस योजना के संबंध में एक व्यवहार्यता अध्ययन तैयार किया जा रहा है।

(ग) देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाना और उन्हें वापिस भेजना एक सतत प्रक्रिया है।

कोयले की चोरी

2500. श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में हो रही कोयले की चोरी की मात्रा का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान चोरी किये गये कोयले की राज्य-वार मात्रा और मूल्य क्या था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इन कोयला खानों से कोयले की चोरी को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों में सुरक्षा का एक ढांचा मौजूद है जिसमें कंपनी की सुरक्षा के कार्मिक भाड़े के निजी सुरक्षा गार्ड, राज्य की शस्त्र पुलिस/होमगार्ड और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक शामिल किये जाते हैं। जिन्हें अलग-अलग कोयला खानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। इस बुराई को दूर करने के लिए योजनाएँ तैयार करने हेतु को.इं.लि. की सहायक कंपनियों द्वारा जिले के प्राधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं। संवेदनशील स्थानों पर राज्य की पुलिस के साथ मिलकर अचानक जांच/छापे डाले जाते हैं और स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करायी जाती है। उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा बलों के साथ-साथ राज्य की कानून तथा व्यवस्था की एजेन्सियों के साथ मिलकर डाले गए छापों के परिणामस्वरूप कोयले की चोरी के छिट-पुट मामले कोयला कंपनियों की जानकारी में आए हैं।

(ख) को.इं.लि. की सहायक कंपनियों की कोयला खानों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पकड़े गए कोयले की मात्रा तथा मूल्य के आंकड़े राज्य-वार नीचे दिए गए हैं:

राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000	
	प्राप्त की गई मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु. में)	प्राप्त की गई मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु. में)	प्राप्त की गई मात्रा (टन)	लगभग मूल्य (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
प. बंगाल	5988	43.10	12834	103.09	650	6.45
बिहार	5081	38.36	3278	27.60	3261	45.71
उड़ीसा	96	0.51	144	0.84	321	1.66

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	21	0.19	91	1.00	109	0.69
महाराष्ट्र	76	0.73	107	1.33	34	0.36
उत्तर प्रदेश	15	0.06	0	0	0	0
असम	25	0.19	50	0.50	0	0
कुल	11302	83.14	16504	134.36	4375	54.87

(ग) को.इं.लि. की सहायक कंपनियों के कुछ कोयला खनन क्षेत्र घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित हैं जिनमें अनेक नगर और गांव स्थित हैं। कोयले की चोरी पर रोक लगाने में इन कोयला कंपनियों के प्रबंधकों को ऐसे कोयला खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास स्थित नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की अत्यन्त सघन आबादी के कारण समस्याएं पैदा होती है। ऐसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में औद्योगिक कारखाने बन्द हो जाने के कारण कुछ वर्षों से यहां बेरोजगारी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। ये असमाजिक तत्व घोर बेरोजगारी की समस्या का लाभ उठाते हैं और स्थानीय लोगों का कोयले की चोरी करने में इस्तेमाल करते हैं। इस चोरी के कोयले का कुछ हिस्सा स्थानीय आबादी द्वारा घरेलू जरूरतों को पूरा करने में भी किया जाता है इन क्षेत्रों में कोयला एक प्रमुख ईंधन है क्योंकि वहां कोयले के प्राधिकृत दुकानदारों का अभाव है।

(घ) कोयले की चोरी रोकने के लिए को.इं.लि. की सहायक कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(1) गैर-कानूनी कोल डिपुओं और कोयले की गैर-कानूनी निकासी के बारे में गुप्त सूचनाएँ प्राप्त करना और निवारक कार्रवाई करने के लिए जिला प्राधिकारियों को उसकी सूचना देना।

(2) परिवहन कागजात की जांच करने के लिए चोरी के संभावित स्थानों पर चौकियां स्थापित करना।

(3) कोयला इकट्ठा करने वाले क्षेत्र के चारों ओर गुर्जियों का निर्माण और प्रकाश की व्यवस्था करना।

(4) पिट हैड डिपुओं के चारों ओर कांटेदार तार लगाना/दीवार खड़ी करना, स्थायी सुरक्षा कर्मी लगाना जिसमें रात में सशस्त्र गार्डों का लगाना भी शामिल है।

(5) रेलवे वे ब्रिज तक लदे हुए रैकों को सशस्त्र गार्ड पहुंचाना और जिन लम्बे मार्गों पर वैगन लूटने की संभावना है वहां रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिली-जुली निगरानी करना।

(6) अवैध खनन स्थानों को सील करना।

(7) चोरी या उठाईगिरी के काम में लगी परिवहन गाड़ियों को पकड़ने पर सख्त कार्रवाई करना।

(8) कोयले की चोरी, उठाईगिरि करने व औरतों और बच्चों को रोकने के लिए महिला सुरक्षा गार्ड भर्ती करना, सुरक्षा कर्मियों की अपेक्षाओं का पुन: आकलन करके सुरक्षा कार्य को मजबूत करना। सुरक्षा में रुचि लेने वाले अधिकारियों द्वारा चक्कर लगाना, कनिष्ठ, मध्य और वरिष्ठ स्तरों पर योग्य सुरक्षा कर्मियों को लगाना।

(9) सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मौजूदा सुरक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण, सीआईएसएफ कार्मिकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण और नए रंगरूटों को बुनियादी प्रशिक्षण देना।

[हिन्दी]

आपराधिक गतिविधियां

2501. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अंडर वर्ल्ड के अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों में अंडर वर्ल्ड की आपराधिक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने अपराधी गिरफ्तार किये गये/दंडित किये गये/मारे गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में मरूभूमि

2502. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के पर्वतीय और मरूभूमि वाले जिलों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस पर्वतीय और मरूभूमि को कृषि कार्य योग्य बनाने के लिए राज्यों को कितनी धनराशि मुहैया कराई गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अब तक इस राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस धनराशि का अभीष्ट प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जाए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राजस्थान के पर्वतीय और मरूभूमि वाले जिलों के नाम नीचे दिए गए हैं:

पर्वतीय भूमि वाले जिले – अलवर, बांसबाड़ा, बरान, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, झालवाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर तथा टोंक।

मरू भूमि वाले जिल – बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुनझुनु, जोधपुर।

पर्वतीय और मरूभूमि वाले जिले – अजमेर, जयपुर, जालोर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर।

(ख) 11 जिलों नामतः अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डुंगरपुर, झालवाड़, कोटा, बरान, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक और उदयपुर के 32 खंडों को सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत शामिल किया गया है और 16 जिलों नामतः अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुनझुनु, जोधपुर, जयपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर और उदयपुर के 85 खंडों को मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत शामिल किया गया है। गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त दो कार्यक्रमों के तहत शामिल क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य को उपलब्ध कराई गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
1997-98	3463.89	149.00
1998-99	5063.56	173.50
1999-2000	3901.21	385.75
2000-2001	1362.85	90.90

(ग) और (घ) ऊपर दिए गए अनुसार उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त निधियों में से राज्य में अभी तक मरूभूमि विकास कार्यक्रम के तहत 4323.10 लाख रुपये की राशि और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत 131.93 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया है। इन कार्यक्रमों के तहत परियोजनाओं की प्रारंभिक अवस्थाओं में, विशेषकर सामुदायिक संघटन के कार्य में, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर निर्धारित संस्थागत संरचनाओं को स्थापित करने में तथा वाटरशेड विकास के सभी पहलुओं के संबंध में परियोजना कार्यकर्त्ताओं को अनिवार्य प्रशिक्षण देने के संबंध में 1.4.1995 से लागू वाटरशेड विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के कार्यान्वयन की धीमी गति होने के कारण निधियों का कम उपयोग हो पाया है। इसके अलावा राज्य के मरूभूमि विकास कार्यक्रम वाले 10 जिलों में मरूस्थलीकरण को रोकने के लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान आरंभ की गई विशेष परियोजनाओं में उपयुक्त परियोजना क्षेत्रों का चयन करने तथा प्रारंभिक अवस्थाओं में परियोजना कार्यकलापों की सावधानीपूर्वक आयोजना करने में लगे समय के कारण भी निधियों का कम उपयोग हुआ है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है, मार्गदर्शी सिद्धांतों में जिला स्तर पर वाटरशेड विकास सलाहकार समिति और राज्य स्तर पर वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समीक्षा समिति गठित करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी, सचिव (ग्रामीण विकास) के द्वारा संबंधित राज्य सचिवों के साथ आवधिक तौर पर समीक्षा करके रखी जाती है। कार्यक्रमों के प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा भी ऐसी ही समीक्षा की जाती है। कार्यक्रमों से संबंधित केन्द्र सरकार के अधिकारियों और क्षेत्र

अधिकारियों जिन्हें विशेष रूप से उनको आबंटित राज्य (राज्यों) में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी का काम सौंपा गया है, के दौरों से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि निधियों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण गृह निर्माण और पर्यावास मिशन

2503. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी:
श्री राजो सिंह:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण गृह निर्माण एवं पर्यावास मिशन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय गृह निर्माण एवं पर्यावास नीति के तहत लगभग 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कार्य योजना को लागू करने के लिए 1710 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है; और

(च) यदि हां, तो ग्रामीण गृह निर्माण की उक्त कार्य योजना के तहत अब तक राज्य-वार कितनी राशि जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्षेत्र में निरंतर आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल करने और सामुदायिक भागीदारी के जरिए तथा निर्धारित समय सीमा में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को रहने के लायक आवास मुहैया कराने के प्रयोजनार्थ प्रौद्योगिकी, पर्यावास तथा ऊर्जा संबंधी मुद्दों हेतु अभिसारिता मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आवास और पर्यावास मिशन गठित किया है। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद तथा सचिव (ग्रामीण विकास) अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई है।

(ग) और (घ) जी हां, सरकार ने राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति के अंतर्गत प्रति वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकान बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें से 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। ग्रामीण आवास की कार्य योजना चरम-बिन्दु पर है। इसमें इंदिरा आवास योजना, ऋण-सह-सब्सिडी योजना, ग्रांमीण आवास एवं पर्यावास के लिए अभिनव चरण, ग्रामीण निर्मित केन्द्र, समग्र आवास योजना, हुडको को इक्विटी सहायता इत्यादि जैसे घटक शामिल हैं।

(ङ) और (च) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, ग्रामीण आवास के लिए योजना बजट आबंटन 1710 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक रिलीज की गई राज्यवार धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्यवार रिलीज की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कुल रिलीज
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5518.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	271.75
3.	असम	8177.40
4.	बिहार	16132.58
5.	गोवा	27.20
6.	गुजरात	3243.00
7.	हरियाणा	585.50
8.	हिमाचल प्रदेश	257.50
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00
10.	कर्नाटक	2906.02
11.	केरल	1731.55
12.	मध्य प्रदेश	4591.50
13.	महाराष्ट्र	5248.45
14.	मणिपुर	79.07
15.	मेघालय	398.65
16.	मिजोरम	138.21
17.	नागालैंड	371.66

1	2	3
18.	उड़ीसा	14427.11
19.	पंजाब	363.80
20.	राजस्थान	1767.35
21.	सिक्किम	99.64
22.	तमिलनाडु	2923.00
23.	त्रिपुरा	840.62
24.	उत्तर प्रदेश	10371.06
25.	पश्चिम बंगाल	4281.58
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.00
27.	दा. व न. हवेली	0.00
28.	दमन व दीव	0.00
29.	लक्षद्वीप	0.00
30.	पांडिचेरी	0.00
	कुल	84752.20

[हिन्दी]

प्रधानाचार्यों का स्थानांतरण

2504. **श्री बली राम कश्यप: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में कोई निर्धारित मानदंड हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) नवोदय विद्यालय के स्टाफ सदस्यों के स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें ऐसे स्थानांतरणों के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। तथापि, प्रधानाचार्यों के मामले में, स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के आधार पर किये जाते हैं।

कानून और व्यवस्था

2505. **श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बिहार में नरसंहार रोकने हेतु कोई आपात योजना है;

(ख) क्या बिहार की राज्य सरकार केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये अर्द्ध-सैनिक बलों की नियुक्ति संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों को आंतरिक गड़बड़ी से बचाने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कानून व्यवस्था के विषय को राज्य सूची से हटा कर समवर्ती सूची में डालने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। अतः बिहार में जनसंहार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय करने और ठोस कदम उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, बिहार सहित कुछ राज्यों में वामपंथी उग्रवाद ने कुल मिलाकर जो स्वरूप अख्तियार कर लिया है उसे ध्यान में रखते हुए यह केन्द्र सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय बन गया है। अतः केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इन राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा तथा समन्वय करने तथा प्रत्येक राज्य के बारे में कार्रवाई योजना की मानिटरिंग करने तथा विकास और समस्या के सुरक्षा पहलू, दोनों पर सिफारिशें करने हेतु केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र का गठन किया है तथा गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इस केन्द्र के सदस्य बनाए गए हैं। समन्वय केन्द्र की अवधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। जैसे कि वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता प्रदान करना, पहचान की गई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण/सुधार करना समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, नियमित रूप से आसूचना का आदान-प्रदान करना, आवश्यकता के आधार पर अर्ध-सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध कराना आदि इन निर्णयों पर प्रभावी रूप से अनुवर्ती कार्रवाई भी की गई है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा

रही है और वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए व्यय की 50% राशि, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना के अंतर्गत, राज्यों को अदा की जा रही है।

(ख) इस समय, राज्य में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की 30 कम्पनियां मौजूद हैं, जिनमें से 25 कम्पनियां संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से, उग्रवाद से प्रभावित जिलों में तैनात हैं।

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत, यह केन्द्र की ड्यूटी है कि वह प्रत्येक राज्य को न केवल बाहरी आक्रमण से अपितु आन्तरिक गड़बड़ियों से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलायी जाये। इन ड्यूटियों के निष्पादन में, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बातचीत करती हैं और सभी राज्यों में व्याप्त स्थिति की जानकारी रखती है और संविधान के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्रवाई करती है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

'कांटिनेन्टल शेल्फ' की खोज

2506. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''कांटिनेन्टल शेल्फ'' की खोज हेतु किन-किन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने समझौता किया है अथवा उनका समझौता करने का विचार है;

(ख) क्या इनमें से किसी कम्पनी को समझौते के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए काली सूची में रखा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी कम्पनियों के साथ समझौता करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र में विशेषता रखने वाली भारतीय कम्पनियों को यह कार्य सौंपने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) महाद्वीपीय शेल्फ के अन्वेषण हेतु विभाग या इसके अधीनस्थ निकायों द्वारा किसी भी कंपनी के साथ अनुबंध को न तो अंतिम रूप दिया गया है अथवा न ही किसी को सौंपा गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कंप्यूटरों में भारतीय भाषाओं के लिए परियोजना

2507. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने देश में कंप्यूटरों के इस्तेमाल के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग शुरू करने हेतु कुछ परियोजनाओं का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य में प्रावधान कर दिये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अनधिकृत कालोनियों को वैध बनाना

2508. श्री रामचन्द्र वीरप्पा:
श्री रामप्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:
श्री अजय सिंह चौटाला:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में अनधिकृत कालोनियों को वैध बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन कालोनियों को वैध बनाने की संभावना है;

(ग) भूमि की कीमत और जुर्माने की वसूली हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) तत्संबंधी प्रक्रिया कब तक शुरू किये जाने और इस संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) मई, 1993 के प्रारम्भ में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 31 मार्च, 1993 से पूर्व बसी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की। इसके तुरंत बाद इस प्रस्ताव/सिफारिश के खिलाफ कॉमन कॉज द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में इन कालोनियों को नियमित करने के लिए सरकार की कार्रवाई अथवा निर्णय पर स्थगन (स्टे) लगा दिया।

न्यायालय के निर्देशों पर अनधिकृत कालोनियों के समूचे मुद्दों पर विचार के लिए सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार समिति गठित की गई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय ने कालोनियों को नियमित करने तथा इस प्रकार की नियमितीकरण के लिए निबंधनों एवं शर्तों के बारे में सरकार को अपने अभिमत प्रस्तुत करने के लिए कहा। दिल्ली सरकार सहित सभी स्थानीय प्राधिकरणों से परामर्श के पश्चात् एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया गया। यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया और दिल्ली सरकार ने अक्टूबर, 1999 में ड्राफ्ट प्रस्ताव पर अपनी सहमति सूचित की। उसके बाद भारत सरकार ने अपने अभिमत तैयार किए और इन अभिमतों को एक हलफनामे के जरिए उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इन अभिमतों पर विचार करने और मामले पर आगे की कार्यवाही करने के बाद उच्च न्यायालय समुचित निर्णय लेगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों/आदेशों के अनुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

2509. श्री विक्रम केशरी देव:
श्री ए. ब्रह्मैया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण सफाई कार्यक्रम को पुनर्गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के तहत राज्य-वार कितने प्रतिशत कवरेज हुई;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यक्रम के संबंध में कोई आवधिक अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों और 1999-2000 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(च) अतिरिक्त धनराशि का विविधीकरण करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 1999-2000 के दौरान ग्रामीण सफाई संबंधी कार्य हेतु राज्यों द्वारा अब तक खर्च न की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां, 1.4.99 से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुनर्गठित कर दिया गया है।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों को दर्शाने वाले ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(च) और (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

गत तीन वर्ष तथा 1999-2000 के दौरान राज्यवार जारी की गई निधियों के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	590.01	1021.32	1148.93	1074.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.00	0.00	0.00	40.48

1	2	3	4	5	6
3.	असम	11.18	0.00	0.00	133.22
4.	बिहार	16.39	0.00	0.00	729.75
5.	गोआ	2.50	3.75	0.00	0.00
6.	गुजरात	175.00	215.00	200.00	484.10
7.	हरियाणा	56.00	52.42	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	27.00	50.54	70.77	42.13
9.	जम्मू व कश्मीर	37.50	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	584.45	1014.55	498.67	997.19
11.	केरल	379.15	531.47	731.37	253.03
12.	मध्य प्रदेश	357.00	506.86	525.48	438.11
13.	महाराष्ट्र	808.99	1285.38	575.28	1838.02
14.	मणिपुर	16.00	15.00	45.50	8.96
15.	मेघालय	8.50	15.91	35.00	1.90
16.	मिजोरम	5.00	4.68	21.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	771.04
18.	उड़ीसा	127.60	405.54	315.82	0.00
19.	पंजाब	28.50	0.00	53.35	556.80
20.	राजस्थान	166.93	193.76	193.76	25.43
21.	सिक्किम	5.00	23.13	28.00	1052.49
22.	तमिलनाडु	297.92	925.93	496.39	0.00
23.	त्रिपुरा	26.00	48.67	24.00	737.77
24.	उत्तर प्रदेश	1097.40	2641.99	1116.49	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	200.00	304.21	304.21	0.00
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	2.50	0.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दा. व न. हवेली	2.50	0.00	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	3.50	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	5.00	2.50	3.50	0.00
32.	पांडिचेरी	5.00	2.50	3.50	2.50
	कुल	5043.02	9265.11	6394.52	9187.84

[हिन्दी]

रामनाथन समिति

2510. मोहम्मद अनवारुल हक: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रामनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के विशेषकर बिहार के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह धनराशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुंदर लाल पटवा): (क) रामनाथन समिति को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) देश में ग्रामीण सड़क सम्पर्क की सुविधा प्रदान करने के लिए इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सड़कों से न जुड़े हुए गांवों, जिनमें विशेष समस्या वाले गांव भी शामिल हैं, को सड़कों से जोड़ने के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

स्टील सेक्टर का पुनरुद्धार

2511. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री जगन्नाथ मलिक:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के नियंत्रण वाले इस्पात संयंत्र भारी घाटा उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समेकित इस्पात निर्माताओं ने समर्पित इस्पात पुनरुद्धार कोष की स्थापना के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में इस्पात क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के पुनरुद्धार के लिए की गई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) 1999-2000 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों को हुई हानि नीचे दी गई है:

क्र.सं.	स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. (सेल) के अधीन इस्पात संयंत्र	हानि की राशि (करोड़ रुपए)
1.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	651
2.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	704
3.	मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर	260
4.	सेलम इस्पात संयंत्र	142
5.	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लि.	91
6.	इंडियन आयरन और स्टील कं. लि. (सेल की सहायक कंपनी)	210
सेल के अलावा		
7.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र)	568

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सेल की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और इसे लाभप्रद बनाने के लिए सरकार ने सेल की कारोबार और वित्तीय पुनर्संरचना हेतु एक योजना अनुमोदित की है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के संबंध में विनिवेश आयोग ने 31.3.1999 तक कंपनी की संचित हानि को बट्टे खाते डालने तथा 51% से अनधिक साम्या के विनिवेश की सिफारिश की है।

निजी क्षेत्र में इस्पात उद्योग के संबंध में, सरकार ने इस उद्योग में अप्रतिबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) की अनुमति दी है। इस उद्योग की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। पिछले वर्ष आयोजित इस्पात विषयक गोल मेज सम्मेलन'' में इस्पात क्षेत्र की कार्यप्रणाली में सुधार करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं:

(1) उत्पाद और सीमा शुल्क को युक्तिसंगत करना।

(2) निर्यात उपायों को सरल और कारगर बनाना।

(3) आदानों की लागत वृद्धि को नियंत्रित करना।

(4) वित्तीय संस्थाओं की अनुमति प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना।

(5) अवसंरचना और गैर-परंपरागत क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए कदम उठाना।

[हिन्दी]

नर्मदा जल योजना

2512. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर, मध्य प्रदेश में नर्मदा जल की तृतीय-चरण योजना अनुमोदन हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लागत क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या लागत में बढ़ोतरी के आकलन को भी उक्त लागत में शामिल किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो योजना को कब तक अनुमोदित किया जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) मध्य प्रदेश सरकार के पी एच ई विभाग ने बताया है कि 24.00 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से 21 एम जी डी सप्लाई के लिए दो भागों में तैयार की गई जबलपुर जल आपूर्ति परियोजना भारत सरकार द्वारा तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित की गई थी। इस अनुमोदन के क्रमशः 6.15 करोड़ रु. और 6.32 करोड़ रु. की लागत के साथ अलग-अलग चरण-1 और चरण-2 तैयार किए गए थे तथा ये दोनों चरण समाप्त हो चुके हैं और शहर को नियमित रूप से 9 एम जी डी पानी सप्लाई किया जा रहा है। तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित परियोजना में प्रस्तावित अतिरिक्त 12 एम जी डी पानी की सप्लाई के लिए वर्ष 1990 में 32.86 करोड़ रु. की लागत से चरण-3 तैयार किया गया था। चरण-3 को दो भागों में बांटा गया था। 18.05 करोड़ रु. की लागत वाले भाग (1) को मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 22.9.93 के पत्र सं. एफ-8/150/34-2/90 द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन दिया था। मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग ने बताया है कि भाग (1) चरण-3 के अंतर्गत स्वीकृत 60% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अब तक 21.37 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के पी एच ई विभाग ने बताया है कि चरण-3 के भाग (1) की लागत में होने वाली वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए 33.80 करोड़ रु. संशोधित अनुमान तैयार किया गया है जिसे मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। संशोधित अनुमान में लागत वृद्धि को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार के पी एच ई विभाग ने यह भी बताया है कि चरण-3 के भाग (1) का संशोधित अनुमान अनुमोदन के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि परियोजना, जैसा कि पहले बताया गया है, समग्र रूप में तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित की जा चुकी है।

सीसीएल द्वारा कोयले का उत्पादन

2513. श्री नागमणि: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा कोयला उत्पादन के लिए खान-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस समय सीसीएल की सभी खानों में कोयले का खान-वार कितना भंडार होने का अनुमान है; और

(ग) निर्धारित किये गये लक्ष्य की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने टन कोयले का उत्पादन हुआ है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) चालू वर्ष में जुलाई, 2000 तक कोयला उत्पादन का लक्ष्य, वास्तविक (अनंतिम) और वर्तमान में खान-वार कोयले

के भंडारों का विवरण, निम्नलिखित है:

(टन्स/कम)

क्र. सं.	स्थान का नाम	2000-01 का वार्षिक लक्ष्य	जुलाई, 2000 तक प्रक्षिप्त लक्ष्य	जुलाई, 2000 वास्तविक अनंतिम	भूवैज्ञानिक भंडार (एम.टी.)
1	2	3	4	5	6
1.	भुरकुंडा	530000	163000	100999	367
2.	लेपेंडा	0	0	0	—
3.	सुंदा डी भूग.	230000	75000	59810	266
4.	सुंदा डी ओका.	350000	100000	43467	—
5.	सी सुंदा	80000	26000	24552	62
6.	सुदा	50000	16000	17431	13
7.	ए. करनपुरा	0	0	0	—
8.	के. करनपुरा	0	0	0	—
9.	सोयल डी	280000	91000	84245	75
10.	उरीमीरी	1080000	310000	295409	195
11.	नार्थ उरीमीरी	200000	58000	38132	—
12.	हिंजर	[illegible]	24000	14126	65
13.	गीडी ए	70000	[illegible]	23380	289
14.	गीडी सी	110000	32000	[illegible]	180
15.	रीलीगारा	100000	29000	11500	
16.	सीरका	300000	88000	56285	100
17.	अरगा	530000	156000	139764	91
18.	मंकी डा	40000	12000	16240	87
19.	डी-चुरी	250000	80000	64407	51
20.	के बुकबुका	500000	144000	32607	85
21.	[illegible]डी.	4500000	1296000	1126998	148
22.	करकट्टा	550000	158000	22000	85
23.	गेहीणी	600000	173000	116463	86
	तुतर	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
24.	राजहारा	50000	15000	40944	1
25.	तेतरियाखर	70000	20000	19722	—
26.	रे बछरा	280000	91000	74658	54
27.	पीपरवार	6500000	1872000	2209531	243
28.	अशोक	1500000	433000	866160	506
29.	राजरप्पा	2800000	806000	466837	189
30.	सारूबीरा	220000	69000	46594	32
31.	आरा	120000	34000	11525	211
32.	कुजू	120000	40000	27339	281
33.	टोपा	360000	107000	63324	130
34.	पींडरा	140000	44000	27629	78
35.	पुंडी	250000	72000	13739	446
36.	कर्मा	150000	42000	23485	38
37.	पारेज इस्ट	1750000	503000	322585	152
38.	कोडला भू/ग	100000	32000	49739	292
39.	केडला ओ/क	450000	130000	87700	—
40.	तपीन नार्थ	150000	42000	51197	131
41.	तपीन साउथ	220000	66000	41182	77
42.	झारखंड	400000	115000	42535	152
43.	लेओ	100000	32000	32925	107
44.	बोकारो ओका	700000	202000	76230	18.6
45.	कारगली ओका	400000	116000	17834	421
46.	कारगली भूग	65000	21000	15468	12
47.	कारो ओका	800000	231000	289827	184
48.	कारो भूग	60000	20000	15143	—
49.	के. महल ओका	600000	172000	88045	33
50.	के महल भूग	40000	13000	3700	13.5
51.	केएसपी भूग	60000	20000	16287	5

1	2	3	4	5	6
52.	गिरीडीह	220000	63000	49680	23
53.	आलो	800000	231000	173683	70
54.	धोरी	300000	87000	36030	50
55.	एस. धोरी (मैक.)	1100000	317000	309105	13.5
56.	एन.एस. धोरी (भूग)	110000	36000	19793	3
57.	एसडीजी सं. 3 (मैन)	950000	275000	323762	53
58.	धोरी खास	170000	52000	53050	200
59.	कथारा	500000	143000	66711	75
60.	जारनडीह	460000	139000	147764	124
61.	स्वांग	225000	69000	88302	35.8
62.	गोविंदपुर	360000	108000	53653	34.5
	कुल: सीसीएल	34000000	9911000	8661702	6783.9

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के लिए स्वच्छता कार्यक्रम

2514. **श्री खेलसाय सिंह:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999-2000 के दौरान संशोधित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को किस सीमा तक हासिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत इन परिवारों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्यों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पांच और अनुदान देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान, पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, क्योंकि यह चरणबद्ध तरीके से निधियों के राज्यवार सिद्धांत से मांग आधारित प्रणाली में बदल जाता है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई राज्यवार निधियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ङ) और (च) जी हां, चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2000-2001 के लिए केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के बजट आबंटन को बढ़ाकर गत वित्तीय वर्ष अर्थात् 1999-2000 के 110 करोड़ रुपये की तुलना में 140 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के ''आबंटन आधारित'' घटक के अंतर्गत किया गया राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है। चूंकि केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का कुल स्वच्छता अभियान मांग आधारित है, इसलिए कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण I

1999-2000 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों के बारे में (केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कुल स्वच्छता अभियान तथा आवंटन आधारित दोनों कार्यक्रम के अंतर्गत

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1074.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.48
3.	असम	133.22
4.	बिहार	729.75
5.	गोआ	0.00
6.	गुजरात	484.10
7.	हरियाणा	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	42.13
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00
10.	कर्नाटक	997.19
11.	केरल	253.03
12.	मध्य प्रदेश	438.11
13.	महाराष्ट्र	1838.02
14.	मणिपुर	8.96
15.	मेघालय	0.00
16.	मिजोरम	1.90
17.	नागालैंड	0.00
18.	उड़ीसा	771.04
19.	पंजाब	0.00
20.	राजस्थान	556.80
21.	सिक्किम	25.43
22.	तमिलनाडु	1052.49
23.	त्रिपुरा	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	737.77
25.	पश्चिम बंगाल	0.00
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.00
27.	चण्डीगढ़	0.00
28.	दा. व न. हवेली	0.00
29.	दमन व दीव	0.00
30.	दिल्ली	0.00
31.	लक्षद्वीप	0.00
32.	पांडिचेरी	2.50
	कुल	9187.84

विवरण II

वर्ष 2000-2001 के दौरान आवंटन आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया आवंटन

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	203.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.50
3.	असम	303.95
4.	बिहार	565.60
5.	गोआ	2.81
6.	गुजरात	126.79
7.	हरियाणा	63.87
8.	हिमाचल प्रदेश	25.17
9.	जम्मू व कश्मीर	31.34
10.	कर्नाटक	164.51
11.	केरल	106.41

1	2	3
12.	मध्य प्रदेश	312.54
13.	महाराष्ट्र	287.11
14.	मणिपुर	20.31
15.	मेघालय	22.04
16.	मिजोरम	5.67
17.	नागालैंड	15.27
18.	उड़ीसा	188.31
19.	पंजाब	55.36
20.	राजस्थान	170.61
21.	सिक्किम	5.64
22.	तमिलनाडु	202.33
23.	त्रिपुरा	35.63
24.	उत्तर प्रदेश	699.94
25.	पश्चिम बंगाल	304.12
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	4.88
27.	चण्डीगढ़	3.88
28.	दा. व न. हवेली	0.77
29.	दमन व दीव	2.31
30.	दिल्ली	0.48
31.	लक्षद्वीप	2.68
32.	पांडिचेरी	3945.00
	कुल	

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर सीमा पर गोलीबारी

2515. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने गत एक वर्ष के दौरान कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बार गोलीबारी की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई जान/माल की हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हाँ, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर में सीमा के साथ-साथ पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी रोजमर्रा की बात है। पाकिस्तानी टुकड़ियां, जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ाने के उद्देश्य से घुसपैठ को सुकर बनाने की दृष्टि से गोलीबारी करते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी गतिविधियों का निरंतर प्रबोधन किया जाता है और भारत विरोधी तत्वों की तरफ से किए जाने वाले किसी भी दु:साहस के प्रयास को विफल करने हेतु समुचित रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

[हिन्दी]

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी की प्रगति परिषद

2516. **श्री बलिराम:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ''कापार्ट' द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, स्थान-वार 'कापार्ट' द्वारा किन-किन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन एजेंसियों में से प्रत्येक को कितनी धनराशि आबंटित की गई और इनके द्वारा उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या इन एजेंसियों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

खानाबदोश जनजातियां

2517. श्री चिंतामन वनगा:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब भी खानाबदोशी जीवन जीने वाली राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कौन-सी जनजातियां हैं और इनकी आबादी व सामाजिक स्थिति क्या है;

(ख) इनके जीवन-स्तर में सुधार लाने हेतु क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संदर्भ में राज्यवार और योजना-वार कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) देश में सभी खानाबदोश जनजातियों के नाम और कुल जनसंख्या इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में बिरहोर तथा उड़ीसा की मानकिरदिया उन राज्यों में खानाबदोश अनुसूचित जनजातियां हैं। इन अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या इस प्रकार हैं:

	बिरहोर	मानकिरदिया
बिहार	4377	–
मध्य प्रदेश	561	–
उड़ीसा	142	133
कुल	5080	133

(ख) और (ग) यद्यपि, खानाबदोश जनजातियों के लिए अनन्य रूप से कोई योजना नहीं है, इन समूहों को आदिवासी उप योजना कार्यनीति के अंतर्गत उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत राज्य सरकार के सामान्य कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्ष 1998-99 से आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है। उपर्युक्त दो खानाबदोश अनुसूचित जनजातियां अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इस नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

[हिन्दी]

जलगत सांस्कृतिक विरासत

2518. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को विशालतम जलगत सांस्कृतिक विरासत का स्वामी होने का सम्मान प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए समुद्री पुरातत्व संबंधी कार्यकलाप का ब्यौरा क्या है और इनके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की जलगत अनुसंधान कार्यकलाप की गति धीमी पड़ गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) अपनी लम्बी समुद्री तट रेखा और समुद्रवर्ती इतिहास के कारण भारत की भूमिगत जल की सांस्कृतिक परम्परा काफी समृद्ध है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएसआईआर के राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एनआईओ) में द्वारिका, बेट द्वारिका, सोमनाथ और गोवा के जल में समुद्र पुरातत्वीय अन्वेषण किए हैं। मुख्य निष्कर्ष निम्नांकित से संबंधित हैं:

द्वारिका में:

पत्थर के बिखरे हुए शिलाखण्डों, टूटी हुई दीवारों, त्रिकोणीय तथा प्रिज्मी पत्थर के लंगरों के अनेक ढांचे पाए गए। लंगरगाह के निकट तटीय रेखा के समानांतर चलती हुए एक पर्वत श्रेणी भी देखी गई तथा गोमती नदी जलमार्ग की अवस्थिति (लोकेशन) दर्शाती है कि द्वारिका सक्रिय बंदरगाह रही होगी।

बेट द्वारिका में:

हड़प्पाई काल की अंतिम अवधि के भित्ती चित्रों वाले ठीकरे, पत्थर के लंगर, कैनन तथा लोह के लंगर पाए गए।

सोमनाथ में:

6 मी. से 10 मी. गहरे पानी में एकल छेदीय पत्थर की वस्तुएं, तिकोणे पत्थर के लंगर तथा रॉककट चैनल पाए गए।

एमी शोआल में:

पोत-ध्वंस से खोद कर निकाले गए कैनन, कैनन बॉल, ठीकरे, ग्रेनाइट के टुकड़े, पतवार और लोहे के लंगर जैसे पुरावशेष प्राप्त हुए।

सेंट जॉर्ज रीफ में:

पोत-ध्वंस में से घर की सजावट का सामान, टेराकोटा से बनी फर्श की टाइलें पाई गईं।

(ग) जी नहीं। कार्य वांछित और योजनाबद्ध गति से चल रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-कानूनी पार्किंग

2519. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री गैर-कानूनी पार्किंग के बारे में 30.11.99 के अतारांकित प्रश्न संख्या 299 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नेहरू प्लेस में अवैध पार्किंग चला रहे ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है/नियमित निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी विकसित स्थलों पर पार्किंग ठेके आधार पर चल रही है सिवाए एक पार्किंग स्थल के जहाँ पार्किंग विभागीय रूप से चल रही है और वह मल्टी-टियर पार्किंग कम्प्लेक्स के लिए नियत है। दिल्ली नगर निगम ने नेहरू प्लेस में उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले पार्किंग स्थल के आबंटन के लिए कोडल औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि क्षेत्र का कूड़ा कचरा रोजाना हटाया जाता है और क्षेत्र की सफाई स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है। नेहरू प्लेस में झुग्गी समूहों को निर्धारित न्यूनतम नागरिक सुविधाएं जैसे शौचालय परिसर, ईंटों का फर्श और नालियाँ मुहैया कराई गई हैं। झुग्गीवासियों के लिए 220 डब्ल्यू सी सीटों वाले चार सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। पार्क रायल होटल से डेसू कार्यालय बिल्डिंग तक आर्टिरियल रोड पर परत बिछाई गई है। रोड के अन्य भागों की आवश्यकता अनुसार रोजमर्रा आधार पर मरम्मत की जाती है। बेकार का मलवा भी हटाया जाता है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड विभाग ने कुछ रास्तों को खोदा है। इनकी मरम्मत के लिए दो कार्य दिए गए हैं जिन पर कार्य चल रहा है।

रोड से खुले अहाते को जाने वाली टूटी सीड़ियों की मरम्मत नियमित अन्तराल से की जाती है। नेहरू प्लेस परिसर के विन्यास नक्शे में सार्वजनिक शौचालयों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनधिकृत आबादकारों को हटाया गया है। तहबाजारी के लिए अपात्र व्यक्तियों जिन्होंने श्री गाइंदा राम बनाम एम सी डी के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की थी वे फिलहाल बसे हुए हैं। जब कभी नोटिस में आता है दिल्ली विद्युत बोर्ड द्वारा खराब सड़क लाइटों/फिटिंग्स को बदला/उनकी मरम्मत की जाती है। भारी मात्रा में पानी के कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा मुहैया कराए गए हैं और आगे आन्तरिक वितरण भवनों के मालिकों/काबिजों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या

2520. श्री राजो सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त राज्य में सुरक्षा परिदृश्य के संदर्भ में सरकार की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या की पुनरीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और किसी समय विशेष पर बलों की वास्तविक तैनाती, बलों की उपलब्धता और व्याप्त समग्र सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करती है। इन दबावों को ध्यान में रखते

हुए, आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर की सरकार की सहायतार्थ केन्द्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ग) कार्य-योजना 1998 में निम्नलिखित पर जोर दिया गया है:

(1) घुसपैठ पर नियंत्रण;

(2) भीतरी प्रदेश में उग्रवाद का मुकाबला;

(3) अल्पसंख्यकों को संरक्षण;

(4) सीमा पर रहने वाले लोगों में पराएपन की भावना से निपटना;

(5) आसूचना क्षमताओं को बढ़ाना;

(6) अलगाववाद समर्थक आधार को समाप्त करना;

(7) एकीकृत मुख्यालय और फील्ड स्तर पर आपरेशन और आसूचना ग्रुपों के ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण; और

(8) सुरक्षा बलों के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण।

जाली डिग्रियां

2521. श्री राधा मोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में नियुक्त अनेक अध्यापकों के पास ऐसी शिक्षण संस्थाओं की बी.एड. या समकक्ष डिग्री हैं जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जाली विश्वविद्यालय घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

राजभाषा नीति

2522. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित समय-समय पर जारी किये गये अधिनियमों/नियमों/आदेशों को संकलित कर उन्हें केवल फरवरी, 1996 तक मैन्युअल (नियमावली) के रूप में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मैन्युअल (नियमावली) के संकलन तथा प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) हर वर्ष नियमित रूप से राजभाषा नीति संबंधी अधिनियमों/नियमों की अद्यतन मैन्युअल (नियमावली) प्रकाशित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा मई, 2000 तक जारी आदेशों के संकलन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तत्पश्चात इसके मुद्रण की कार्रवाई आरम्भ की जाएगी। ऐसे मैनुअलों का प्रतिवर्ष प्रकाशन व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य

2523. प्रो. रासासिंह रावत: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; तथा इसके लिए आवंटित निधियों का शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) जन साधारण में मुद्रित, दृश्य तथा अन्य मल्टी-मीडिया स्वरूपों के द्वारा प्रचार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विभिन्न वैज्ञानिक एजेंसियों तथा संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में भारतीय भाषाओं में कई प्रकाशन निकालते हैं।

विवरण

(क) *परमाणु ऊर्जा:* नौवीं योजना के दौरान अनुसंधान विकास के क्षेत्र में जिन कार्यों पर अधिक बल दिया जाएगा उनमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निरुपण कर उनका विकास करना; थोरियम के समुपयोजन को बढ़ाना; थोरेयम पर आधारित उन्नत गुरु जल रिएक्टर की इंजीनियरी का विकास तथा ईंधन चक्रण के क्षेत्रों में समतुल्य विकास कार्य करना; त्वरित-आधारित प्रणालियां एवं संगलन ऊर्जा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकिरण के अनुप्रयोगों पर प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि एवं खाद्य, विशेषतौर पर भोजन के प्रसंस्करण, अलवणीकरण तथा आइसोटोप जल-विज्ञान; विशेष सामग्रियों, लेजरों, अणु त्वरियों, कम्प्यूटरों, रोबोटिकों, क्रायोजनिकों तथा विशेष पंजीकरण कार्यों के क्षेत्रों में कार्यनीतिपूर्ण प्रौद्योगिकियां, सुरक्षा तथा पर्यावरणीय संरक्षण; और प्रौद्योगिकी का उद्योगों की तरफ घुमाव शामिल हैं।

अन्तरिक्ष: हालांकि अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए वही मूल विजन जारी रहेगा जैसा कि इसके उद्भव के समय निरूपित किया था परन्तु इसे आगामी वर्षों के गत्यात्मक एवं जटिल परिदृश्यों के अनुसार प्रभावकारी ढंग से जवाबदेह रहने के लिए अनुकूल बनाया जाएगा और देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वःवलम्बी तरीके से अतिरिक्त एवं नई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्नत अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकियां विकसित करने व उन्हें काम में लाने की दिशा में अबाधित प्रयास किये जायेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी: नौवीं योजना के दौरान डी.एस.टी. का रूझान देश में एक सशक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी का आधार तैयार करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करने और अपने स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थानों की मूलभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने की ओर रहेगा।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान: डी एस आई आर द्वारा तीन योजनाओं नामत: उद्योग द्वारा अनुसंधान एवं विकास (आर डी आई), प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता पर लक्षित कार्यक्रम (पी ए टी एस ई आर) तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए योजना (एस ई ई टी ओ टी) के तहत् प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन विकास तथा उपयोग (टी पी डी यू) के क्षेत्रों में शुरू किए गए प्रयास जारी रखे जाएंगे। उन कार्यक्रमों, जिन पर विचार किये जाने का प्रस्ताव है में विदेश से प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने तथा इनके निर्यात से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में कम्पनियों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षा और निर्यात प्रोन्नयन प्रणाली के विकास के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई पी आर) की जागरूकता का सृजन शामिल है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन सहायता तथा नई सहस्राब्दी में भारतीय प्रौद्योगिकी के नेतृत्व हेतु प्रयास करने का भी लक्ष्य है।

जैव प्रौद्योगिकी: चूंकि जैव प्रौद्योगिकी भविष्य में एक अग्रणी प्रौद्योगिकी बन जाएगी लोगों की आधारभूत न्यूनतम जरूरतें जिनमें खाद्य, आर्थिक, पारिस्थितिक तथा आजीविका की सुरक्षा शामिल है, को पूरा करने के लिए, नौवीं योजना कार्यक्रम का एक उद्देश्य, राष्ट्रीय विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी की संपूर्ण क्षमता को कार्य रूप में परिणत करना होगा।

महासागर विकास: महासागर का महत्व एवं उपयोग विख्यात है तथा महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर विकास, पर्यावरण एवं विकास की ओर एकीकृत के साथ मानव समाज के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए सतत आधार पर, महासागर के विस्तृत संसाधनों को खोजने तथा उनके शोषण करने की ओर केन्द्रित है।

संबंधित सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक को एकीकृत करने के लिए आठवीं योजना में किए गए प्रयासों को नौवीं योजना के दौरान अधिक प्रबलता से जारी रखा जाएगा।

निधियों का शीर्ष वार आबंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/एजेन्सियां	9वीं योजना में परिव्यय
1.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1497.35
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग	1500.00
3.	महासागर विकास विभाग	510.62
4.	अन्तरिक्ष विभाग	6511.72
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	675.00
6.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (सी एस आई आर सहित)	1327.48
	कुल (एस एंड टी)	12022.17

[अनुवाद]

पनधारा विकास

2524. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पनधारा विकास के लिए पृथक प्रकोष्ठ है;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में गैर-सरकारी संगठनों के साथ अपना विशेष ज्ञान बांटने हेतु पनधारा विकास विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठन पूरे देश में पनधारा की उपयोगिता बताने के लिए विशेषज्ञों की सेवाओं का किस तरह उपयोग करेंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) वाटरशेड विकास से संबधित मामलों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संबंधित कार्यक्रम प्रभागों द्वारा कार्यवाही की जाती है। वाटरशेड विकास में विशेषज्ञों को उनकी विशेषज्ञता और अनुभव से लाभ उठाने के लिए देश में कहीं भी वाटरशेड विकास के संबंध में आयोजित कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। गैर-सरकारी संगठन भी ऐसी कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक

2525. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में ''प्रयोगशाला सहायकों'' के पद को प्रयोगशाला अटेंडेंट के रूप में पदावनत कर उनका दर्जा कम कर श्रेणी तीन से श्रेणी चार में कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री [illegible] **मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी):** (क) [illegible] 1974 मे प्रयोगशाला [illegible] 1974 [illegible] सहायकों के [illegible] पदों के सृजन [illegible] कर दिये हैं [illegible] प्रयोगशाला [illegible] के पदों का [illegible] किया जा रहा है।

[illegible]

डी.डी.ए. द्वारा अतिरिक्त व्यय [illegible]

2526. श्री [illegible] **क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 2000 के ''नवभारत टाइम्स'' में ''डी.डी.ए. ने मंजूरी देने में देरी कर 7.50 करोड़ का घाटा उठाया'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए कि उक्त घाटा किसी की लापरवाही के कारण हुआ है, कोई जांच की गई है अथवा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या अन्य कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हाँ।

(ख) से (ङ) डी.डी.ए. ने सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली में 520 एम आई जी फ्लैटों के निर्माण संबंधी कार्य आबंटित किया। नक्शों के अनुमोदन के लिए कोई विशिष्ट समय नहीं दिया गया था। ठेकेदार को नक्शे प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था। चूंकि नक्शे दिल्ली नगर कला आयोग आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों से अनुमोदित कराए जाने थे इसलिए वे 8 माह बाद ही अनुमोदित हो पाये।

जिन 102 ब्लाकों में कार्य शुरू होना था उसमें से 9 ब्लॉकों का कार्य हाइटेंशन और लो टेंशन भूमिगत केबलों के कारण शुरू नहीं किया जा सका। 93 ब्लॉकों का कार्य निर्बाध रूप से शुरू किया गया।

पहली निर्माण एजेंसी कार्य पूरा करने में असफल रही और कार्य निरसित कर दिया गया। उसके बाद कार्य दूसरी निर्माण एजेंसी को सौंपा गया। इसलिए कीमतें बढ़ गईं। डी.डी.ए. ने 2.11.1994 को कार्य के निरसन पर ठेकेदार की 81.70 लाख रु. राशि की बैंक गारंटी को भुनाया जिसके खिलाफ ठेकेदार उच्च [illegible] गया। अब कार्य 18.9.1999 को पूरा कर लिया गया [illegible] फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है। [illegible] और 50 प्रतिशत में आंशिक [illegible]

7.20 [illegible] निविदाओं और शर्तों के अनुसार [illegible] (आर्बिट्रेशन) द्वारा [illegible] है। [illegible]

[अनुवाद]

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

2527. **श्री तिरुनावक्करसू:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती वेश्यावृत्ति के मद्देनजर अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 में सख्ती और व्यापक बदलाव लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 में प्रस्तावित संशोधनों में आनुषंगिक प्रकृति के कुछ परिवर्तनों के अलावा 'बच्चा' शब्द के स्थान पर '18 वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति' वाक्य प्रतिस्थापित करना, इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किये गये अपराधों, जैसे वेश्यालय चलाना अथवा परिसर को वेश्यालय के रूप में चलाने की अनुमति देना, वेश्यावृत्ति की कमाई पर निर्वाह करना, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों से व्यक्तियों को लाना, प्रेरित करना और काम में लगाना, ऐसे परिसरों में व्यक्ति को रोकना, जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है, के लिए अधिक दण्ड और जुर्माना लगाना, शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जैव कीटनाशी और नीम आधारित कीट विकर्षक

2528. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जड़ी-बूटी जैव कीटनाशी और नीम आधारित कीट विकर्षक पर ध्यान दिया है जैसाकि सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ द्वारा 15 दिसम्बर, 1999 के 'डाउन अर्थ' में प्रकाशित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य श्रृंखला में विष से बचने के लिए तथा इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए तैयार की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। सीएसआईआर की एक घटक इकाई केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सिमैप), लखनऊ ने मच्छर विकर्षक एवं तत्क्षण सुगंध देने वाली जड़ी-बूटी फार्मूले का विकास किया है। इन्हें अगरबत्ती, धूपबत्ती, लोशन, स्प्रे तथा फ्लोर मोपिंग इम्लशन की शक्ल में तैयार किया जा सकता है। केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान ने दालें, गेहूं तथा चावल के कुछ विशेष कीटनाशकों को नियंत्रित करने के लिए जड़ी-बूटी धुआंरी का भी विकास किया है परन्तु ये नीम पर आधारित नहीं है। ये सुरक्षित, अविषाक्त तथा गैर-जहरीले हैं। इन उत्पादों के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान करने के प्रयास जारी हैं ताकि इन्हें जनता तक पहुंचाया जा सके। जड़ी-बूटी आधारित अगरबत्ती बनाने की तकनीकी जानकारी पहले ही तीन उद्यमियों को उत्पादन हेतु हस्तांतरित की जा चुकी है।

महिलाओं हेतु व्यापक नीति

2529. **श्री कृष्णमसजू:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिला अधिकारिता हेतु एक व्यापक नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे संसद के समक्ष कब तक लाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त नीति में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाए जाने, बाल विवाह पर पाबंदी लगाने और तलाक और भरण-पोषण से संबंधित कानूनों में समुचित सुधार लाने पर बल दिया जाएगा;

(घ) क्या भारत में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने वाली समिति की सिफारिशें भी इसमें शामिल की जाएंगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति को अंतिम रूप दे रही है।

(ग) नीति का उद्देश्य कानून, नीतियां, नियम और विनियम बनाना और उनकी समीक्षा करना है, ताकि स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त की जा सके।

(घ) और (ङ) भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट (समानता की ओर) तथा अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों, जैसे राष्ट्रीय महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000) और राष्ट्रीय स्व-रोजगाररत महिला तथा अनौपचारिक क्षेत्र में महिला आयोग की रिपोर्ट (श्रम शक्ति), 1995 में बीजिंग में पारित

कार्रवाई मंच, महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीडा) में की गई सिफारिशों को राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति का प्रारूप तैयार करते समय ध्यान में रखा गया है।

बीएसएफ हेतु उपकरणों की खरीद

2530. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल और अर्ध-सैनिक बलों, आदि को आपूर्ति किये जा रहे कतिपय महत्वपूर्ण उपस्करों की खरीद संबंधी दर अनुबंध का नवीकरण सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने के कारण समाप्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो दर अनुबंध पर निर्णय लिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन बलों को अपेक्षित महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) हालांकि, विशेष रूप से नहीं कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है कि संदर्भ ट्रांसरिसिवर्स और उनके उपकरणों हेतु पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (दर संविदा) के बारे में है। यह दर संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए जुलाई, 1999 में समाप्त हो गई थी।

यह सत्य नहीं है कि दर संविदा का नवीकरण सरकार के निर्णय न लेने के कारण व्यपगत हो गया। स्क्रैमबल/सिक्रसी माडलों को छोड़कर ट्रांसरिसिवर्स के करीब 58 मॉडल और उनके उपकरणों के लिए जुलाई, 1999 में एक वर्ष की अवधि के लिए की गई दर संविदा 21 जुलाई, 2000 तक समाप्त हो गई थी। तत्पश्चात् संबंधित संगठनों द्वारा इन माडलों की क्लीयरेंस देने पर, इन्हें अन्य माडलों के साथ-साथ दर संविदा पर भी लाया गया। दर संविदा को एक माह और बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

इस्पात क्षेत्र में विनिवेश

2531. श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की विभिन्न इस्पात कंपनियों में विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सरकार का एम एस टी सी लिमिटेड जो एक व्यावसायिक कंपनी है तथा गैर-महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में वर्गीकृत है, में अपनी 100% साम्या तथा फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड जो एम एस टी सी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, में अपनी 60% साम्या का विनिवेश करने का प्रस्ताव है।

(ग) यदि एम एस टी सी लिमिटेड को सरकारी स्वामित्व में रहने दिया जाए तो इससे किसी सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

[हिन्दी]

साझे शौचालय और स्नानघर

2532. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाइप-1 के सरकारी आवासों में दो मकानों के लिए केवल एक शौचालय और एक स्नानघर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शौचालय और स्नानघर साझे होने के कारण प्राय: लड़ाई-झगड़े होते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हाँ। 60 के दशक और उससे पूर्व दिल्ली तथा अन्यत्र निर्मित टाइप-1 क्वार्टरों में उस समय प्रचलित मानदण्डों के अनुसार एक से अधिक परिवारों द्वारा साझा उपयोग के लिए साझा शौचालय और स्नानकक्ष मुहैया किए गए थे।

(ग) जी हाँ। ऐसे विवादों के कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(घ) सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त शौचालय और स्नानकक्षों का चरणबद्ध रूप में निर्माण किया जाए ताकि ऐसे सभी क्वार्टरों के आबंटियों के परिवारों को स्वतंत्र शौचालय व स्नानकक्ष मुहैया किये जा सकें। कार्य के चरण-1 के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति दे दी गई है। इसमें कुल 10,597 ऐसे क्वार्टरों में से 4290 क्वार्टर शामिल हैं।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

सस्ते आवासों का निर्माण

2533. श्री तूफानी सरोज: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सस्ते आवासों के निर्माण हेतु सहयोग बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते में शमिल होने वाले अफ्रीकी देशों के क्या नाम हैं; और

(घ) योजना के अंतर्गत ऐसे कितने आवासों का निर्माण किया जाना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) अफ्रीका में लागत प्रभावी आवास के लिए भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के क्षेत्र में भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य तकनीकी सहायता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू.एन.आई.डी.ओ.) के साथ भारत सरकार ने 20 जून, 2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच औद्योगिक सहभागिता बढ़ाने और तकनीकी सहायता केन्द्रों की स्थापना, तकनीकी अंतरण को बढ़ाने में शामिल संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने, भवन सामग्रियों के उत्पादन में लगे छोटे और मझौले उद्यमियों हेतु किफायती भवन निर्माण सामग्री के लिए उत्पादन तकनीकों के अंतरण के लिए अन्य बातों के साथ-साथ समझौता ज्ञापन में व्यवस्था है। समझौता ज्ञापन में उल्लिखित कार्यकलाप चरणबद्ध आधार पर किये जाएंगे और केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, युगांडा, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी जैसे देशों में सहकारिता कार्यक्रम प्रथम चरण में शामिल किये जायेंगे।

समझौता ज्ञापन अभी प्रत्यक्षत: मकानों के निर्माण के बारे में नहीं है। तथापि भारत सरकार आबादी के कम आय वर्ग के हिस्से [illegible] उनके आवास के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागी अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग करते हुए तकनीकी सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराएगी।

[अनुवाद]

प्राकृतिक संसाधनों को पट्टे पर देने के लिए लाइसेंस

2534. श्री अशोक प्रधान: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992 के दौरान डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को प्राकृतिक संसाधनों को पट्टे पर देने के लिए लाइसेंस देने संबंधी योजना बनाने और क्रियान्वित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित/क्रियान्वित की गई योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की है कि पत्थर की खानों चिकनी मिट्टी की खानों और पशुओं की लाशों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के पट्टे/लाइसेंस जो राज्य के ही नियंत्रण में है। वास्तविक कामगारों को और इनकी सहकारी समितियों/संघों को देने और उनके लिए आर्थिक मदद देने का प्रावधान करने की नई नीति को लागू किया जाए।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में इस नीति को लागू करने के बारे में विचार करें।

जहां तक कोयला तथा लिग्नाइट संसाधनों का संबंध है, कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार कोयला खनन का काम केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। ग्रहीत खनन के लिए ऐसी सार्वजनिक और निजी कंपनियों के संबंध में अनुमति दी जाती है जो लोहा तथा इस्पात, बिजली और ऐसे ही अंतिम प्रयोगों में लगी हैं जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाते हैं।

ईसाइयों पर हमले

2535. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री ए. कृष्णास्वामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों से ईसाइयों और उनके प्रतिष्ठानों पर हुये हमले की हाल की घटनाओं के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(घ) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की सरकारों को पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा-राशि का भुगतान न किये जाने के लिए 'कारण बताओ' नोटिस जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान्। माननीय आयोग ने केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों को 21.6.2000 को अपनी ओर से नोटिस जारी किए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उनके द्वारा किए गए उपायों और देश की धर्मनिरपेक्ष नीति और हमारे संविधान में परिकलित भातृत्व और सामान्य भाईचारे को बरकरार रखने के लिए उनके द्वारा बनाई गई कोई कार्य योजना, यदि हो, तो उसे निर्दिष्ट करते हुए अपने उत्तर दो सप्ताह के भीतर दायर करने का निदेश दिया गया था। इस बारे में केन्द्रीय सरकार का उत्तर 24.7.2000 को दायर किया गया है। राज्य सरकारों से अपने उत्तर सीधे ही आयोग के समक्ष दायर करने की अपेक्षा की गई है।

(च) भारत के संविधान के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। अपराध का पंजीकरण करना, उनकी जांच करना तथा उनका पता लगाना और अपराध की रोकथाम करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

तथापि, केन्द्रीय सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संबंधित राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है और समय-समय पर सतर्क रहने के संदेश और सलाहें भेजी जाती हैं (नवीनतम सलाह 19.6.2000 को भेजी गई थी) विशेष अनुरोध पर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उन्हें उपलब्ध कराये जाते हैं और केवल साम्प्रदायिक हिंसा से ही निपटने के लिए 'त्वरित कार्य बल' नामक एक विशेष बल का भी गठन किया गया है। पुलिस ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के गृह सचिवों, डी पी जी और डी जी/आई जी (आसूचना) के साथ 4.7.2000 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।

राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वे अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से ईसाइयों तथा उनके संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करें और उनके प्रति हिंसा करने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करें।

संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदेशों के अनुसरण में सरकार, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और उनके विरुद्ध हिंसा करने वाले के साथ सख्ती से कार्रवाई करने के प्रति कृतसंकल्प है।

ईसीएल के लिए मशीनों की खरीदारी

2536. श्री सुनील खां: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईसीएल के लिए लांगवाल वेल मशीन की खरीदारी विदेश से करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कीमत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मशीन पर ईसीएल द्वारा कितने ब्याज का भुगतान किया गया; और

(घ) कोयला काटने वाली मशीन से कहां तक कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लि. ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के लिए भारत के बाहर से निम्नलिखित लांगवाल मशीनों को खरीदा है।

परियोजना का नाम जहां पीएसएलडब्ल्यू स्थापित किए गए	आपूर्तिकर्ता का नाम	संस्थापना का वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)	अभ्युक्तियां
सीतलपुर	गुलीक धोवसन यू.के.	1982	3.15	
धीमोमेन	गुलीक धोवसन यू.के.	1982	8.88	
धीमोमेन	गुलीक धोवसन यू.के.	1989	21.13	धीमोमेन में प्रयोग करने के पश्चात् सेटको झांझरा में हस्तान्तरित कर दिया गया था।
झांझरा	पूर्व यू.एस.एस.आर.	1989	14.00	
झांझरा	पूर्व यू.एस.एस.आर.	1990	14.00	
झांझरा	गुलीक धोवसन यू.के.	1998	28.00	सैट चुर्चा में संस्थापित था और झांझरा को हस्तांतरित कर दिया गया था।
झांझरा	एमएएमसी (दुर्गापुर)/ दावती (यू.के.)	2000	28.00	यह पीएसएलडब्ल्यू जे.के. नगर/सतग्राम के लिए खरीदा गया था और बाद में झांझरा को हस्तांतरित कर दिया गया था।
कोटाडीह	सीडीएफआई, फ्रांस	1994	86.6	

(ग) चूंकि मशीनें एकमुश्त रूप से खरीदी गई थी इसलिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. ने मशीनों पर किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

(घ) उपरोक्त पीएसएलडब्ल्यू से किया गया उत्पादन नीचे दिया गया है:

परियोजना का नाम जहां पीएसएलडब्ल्यू स्थापित किये गये	आपूर्तिकर्ता का नाम	मार्च, 1999 तक किया गया उत्पादन (लाख टन में)	अभ्युक्तियां
सीतलपुर	गुलीक धोवसन यू.के.	3.61	
धीमोमेन	गुलीक धोवसन यू.के.	4.25	
धीमोमेन	गुलीक धोवसन यू.के.	6.28	सैट को झांझरा हस्तांतरित कर दिया गया था।
झांझरा	पूर्व यू.एस.एस.आर.	25.787	
झांझरा	पूर्व यू.एस.एस.आर.	11.176	
झांझरा	गुलीक धोवसन यू.के.	6.113	चुर्चा सेट
झांझरा	गुलीक धोवसन यू.के.	8.588	सेट धीमोमेन से प्राप्त किया गया।
झांझरा	एमएएमसी (दुर्गापुर)/ दावती (यू.के.)	उत्पादन शुरू किया जाना है।	जे.के. नगर/सतग्राम में हाल ही में ए डब्ल्यू-2 पैनल पर चालू किये गए।
कोटाडीह	सीडीएफआई, फ्रांस	17.586	

जल संरक्षण और पनधारा कार्यक्रम

2537. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पनधारा प्रबंधन और जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत सबमिशन फंड का 25 प्रतिशत और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना निधि का 25 प्रतिशत नियत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक भूजल की निकासी को प्रतिबंधित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) पेयजल की आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के तहत पेयजल उपलब्ध कराने संबंधी राज्यों के प्रयासों में सहायता करने हेतु राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती है। भू-जल के स्तर में तेज से हो रही कमी को रोकने के लिए लगातार चलने वाले संगत उपायों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सब-मिशन परियोजनाओं के लिए निर्धारित की गई 20 प्रतिशत निधियों में से 25 प्रतिशत राशि को केवल जल स्रोतों को बनाए रखने से संबंधित सब-मिशन परियोजनाओं पर ही खर्च किया जाए।

वर्ष 2000-2001 से प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.) के रूप में एक नई योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत सरकार के कुछेक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से चयनित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है। इस योजना का एक संघटक ग्रामीण पेयजल की व्यवस्था करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-ग्रामीण पेयजल के तहत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस संघटक के लिए आबंटित की गई कुल राशि की कम से कम 25 प्रतिशत राशि का उपयोग सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम/मरूभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों, असित/धूसर (डार्क/ग्रे) खंडों, जिनके जल का अत्यधिक उपयोग किया गया है और जल की अधिक खपत वाले/सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण, जल संग्रहण, जल की पुन: पूर्ति, पेयजल के स्रोतों को बनाए रखने से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं में किया जाएगा।

(ग) सरकार ने देश में भू-जल की अंधाधुंध निकासी पर रोक लगाने के लिए दिनांक 14.1.1997 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का गठन किया है। भू-जल की अंधाधुंध निकासी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण को क्षेत्रों को अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। यह प्राधिकरण भू-जल निकासी संरचनाओं को पंजीकृत भी करता है।

[हिन्दी]

कोयला उद्योग का कार्यकरण

2538. डा. सुशील कुमार इन्दौरा: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला उद्योग के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए इसको छ: माह का समय दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समय-सीमा निर्धारित करने से पूर्व कोयला उद्योग विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट का व्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन, योजना आयोग सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उद्यमों और कोयला मंत्रालय के परामर्श से तैयार की गई वार्षिक कार्रवाई योजनाओं के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उद्यमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के अंतर्गत कोयले का उत्पादन

2539. श्री रामजीलाल सुमन: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले के कुल उत्पादन में कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा कोयले के उत्पादन का प्रतिशत कितना है;

(ख) वे अन्य कौन सी कंपनियां गुणवत्तावार हैं, जो शेष कोयले का उत्पादन करती हैं;

(ग) क्या इन कंपनियों को खुले बाजार में कोयला बेचने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति के अंतर्गत नीति में परिवर्तन लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोल इंडिया लि. की कोयला उत्पादन करने वाली सहायक कंपनियों और सी.आई.एल. द्वारा नियंत्रित नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स इकाई समेत वर्ष 1999-2000 में देश में लगभग कुल 87% कोयले का उत्पादन किया गया।

(ख) शेष प्रतिशत कोयले का उत्पादन करने वाली अन्य कंपनियों का कोयले का ग्रेड सहित उत्पादन नीचे दिया गया है:

	कंपनी का नाम	कोयला उत्पादन करने का ग्रेड
1.	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एस.सी.सी.एल.)	अकोककर कोयले का बी से एफ ग्रेड
2.	बिहार स्टेट मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि. (बीएसएमडीसी)	अकोककर कोयले का "एफ" ग्रेड
3.	दामोदर घाटी निगम	कोककर कोयले का वाशरी ग्रेड-4
4.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	अकोककर कोयले का बी, डी एफ ग्रेड, कोककर कोयले का इस्पात-2, वाशरी-3, वाशरी-4
5.	जे. एण्ड के. मिनरल्स लि.	अ-कोककर कोयला
6.	बंगाल एम्ता कोल माइन्स लि.	अ-कोककर कोयले का ग्रेड-सी
7.	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	अ-कोककर कोयले का ग्रेड-एफ
8.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	अ-कोककर कोयले का ग्रेड-एफ कोककर कोयले का इस्पात-2, वाशरी-2 से वाशरी-4

(ग) और (घ) सी.आई.एल., एस.सी.सी.एल. और बी.एस.एम.डी.सी. को छोड़कर प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) की सूची में शामिल शेष कंपनियां गृहीत खनन कंपनियां हैं और इसीलिए खुले बाजार में कोयला बेचने की अनुमति नहीं है।

(ङ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 राज्य सभा में 26.4.2000 को पेश किया गया है, जिससे कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन किये जा सकें ताकि गृहीत खपत पर मौजूदा प्रतिबंधों के बिना भारतीय कंपनियों को कोयला खनन के लिए अनुमति दी जा सके।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास परियोजनाएं

2540. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में वर्तमान समय में समेकित बाल विकास परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर लागू की जा रही हैं;

(ख) क्या इस संबंध में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम का विस्तार राज्य के सभी ब्लाकों में करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) महाराष्ट्र राज्य में समेकित बाल विकास

सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम 268 विकास खण्डों और शहरी गरीब बस्तियों में चलाई जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) 268 परियोजनाओं के अलावा, विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस.-3 के अंतर्गत, वर्ष 1999-2000 में 54 और 2000-2001 में 36 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं स्वीकृत की गयी। 9 अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देने पर कार्रवाई चल रही है।

(च) एक वर्ष के भीतर।

उड़ीसा में ग्रामीण विकास योजनाएं

2541. श्रीमती हेमा गमांग: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में उड़ीसा में चल रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किये गये लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के संदर्भ में गत तीन वर्षों का तत्संबंधी योजनावार ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में यदि कोई कमी आई है तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान विकास के लिए कार्ययोजना का योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्य को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी. हां।

(ख) वर्ष 1997-98, वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान केन्द्र प्रायोजित प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा राज्य के लिए वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। हाल ही में संपन्न निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक में उड़ीसा सरकार ने कमियों के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया था। किन्तु, 1999 में आम चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग द्वारा नयी परियोजनाएं शुरू करने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति प्रभावित होने की सूचना मिली है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा के लिए निर्धारित निधियों के आबंटन तथा लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

योजना	केन्द्रीय आबंटन (रु. लाख में)	लक्ष्य
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	3911.58	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	9982.52	लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
सुनिश्चित रोजगार योजना	6963.64	रोजगार के 176.41 कार्यदिवस सृजित किए जाएंगे।
इंदिरा आवास योजना	9154.00	73232 आवासीय इकाईयां
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	6213.00	3834 बसावटों को शामिल किया जाएगा।
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	188.31	1,80,777 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम		
(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3214.22	343399.57 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।
(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	1346.69	12494.00 परिवारों को सहायता दी जाएगी।
(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	624.24	120046.00 व्यक्तियों को सहायता दी जाएगी।

(घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों को आबंटन हर वर्ष के आधार पर किया जाता है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय को योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आबंटन पर निर्भर करता है।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान उड़ीसा में प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

	योजना	यूनिट	1997-98		1998-99		1999-2000	
			लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	जवाहर रोजगार योजना	कार्य दिवस लाख में	299.00	300.00	317.94	296.84	0.00*	423.02*
2.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	लाभार्थियों की संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं है	75343.00	0.00	94671.00	0.00	223899 स्वरोजगारी
3.	इंदिरा आवास योजना	(निर्मित आवास)	45486.00	50023.00	67684.00	50671.00	73232	53328
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	कार्य दिवस लाख में	0.00	382.14	0.00	340.14	335.48	215.42
5.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	(शामिल की नई बसावट)	6638.00	4968.00	8136.00	7318.00	13276	9936
6.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	निर्मित किए जाने वाले स्वच्छ शौचालयों की संख्या	46822.00	4715.00	46822.00	8029.00	126714	16185
7.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम							
	(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	लाभार्थियों की संख्या	0.00	279473	333400	332290	333400	361965
	(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	लाभार्थियों की संख्या	23100	16605	16775	16328	12928	15658
	(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	लाभार्थियों की संख्या	253400 98027	105642	150000	151406	119854	

*दिनांक 1.4.1999 से जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया है।

दिनांक 1.4.1999 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है तथा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता

2542. श्री अखिलेश यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर विधान सभा में स्वायत्तता का प्रस्ताव प्रधान मंत्री और गृह मंत्री की सहमति से पारित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषय में विस्तृत चर्चा के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी बैठक कब तक आयोजित की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार राज्यों को शक्तियों के व्यापक हस्तांतरण के लिए कदमों के कार्यान्वयन पर व्यापक सर्वसम्मति तैयार करने के लिए अपने प्रयास जारी रखने के प्रति वचनबद्ध है जिससे प्रशासन में दक्षता, विकास में तेजी और हमारे लोगों के सभी वर्गों की सृजनात्मक अन्तशक्ति का पूरा-पूरा उपयोग हो सके।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास के लिए धनराशि

2543. श्री पी.आर. किन्डिया:
श्री बली राम कश्यप:
श्री पंवन सिंह घाटोवार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम को ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के अंतर्गत राज्यवार और परियोजना-वार उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता की मात्रा क्या है;

(ख) क्या ऐसी धनराशि के संवितरण का स्तर कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राज्यवार और परियोजना-वार सहायता की मात्रा को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कम वितरण के मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, अनुमोदित डिजाइनों का पालन न करना, स्टील और सीमेंट की खरीद में विलम्ब कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच अपर्याप्त समन्वय, निविदा प्रक्रिया और ठेके देने में विलम्ब हैं।

(घ) ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष के छठे चरण के दौरान जून, 2000 तक पूर्वोत्तर राज्यों से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राज्य-वार और परियोजनावार सहायता की मात्रा को दर्शाने वाला ब्यौरा

7 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार

		1997-98			1997-98			1999-2000		
क्रम सं.	राज्यों के नाम	परियोजनाओं की सं.	परियोजनाओं का प्रकार	उपलब्ध कराई गई सहायता करोड़ रु.	परियोजनाओं की सं.	परियोजनाओं का प्रकार	उपलब्ध कराई गई सहायता करोड़ रु.	परियोजनाओं की सं.	परियोजनाओं की सं.	उपलब्ध कराई गई सहायता करोड़ रु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	असम	44	पुल	57.49	11	पुल	10.51	39	पुल	6.47
3.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	मेघालय	–	–	–	21	पुल	3.91	16	पुल	2.33
5.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	1	असूचित	–
7.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	112	सिंचाई, पुल और सड़कें	11.90
8.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	24	पुल	4.31

[हिन्दी]

अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक

2544. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हुई अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों ने सरकार का ध्यान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर राज्य सरकार से परामर्श किए बिना ही उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने में अनुचित विलम्ब, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, केन्द्रीय करों में राज्यों की भागीदारी बढ़ाने और सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिसीमा में लाने जैसे मुद्दों की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में उठाये गए अन्य मुख्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) 20 मई, 2000 को हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की बैठक में, सदस्यों ने सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए वस्तुओं की सूची में लाने के अलावा प्रश्न में उल्लिखित मुद्दों को उठाया। तथापि, हरियाणा के वित्त मंत्री ने सुझाव दिया था कि बागवानी उत्पादों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए वस्तुओं की सूची में सम्मिलित किया जाये। बैठक में उठाए गए/विचार-विमर्श किये गये अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. सदस्यों द्वारा उठाए गए/विचार-विमर्श किये गये मुद्दों की जांच और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है।

विवरण

20 मई, 2000 को हुई अन्तर्राज्यीय परिषद की 6ठी बैठक में सदस्यों द्वारा उठाए गए/विचार-विमर्श किए गए मुद्दों का विवरण

उठाए गए मुद्दे

* राज्यपाल को एक महीने के भीतर विधेयक को अपनी स्वीकृति देनी चाहिए और यदि इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो इसे 4 महीने के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए।
* यदि उपरिल्लिखित एक/चार महीनों की अवधि की समय-सीमा का पालन नहीं होता है, तो विधेयक को पारित मान लिया जाना चाहिए।
* उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय को संविधान के अनुच्छेद 200, 201 में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।
* बीच की अवधि के दौरान गृह मंत्रालय को, उपरिल्लिखित एक या चार महीनों के भीतर विधेयकों को निपटाना सुनिश्चित करने के लिए राज्यपालों और केन्द्रीय मंत्रालयों को पत्र लिखकर कार्यकारी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।
* यदि राज्यपाल/राष्ट्रपति विधेयक की स्वीकृति को रोके रखते हैं तो राज्य सरकारों को इसके कारण सूचित किये जाने चाहिए।
* कई राज्य सरकारों ने 11वें वित्त आयोग के लिए अतिरिक्त विचारार्थ विषयों को समाविष्ट करने के बारे में 28 अप्रैल, 2000 को जारी राष्ट्रपति के आदेश को आस्थगित रखने का सुझाव दिया है।

* राज्य सरकारों ने केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से को बढ़ाकर कम से कम 33.3% करने का अनुरोध किया है।

* राज्यों ने, राज्य सरकारों को दिए जा रहे 24% के अलावा केन्द्रीय करों में से 5-7% तक अतिरिक्त निधियों का हस्तांतरण करने का अनुरोध भी किया है।

* राज्य सरकारों के लिए ओवर-ड्राफ्ट की अवधि को बढ़ाकर 7 से 14 दिन तक किया जाना चाहिए।

* केन्द्र सरकार को, महंगाई भत्ता बढ़ाते समय राज्य से भी परामर्श करना चाहिए क्योंकि राज्यों के पास ऐसा ही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है।

* राज्यों ने, राज्य सूची से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को धन राशि सहित राज्यों को हस्तांतरित करने का सुझाव दिया।

* राज्य सरकारों को स्वेच्छा से एक वर्ष के लिए उधार लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

* 1 अप्रैल, 2001 से वी.ए.टी. शुरू किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को होने वाली राजस्व की हानि की दशा में, राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

* कोयले सहित खनिजों की रायल्टी के पुनरीक्षण के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाया जाना चाहिए ताकि राज्यों को राजस्व की हानि न हो।

* योजना निधि आवंटन के लिए गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले की पुनरीक्षा की जाये।

* लघु बचत ऋणों को शाश्वतता ऋण माना जाये।

* अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा गठित समितियों/उप समितियों में पूर्वोत्तर राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों को सम्मिलित किया जाये।

* गरीबों और दलितों की दशा सुधारने के लिए राज्यों द्वारा अपनायी जाने वाली कल्याण नीतियों और कार्यक्रमों को पोपुलिस्ट कदम नहीं माना जाना चाहिए।

* राज्य सरकारों को सर्विस सेक्टर में कर लगाने की शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि राज्यों के कर-आधार को विस्तृत किया जा सके।

* प्राकृतिक आपदा राहत निधि का निर्णय राज्यों के परामर्श से अपनाए जाने वाले फार्मूले के अनुसार लिया जाना चाहिए।

* वन राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए एक सिद्धान्त बनाया जाना चाहिए और वातावरण को सुरक्षित रखने के आर्थिक भार को केन्द्र सरकार को उठाना चाहिए।

* केन्द्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 271 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अधिभार को करों के हिस्से-वाले पूल में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

* आदिवासी बाहुल्य वाले राज्यों को, जहां पर आयकर नहीं लगाया जाता है, राजस्व में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता के अनुसार व्यासायिक कर की दरों को संशोधित करने की शक्तियां दी जानी चाहिए और अनुच्छेद 276 के अंतर्गत अधिकतम सीमा को निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

* पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बैंकिंग सेक्टर के कार्यकरण की विस्तृत जांच की जानी चाहिए।

* राज्यों को उच्च ब्याज दर पर दिए गए ऋणों को केन्द्र सरकार द्वारा कम दरों में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

* योजना आयोग को राज्यों के लिए अनुदान निर्धारित करते समय, राज्य सरकारों को देश में मूलभूत सुविधाएं बनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए।

* केन्द्र सरकार को, जिन राज्यों ने, प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए अनेक प्रगतिशील कदम उठाए हैं, उन राज्यों के हितों की रक्षा के लिए ठेका मजदूर अधिनियम में संशोधन सहित उपयुक्त कदम उठाने पर विचार करना चाहिए।

* केन्द्र सरकार को महानगरों में जल आपूर्ति, मल निकासी व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा, निवारात्मक स्वास्थ्य इत्यादि सुविधाओं से संबंधित समस्याओं को संज्ञान में लेने के लिए उपयुक्त तंत्र गठित करना चाहिए।

* पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योगों के लिए टैक्स होलीडे को बढ़ाकर 10 से 15 साल करना चाहिए।

* पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन और सहायता के पैकेज को जम्मू और कश्मीर राज्य में उद्योगों के लिए भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

* कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को जनरल प्राईस इन्डेक्स से जोड़ा जाना चाहिए।

* बागवानी उत्पादों को उन वस्तुओं की सूची में शामिल किया जाना चाहिए जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है।

* नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन पर, रोटेशनल आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

* भारत सरकार द्वारा पी.डी.एस. के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्न वस्तुओं के आवंटन को, भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी सेम्पल सर्वेक्षण प्रणाली के आधार के बजाय राज्य सरकार द्वारा किए गए घर-घर सर्वेक्षण के आधार पर, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के आधार पर लिया जाना चाहिए।

* सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए केन्द्र सरकार के नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए।

* यातायात और वितरण लागत को युक्तियुक्त बनाने और यातायात लागत को आर्थिक सहायता देने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक कार्य बल गठित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास हेतु प्रस्ताव

2545. श्री रतन लाल कटारिया:
श्री पुष्प जैन:
डा. बलिराम:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केरल में ग्रामीण विकास हेतु चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास संबंधी कई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन योजनाओं को मंजूरी दिये जाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन राज्यों की सभी योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में मरुभूमि विकास कार्यक्रम और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाता है। परन्तु केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का कार्यान्वयन केवल दिल्ली में किया जाता है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति दिशा-निर्देशों के अनुरूप और निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस परिप्रेक्ष्य में परियोजना के स्वीकृति के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

विवरण

प्राप्त किए गए प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण

(प्रस्तावों की संख्या)

योजनाएं	हरियाणा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	दिल्ली	केरल
1	2	3	4	5	6
1997-98					
समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	1	2	8	–	–
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	–	–	–	–	2
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	–	1	–	–	6

1	2	3	4	5	6
1998-99					
समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	-	1	7	-	-
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	-	22	3	-	-
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	-	-	-	-	8
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	-	-	3	2	-
1999-2000					
इंदिरा आवास योजना	3	1	-	-	1
समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	-	8	9	-	-
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	-	4	5	-	6

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण

2546. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण का ऋण भार कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सार्वजनिक जमा योजना के तहत विदेशी ऋणदाताओं को कितनी धनराशि चुकाई गई; और

(घ) ऋण चुकाने के लिए सृजित संसाधनों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का कुल ऋण 5935 करोड़ रुपए कम हो गया है। इसमें भारत सरकार द्वारा इस्पात विकास निधि के माफ किए गए 5454 करोड़ रुपए तथा कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन के तहत भारत सरकार द्वारा दिया गया ऋण भी शामिल है।

(ग) 1999-2000 के दौरान सेल ने सार्वजनिक जमा योजना के तहत 150.38 करोड़ रुपये और विदेशी मुद्रा ऋण के तहत 428.83 करोड़ रुपए की राशि वापस कर दी है।

(घ) सेल ने मालसूचियों में कमी करके आंतरिक रूप से सृजित संसाधनों से ऋणों की अदायगी की है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की गारंटी के माध्यम से ऋण संवर्धन से बॉण्ड्स जारी करके 1102.50 करोड़ रुपये जुटाए गए।

मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए दान

2547. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कितने मान्यताप्राप्त इंजीनियरिंग कालेज हैं और इनमें प्रतिवर्ष कितने उम्मीदवार दाखिला ले रहे हैं;

(ख) क्या सरकार यह जानती है कि इन कालेजों में दाखिला पाने के लिए उम्मीदवारों से दान के रूप में भारी राशि वसूल की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में, यदि कोई हो तो, क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 4.5.2000 तक स्वीकृत प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों तथा छात्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त अव्यावसायिक संगठनों के संबंध में दाखिले की प्रक्रिया तथा फीस संरचना; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित की गई है जिसमें डोनेशन लेने की न तो कोई व्यवस्था ही है तथा न ही कोई गुंजाइश है। प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों में दाखिला सम्बद्ध राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मई, 2000 तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत प्राइवेट इंजीनियरी कालेजों की संख्या	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा छात्रों की स्वीकृत संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	93	23340
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	00	00
अरुणाचल प्रदेश	00	00
असम	00	00
बिहार	03	700
चंडीगढ़	00	00
दमन और दीव	00	00
दिल्ली	05	960
गोवा	01	180
गुजरात	09	2450
हरियाणा	24	5190
हिमाचल प्रदेश	01	200
जम्मू और कश्मीर	05	880
कर्नाटक	62	20365
केरल	02	800
मध्य प्रदेश	17	3650
महाराष्ट्र	110	30085
मणिपुर	00	00
मेघालय	00	00

1	2	3
मिज़ोरम	00	00
नागालैण्ड	00	00
उड़ीसा	24	5255
पांडिचेरी	03	640
पंजाब	09	1830
राजस्थान	06	1264
सिक्किम	00	00
तमिलनाडु	139	35471
त्रिपुरा	00	00
उत्तर प्रदेश	37	7480
पश्चिम बंगाल	11	2270
कुल	561	143010

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

2548. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों के प्रति मानवाधिकारों की गारंटी की सराहना की गई है;

(ख) यदि हां, तो यूएनडीपी रिपोर्ट में की गई प्रमुख टिप्पणियां और सुझाव क्या हैं और भारत और विकसित देशों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) यू.एन.डी.पी. के अनुसार भारत को विकसित देशों के साथ कब तक वर्गीकृत कर लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 'मानव विकास रिपोर्ट 2000', जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है, का मुख्य विषय मानवाधिकार और मानव विकास हैं, जो अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए बताये गये हैं। रिपोर्ट के 'सिंहावलोकन' से कुछ उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं। रिपोर्ट में विश्व में मानव विकास (रिपोर्ट में यथा-परिभाषित/विचारित) की स्थिति का विश्लेषण किया गया है और इसमें क्षेत्र तथा देश-विशिष्ट परिस्थितियों का हवाला दिया गया है, जिसमें कुछ भारतीय परिस्थितियाँ और संदर्भ भी शामिल हैं। रिपोर्ट में महिलाओं से संबधित विकास संसूचक (जी.डी.आई.) 1998 में भारत को 143 देशों में 108वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में जी डी आई को उन्हीं तीन बुनियादी आयामों (नामत: लम्बा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान और जीवन का उच्च स्तर) और उन्हीं तीन भिन्नताओं (नामत: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि-प्रौढ़ साक्षरता और समेकित सकल प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय नामांकन अनुपात तथा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद) का प्रयोग करते हुए, जैसा कि मानव विकास संसूचक में किया जाता है, के आधार पर देश में औसत उपलब्धियों के मापक के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट में महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धि में असमानता को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं से संबंधित विकास संसूचक (जी.डी.आई.) महिला पुरुष असमानता के लिए घटाया गया अथवा नीचे की ओर समन्वित मानव विकास संसूचक मात्र ही है।

(ग) इस बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

1. मानवाधिकारों और मानव विकास का एक ही सामान्य लक्ष्य और उद्देश्य है—हर जगह सभी लोगों की स्वतंत्रता, कल्याण और प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना, ताकि निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त हो सकें:

* लिंग, जाति, राष्ट्रीय मूल अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्ति
* उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति के लिए दरिद्रता से मुक्ति
* व्यक्ति की क्षमता के विकास और प्राप्ति की स्वतंत्रता
* व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरे, उत्पीड़न, निरंकुश तरीके से गिरफ्तारी तथा अन्य हिंसात्मक कार्यों के भय से मुक्ति
* अन्याय तथा कानून के उल्लंघन से मुक्ति
* विचारों और अभिव्यक्ति तथा निर्णय निर्माण में भागीदारी और संघ बनाने की स्वतंत्रता
* बिना शोषण के अच्छा काम करने की स्वतंत्रता।

2. महिलाओं के लिए मानवाधिकारों के संदर्भ में 'सिंहावलोकन' में निम्नलिखित के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है:

* विश्व के तीन-चौथाई से भी अधिक देशों (165 देश, जिनमें भारत शामिल है) ने ''सीडा' अर्थात् महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, का अनुसमर्थन किया है।
* आस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका ने, जहां पर अल्पसंख्यक जातियों और देशी तथा आदिवासी लोग जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, सकारात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं और कानूनी मानक बनाये हैं।
* भारत जैसे देशों में शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में जनहित याचिकाएं लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं।

3. 20वीं शताब्दी में मानवाधिकारों और मानव विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति अद्वितीय रही है, परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। 21वीं शताब्दी में पूरे विश्व में मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए नये साहसिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो विश्वव्यापीकरण के युग की वास्तविकताओं और वातावरण तथा नये सार्वभौम अभिकर्ताओं और नियमों के अनुकूल हो।

* मानव स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को मानकों, संस्थाओं, कानूनी ढांचों तथा अनुकूल आर्थिक पर्यावरण की दृष्टि से अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है।
* सभी मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए लोकतंत्र अपेक्षित है, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों के पृथक्करण की व्यवस्था और लोक दायित्व सुनिश्चित करना शामिल है। मात्र चुनाव करा देना ही पर्याप्त नहीं है।
* निर्धनता उन्मूलन न केवल विकास का एक लक्ष्य है, बल्कि 21वीं शताब्दी में मानवाधिकारों के लिए यह एक मुख्य चुनौती है।
* समेकित विश्व में मानवाधिकारों के लिए सार्वभौमिक न्याय अपेक्षित है। उत्तरदायित्व के राज्य-केन्द्रित माडल का विस्तार करके इसे गैर-राज्य अभिकर्ताओं और राज्य के राष्ट्रीय सीमाओं से परे दायित्व तक बढ़ाया जाना चाहिए।
* उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने और मानवाधिकार दिलाने के लिए सूचना और सांख्यिकी महत्वपूर्ण घटक हैं। कार्यकर्त्ताओं, वकीलों, सांख्यिकीविदों और विकास विशेषज्ञों को समुदायों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। इसका उद्देश्य ऐसी सूचना और प्रमाण इकट्ठे करना है, जिससे अविश्वास की दीवारें टूट जांय और नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन आ जाये।
* 21वीं शताब्दी में सभी देशों में सभी लोगों को सभी अधिकार दिलाने के लिए प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण वर्गों अर्थात् गैर-सरकारी संगठनों, प्रचार माध्यमों और व्यापारों, स्थानीय तथा राष्ट्रीय सरकारों, सांसदों तथा अन्य नेताओं की ओर से सक्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक होगी।
* विशेषकर वंचित लोगों और देशों की सहायता के लिए और विश्व में बढ़ती असमानताओं और गरीबी को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई किये बिना, विश्व में मानवाधिकारों और मानव विकास की प्राप्ति नहीं की जा सकती।

एन.सी.आर. में परियोजनाएं

2549. श्री नरेश पुगलिया: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पूरी की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ख) अब तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और इनकी लागत कितनी हैं;

(ग) बाकी परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) बाकी परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) में विकास परियोजनाएं कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन सी पी आर बी) हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सहभागी राज्यों और बरेली, ग्वालियर, कोटा और पटियाला के काउंटर मैगनेट कस्बों को परियोजना लागत का 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराता है। 1985 में बोर्ड के संस्थापन के बाद से अब तक इसके द्वारा 138 परियोजनाएं वित्त पोषित की गई हैं। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3814.53 करोड़ रुपये है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों ने इन परियोजनाओं पर 203.69 करोड़ रुपये खर्च होने की सूचना दी है।

(ग) 81 चालू परियोजनाओं में से 35 पर निर्धारित समय समाप्त होने पर भी काम चल रहा है और शेष 46 स्वीकृत समयावधि के अनुसार कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। कार्य पूर्ण होने में विलम्ब की वजह मुख्यत: भूमि अधिग्रहण में समस्या तथा संबंधित कानूनी मुद्दे हैं।

(घ) अभी तक राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों ने लागत में किसी वृद्धि को जोड़कर कोई संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

(ङ) स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार शेष 46 परियोजनाओं के अगले 5 वर्षों में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

'कपार्ट' के अंतर्गत एन.जी.ओ.

2550. श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "कपार्ट" के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को दिये जाने वाले ऋण और अनुदानों हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में "कपार्ट" द्वारा मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं पर राज्य में कौन-कौन से गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या "कपार्ट" ने उक्त अवधि के दौरान इन संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इन संगठनों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की शक्तियां

2551. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों के रूप में कार्य करने वाले राज्यों के राज्यपालों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) अभी तक कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है; और

(घ) शेष सिफारिशों को कब तक स्वीकृत और क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारत के माननीय राष्ट्रपति ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों के रूप में राज्यपालों की भूमिका की जांच करने एवं उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिसम्बर, 1996 में महाराष्ट्र के राज्यपाल डॉ. पी.सी. अलेक्जेण्डर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति द्वारा इस संबंध में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

* कुलाधिपति को चाहिए कि वह कुलपति की नियुक्ति उन व्यक्तियों के पैनल से करें जिसे इस उद्देश्य के लिए गठित खोज समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।
* राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को या किसी सरकारी अधिकारी को इस खोज समिति का पदेन सदस्य बनाना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना विश्वविद्यालय की स्वायत्ता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं होगा।
* हालांकि चयन कर लेने के बाद कुलपति की नियुक्ति के संबंध में कुलाधिपति राज्य सरकार से अनौपचारिक रूप से परामर्श कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार से इस मामले में औपचारिक परामर्श करने या उससे सलाह लेने की कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है।
* विश्वविद्यालय अधिनियमों में यह स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए जिससे कुलाधिपति यह आदेश जारी कर सके कि कुलपति अपने विरुद्ध लम्बित किसी भी प्रकार की जांच के दौरान कुलपति के पदभार का दायित्व नहीं निभाएगा।
* छुट्टी की मंजूरी, यात्रा अनुमति आदि जैसे मामलों में कुलपति पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के हाथ में नहीं होकर कुलाधिपति के हाथ में होगा।
* कुलाधिपति के पास यह अधिकार होना चाहिए कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापां से संबंधित सूचना और अभिलेखों को माँग सके और वह विश्वविद्यालय के हित में उपयुक्त और आवश्यक निर्देश जारी करे।
* कुलाधिपति को पुनरीक्षण करने, निरीक्षण व जाँच करवाने और विश्वविद्यालय को निर्देश जारी करने, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों/निकायों, आदि के सदस्यों को निलम्बित करके अयोग्य ठहराने, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, निकायों, समितियों में नामांकन करने आदि के अधिकार होने चाहिए।

(ग) और (घ) उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट को राज्य सरकारों के पास टिप्पणी के लिए भेजा गया है। राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही इस संबंध में उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सीटों की संख्या

2552. **श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक स्थित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सीटों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) इन महाविद्यालयों में अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं;

(ग) क्या इन महाविद्यालयों के प्रबंधकों तथा कर्नाटक सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से इन महाविद्यालयों में सीटों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कर्नाटक राज्य में इंजीनियरी कालेजों में छात्रों की स्वीकृत संख्या 26337 है।

(ख) कर्नाटक राज्य के इंजीनियरी कालिजों में अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न विषयों में 248 सीटें आरक्षित हैं।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्ष 2000-2001 में मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध क्षेत्रों में एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस संबंध में विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव माँगने हेतु राष्ट्रीय स्तर के सभी अग्रणी समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं।

परती भूमि का विकास

2553. **श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परती क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रयोजनार्थ आबंटित तथा अनप्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में भूमि सुधार को लागू करने व भूमिहीन किसानों को परती भूमि वितरित करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) देश में बंजरभूमि के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्य योजनाओं के बारे में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तीन मुख्य कार्यक्रमों के अंतर्गत बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)
1997-98			
बजट अनुमान	74.50	115.00	70.00
संशोधित अनुमान	50.00	100.75	70.00
वास्तविक व्यय	53.95	100.75	70.00
1998-99			
बजट अनुमान	82.10	95.00	90.00
संशोधित अनुमान	62.10	73.00	80.00
वास्तविक व्यय	62.00	73.00	79.80
1999-2000			
बजट अनुमान	82.00	95.00	85.00
संशोधित अनुमान	82.00	95.00	85.00
वास्तविक व्यय	83.07	94.99	85.00

(ग) बिहार के भूमि सुधार कार्यक्रमों सहित राज्यों के विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों की मुख्यमंत्रियों, राजस्व मंत्रियों तथा राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। बिहार की राज्य सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1999 तक 13.21 लाख एकड़ सरकारी बंजरभूमि क्षेत्र पात्र भूमिहीन किसानों को वितरित किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	निम्नलिखित 13 राज्यों में अभिज्ञात ब्लॉक: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
3.	मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	निम्नलिखित सात राज्यों में अभिज्ञात ब्लॉक: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान

[हिन्दी]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की खानों की सुरक्षा

2554. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की सभी खानों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित रूप से जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुरक्षा जांच के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की खानों में हुई दुर्घटनाओं और उनमें हुई जान-माल की क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं में मारे गए कामगारों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जैसाकि कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की खानों में सभी स्तरों पर लगातार और नियमित रूप से सुरक्षा व्यवस्था की जांच-पड़ताल की जाती है।

(ख) (1) यूनिट/सब एरिया स्तर पर उस क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा पर्यवेक्षक/मुख्य सुरक्षा गार्ड/कंपनी के सुरक्षा विभाग के गश्ती दलों द्वारा दिन-रात जांच की जाती है, महत्वपूर्ण स्थापनाओं/स्थानों की सचल गश्ती दलों को लगाया गया है।

(2) महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों की जांच का काम मुख्यालय स्तर पर मुख्य सुरक्षा/स्टाफ अधिकारियों द्वारा अन्तःक्षेत्र सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाती है। पाई गई कमियों को दूर करने तथा सुधारने के उपाय किये जाते हैं।

(3) भारी धनराशि के भुगतान के लिए धनराशि को सुरक्षित पहुंचाने/सुरक्षा करने की ड्यूटी के लिए राज्य पुलिस की मदद ली जाती है। महंगी पत्रिकाओं तथा महत्वपूर्ण डाक की समय-समय पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा आवधिक जांच की जाती है। समय-समय पर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गश्त भी लगाये जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से रोजमर्रा के मामलों पर भी स्थानीय पुलिस के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जाता है।

(4) नई खानों के खुलने पर उनकी सुरक्षा के लिए आदमी लगाने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था पूर्व सैनिकों की सुरक्षा एजेंसियों (डी.जी.आर., नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत तथा प्रायोजित) को सौंपी जाती है। उनके काम पर लगातार निगरानी भी की जाती है।

(5) महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे आदमियों की सहायता के लिए, सुरक्षा के तकनीकी उपकरण लगाना भी शुरू किया गया है और सभी क्षेत्रीय स्टोरों में इलैक्ट्रोनिक इन्ट्रूडर अलार्म जैसे उपकरण लगाये गए हैं।

(6) सभी महत्वपूर्ण स्थापनाओं की निगरानी करने के साथ-साथ प्रशिक्षित कुत्ता यूनिटें रात को लगाई जाती है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था कठोरता से लागू हो सके।

(ग) सुरक्षा जांच/परीक्षा के दौरान कोई बड़ी खामी नहीं पाई गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान घातक दुर्घटनाओं और सम्पत्ति की हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	संपत्ति की हानि
1997	11	11	शून्य
1998	14	15	शून्य
1999	11	11	शून्य
2000 (जन-जून)	7	17	शून्य

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में दिए गए मुआवजे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भुगतान की गई क्षतिपूर्ति, मारे गए व्यक्ति और खान का नाम का विवरण निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	दुर्घटना की तारीख	खान और क्षेत्र का नाम	दिवंगत व्यक्तियों के नाम	मुआवजा राशि (रुपए में)*
1	2	3	4	5
		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड		
		1997		
1.	14.2.97	शोभापुर/पाथाखेड़ा क्षेत्र	सिकन्दर हुसैन, पे-लोडर आपरेटर	88,480
2.	19.3.97	छिंदा भू.ग./पेंच एरिया	मिश्री, लोडर	100,928
3.	28.3.97	दमुआ/कन्हान	एस.के. फरीद, लोडर	180,000
4.	20.5.97	महादेवपुरी/पेंच	महेश प्रसाद, मैकेनिक	179,685
5.	11.5.97	भट्टडी ओ.का. चन्द्रपुर	जी. रामलु, ठेकेदार वर्कर	159,000
6.	22.6.97	दुर्गापुर ओ.का. चन्द्रपुर	मोतीराम गनवीर, ठेकेदार वर्कर	64,000
7.	19.7.97	गनपति भू.ग. पेंच	रामजी जामु, लोडर	146,200
8.	4.10.97	नंदन1/कन्हान	रघुबीर पारने, ड्रेसर	146,200
9.	2.11.97	टावा भू.ग. पाथाखेरा	एचअरिया, टिम्बर मिस्त्री	156,470
10.	10.12.97	बल्लारपुर भू.ग./ बल्लारपुर क्षेत्र	अम्बादास ठकादजी	175,540
11.	13.12.97	दुर्गापुर रैयतवारी/ चन्द्रपुर क्षेत्र	शंकर गोसाई	178,490
		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड		
		1998		
1.	20.1.98	बल्लारपुर भू.ग.	बलकराम बुधनाथ एक्सप्ल. कैरियर	167,440
2.	10.2.98	लालपेठ ओ.का.	बी.डी. प्रसाद, वेल्डर	189,650
3.	25.2.98	रावनवारा खास	जूंगी, लोडर	149,670
4.	10.4.98	रावनवारा ओ.का.	आर. रेड्डी, ठेकेदार वर्कर	160,013
5.	11.4.98	नकोदा इन्क्लाइन	हलीम खान, लोडर	156,417
6.	31.5.98	महाकाली	आर.बी. दानाओ, रुफ बोल्टर	194,640
7.	22.7.98	गोंडेगांव	एम.आर. दयाल, आपरेटर	186,000

*कामगारों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अनुसार भुगतान की गई क्षतिपूर्ति।

1	2	3	4	5
8.	17.7.98	राजूर पिट्स	जंगलू उकानदीम	163,070
9.	1.8.98	कम्प्टी भू.ग.	अर्जुन लक्ष्मण, टिम्बर मजदूर	184,170
10.	19.9.98	पटानसौंगी	समुंदर लाल, ठेकेदार वर्कर	81,450
11.	2.11.98	दुर्गापुर ओ.का.	एन.एम. रिंगलवार, डम्पर आपरेटर	186,900
12.	20.9.98	नंदन 2	जगन, टिम्बर हैल्पर	189,560
13.	17.11.98	कम्पटी भू.ग.	एच.. कादुकर	153,090
14.	18.11.98	वलनी	रामराव पिलाजी, टिम्बर मजदूर सुकीत राम, टिम्बर मिस्त्री	98,530 89,245
		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड		
		1999		
1.	2.1.99	घुगुस ओ.का.	यादव गडीम, जन. मजदूर	149,670
2.	6.1.99	अम्बारा ओ.का.	श्रीराम जूदेय, एक्सप्ल. कैरियर	156,470
3.	21.1.99	घोरावारी ओ.का.	एस. महालाल, ठेकेदार वर्कर	222,710
4.	1.2.99	नंदगांव इन्क्लाइन	आर.के. शेनडे, फ्रीक्शन रोलर मजदूर	124,700
5.	2.2.99	मथानी	फारुख खान ड्रेसर	135,560
6.	17.7.99	पौनी ओ.का.	श्यामराव डोंगे, वेल्डर हैल्पर	209,920
7.	1.9.99	दमुआ	रामप्रसाद तिवारी, लोडर	175,540
8.	9.9.99	हिन्दुस्तान लालपेठ कोलियरी-1	कोमारा भानईह, ट्रामर	138,130
9.	9.11.99	एच.एल.सी.-3	अमृतलाल गिरधर, लोडर	169,440
10.	16.11.99	बल्लारपुर ओ.का.	रामाकांत बोदीलाल	167,655
11.	7.12.99	पदमपुर ओ.का.	ए.डी. कुलमेथे, ठेके. वर्कर	219,950
		वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड		
		2000 (जनवरी से जून)		
1.	1.2.2000	सतपुरा-2	एल. जगपती, एसडीएल आपरेटर	159,860
2.	4.2.2000	महादेवपुरी	एस. बतान, लोडर एन. सूचित, लोडर	211,790 124,700
3.	19.2.2000	गोंदेगांव	आर.एन. साही, ट्रिपमैन	131,950

1	2	3	4	5
4.	10.3.2000	बल्लारपुर ओ.का.	बी. शिखु, ठेकेदार वर्कर	155,900
5.	10.4.2000	न्यू माजरी कोलियरी नं. 3	पी. रामलु, टिम्बर मिस्त्री	172,520
6.	8.6.2000	नंदन 2	एस.बी. चटर्जी, वरि. अवर प्रबंधक	कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया गया, अत: लागू नहीं होता।
7.	24.6.2000	कवादी ओपनकास्ट	श्रीपत काहु, ओवरमैन	205,950
			एस.के. तिवारी, माइनिंग सरदार	175,540
			पी. पोटराजे, एक्सपीएल. कैरियर	175,540
			बी. मिलमाइल	207,980
			पी. सुखलाल, सामा. मजदूर	221,370
			आर. यादव, सामा. मजदूर	163,070
			एस. देवन, सामा. मजदूर	163,070
			बी. बोंदे, ड्रिल	199,400
			एम. होंदे, ड्रिलर	184,170
			बी. नागरते, ब्लास्टिंग मज.	181,371

*कामगारों की क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अनुसार भुगतान की गई क्षतिपूर्ति।

[अनुवाद]

निधियों का अन्य मदों में लगाना

2555. डा. वी. सरोजा:
श्री बलीराम कश्यप:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए उनको आबंटित धनराशि को अन्य उद्देश्यों हेतु दूसरे मदों में लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि को दूसरे मदों में खर्च न पाएं या उसका दुरुपयोग न कर सकें, यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास की विद्यमान योजनाओं के लिए आबंटित निधियों के अन्यत्र उपयोग का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) निधियों के आबंटन संबंधी मंजूरी आदेशों में यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि केन्द्र द्वारा रिलीज की गई निधियों का उपयोग

दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अनुसार केवल अनुमोदित कार्य को मदों पर किया जाना चाहिए। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दूसरी किस्तों को कार्यान्वयन एजेंसियों से इस आशय का प्रमाण प्राप्त होने पर ही रिलीज किया जाता है कि निधि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजनार्थ किया गया है और निधि का अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

बिहार की कोयला खानों में आग की दुर्घटना

2556. श्री अरुण कुमारः क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में धनबाद और बोकारो की अनेक कोयला खानें पिछले कई वर्षों से आग की चपेट में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारण आम आदमी के जीवन को कोई खतरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आग बुझाने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) जी, हां। झरिया कोलफील्ड्स की कुछ कोयला खानों में अनेक वर्षों से आग मौजूद है। बोकारो की कारगली ओपनकास्ट और बोकारो की बोकारो ओपनकास्ट खान में आग लगी हुई है। झरिया कोलफील्ड्स में, राष्ट्रीयकरण के बाद लगाये गए एक अनुमान के अनुसार इन अग्नियों की संख्या 70 थी और इस आग का विस्तार 17 वर्ग किलोमीटर में था। 49 कोयला खानों की कोयला सीमों में इसका प्रभाव पड़ा था। झरिया कोलफील्ड्स की ऊपरी जमीन की सतह पर इन अग्निकांडों का प्रभाव पड़ा है और वहां ऊपर की जमीन के धंस जाने का खतरा है। बोकारो और कारगली ओपनकास्ट खानों में चालू खानों की कोयला सीमों में आग लगी तो है लेकिन आम लोगों के जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है।

(ङ) झरिया कोलफील्ड्स में आग की समस्या पर सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण के बाद से ही ध्यान दिया जा रहा है। इन अग्निकांडों से जूझने के लिए 1975 से 1988 तक 22 अग्नि शमन परियोजनाएं तैयार की गई हैं। जटिल भू-खनन स्थितियों और कोलफील्ड्स के ऊपर फैली हुई आबादी के कारण इन अग्नि कांडों से निपटना अत्यंत कठिन रहा है। इन परिस्थितियों के बावजूद बी.सी.सी.एल. द्वारा किए गए प्रयास काफी हद तक सफल रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप आग से प्रभावित सतही क्षेत्र 40% (9 वर्ग किलोमीटर) कम हुआ है और 10 अग्नियों को बुझाने में सफलता मिली है।

झरिया कोलफील्ड्स अग्नि (जे.सी.एफ.) की आग बुझाने के लिए एक "अग्नि शमन कार्यक्रम" और एक "पर्यावरण प्रबंध योजना" तैयार करने हेतु दो अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता नियुक्त किए गए थे। अग्निशमन कार्यक्रम के लिए उपचारात्मक अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। जे.सी.एफ. के लिए पर्यावरण निगरानी योजना भी तैयार कर ली गई है।

रानीगंज और झरिया में अग्निकांड और जमीन धंसने की समस्याओं पर गौर करने के लिए और उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1998 में प्रस्तुत कर दी है। इस समिति की सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है।

अग्निकांडों, भूमि में धंसाव पर नियंत्रण और खतरनाक तथा अन्य कोयलाधारी क्षेत्रों की आबादी के पुनर्वास की समस्याओं को हल करने के लिए सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

[अनुवाद]

शैक्षिक कार्यक्रम

2557. श्री पी.डी. एलानगोवनः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ए वी आर सी आदि जैसे विभिन्न शैक्षिक (फिल्म और वृत्त-चित्र) कार्यक्रम निर्माण इकाइयों के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम बनाने की नई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ए वी आर सी द्वारा कितने कार्यक्रम बनाए गये और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च हुई और निकट भविष्य में कितने कार्यक्रम बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में ए वी आर सी की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 10 श्रव्य-दृश्य अनुसंधान केन्द्र और 7 शिक्षा मीडिया अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र 1984 से शैक्षिक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। मीडिया केन्द्रों द्वारा अब तक ऐसे 6700 कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर और सभी क्षेत्रीय ट्रान्समीटरों पर प्रसारित किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के प्राथमिक लक्षित दर्शक छोटे कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कालेज छात्र होते हैं। ये कार्यक्रम केवल पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं होते अपितु इन्हें दर्शकों के ज्ञान का दायरा बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है।

(ग) इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपये में)

	निर्मित कार्यक्रमों की संख्या	खर्च की गई राशि
1997	511	799.76
1998	447	740.64
1999	425	948.22
कुल	1383	2488.62

प्रत्येक वर्ष लगभग 450 कार्यक्रम तैयार किये जाने का प्रस्ताव है।

(घ) इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक सुविधा योजनायें

2558. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी नागरिक सुविधा योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) केन्द्र सरकार के पास लंबित जल आपूर्ति, सीवरेज व स्वच्छता की नागरिक सुविधा योजनाओं, का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित संलग्न विवरण में दिया गया है:

(1) 97,591.13 लाख रुपये की कुल ऋण राशि की 38 योजनाएं हडको के विचाराधीन हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(2) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत 1999.01 लाख रुपए परियोजना लागत की 12 योजनाएं लंबित हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया है।

(ख) इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

विवरण I

हडको के विचाराधीन जल आपूर्ति, सीवरेज व स्वच्छता की राज्य-वार योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	योजनाओं की कुल संख्या	कुल ऋण सहायता (लाख रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	14	7729.18
2.	असम	1	10,000.00
3.	गोवा	1	1,500.00
4.	कर्नाटक	5	28,468.90
5.	केरल	5	12,970.00
6.	मध्य प्रदेश	1	700.00
7.	महाराष्ट्र	8	34,323.05
8.	मेघालय	1	700.00
9.	तमिलनाडु	1	200.00
10.	उत्तर प्रदेश	1	1000.00
	योग	38	97,591.13

विवरण II

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम योजना के अंतर्गत लंबित योजनाओं का ब्यौरा

	राज्य	परियोजना लागत (लाख रुपये)
	1	2
हरियाणा		
1.	फिरोजपुर झिरका	88.00
2.	महेन्द्रगढ़	376.50

1	2
3. नूह	174.00
कर्नाटक	
4. तुरुवेकरे	273.80
मध्य प्रदेश	
5. बैहार	128.00
6. कोठी	46.70
7. खुजनेर	286.50
8. जीरापुर	120.00
9. थंकामारिया	58.30
10. पंडारिया	76.65
11. बेमेतारा	141.30
12. बरेला	229.26
योग	1999.01

बच्चों के जन्म का पंजीकरण

2259. श्री के. येरननायडू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में प्रति वर्ष करीब दस मिलियन बच्चों के जन्म का पंजीकरण नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो देश में सभी बच्चों के जन्म का पंजीकरण अनिवार्य करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) राज्यों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार यह अनुमान है कि देश में एक वर्ष में होने वाले लगभग 2.5 करोड़ जन्मों में से लगभग 1.35 करोड़ जन्म ही रजिस्टर किये जाते हैं। अत: 1.15 करोड़ जन्म रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं।

(ख) जन्मों के पूर्ण रजिस्ट्रीकरण के लक्ष्य को अभिप्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं।

(1) गृह मंत्री ने उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं जिनमें रजिस्ट्रीकरण बहुत कम हो रहा है। गृह सचिव ने भी एक से अधिक बार मुख्य सचिवों से राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य की ओर विशेष ध्यान दिए जाने का अनुरोध किया है।

(2) देश के कई भागों में जन्मों के कम रजिस्ट्रीकरण का एक मुख्य कारण यह है कि आम जनता में रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता और उसके महत्व के बारे में जागरूकता का अभाव है। अत: जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले कुछेक वर्षों के दौरान कतिपय प्रचार अभियान चलाए गए हैं। इसके लिए विभिन्न माध्यमों जैसे रेडियो, टी.वी., डाक लेखन सामग्री, सिनेमा स्लाइडें, पोस्टर और स्टीकर आदि का उपयोग किया गया है।

(3) हालांकि घर में हुए जन्म की सूचना देने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की है लेकिन विभिन्न कारणों से ऐसे जन्मों की सूचना रजिस्ट्रार को नहीं दी जाती है। महारजिस्ट्रार के कार्यालय की सलाह पर कुछ राज्यों ने इन जन्मों को रजिस्टर कराने में सहायता करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, चौकीदारों आदि को सूचनदाताओं के रूप में पदनामित किया है।

(4) राज्यों को ऐसे दोषी चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की सलाह दी गई है जो संस्थान में होने वाले जन्मों की सूचना स्थानीय रजिस्ट्रार को समय पर नहीं देते हैं।

(5) भारत के महारजिस्ट्रार ने 1996 से लेकर लगातार चार वर्षों तक सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रारों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठकें की हैं। इन बैठकों में प्रत्येक राज्य के कार्य निष्पादन की अलग-अलग समीक्षा की गई और राज्यों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में सुधार लाने हेतु नीतियां तय की गई।

(6) भारत के महारजिस्ट्रार ने कम कार्य निष्पादन वाले पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) की पहचान करके इन राज्यों में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए विशेष बैठक के दो दौर आयोजित किये हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) का पाठ्यक्रम

2560. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का डिप्लोमा/डिग्री संबंधी पाठ्यक्रम किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों विशेषकर महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनमें यह पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अपना पाठ्यक्रम है। इसलिए पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाना

2561. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समूची भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा और बाड़ लगाने का काम कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इस समय चल रहे सीमा सड़कों के निर्माण तथा बाड़ लगाने के कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्, जहां तक तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

(ख) 980.79 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है। बाड़ लगाने का कार्य सन 2007 तक पूरा किया जाना है।

(ग) मई, 2000 तक, 2357.75 कि.मी. सड़कों के निर्माण (20465.07 मीटर पुल सहित) और 830.61 कि.मी. में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

डब्ल्यू.सी.एल. में खुले मुहाने वाली नई कोयला खानें

2562. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की तीन नई ओपनकास्ट की कोयला खानों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक खान से कितने कोयले का खनन हुआ है;

(ग) इस पर कितना खर्च आया है; और

(घ) इस संबंध में कोयले की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां। पिछले तीन वर्ष के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में उकनी, मुगोली तथा गोंडेगांव ओपनकास्ट परियोजनाएं (50 करोड़ रु. और अधिक लागत वाली) पूरी की गई है।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों में इन परियोजनाओं के उत्पादन, इन पर हुए व्यय और बिक्री से प्राप्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	कोयला उत्पादन (मि.ट.)	पूंजी व्यय (करोड़ रु.)	राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	कुल बिक्री (निवल) (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
उकनी ओ.का.	1997-98	1.156	08.83	37.05	71.58
	1998-99	1.208	04.85	42.27	68.93
	1999-2000	1.278	01.84	40.39	88.24

1	2	3	4	5	6
मुगोली ओ.का.	1997-98	0.771	27.10	24.36	37.66
	1998-99	0.950	08.94	29.46	61.03
	1999-2000	1.006	05.72	32.01	60.52
गोंडेगांव ओ.का.	1997-98	0.377	22.06	15.74	29.29
	1998-99	0.619	07.93	23.90	48.37
	1999-2000	0.701	06.25	33.06	45.55

[हिन्दी]

"भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड" के अधीन सरकारी उपक्रम

2563. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड" के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की हालत दिन-ब-दिन खस्ता होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) इस हेतु जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी सलाहकार समिति

2564. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय में और इसके सम्बद्ध विभागों में हिन्दी सलाहकार समिति के गठन की प्रक्रिया को किस तरह से पूरा किया गया है और इसके सदस्य कौन-कौन से हैं;

(ख) इसकी बैठक किस तारीख को होने की संभावना है और इसके विचारार्थ विषय कौन-कौन से हैं;

(ग) इसकी बैठक को बुलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने और इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरा होते ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करके शीघ्र ही इसकी बैठक आयोजित की जाएगी।

(ग) और (घ) समिति के पुनर्गठन न होने के कारण इसकी कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। इस समिति का गठन होते ही इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जायेंगी।

[अनुवाद]

वीमेन इकॉनामिक प्रोग्राम

2565. श्री विक्रम केशरी देव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमेन्स इकॉनामिक कार्यक्रम-फेज-2 (जिसे पहले महिलाओं हेतु प्रशिक्षण और उत्पादन-नोराड योजना के नाम से जाना जाता था) के तहत वास्तविक निष्पादन के क्रम में लाभार्थी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या काम करने वाली एजेंसियों को किन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) नोएडा स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	लाभार्थी
1997-98	17725
1998-99	35160
1999-2000	21780

(ख) स्कीम का कार्यान्वयन मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। लाभार्थियों की संख्या उनसे प्राप्त प्रस्तावों तथा स्कीम के लिए किए गए वित्तीय आवंटन पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त बहुत से प्रस्ताव अपूर्ण थे और इसलिए औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उन्हें वापस भेजना पड़ा। इस कारण प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब हुआ।

(ङ) और (च) सरकार उड़ीसा से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर उपलब्ध आबंटन के भीतर दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार करेगी।

जम्मू और कश्मीर में युद्ध विराम

2566. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जुलाई, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "हिजबुल्स सीजफायर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या हिजबुल मुजाहिदीन ने युद्धविराम की अपनी घोषणा करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) सरकार को बिना शर्त और मार्थक बातचीत करने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा घोषित संघर्ष विराम के संबंध में, मीडिया रिपोर्टों को जानकारी है। इस पहल का स्वागत करते हुए और जम्मू तथा कश्मीर के लोगों द्वारा शांति पहलों को दिए गए समर्थन को संज्ञान में लेने और शांति की बहाली की आवश्यकता को मानते हुए, सरकार ने एच.एम. के नेताओं से सामने आने और बातचीत शुरू करने के लिए आवश्यक तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करने और शांति बहाली के लिए आधार तैयार करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव के साथ सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, एच.एम. के प्रतिनिधियों के साथ प्रारम्भिक सम्पर्क स्थापित किया गया है। सरकार, राज्य में शांति और सामान्य हालत बहाल करने के लिए सभी उग्रवादी ग्रुपों और राजनैतिक नेताओं को भी आगे आने का निमंत्रण देती है।

रेल लाइनों का धंस जाना

2567. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कुछ कोयला खानों के ऊपर से आसपास गुजरने वाली कुछ रेल लाइनें निरंतर धंसती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेल लाइनों को और आगे धंसने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा यह सूचित किया गया है कि सी.आई.एल. के कमान क्षेत्र के अंतर्गत धंसाव की कोई घटना जिस कारण कोयला खानों से गुजरने/ऊपर से गुजरने वाली रेल लाइनें धंस रही हैं, उनकी जानकारी में नहीं आई हैं। तथापि, आसपास के क्षेत्रों में पूर्व-राष्ट्रीयकरण 30 वर्षों से अधिक से

मौजूदा आग के कारण निम्नलिखित रेल लाइनों के प्रभावित होने की संभावना है:

(1) धनबाद-चन्द्रपुर कोर्ड लाइन (पूर्वी रेलवे)

(2) धनबाद-पाथरडीह-सुदामडीह रेल लाइन (पू. रेलवे)

(3) आदरा-गोमो रेल लाइन (दक्षिण पूर्व रेलवे)

बी.सी.सी.एल. द्वारा रेल लाइनों की सुरक्षा हेतु की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है:

1. धनबाद-चन्द्रपुर कोर्ड लाइन (पू.रे.)

(1) बास्सूरिया और एस. बांसजोरा में रेल लाइन की सुरक्षा हेतु आग को अलग करने के लिए अलग करने वाली खाइयां बनाई गई हैं।

(2) एस. बांसजोरा में रेल लाइन की ओर बढ़ती आग को रोकने के लिए भूतल सीलिंग कर दी गई है।

(3) खास कुसुंडा में कुसुंडा यार्ड के स्थिरीकरण हेतु 0.4963 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली एक योजना कार्यान्वयनाधीन है।

2. धनबाद-पाथरडीह-सुदामडीह रेल लाइन (पू.रे.)

(1) "झरिया खान आग तकनीकी सहायता परियोजना" नाम की विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत इस बारे में अध्ययन किया गया है तथा संबंधित अंतिम रिपोर्ट मई, 1997 में प्रस्तुत की गई है जिसमें उन्होंने दर्शाया है कि लोडना, बागडिगी और बरारी खानों के पास रेल लाइन के संकटग्रस्त होने की आशंका है और सबसे उपयुक्त उपाय रेल यातायात को मोड़ना है।

(2) लोडना में पथ की सुरक्षा के लिए बोरहोल्स के माध्यम से सीमेंट पिलाई कर दी गई है और अलग करने वाली खाइयां बना दी गई हैं।

(3) बागडिगी और बरारी खानों में आग के बढ़ने को रोकने के लिए अलग करने वाली खांइयां और मिट्टी के साथ दबाने के बचाव उपाय कर दिए गए हैं।

(4) लोडना-साउथ लोडना आग की जगह पर आगों से निपटने हेतु 3.34 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक योजना कार्यान्वयनाधीन है, जो रेल लाइन की सुरक्षा करेगी।

(5) सुदामडीह पूर्वी किनारे XI/XII, XIV/XIVक पर रेल पथ की ओर बढ़ रही आग को नियंत्रित करने हेतु सीमों को दबा दिया गया है।

(6) नई योजनाएं

(1) इसके अलावा, लोडना और बागडिगी में इस लाइन की सुरक्षा हेतु स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के अंतर्गत 6.11 करोड़ रु. के कुल निवेश वाली एक योजना तैयार की गई है, जो एस.एस.आर.सी. के अनुमोदनाधीन है।

(2) बरारी में एसएसआरसी के अंतर्गत रेल-पथ की सुरक्षा के लिए 4.95 करोड़ रु. की एक अन्य योजना एसएसआरसी के अनुमोदनाधीन है।

इन योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले आवश्यक कार्य-सीम सैंड स्टोइंग, बोरहोल्ड सैंड स्टोइंग, सरफेस सीलिंग, दबाना आदि हैं।

3. आदरा-गोमो रेल लाइन (द.पू.रे.)

(1) आग के बढ़ने पर नियंत्रण हेतु गोपालीचक कोलियरी में सरफेस सीलिंग के अतिरिक्त XVI सीम तल तक अलग करने वाली खाइयां बनाई गई हैं।

(2) नई योजना

(क) फुलारीटांड और खंड-II ओसीपी में रेल लाइन की सुरक्षा के लिए एसएसआरसी के अंतर्गत 5.24 करोड़ रु. के निवेश की एक योजना अनुमोदनाधीन है।

(ख) सुदामडीह में रेल लाइन की सुरक्षा के लिए एसएसआरसी के अंतर्गत 8.24 करोड़ रु. के निवेश (पाथरडीह-भोजूडीह लाइन हेतु भी) की एक योजना अनुमोदनाधीन है।

इन योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य—वाटर पूलों का निर्माण, बोरहोल्ड सैंड स्टोइंग, सरफेस सीलिंग, दबाना आदि हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सी.आर.पी.एफ. का भर्ती केन्द्र

2568. डा. बलिराम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में सी.आर.पी.एफ. में सिपाही से एसिस्टेंट कमांडेन्ट पद तक के भर्ती के लिए कुल कितने भर्ती केन्द्र हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार भर्ती केन्द्रों को कमिश्नरी-वार खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, जो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समेत केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों का कोई स्थायी भर्ती केन्द्र नहीं है। तथापि, उस अवधि के लिए, जब कांस्टेबलों की भर्ती की जानी होती है, जहां आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां अस्थायी केन्द्र खोले जाते हैं।

उप-निरीक्षकों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) द्वारा की जाती है और सहायक कमांडेन्ट की भर्ती इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष चयन बोर्ड (एस.एस.बी.) द्वारा की जाती है और इसका आयोजन अखिल भारतीय प्रतियोगता के आधार पर किया जाता है। भर्ती केन्द्रों का निर्णय एस.एस.सी. और एस.एस.बी. द्वारा किया जाता है।

स्थायी भर्ती केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अर्द्ध सैनिक बल

2269. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्तिः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989 में वैकल्पिक आधार पर कतिपय सिविलियन संवर्ग को समाघात बल के रूप में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में शामिल करने संबंधी कोई आदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना में कितने कार्मिक शामिल हुए तथा आज की तारीख के अनुसार इसमें असैनिक संवर्ग की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में असैनिक व्यक्तियों को वर्ष 1989 के बाद शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना में शामिल होने का विकल्प देने वाले सिविलियन संवर्ग के कार्मिकों तथा वर्ष 1989 में अर्द्ध सैनिक बलों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की सेवा काल में प्रोन्नति का संरक्षण सुनिश्चित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(1) कम्बाटाइज्ड पदों के लिए रैंक और वेतनमानों की समानता, बलों द्वारा अंगीकार करने हेतु स्पष्ट रूप से उल्लिखित की गई थी।

(2) कम्बाटाईजेशन पर, इन पदों के पदधारियों को संबंधित बल के अधिनियम/नियमों द्वारा शासित किया जाना है।

(3) इस सरकारी संस्वीकृति द्वारा कम्बाटाइज्ड किए गए विभिन्न श्रेणी के पदों में रिक्तियों पर सभी आगामी नियुक्तियां/भर्ती, कम्बाटाइज्ड रैंक में होनी थी।

(4) सिविलियनों को कम्बाटाईजेशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा।

इस स्कीम के लिए अपना विकल्प देने वाले केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल कार्मिकों की संख्या 6581 थी और आज की तारीख में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल के सिविलियन संवर्ग की नफरी 2048 है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। 1989 के पश्चात विभिन्न केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के सिविलियन संवर्ग में 38 कार्मिक भर्ती किए गए थे।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान्। भर्ती नियमों के अनुसार ऐसे सिविलियन संवर्ग अधिकारियों के लिए सामान्य पदोन्नति चैनल उपलब्ध हैं बशर्ते कि पद/रिक्तियां उपलब्ध हों।

महिलाओं और बच्चों के लिए कृतिक बल

2570. श्री चिंतामन वनगाः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों द्वारा महिलाओं और बच्चों के हित में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा समिति ने क्या-क्या सिफारिशें कीं;

(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं के लिए निर्धारित राशि का उपयोग करने हेतु विशेषकर महिलाओं के लिए बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कुछ प्रभावकारी कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने; कानूनों, सार्वजनिक नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए महिला प्रगति हेतु संस्थागत तंत्रों के विकास पर विचार करने और सिफारिशें करने; महिला घटक योजनाओं तथा समेकित महिला विकास स्कीमों की समीक्षा/निरूपण करने तथा जहाँ आवश्यक हो, उनके विलय और समेकन/छंटाई के सुझाव देने तथा वर्ष 2001 को 'महिला शक्तिसम्पन्नता वर्ष' के रूप में मनाने के लिए कार्यक्रम का प्रारूप तैयार करने हेतु एक कार्यदल का गठन करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

गोदाम/शीतागार

2571. श्री राजो सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में जिलेवार और क्षमता-वार कितने गोदामों/शीतागारों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या राज्य में गोदामों/शीतागारों की संख्या आवश्यकतानुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में और अधिक गोदाम और शीतागारों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बलात्कार के मामलों की सुनवाई

2572. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बलात्कार पीड़ितों को बलात्कार के मामलों की सुनवाई के दौरान अशोभनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बलात्कार के मामलों की सुनवाई गोपनीय तरीके से कराने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक लाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) बलात्कार के मामलों का विचारण बंद कमरे में करने और इस प्रकार के विचारण से संबंधित किसी भी मामले को मुद्रित या प्रकाशित होने से रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 327 में निहित वर्तमान उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई विधायी प्रस्ताव नहीं है।

स्वायत्तता हेतु बैठक

2573. श्री रामदास आठवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में 17 जुलाई, 2000 को जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता के प्रस्ताव के बारे में नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए कोई उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक से क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मंत्री 17 जुलाई को प्रधान मंत्री से मिले थे। दोनों में यह सहमति हुई कि भारत सरकार, राज्यों को शक्तियों के हस्तांतरण के विषय पर जम्मू तथा कश्मीर राज्य से सम्पर्क बनाए रखेगी। तथापि, इस प्रकार के हस्तांतरण के ब्यौरे और तौर-तरीकों पर बैठक में विचार-विमर्श नहीं हुआ था।

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं से छेड़खानी

2574. श्री तूफानी सरोज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2000 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में छेड़खानी से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज परिसरों और राजधानी के अन्य भागों में महिलाओं से छेड़खानी की घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने प्रकाशित समाचार में उल्लिखित तीन घटनाओं में से दो के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज किए हैं और चार अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। तीसरे मामले को बंद कर दिया गया क्योंकि अपराधी लड़कों द्वारा लड़की से माफी मांग लेने पर शिकायतकर्त्ता ने अपनी शिकायत वापिस ले ली।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपायों में लड़कियों/महिलाओं के संस्थानों के नजदीक अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों की तैनाती; रैंगिंग और छेड़खानी के विरुद्ध समाचार-पत्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान; विशेष तौर पर सत्र के शुरुआत में विश्वविद्यालय परिसर में और उसके आस-पास सादे कपड़ों में कार्मिकों की तैनाती; पुलिस नियंत्रण कक्ष में वूमन हेल्प लाइन की स्थापना; और महिलाओं की समस्याओं के प्रति पुलिस कार्मिकों को सुग्राही बनाना शामिल है।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी

2575. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को भागीदारी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से सरकार भिन्न-भिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती है। प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं, नामतः जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और इंदिरा आवास योजना इन सभी योजनाओं को बनाने में महिलाओं को स्थान दिया गया है। कृषि से जुड़ी महिलाओं के लिए 12 राज्यों में, प्रत्येक राज्य के एक जिले में, एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिला किसानों को समूहबद्ध करने के लिए उन्हें प्रेरित, जागृत और संगठित करना और इन समूहों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण, विस्तार और निवेश आदि जैसी कृषि को मदद करने वाली सेवाओं को उन तक पहुंचाना है। छोटी और मध्यम आकार की कृषि से जुड़ी महिलाओ को प्रशिक्षण देने और विस्तार के लिए समर्थन देने वाली योजनाओं/परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता अथवा बाह्य सहायता से कार्यान्वित किया जाता है।

विश्वविद्यालयों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र

2576. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन्हें जारी किए गए अनुदानों के संबंध में व्यय संबधी प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्र भेजना होता है;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों/कालेजों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकार को यह उपयोग प्रमाणपत्र/व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) उन कालेजों/विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों से उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात का उत्पादन

2577. श्री सुनील खां: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान तथा चीन जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में इस्पात की उत्पादन लागत कितनी है; और

(ख) इन देशों की तुलना में भारत में इस्पात के विभिन्न घटकों जैसे कच्चे माल, श्रम, भंडार तथा ऊर्जा की लागत कितनी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) उत्पादन की लागत एक वर्गीकृत सूचना है इसे प्रकट करना संगठन के वाणिज्यिक हित में नहीं है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स/कास्ट मानीटर में उल्लिखित यू.एस.ए., यू.के., जर्मनी, जापान तथा सेल (भारत) के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(डॉलर/टन विक्रेय इस्पात)

	यू.एस.ए.			यू.के.			जर्मनी			जापान			सेल (4 संयंत्र)		
	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98	96	97	98
कच्चा माल	148	150	149	149	149	148	161	157	156	124	121	116	134	121	109
श्रम	153	147	147	105	108	118	179	153	151	148	123	120	56	53	51
भंडार एवं अन्य सामग्री लागत	104	105	107	114	121	123	117	102	102	140	128	119	69	62	51
ऊर्जा	64	64	57	38	38	38	45	41	38	48	49	44	38	36	30
योग	513	507	502	443	456	472	564	504	498	557	502	477	346	331	312

चीन से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
सेल की लागत वित्तीय वर्ष के संबंध में है और अन्य देशों के संबंध में यह कलैण्डर वर्ष की है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

2578. श्री कृष्णमराजू:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरकार की तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति के बिना पंचायत किसी अनुमोदित कार्य पर किस सीमा तक धन खर्च कर सकती है;

(ग) परियोजनाओं संबंधी मार्गदर्शन, समन्वय, निरीक्षण और निगरानी का समग्र उत्तरदायित्व किस पर है;

(घ) योजना के अंतर्गत महिला मजदूरों के लिए आरक्षित प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों से योजना के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का विकास करना है। यह योजना पूर्णतया ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित की जाती है। राज्य अंश सहित समस्त निधियां ग्राम पंचायत को जारी की जाती हैं। ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के अनुमोदन से आवश्यकता आधारित कार्य शुरू करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। निधियों का 22.5% अनु. जातियों/अनु. जनजातियों की व्यक्तिगत लाभार्थी योजना के लिए निर्धारित है। वार्षिक आबंटन के 3% का उपयोग असहायों के अवरोध रहित बुनियादी ढाँचे का सृजन करने के लिए किया जाना है।

(ख) ग्राम पंचायतें तकनीकी/प्रशासनिक अनुमोदन के बिना ही 50,000 रुपए तक के कार्यों/योजनाओं को संचालित कर सकती हैं।

(ग) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को परियोजनाओं के समग्र निदेशन, समन्वयन, निरीक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(घ) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत रोजगार अवसरों का 30% महिलाओं के लिए आरक्षित है।

(ङ) और (च) मंत्रालय को विभिन्न राज्यों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतें संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं जो गलती करने वाले सरकारी/गैर-सरकारी कार्यान्वयन अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए समुचित प्राधिकरण हैं। 1999-2000 के दौरान प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) लीकेज को रोकने सहित कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) ग्राम सभा द्वारा कार्यों और लाभार्थियों का चयन।

(2) ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा।

(3) खंड, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन।

(4) निधियों के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त जारी करने के लिए उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा रिपोर्ट आवश्यक हैं।

(5) निधियों के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त जारी करने से पहले जिला प्राधिकारी से गबन न किए जाने/अन्यत्र उपयोग न करने का प्रमाण-पत्र।

(6) क्षेत्र अधिकारी योजना के अंतर्गत मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरे। जिला और राज्य अधिकारियों द्वारा मौके पर सृजित परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन।

विवरण

1999-2000 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से संबंधित प्राप्त शिकायतों की सूची

क्र.सं.	राज्य	से प्राप्त	विषय
1	2	3	4
1.	असम	श्री विश्वरूप भट्टाचार्जी महासचिव (भा.ज.पा.) करीमगंज	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा ग्रामीण विकास निधियों के दुरुपयोग और कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन संबंधी शिकायत।
2.	बिहार	श्री फूक्ना सिंह सामाजिक कार्यकर्त्ता-संयुक्त सचिव जिला भारत सेवक समाज, बेगुसराय	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की निधियों का दुरुपयोग
		श्री पंकज कुमार सिंह वकील-गोडा जिला	जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं
		श्री अरविंद कुमार सिंह अध्यक्ष, कल्याण कांग्रेस कमिटी जि. समस्तीपुर	जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं
		श्री नीतीश कुमार केन्द्रीय कृषि मंत्री, नई दिल्ली	ग्राम भागेश्वरी, मुंगेर (बिहार) में पंचायत और जिला अधिकारियों द्वारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की निधियों का दुरुपयोग।

1	2	3	4
3.	उत्तर प्रदेश	श्री राजमंगल मिश्रा ग्राम सुरपुर काशीपुर परगना, जिला सुल्तानपुर	जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन
		श्री श्यामराज खंड ग्यानपुर जिला भदोई	जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों का घोर उल्लंघन
		श्री हरिओम सिंह, ग्राम-मैनी भवखेड़ा, खंड-औरस जि. उन्नाव	ग्राम प्रधान और खंड अधिकारियों द्वारा जवाहर रोजगार योजना की निधियों का दुर्विनियोजन
		श्री संतोष गुप्ता, पत्रकार	ग्राम पंचायत पुराकालन, तहसील तालबेहल जि. ललितपुर के ग्राम प्रधान और खंड अधिारियों द्वारा जवाहर रोजगार योजना की निधियों का दुर्विनियोजन
4.	उड़ीसा	श्री अर्जुन चरण सेठी, सांसद	भद्रक जिले में जवाहर रोजगार योजना की निधियों का दुरुपयोग
5.	मध्य प्रदेश	श्री ज्ञान सिंह, सांसद	शहडोल जिले में ज.रो.यो. की निधियों का दुरुपयोग
6.	प. बंगाल	श्री आर. के. परमार, उप सलाहकार, इन्होंने आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप श्री ए.के. पांजा की शिकायत अग्रेषित की।	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितताएं दिनांक 9.7.1999 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित
		सचिव (ग्रा.वि.) भारत सरकार	ज.रो.यो. की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की विद्युत उत्पादन इकाई

2579. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक विद्युत-उत्पादन इकाई चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और जून, 2000 तक विद्युत का उत्पादन करने के लिए कितने प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया गया;

(घ) मार्च, 2000 तक इस परियोजना के निर्माण पर कितना निवेश किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान प्रति यूनिट बिजली की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। सेल अपने चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों में निजी विद्युत संयंत्र चला रहा है।

सेल के निजी विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	संयंत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	110
2.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	140
3.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	245
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र	302
	योग	797

इसके अतिरिक्त, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट में 6 मेगावाट क्षमता का एक डीजल जेनरेटिंग सैट है जो अब प्रचालनरत नहीं है।

(ग) इन विद्युत संयंत्रों की पिछले तीन वर्षों और जून, 2000 तक (चालू वर्ष के लिए) की क्षमता उपयोगिता नीचे दी गई है:

क्र.सं.	संयंत्र	97-98	98-99	99-2000	2000-01*
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	85%	87%	92%	89%
2	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	61%	57%	58%	58%
3.	राउरकेला इस्पात संयंत्र	55%	58%	58%	63%
4.	बोकारो इस्पात संयंत्र	46%	48%	42%	49%

*अप्रैल-जून, 2000

(घ) 31.3.2000 तक विद्युत संयंत्रों के निर्माण पर किया गया निवेश (निवल ब्लॉक+पूंजीगत चल रहे कार्य) (डब्ल्यू आई पी) निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए)

	भिलाई इस्पात संयंत्र	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	राउरकेला इस्पात संयंत्र	बोकारो इस्पात संयंत्र	4 संयंत्र
निवल ब्लॉक+ डब्ल्यू आई पी	113.81	56.31	248.51	218.80	637.43

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रति इकाई विद्युत उत्पादन की लागत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

लागत प्रति यूनिट (रुपए)

97-98	98-99	99-2000 (अनंतिम)
1.52	1.40	1.69

भू-संसाधनों पर कार्यशाला

2580. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के भू-संसाधन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है और पर इस कितना खर्च आया; और

(घ) इसमें क्या निर्णय लिया गया और किन-किन निर्णयों को सरकार ने स्वीकार किया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीच्यूट (ओ.डी.आई.) और डी.एफ.आई.डी. लंदन के सहयोग से ''सतत जीविका के संदर्भ में ग्रामीण गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों की विविधता और उनके प्राप्त होने के बारे में एक अध्ययन'' के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। यह अध्ययन ओ.डी.आई. के नेतृत्व में एक संकाय (कानसारटियम) द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यशाला 30 जून और 1 जुलाई, 2000 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ग) इस कार्यशाला में केन्द्रीय सरकार, चयनित राज्य सरकारों, और भूमि संसाधन के प्रबंधन के कार्य से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों तथा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यूनाइटेड किंगडम बंगलादेश और नेपाल से भी कुछेक प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया था। भूमि संसाधन विभाग द्वारा इस कार्यशाला के आयोजन पर किया गया कुल व्यय लगभग 1.26 लाख रुपये है। अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय विशेषज्ञों (गैर-सरकारी संगठनों आदि) के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते, भोजन, ठहरने और परिवहन आदि की व्यवस्था पर हुए कुल व्यय को ओ.डी.आई./डी.एफ.आई.डी. लंदन द्वारा वहन किया गया था।

(घ) कार्यशाला का आयोजन प्रस्तावित अनुसंधान अध्ययन के लिए निविष्टियों को प्राप्त करने हेतु किया गया था। इस प्रकार सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाना अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

पेयजल

2581. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्रीमती हेमा गमांग:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री राम प्रसाद सिंह:
श्री शिवाजी माने:
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिए उक्त उद्देश्य के लिए बजट आबंटन में भी वृद्धि कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने धन के अभाव के कारण अधूरी पड़ी परियोजनाओं को धन प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार का विचार जल संसाधन प्रबंधन परियोजना को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सरकार की 5 वर्षों में सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य सूची का विषय है। राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारें ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित करती रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। अपनी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें स्वीकृत और कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार, निधि उपलब्ध होने पर देश के सभी ग्रामीण बसावटों को पांच वर्षों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

(छ) वर्तमान में जल संसाधन प्रबंधन परियोजना को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता लेने का कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2000-2001
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11600.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	3492.00
3.	असम	5898.00
4.	बिहार	9380.00
5.	गोआ	1404.00
6.	गुजरात	7085.00
7.	हरियाणा	1943.00
8.	हिमाचल प्रदेश	5091.00
9.	जम्मू कश्मीर	8788.00
10.	कर्नाटक	10350.00
11.	केरल	5746.00
12.	मध्य प्रदेश	11109.00
13.	महाराष्ट्र	16934.00
14.	मणिपुर	1282.00

1	2	3
15.	मेघालय	1373.00
16.	मिजोरम	981.00
17.	नागालैण्ड	1020.00
18.	उड़ीसा	6213.00
19.	पंजाब	2383.00
20.	राजस्थान	16361.00
21.	सिक्किम	650.00
22.	तमिलनाडु	7308.00
23.	त्रिपुरा	1216.00
24.	उत्तर प्रदेश	14775.00
25.	पश्चिम बंगाल	7895.00
26.	अंडमान निकोबार	13.00
27.	दादर व नगर हवेली	7.00
28.	दमन व दीव	0.00
29.	दिल्ली	5.00
30.	लक्षद्वीप	0.00
31.	पांडिचेरी	5.00
	कुल	160306.00

हडको का अलग स्कंध

2582. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको का मकान निर्माण हेतु डिजाइन और कम लागत की निर्माण प्रौद्योगिकी के संबंध में जनता को सलाह देने के लिए एक अलग स्कंध है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस योजना को लोकप्रिय करने के लिए कोई मीडिया प्रचार शुरू किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हडको ने देश में सृजनात्मक डिजाइनकर्त्ताओं से सम्पर्क और सलाह लेने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) आवास एवं शहरी विकास निगम (हडको) लिमिटेड, भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.) के साथ मिलकर श्रव्य और दृश्य फिल्में/साक्षात्कार इत्यादि तैयार करता है तथा दूरदर्शन, प्रदर्शनियों/सेमिनारों एवं व्यापार मेले आदि में प्रदर्शित करके लोगों में जागरूकता लाने के लिए इन सामग्रियों का प्रयोग करता है। हडको ने किफायती, ऊर्जासक्षम, पारिस्थितिकी के अनुकूल भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकियों को दूरदर्शन तथा अन्य निजी चैनलों के जरिए लोकप्रिय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करने की संभावना का भी पता लगाया है। हडको जनता में वृहत स्तर पर प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ''हडको बिल्ड-टेक'' का आयोजन करता है। हडको ऐसी प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए पुस्तिकाएं, पैम्फलेट एवं विवरणिकाएं भी प्रकाशित करता है।

(घ) और (ङ) हडको, केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान (सी.बी.आर.आई.) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं (आर.आर.एल.) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई.आर.आई.), सीमेंट एवं भवन सामग्री राष्ट्रीय परिषद (एन.सी.सी.बी.एम.), राज्य संस्थानों, जैसी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों तथा वैकल्पिक विकास, ग्रामीण विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र जैसे गैर-सरकारी संगठन एवं लॉरी बेकर जैसे व्यवसायियों के प्रयासों को व्यापक रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। हडको कम लागत वाले आवास पर नियमित वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित करता है जिसके जरिए विभिन्न राष्ट्रीय विशेषज्ञ अपनी नूतन संकल्पनाओं और डिजाइनों के जरिए योगदान देते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली-विश्वविद्यालय में प्रश्न-पत्रों का लीक होना

2583. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में 1993 से कई विषयों के प्रश्न-पत्रों के लीक होने के संबंध में शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक जिन विषयों के संबंध में प्रश्न-पत्र लीक होने के मामलों को कुलपति के ध्यान में लाया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम उन शिक्षकों को दिया गया है जिन्हें प्रश्न-पत्र लीक होने में संलिप्तता के कारण विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य से वंचित कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में विश्वविद्यालय के कामकाज की जांच की है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) जी, नहीं। 1993 से प्रश्न पत्र लीक होने की सिर्फ दो ही घटनाएं हुई हैं-19.5.99 को बी.कॉम (एच.) का एक प्रश्न पत्र लीक हुआ तथा 25.4.2000 को बी.कॉम (एच.) द्वितीय वर्ष का एक प्रश्न पत्र लीक हुआ था। मामले को तत्काल कुलपति की जानकारी में लाया गया तथा दोनों ही मामलों में प्रश्न पत्र रद्द कर दिए गए। इसके अलावा, 19.5.99 को प्रश्न पत्र के लीक होने के मुद्दे को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था तथा बाद में सी.बी.आई. की सलाह पर इसे फिर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया। 25.4.2000 को लीक हुए प्रश्न पत्र के संबंध में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक एफ.आई.आर. लिखवाई गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज द्वारा प्रश्न पत्र के लीकेज की जांच-पड़तल करने के लिए एक जाँच बिठाई है। एक शिक्षक के परीक्षा से जुड़े कार्य करने पर भी रोक लगा दी गई थी तथा बाद में कालेज के शासी बोर्ड ने 1996 में उस शिक्षक के निलंबन को निरस्त कर दिया तथा कुछ दंड लगाकर उसे फिर से बहाल कर दिया।

[अनुवाद]

शिक्षा पद्धति

2584. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2000 में जारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की रिपोर्ट ने इस बात की ओर इशारा किया है कि भारत में अत्यंत निम्न कोटि की शिक्षा प्रणाली व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की पूर्ण रूप से जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) "मानव अधिकार और मानव विकास" पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.), न्यूयार्क द्वारा हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट, 2000 में देश में प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के पीछे सामूहिक सामाजिक विफलता को दर्शाया है जिसमें न केवल राज्य नीतियों की और बल्कि स्थानीय सामुदायिक समाधानों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है।

सरकार 14 वर्षों तक की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता वाली निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में अनेक कार्यक्रमों के जरिए प्रयास किये गए हैं और इन कार्यक्रमों में ऑपेशन ब्लैक बोर्ड, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, गैर-औपचारिक शिक्षा तथा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शामिल हैं। पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समितियों, अभिभावक-शिक्षक संघों आदि के माध्यम से स्कूली सुधार के कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जाता है।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा

2585. श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेहतर यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राजधानी में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन हेतु सुस्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, दिशा-निर्देश कब तक तैयार कर दिए जाएंगे;

(ग) सरकार द्वारा उन नागरिकों को पुलिस उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं जो अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के काफिले के सामने अचानक आ जाते हैं;

(घ) क्या सरकार के पास अतिविशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा उपायों पर होने वाले ज्यादा खर्च से बचने और आम व्यक्ति को पुलिस उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में नयी नीति 7.2.2000 को घोषित की गई थी और नई नीति की एक मुख्य विशेषता यह सुनिश्चित करना है कि संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए प्रबंधों से आम जनता को कम से कम असुविधा हो। संरक्षित व्यक्तियों को करने और न करने योग्य बातों के रूप में दिशानिदेश भी भेजे गए हैं जिसमें उनको सलाह दी गई है कि सुरक्षा कर्मियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए न कहें और सार्वजनिक स्थानों का बार-बार दौरा करके आम जनता की असुविधा को न बढ़ाएं। परेशान करने की गंभीर शिकायतों को भी व्यक्तिगत रूप से देखा जाता है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और उप राष्ट्रपति को सुरक्षा निर्धारित विस्तृत दिशानिदेशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। अन्य संरक्षित व्यक्तिवों की सूची की, प्रत्येक मामले में खतरे की नवीनतम सम्भावनाओं के आधार पर आवधिक पुनरीक्षा की जाती है। यह पुनरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि जन प्रतिनिधियों, जिन्हें उग्रवादियों और आतंकवादियों के कोप का भाजन बनाना पड़ता है, को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और इसी के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध हों। इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों की सुरक्षा पर अनावश्यक व्यय से बचा जा सकता है।

महासागर विकास अनुसंधान केन्द्र

2586. श्री ए.डी.के. जयशीलन: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के त्रिचुलनूर में महासागर विकास अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसे केन्द्र स्थापित करने के लिए महासागर विकास विभाग की कोई योजना नहीं है।

महिला और ग्रामीण विकास हेतु परियोजनाएं

2587. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला और ग्रामीण विकास हेतु जैवप्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों में विभिन्न परियोजनाओं और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, पुष्प खेती, पशुपालन, जलचर पालन और खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार को उक्त परियोजनाओं के बारे में तमिलनाडु राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) अभी तक विभाग ने खाद्य प्रसंस्करण, बंजर भूमि विकास, पुष्पकृषि, पशुपालन, जलकृषि, जैवउर्वरक, अपशिष्ट प्रबंध, उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, मानव स्वास्थ्य, जड़ी-बूटी औषधि, पर्यावरण संरक्षण एवं रेशम कीटपालन के क्षेत्रों में 47 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन क्षेत्रों के तहत परियोजनाओं को आवंटित राशि इस प्रकार है: बंजर भूमि विकास: 18.64 लाख रु.; पुष्पकृषि: 120.70 लाख रु.; पशुपालन: 38.36 लाख रु.; जलकृषि 48.13 लाख रु.; खाद्य प्रसंस्करण: 66.39 लाख रु. एवं प्रौद्योगिकी: 73.992 लाख रु.।

(ग) से (ङ) तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि "महिलाओं के लिए स्वर्ण जयन्ती जैवप्रौद्योगिकी पार्क" नामक एक परियोजना कालाम्बक्कम, चेन्नै में अनुमोदित की गई है, जिसकी कुल लागत 6.00 करोड़ रुपये है। परियोजना का प्रथम चरण पूरा होने वाला है।

[हिन्दी]

अरबी मदरसे

2588. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर जालान और औरंगाबाद में अरबी मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. द्वारा निषिद्ध माल की जब्ती

2589. श्री आर.एस. पाटील:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने हाल ही में अहमदाबाद में बड़े पैमाने पर हथियारों और गोलाबारूद, तथा अन्य निषिद्ध माल बरामद किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) हथियार और गोलाबारूद किन-किन स्थानों को ले जाया जा रहा था?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) निम्नलिखित मुदें बरामद की गईं:

(1) नीरिन्को द्वारा चीन में निर्मित मूठ के दोनों तरफ स्टार चिह्न वाले पिस्तौल-काल 30 मौजर—25 नग

(2) पिस्तौल मैगनीज—50 नग।

(3) जीवित कारतूस 200 और

(4) 6.325 किलोग्राम हेरोइन।

(ग) चार व्यक्ति नामतः (1) जावेद खान, सुपुत्र स्वर्गीय आजम खान, निवासी लक्ष्मण नगर, कुरार गांव, मलाद ईस्ट, मुंबई (2) मोहम्मद अयूब खान सुपुत्र युसुफ खान निवासी लक्ष्मण नगर, कुरार गांव, मलाद ईस्ट मुंबई (3) जिलानी शेख सुपुत्र अल्लाहबक्स शेख निवासी अंबेवादी, मलाद ईस्ट, मुंबई, और (4) अब्दुल करीम शेख सुपुत्र मोईनदीन निवासी अशोक नगर, बंधू डोंगरी, कंडीवाली ईस्ट, मुंबई को गिरफ्तार किया गया और 25.7.2000 को सी जे एम/मिर्जापुर, अहमदाबाद के समक्ष पेश किया गया तथा डिमांड पर 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। फिलहाल, 1.8.2000 से सभी चारों अभियुक्त व्यक्ति अहमदाबाद जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

(घ) निषिद्ध माल मुंबई ले जाया जा रहा था।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग कालेज

2590. डा. बलिराम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने इंजीनियरिंग कालेज हैं;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में कालेजों की संख्या कम है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को स्वीकृति प्रदान करने वाला एक सांविधिक निकाय है, द्वारा 4 मई, 2000 तक स्वीकृत इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) कुछेक राज्यों में इन संस्थाओं की संख्या अधिक है क्योंकि स्व-वित्तपोषित संस्थाओं की स्थापना में गैर सरकारी पहलों को आरम्भ किया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 4 मई, 2000 तक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्वीकृत संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	102
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0

1	2
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	3
बिहार	12
चंडीगढ़	3
दमन और दीव	0
दिल्ली	11
गोवा	2
गुजरात	20
हरियाणा	31
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	9
कर्नाटक	75
केरल	20
मध्य प्रदेश	37
महाराष्ट्र	135
मणिपुर	1
मेघालय	0
मिजोरम	1
नागालैंड	0
उड़ीसा	30
पांडिचेरी	4
पंजाब	19
राजस्थान	14
सिक्किम	1
तमिलनाडु	153
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	63
पश्चिम बंगाल	26
कुल	776

[अनुवाद]

हडको द्वारा प्रदान किए गए ऋण

2591. श्री सुबोध मोहिते: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको द्वारा प्रदान किये गये भारी-भरकम ऋण अदायगी के लिए राज्यों के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा प्रदान किए गए ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और हडको को राज्य-वार कितनी अदायगी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में नई आवास वित्त कंपनियों को मंजूरी दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा उनके 20 लाख आवास कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या कदम उठाये जाने वाले हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) हडको द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास परियोजनाओं हेतु जारी ऋण और उनकी वापस प्राप्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.) ने सूचित किया है कि पुनर्वित्तपोषण के लिए वर्ष 1999-2000 में किसी नई आवास वित्त कम्पनी का अनुमोदन नहीं किया गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकारों को हडको से वित्तीय सहायता हेतु पर्याप्त परियोजना प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। हाल ही में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों को टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश की गई है। सम्मेलन ने राज्य आवास बोर्डों की दक्षता बढ़ाने के लिए उनके पुनर्गठन की सिफारिश की है। सरकार ने हडको के अलावा अन्य आवास वित्त संस्थाओं को वित्तीय रियायतें देकर आवास वित्त में वृद्धि करने के उपाय किये हैं। राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एन.सी.एच.एफ.) भी 20 लाख मकान निर्माण कार्यक्रम से सम्बद्ध किया गया है। लक्ष्य के कुछ अंश की प्राप्ति पब्लिक प्राइवेट भागीदारी द्वारा तथा आवास कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को और व्यापकता से शामिल करते हुए करने का भी इरादा है।

विवरण

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान हडको द्वारा जारी ऋण और उनकी वापस प्राप्त राशि का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98 जारी राशि	1997-98 वापस प्राप्त राशि	1998-99 जारी राशि	1998-99 वापस प्राप्त राशि	1999-2000 जारी राशि	1999-2000 वापस प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान व निकोबार	0.69	0.02	0.75	0.02	1.23	0.36
2.	आंध्र प्रदेश	357.66	18.50	432.06	28.31	324.69	93.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	असम	54.81	0.97	61.74	1.54	39.98	2.47
5.	बिहार	10.62	6.57	21.42	4.33	9.07	15.04
6.	चंडीगढ़	0.00	1.10	0.00	0.24	0.00	0.55
7.	दिल्ली	—	33.83	22.80	2.30	4.35	1.87
8.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
9.	गोवा	10.00	2.31	70.00	0.27	—	1.16
10.	गुजरात	69.58	17.81	115.92	20.52	120.55	53.13
11.	हिमाचल प्रदेश	52.60	3.02	97.19	3.36	42.38	12.36
12.	हरियाणा	2.62	5.79	13.87	5.02	23.21	12.22
13.	जम्मू व कश्मीर	9.44	10.57	8.97	1.81	9.57	4.30
14.	केरल	318.18	16.30	453.95	38.43	409.52	87.40
15.	कर्नाटक	268.08	44.73	520.65	66.31	622.87	88.17
16.	मेघालय	6.79	1.00	52.34	0.73	1.74	2.49
17.	महाराष्ट्र	148.03	14.29	306.50	44.47	94.88	63.74
18.	मणिपुर	29.94	1.70	52.67	0.59	0.00	1.65
19.	मध्य प्रदेश	57.24	15.68	98.75	19.58	54.50	47.21
20	मिजोरम	5.81	0.20	2.59	0.45	0.33	2.36

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	नागालैंड	6.17	3.89	2.61	2.68	21.56	3.99
22.	उड़ीसा	38.89	10.59	696.52	6.80	—	8.39
23.	पांडिचेरी	0.00	0.61	3.05	0.54	1.69	1.05
24.	पंजाब	58.10	11.31	13.77	13.31	119.43	36.33
25.	राजस्थान	232.23	15.56	77.92	23.26	313.46	72.67
26.	सिक्किम	3.28	1.25	0.00	0.24	0.00	0.00
27.	तमिलनाडु	333.31	63.93	518.84	86.73	773.69	146.55
28.	त्रिपुरा	0.00	0.76	0.36	0.04	0.00	0.27
29.	उत्तर प्रदेश	194.83	72.92	115.72	69.31	71.16	100.86
30.	पश्चिम बंगाल	47.82	15.50	155.76	36.34	402.44	50.67
	कुल	2316.72	390.71	3916.72	477.53	3462.30	910.87

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विकास योजनाएं

2592. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) अभी तक क्या लक्ष्य प्राप्त किया गया है और उसे प्राप्त करने में राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान प्राथमिकता प्रदान की जाने वाली ग्रामीण विकास की योजनाएं कौन-कौन सी हैं तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी; और

(घ) राजस्थान के लिए चालू वर्ष के दौरान अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। किन्तु ग्रामीण विकास मंत्रालय कतिपय योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है। वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल उपलब्ध निधियों के प्रतिशत के रूप में उपयोग के संबंध में प्राप्त हुए वित्तीय लक्ष्यों तथा व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जबकि सरकार सभी ग्रामीण विकास योजनाओं को समान प्राथमिकता देती है, ग्रामीण सड़क संपर्क, ग्रामीण आवास तथा पेयजल आपूर्ति को आगामी दो वर्षों में महत्वपूर्ण समझा जाएगा।

(घ) राजस्थान में चालू वर्ष के दौरान सूखे से संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत 271 परियोजनाओं तथा एकीकृत बंजर विकास कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1997-98 से लेकर 2000-2001 तक की वित्तीय प्रगति (राज्यवार)

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/ संघ शासित राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001 17 जुलाई, 2000 तक	
		उपयोग	कुल उपलब्ध निधि में उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	उपयोग	कुल उपलब्ध निधि में उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	उपयोग	कुल उपलब्ध निधि में उपयोग की गई निधि का प्रतिशत	उपयोग	कुल उपलब्ध निधि में उपयोग की गई निधि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	110982.04	94.48	106424.99	90.36	83780.34	87.68	2182.81	5.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	7679.86	74.97	7370.64	71.40	7233.19	71.07	95.20	2.63
3.	असम	37364.57	79.95	40999.35	55.10	34331.07	56.96	1496.51	4.09
4.	बिहार	118833.97	76.70	138170.41	73.70	98240.66	52.83	2994.63	3.53
5.	गोआ	1893.42	109.59	2473.19	136.08	2180.43	166.86	325.58	136.32
6.	गुजरात	40582.53	75.99	48363.25	86.40	48260.40	86.22	1661.19	6.20
7.	हरियाणा	12899.80	65.34	16981.88	80.31	18085.99	81.68	516.15	6.83
8.	हिमाचल प्रदेश	11323.23	74.96	15468.74	82.16	14850.07	82.12	439.51	6.84
9.	जम्मू एवं कश्मीर	20496.26	69.97	20576.54	70.32	8618.79	44.99	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	73774.86	87.42	66442.59	77.76	51084.24	80.15	334.27	1.29
11.	केरल	25301.39	81.05	26773.59	77.42	24705.52	75.16	843.59	6.18
12.	मध्य प्रदेश	113311.63	82.23	127798.68	89.79	83823.34	73.45	429.52	0.84
13.	महाराष्ट्र	110692.23	91.26	152845.64	113.71	172046.56	147.79	1112.51	2.70
14.	मणिपुर	3987.30	78.81	3912.29	75.83	1402.45	43.44	24.45	1.65
15.	मेघालय	3285.80	84.67	4683.62	63.72	4065.32	63.84	46.41	0.95
16.	मिजोरम	2512.48	88.17	4211.78	100.48	1952.40	68.61	0.00	0.00
17.	नागालैंड	6078.84	90.52	4599.52	68.40	3489.85	66.99	10.55	0.38
18.	उड़ीसा	64246.77	81.37	67000.58	78.80	56911.40	57.25	985.94	2.72
19.	पंजाब	7951.93	78.08	9555.25	64.04	8496.82	63.84	432.35	5.77
20.	राजस्थान	68485.56	79.55	70660.56	82.59	53009.21	67.63	874.43	2.59
21	सिक्किम	2641.44	130.01	3011.74	76.96	1702.96	44.72	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	तमिलनाडु	112346.93	115.14	111694.22	105.60	97796.50	119.04	2900.48	11.39
23.	त्रिपुरा	6901.46	105.69	11648.86	98.00	6653.64	74.14	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	195654.28	77.04	248737.91	88.58	143365.70	64.34	2103.30	2.01
25.	पश्चिम बंगाल	55814.72	68.75	54704.04	64.34	46580.24	53.52	322.52	1.14
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	649.96	81.71	1401.59	86.52	1265.88	88.37	0.00	0.00
27.	चण्डीगढ़	11.01	77.97	3.87	98.98	8.20	45.68	0.00	0.00
28.	दा. व न. हवेली	427.25	81.29	485.03	73.11	402.19	65.71	7.27	1.90
29.	दमन व दीव	118.54	58.88	201.27	71.42	166.64	77.81	0.76	7.46
30.	दिल्ली	768.19	95.77	782.61	97.16	946.60	97.18	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	295.75	90.22	277.71	61.41	224.95	65.42	0.03	0.06
32.	पांडिचेरी	370.26	52.36	400.84	79.53	320.78	71.55	6.66	5.20
	अखिल भारत	217684.26	83.25	1368862.78	84.78	1076002.33	76.13	20146.62	3.36

[अनुवाद]

आतंकवाद से मुकाबला

2593. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र में किए गए अपने प्रस्ताव में मित्र देशों से समर्थन और सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने हेतु नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत ने अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है और संयुक्त राष्ट्र की 54वीं आम सभा के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि भारत द्वारा रखे गए प्रारूप पर सितम्बर, 2000 से चर्चा शुरू की जाएगी। भारत द्वारा प्रस्तावित समझौता प्रारूप एक महत्वपूर्ण विधायी दस्तावेज है जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, जिनमें केवल आतंकवादी कृत्यों की विशिष्ट श्रेणियों और विशिष्ट हथियारों के साथ किए गए आतंकवादी कृत्यों को ही संबोधित किया गया है, में खामियों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। अंतराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को अपनाने के लिए भारत की पहल की अंतराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सराहना की गई है। जी-8, यूरोपीयन संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस तथा रूस जैसे देशों से समर्थन मिल रहा है।

बी.सी.सी.एल. में कोयला उत्पादन

2594. श्री सुनील खां: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान 'बी.सी.सी.एल.'' में वर्षवार कोयला उत्पादन और उत्पादन लागत क्या रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोयले का मूल्य क्या था; और

(ग) इस अवधि के दौरान उक्त कंपनी ने कितना लाभ अर्जित किया या कितनी हानि हुई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) गत पांच वर्षों में भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) में वर्षवार कोयला उत्पादन और उत्पादन लागत, निम्नलिखित के अनुसार है:

वर्ष	उत्पादन लागत, टन (रु. प्रति टन)	कोयले का वार्षिक उत्पादन (मिलियन टन में)
1995-96	662.60	27.81
1996-97	728.54	27.13
1997-98	683.88	30.92
1998-99	783.63	27.17
1999-2000	818.34 (अनंतिम)	28.01 (अनंतिम)

1999-2000 के बी.सी.सी.एल. के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा अभी की जानी है।

(ख) गत पांच वर्षों में बी.सी.सी.एल. की खानों में उत्पादित विभिन्न ग्रेडों के कच्चे कोयले के निर्धारित आधार-मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान बी.सी.सी.एल. का लाभ/हानि विवरण, निम्नलिखित के अनुसार है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	(+)लाभ/(-)हानि
1999-2000	-574.86 (अनंतिम)
1998-99	-442.34
1997-98	-140.91
1996-97	-322.81
1995-96	+102.26

विवरण

पिछले पांच वर्षों में बीसीसीएल की खानों में उत्पादित कच्चे कोयले के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आधार मूल्य

(रु. प्रति टन में)

	1.1.95	29.12.95	31.2.96	13.10.96	31.3.97	30.9.97	21.8.98	31.5.99	11.4.2000	20.4.2000
	1	2	3	4	5*	6	7	8	9	10
लंबी लौह वाला कोयला										
क	667	732	831	924	924	924	970	970	1019	1019
ख	511	646	752	836	836	836	876	878	922	922
ग	538	573	650	698	698	698	733	733	770	770
घ	431	466	466	466	584	584	625	625	666	666
लंबी लौह रहित कोयला										
क	642	642	771	854	854	864	907	907	952	952
ख	556	586	692	776	776	776	815	815	856	856
ग	513	513	590	638	638	638	670	670	704	704
घ	406	406	406	406	524	524	561	561	589	589
ङ	322	322	322	322	416	416	445	445	467	467

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
च	257	257	257	257	332	332	355	355	373	373
छ	183	183	183	183	237	237	254	254	267	267
कोककर कोयला										
स्टील ग्रेड 1	कंपनी की कुछ कोलियरियों के लिए						1657	1657	1740	1740
स्टील ग्रेड 2	कोककर कोयले की इन श्रेणियों के						1384	1384	1453	1453
वाशरी ग्रेड 1	बी सी सी एल मूल्य 21.8.98 से प्रारंभ						1199	1199	1259	1259
वाशरी ग्रेड 2	किए गए।						993	993	1043	1043
वाशरी ग्रेड 3							734	734	771	771
वाशरी ग्रेड 4							683	683	717	717
अर्ध कोककर ग्रेड 1							1156	1156	1214	1214
अर्ध कोककर ग्रेड 2							967	967	1005	1005
स्टील ग्रेड 1	1048	1048	1310	1468	1468	1541	1541	1541	1541	1541
स्टील ग्रेड 2	875	875	1094	1226	1226	1287	1287	1287	1287	1287
वाशरी ग्रेड 1	758	758	948	1062	1062	1115	1115	1115	1115	1115
वाशरी ग्रेड 2	628	628	785	880	880	924	924	924	924	924
वाशरी ग्रेड 3	483	483	580	650	650	683	683	683	683	683
वाशरी ग्रेड 4	450	450	540	605	605	635	635	635	635	635
अर्ध कोककर ग्रेड 1	758	758	948	1024	1024	1075	1075	1075	1075	1075
अर्ध कोककर ग्रेड 2	628	628	785	848	848	890	890	890	890	890
डायरेक्ट फीड कोयला	—	—	1300	1456	1456	1529	1644	1644	1726	1726

इंदिरा आवास योजना

2595. श्री कृष्णमराजू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्यवार क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया है;

(ख) इस अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त करने में कोई कमी रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वास्तविक और आर्थिक लक्ष्यों के बीच पर्याप्त समन्वय बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(च) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निगरानी रखने की क्या व्यवस्था है;

(छ) क्या इंदिरा आवास योजना का साथ-साथ मूल्यांकन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार तथा वर्षवार बजट आबंटन, वास्तविक लक्ष्य एवं उपलब्धियां संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बजट आबंटन तथा लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के गत वर्ष (2001-2002) के बजट आबंटन, वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियों को दर्शाना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) आंकड़ों से स्पष्ट है कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्धियां पर्याप्त संतोषप्रद रही हैं। सतत् निगरानी तथा मूल्यांकन के साथ-साथ निधियों के रिलीज के लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे वास्तविक तथा आर्थिक लक्ष्यों के बीच पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित हो सके।

(च) से (ज) ग्रामीण विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करता है। क्षेत्रीय अधिकारियों को पदनामित किया जाता है कि वे नियमित रूप से देश के विभिन्न भागों का दौरा करें और क्षेत्र दौरों के जरिए यह मालूम करें कि कार्यक्रम को संतोषप्रद तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं और आवासों का निर्माण निर्धारित कार्य विधि के अनुरूप हो रहा है या नहीं। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करता है जहां सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। मंत्रालय इस समय इंदिरा आवास योजना का समवर्ती मूल्यांकन कर रहा है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निष्पादन

आवंटन - लाख रु. में
लक्ष्य : आवासों की सं. में

क्र. सं.	राज्यों का नाम	1997-98			1998-99			1999-2000			2000-2001		
		आवंटन	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटन	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटन	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि	आवंटन	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8970.34	56065	104115	8370.41	73645	61430	11036.00	88288	89823	11036	88288	7946
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.71	459	932	184.03	1046	470	754.00	5667	3210	726.86	4246	270
3.	असम	2952.83	18455	17516	4781.82	28576	20937	15658.00	121765	20412	16354.79	98856	6035
4.	बिहार	17597.09	109982	103506	27420.52	171378	125082	38598.00	308784	165892	38598	308784	10656
5.	गोवा	87.63	548	512	19.20	130	482	68.00	544	333	68	544	75
6.	गुजरात	3292.97	20581	24439	3150.78	19692	21820	3243.00	25944	26351	3243	25944	5785
7.	हरियाणा	790.96	4943	4505	1853.66	10690	10043	1171.00	9368	9843	1171	9368	419
8.	हिमाचल प्रदेश	276.72	1572	1843	780.64	4879	3874	515.00	3870	3711	515	3870	118
9.	जम्मू व कश्मीर	562.66	3197	6172	966.16	7699	5400	618.00	4644	5830	618	4644	1142
10.	कर्नाटक	6024.43	37653	43522	6320.85	39505	37369	5898.00	47184	39398	5898	47184	4372
11.	केरल	2191.85	12454	12834	2836.20	17726	9452	3553.00	28416	20716	3552	28416	4557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	मध्य प्रदेश	11368.58	71054	101549	13898.74	103652	102901	9183.00	73464	77886	9183	73464	0
13.	महाराष्ट्र	9779.75	61123	60709	12494.77	78092	54532	10585.00	84680	70315	10585	84680	4357
14.	मणिपुर	103.77	590	1096	320.57	1911	1125	693.00	5208	199	866.65	5062	0
15.	मेघालय	121.07	688	316	359.16	2409	734	1057.00	7944	356	1151.46	6726	0
16.	मिज़ोरम	50.73	288	302	83.11	472	519	260.00	1954	1795	276.42	1615	503
17.	नागालैंड	129.14	734	1933	246.36	2050	2290	653.00	4907	6346	743.31	4342	0
18.	उड़ीसा	7277.74	45486	50023	9574.03	67684	50671	9154.00	73232	53328	9154	73232	0
19.	पंजाब	562.65	3517	3235	900.86	5630	3831	745.00	5960	4164	745	5960	813
20.	राजस्थान	4723.84	29524	34858	4799.63	35599	32955	3233.00	25864	37440	3233	25864	6008
21.	सिक्किम	47.27	269	590	92.02	784	543	122.00	917	508	199.28	1164	0
22.	तमिलनाडु	8110.20	50689	55830	7401.30	46258	68207	5846.00	46768	54935	5846	46768	2265
23.	त्रिपुरा	134.90	766	1665	578.80	4519	3235	1433.00	10769	11229	1681.23	9821	0
24.	उत्तर प्रदेश	21863.19	136845	94535	30176.52	188051	181274	23565.00	187629	155248	23565	187629	7599
25.	पश्चिम बंगाल	8039.87	50249	43931	10639.62	74594	36246	12064.00	96127	47047	12064	96127	0
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	47.27	236	6	44.40	202	12	129.00	727	6	129	727	0
27.	दा. व न. हवेली	25.37	127	100	43.80	309	6	69.00	414	52	69	414	0
28.	दमन व दीव	14.99	75	38	1.82	10	0	27.00	162	3	27	162	0
29.	लक्षद्वीप	24.21	121	110	3.65	17	40	3.00	17	34	3	17	0
30.	पांडिचेरी	47.27	236	214	56.57	257	290	67.00	402	147	67	402	16
	कुल	115300.00	718328	770936	148400.00	987466	835770	160000.00	1271619	906547	161369	1244320	62936

*उपलब्ध कराई गई अद्यतन जानकारी के अनुसार

[हिन्दी]

कोयला क्षेत्र में पुनर्वास संबंधी परियोजना

2596. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री जोरा सिंह मान:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत कोयला क्षेत्र में पुनर्वास संबंधी कोई परियोजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है और प्रत्येक राज्य में वर्ष 2000-2001 के लिए खान-वार कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) इस संबंध में प्रत्येक वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली संभावित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात् कोयले के उत्पादन की कितनी अनुमानित क्षमता होगी; और

(ङ) यह अनुमान कोयले के वर्तमान उत्पादन क्षमता से कितना अधिक है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सीएसआरपी) की रूपरेखा, सी.आई.एल. को भविष्य में देश की कोयला उत्पादन की बढ़ती मांग को पूरा करने और वाणिज्यिक रूप से समर्थ, आत्मनिर्भर बनाने हेतु तैयार की गई थी।

(ख) इस परियोजना में कुल अनुमानित निवेश 1.695 बिलियन अमरीकी डालर था, जिसका वित्तपोषण 50:50 के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु 1.03 बिलियन अमरीकी डालर विश्व बैंक (आई बी आर डी) और जापान बैंक द्वारा मिलकर किया जाना था। शेष राशि, सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों अर्थात् सी.सी.एल., एम.सी.एल., डब्ल्यू.सी.एल., एस.ई.सी.एल. और एन.सी.एल. के द्वारा लगाई जानी थी।

सी.एस.आर.पी. परियोजना हेतु वर्ष 2000-01 के लिए नियत राशि का राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना (सी.एस.आर.पी.) के लिए प्रत्येक वित्तीय संस्थान से प्राप्त की जाने वाली राशियों का विवरण निम्नलिखित के अनुसार है:

(राशि मिलियन में)

आई बी आर डी ऋण	515.00 अमरीकी डालर
जे बी आई सी	515.00 अमरीकी डालर
सी आई एल	665.60 अमरीकी डालर
जोड़	1695.60 अमरीकी डालर

चूंकि इसकी समग्र रूप में समीक्षा करने के बाद सी.आई.एल. ने यह महसूस किया कि विश्व बैंक/जे.बी.आई.सी. के ऋण की सुविधा की शेष राशि को आपसी सहमति से रद्द करने में ही सुविधा होगी और इस दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के अधीन निर्माण कार्य अब सी.आई.एल. के अपने संसाधनों से और उसके तुलन-पत्र के आधार पर पूरे किये जा रहे हैं।

(घ) परियोजना के क्रियान्वयन के बाद उसके अंतर्गत आने वाली खानों की अनुमानित उत्पादन क्षमता की रूपरेखा 110.49 मिलियन टन तैयार की गई है।

(ङ) वर्ष 1999-2000 के दौरान उप परियोजना की उत्पादन की उपलब्धि 105.92 मिलियन टन कोयला है। इसलिए सी एस आर पी के अंतर्गत 2000-2001 के लिए अतिरिक्त अनुमानित उत्पादन, 4.57 मिलियन टन होगा।

विवरण

कोयला क्षेत्र की पुनर्वास परियोजना में प्राक्कलित निवेश

(राशि करोड़ रु. में)

कंपनी	राज्य	परियोजना	कुल प्राक्कलित निवेश
1	2	3	4
सी.सी.एल.	बिहार	(1) पारेज ईस्ट ओसीपी	25.00
	बिहार	(2) के.डी. हेंलसांग ओसीपी	77.99
	बिहार	(3) राजरप्पा ओसीपी	62.74
		उप-जोड़	165.73
डब्ल्यू.सी.एल.	महाराष्ट्र	(1) नीलजय ओसीपी	53.64
	महाराष्ट्र	(2) सास्ती ओसीपी	26.00
	महाराष्ट्र	(3) उमरेर ओसीपी	31.00

1	2	3	4
	महाराष्ट्र	(4) दुर्गापुर ओसीपी	16.00
	महाराष्ट्र	(5) पदमपुर ओसीपी	21.00
		उप-जोड़	147.64
एस.ई.सी.एल.	मध्य प्रदेश	(1) दीपका	127.29
	मध्य प्रदेश	(2) धनपुरी ओसीपी	10.98
	मध्य प्रदेश	(3) कुसमुंडा ओसीपी	48.26
	मध्य प्रदेश	(4) मानिकपुर ओसीपी	19.22
	मध्य प्रदेश	(5) गेवरा ओसीपी	90.34
		उप-जोड़:	296.09
एन.सी.एल.	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	(1) दधीचुआ ओसीपी	153.56
	मध्य प्रदेश	(2) निघाई ओसीपी	427.19
	मध्य प्रदेश	(3) जयंत ओसीपी	98.18
	मध्य प्रदेश	(4) झिंगुर्दा ओसीपी	31.66
	उत्तर प्रदेश	(5) बीना ओसीपी	22.86
		उप-जोड़	733.45
एम.सी.एल.	उड़ीसा	(1) अनंता ओसीपी	32.23
	उड़ीसा	(2) भारतपुर ओसीपी	34.05
	उड़ीसा	(3) लखनपुर ओसीपी	19.32
	उड़ीसा	(4) समलेश्वरी ओसीपी	26.80
	उड़ीसा	(5) बेलपहाड़ ओसीपी	12.64
	उड़ीसा	(6) जगन्नाथ ओसीपी	34.10
		उप-जोड़	159.14

[अनुवाद]

कोयला-इस्तेमाल की समस्याएं

2597. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 2000 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फोकस आन प्राब्लम्स आफ कोल यूज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले का सबसे प्रदूषित जीवाश्म ईंधन के रूप में श्रेणीबद्ध किए जाने के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों में कोयले के उपयोग में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सी.आई.एल. तथा इसकी सहायक कंपनियों को अनेक समस्याओं तथा हानि का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोयला के बेहतर उपयोग के संबंध में कुछ विकल्प सुझाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान सी.आई.एल. के स्रोतों से कोयले का कुल उठान इस प्रकार रहा:

(मिलियन टन में)

वर्ष	उठान (कच्चा कोयला)
1997-98	260.5
1998-99	252.2
1999-2000	263.16 (अनंतिम)

यह देखा जा सकता है कि कोयले के कुल उठान में कोई निरंतर कमी नहीं आई थी। अतः कोयला उपयोग में कमी के कारण कोई समस्या नहीं उठती।

(घ) से (च) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि 1.6.2001 से सभी कोयला आधारित तापीय विद्युत स्टेशन, जो पिटहैड से 1000 कि.मी. से परे अवस्थित हैं और शहरी क्षेत्र अथवा संवेदनशील क्षेत्र या संकटापन्न प्रदूषित क्षेत्र में अवस्थित हैं-पिटहैड से उनकी दूरी चाहे कितनी भी हो-कच्चा अथवा सम्मिश्रित अथवा परिष्कृत कोयले का उपयोग करेंगे, जिसमें वार्षिक औसत आधार पर राख-अंश 34 प्रतिशत से अधिक न हो।

भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निहित शर्त को पूरा करने हेतु अर्थोपायों की पता लगाने के लिए सदस्य (तापीय), सी.ई.ए. की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और इस समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निहित शर्त क्रियान्वित/मानीटर करने हेतु सरकार ने सदस्य (तापीय), सी.ई.ए. की अध्यक्षता में एक संयुक्त शीर्ष समिति भी गठित की है।

विश्वविद्यालयों को श्रेणीबद्ध किया जाना

2598. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में विभिन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों को इनके आकार, पाठ्यक्रमों और इनकी प्रतिष्ठा के आधार पर श्रेणीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में शामिल भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भी उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के मानकों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद का गठन किया है। 17 अप्रैल, 2000 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (एन ए ए सी) द्वारा प्रत्यायित किए गए विश्वविद्यालयों के नाम इस प्रकार हैं:

1. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
2. अविनाशिलिंगम गृह विज्ञान तथा महिला उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोयम्बतूर
3. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मुदुरै
4. बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी
5. रुडकी विश्वविद्यालय, रूड़की
6. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
7. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर
8. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
9. एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई
10. अन्नमलै विश्वविद्यालय, अन्नमलै नगर।

उपर्युक्त विश्वविद्यालयों में से 5 विश्वविद्यालयों को 4-स्टार स्तर पर तथा शेष 5 विश्वविद्यालयों को 5-स्टार स्तर पर प्रत्यायित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह निर्णय लिया है कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए मूल्यांकन तथा प्रत्यायन अनिवार्य है तथा यह प्रक्रिया 31 दिसम्बर, 2000 तक पूरी करना आवश्यक है।

व्यावसायिक परिसरों का निर्माण

2599. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी विकास निगम ने देश में व्यावसायिक परिसरों के निर्माण हेतु रेल मंत्रालय के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन व्यावसायिक परिसरों का निर्माण किन-किन शहरों में किए जाने का प्रस्ताव है और इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) इन परिसरों के निर्माण पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(ङ) इन व्यावसायिक परिसरों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आवंटन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) हडको ने रेलवे भूमि और वायु क्षेत्र के विकास के लिए दिनांक 13.1.2000 को रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार हडको कुछ चुनी हुई परियोजनाओं के सहप्रवर्तक के रूप में कार्य करेगा। तथापि, अब तक रेल मंत्रालय के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय रेल मंत्रालय ने देश में इस प्रयोजन के लिए भूमि की पहचान की है जिसमें दिल्ली, मुम्बई और कलकत्ता में भूमि भी शामिल है। चुने हुए प्रत्येक स्थल के विकास से पहले विस्तृत वित्तीय और व्यवहार्यता एवं मांग आकलन अध्ययन किये जायेंगे और प्रत्येक चुनी हुई परियोजना के लिए कार्यान्वयन के व्यापक तौर-तरीके वाला अनुबंध किया जाएगा।

(ङ) रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि चूंकि चुनी हुई स्कीमों का कार्यान्वयन वाणिज्यिक रूप में किया जाएगा इसलिए ऐसा कोई आरक्षण उपेक्षित नहीं है।

ज.ला.ने.वि.वि. के लिए वित्तीय सहायता

2600. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने आधार, संरचनात्मक और शैक्षिक विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अपने प्रयास में देश के शीर्ष औद्योगिक घरानों से विश्वविद्यालय के कोष में योगदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो किन प्रमुख परियोजनाओं के लिए यह वित्तीय सहायता मांगने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर उद्योगपतियों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) औद्योगिक नेताओं तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अल्युमिनी, आदि से वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय, विश्वविद्यालय के जारी शैक्षिक कार्यक्रमों और नए स्कूलों एवं केन्द्रों की स्थापना के रूप में संपूर्ण विश्वविद्यालय के विकास को ध्यान में रखा गया है।

दिल्ली शहरी कला आयोग को परियोजनाएं प्रस्तुत करना

2601. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश बहुमंजिली भवनों/उपरिपुलों इत्यादि के निर्माण संबंधी परियोजनाओं के निर्माण कार्य को शुरू करने से पूर्व इन्हें दिल्ली शहरी कला आयोग को मंजूरी प्राप्त करने हेतु नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली शहरी कला आयोग की मंजूरी प्राप्त किए बगैर निर्माण किए गए भवनों/उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली शहरी कला आयोग अधिनियम में इसके उल्लंघन को रोकने हेतु दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) दिल्ली नगर कला आयोग ने कुछ परियोजनाओं का पता लगाया है जिनमें आयोग की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य हुआ है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पाई गई ऐसी परियोजनाओं/भवनों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) मंत्रालय ने इस प्रकार के उल्लंघनों को नोट किया और संबंधित एजेंसियों/विभागों की प्रतिक्रिया जानने का निर्णय लिया।

विवरण

1997-98

1. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर होटल रेडीसन
2. मित्रदीप सहकारी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी, पटपड़ गंज
3. रास सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी
4. कालकाजी नेहरू पैलेस में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
5. विश्वकर्मा सहकारी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी, विल्ला
6. एन सी यू आई कम्पलैक्स, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया खेल गांव मार्ग में आडीटोरियम एवं कार्यालय भवन
7. यमुना नदी के किनारे वापस ली गई भूमि पर शहरी विकास योजनाएं
8. शहर के विभिन्न भागों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित 4 मंजिले रिहायशी भवन।

1998-99

द्वारका स्कीम में मुख्य परिवर्तन

1999-2000

1. दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किए जा रहे 6 फ्लाई ओवर।
2. इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे 24 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन।
3. सीलमपुर और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा स्थापित किये जा रहे मेट्रो स्टेशन।

शहरी बुनियादी-सुविधा संबंधी परियोजनाएं

2602. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में शहरी बुनियादी सुविधा परियोजनाओं का वित्त पोषण करने हेतु एशियाई विकास बैंक से 870 करोड़ रुपये के ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा धन को वितरित किये जाने की संभावना है;

(ग) शहरी बुनियादी सुविधाओं के संबंध में विभिन्न राज्यों की राज्यवार आवश्यकताएं क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्र द्वारा राज्यवार कितना धन वितरित किया गया;

(ङ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने शहरी तथा पर्यावरणीय अवस्थापना सुविधा परियोजना के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर (करीब 870 करोड़ रुपया) का ऋण अनुमोदित किया है। यह ऋण हडको (90 मिलियन अमेरिकी डालर), आई सी आई सी आई (80 मिलियन अमरीकी डालर) तथा डी एफ सी (30 मिलियन अमेरिकी डालर) को दिया जायेगा। यह ऋण शहरी और पर्यावरण अवस्थापना विकास में सरकार की सहायता के लिए है ताकि मनुष्य की आधारभूत जरूरतों को पूरा किया जा सके और जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। यह परियोजना उन चुने हुए राज्यों और नगरपालिकाओं, जिनमें सुधार किए गए हैं, में वित्तीय रूप से व्यवहार्य शहरी तथा पर्यावरण अवस्थापना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए और शहरी व पर्यावरण अवस्थापना परियोजनाओं के लिए लघु वित्त और सांस्थानिक वित्त के एकीकरण हेतु तकनीकी सहायता देने के लिए तीन वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दीर्घकालीन धनराशि मुहैया कराकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार की गई है।

(ग) से (च) ऋण समझौते पर 19 मई, 2000 को हस्ताक्षर किए गए। समझौता प्रभावी घोषित होने के बाद ऋण देना शुरू किया जा सकता है। इसी बीच केरल सरकार से "केनाल वॉक तिरुवनंतपुरम" नामक परियोजना तथा गुजरात सरकार से अहमदाबाद, वड़ोदरा और सूरत में जल आपूर्ति तथा वड़ोदरा शहर में मौजूदा पुलों, पुलों के नीचे के मार्गों, ओवर ब्रिजों को चौड़ा करने तथा नए पुलों व मार्ग ओवर ब्रिजों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। संबंधित राज्य सरकारों को इन तीनों वित्तीय संस्थानों में से किसी एक के पास परियोजना प्रस्ताव भेजने का परामर्श दिया गया।

[हिन्दी]

अनुसंधान परियोजनाओं पर व्यय

2603. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान से संबंधित परियोजनाओं पर वर्षवार कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं में संलग्न अनुसंधान संस्थानों व महाविद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) परियोजनाओं के बारे में सूचनाओं का परितुलन करता रहा है। 1997-98 तक उपलब्ध इस संकलन के अनुसार केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों द्वारा प्रायोजित आर एण्ड डी परियोजनाओं के निधिकरण हेतु वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 के लिए क्रमशः 161.98 करोड़ रु., 186.46 करोड़ रु. और 218.57 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई। प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वर्षवार अनुमोदित राशि में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

(ख) आंकड़ों के संकलन के अनुसार देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों से 544 संस्थान प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं में लगे हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा "केन्द्र सरकार की चुनिंदा एजेंसियों/विभागों द्वारा 1997-98 के दौरान वित्तपोषण हेतु अनुमोदित बहिर्विश्वविद्यालयी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं" पर प्रकाशित निर्देशिका में इन सभी संस्थाओं के नाम उपलब्ध हैं।

(ग) रासायनिक विज्ञान, भू और वायुमंडलीय विज्ञान, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान वैज्ञानिक अनुसंधान के विस्तृत क्षेत्र हैं जिनकी पहचान आर्थिक सहायता के लिए की गई है।

"इग्नू" में बी.एड. पाठ्यक्रम

2604. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "इग्नू" द्वारा आयोजित किये जा रहे बी.एड. के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दो वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त पाठ्यक्रम में आसानी से प्रवेश लेने के लिए अपेक्षित अनुभव प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) जी, हाँ। इग्नू द्वारा संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम। में प्रवेश के लिए दो वर्षों का अनुभव अनिवार्य है।

गयारा कोयला-खान में आग

2605. श्री तूफानी सरोज: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत बकौला क्षेत्र में गयारा कोयला खान के तल में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कारण सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) बंकौला क्षेत्र में या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के किसी भी क्षेत्र में गयारा नाम से कोई कोयला खान नहीं है। लेकिन एक मोइरा नाम की (गयारा के स्थान पर) एक कोयला खान है जिसमें ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के बंकोरा क्षेत्र की मोइरा कोयला खान के प्रबंधक को एक अग्नि कांड की सूचना 9 जुलाई, 2000 को दी गई थी। इस आग को काबू में लाने के लिए तत्काल कदम उठाए गे थे जैसे भूमिगत काम के लिए बिजली की सप्लाई काटना, जमीन के नीचे लोगों के जाने पर रोक लगाना और एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। क्षेत्र और इस कोयला खान के वरिष्ठ अधिकारियों ने 9.7.2000 को इस खान का निरीक्षण किया था। इसके बाद और आगे निरीक्षण करके आग के मुख्य स्थान का पता लगाया गया और उस आग को अलग-अलग करने के लिए उपाय किये गये इस आग को 17.7.2000 को बंद कर दिया गया था।

इस अग्नि कांड के परिणास्वरूप रु. 32.50 लाख की कुल हानि हुई थी। वहां की जनशक्ति को अन्य वैकल्पिक कामों में

लगाया गया है जैसे रेत के बोरों से रोक के लिए बाड़ लगाना, आग से निपटने के लिए सामान ढोना इत्यादि।

[अनुवाद]

पनधारा का विकास

2606. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में पनधारा के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक मिशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पनधारा विकास को पर्याप्त महत्व दे रही है;

(घ) यदि हां, तो देश भर में पनधारा विकास की गति धीमी होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में पनधारा के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) देश में वाटरशेडों के विकास के लिए मिशन स्थापित करने की इस समय कोई योजना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाटरशेड विकास का कार्य ''वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों' के अनुसार परियोजना आधार पर तीन मुख्य कार्यक्रमों नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के तहत जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के जरिए निष्पादित किया जाता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि इस प्रयोजन के लिए बजट को जो वर्ष 1999-2000 के दौरान 281 करोड़ रुपये था चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ाकर 824 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) वाटरशेड विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, जिन्हें 1.4.95 से लागू किया गया है, में प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाने के अलावा सामाजिक संघटन और समुदाय को अधिकार दिये जाने पर बल दिया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार एक वाटरशेड विकास परियोजना को पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूरा किया जाना होता है। इस संबंध में हुई प्रगति का कोई भी मूल्यांकन वर्ष 1995-96 में प्रथमत: स्वीकृत की गई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है। तथापि, कार्यान्वयन की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए कई कदम जैसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबन्धों को संशोधित करना, राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ाना, वाटरशेड विकास से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों तथा विशेषज्ञों से परामर्श करना, आदि उठाए गए हैं।

शिक्षकों की नियुक्ति

2607. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक समान नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 12(घ), राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को किसी व्यक्ति को स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षक के रूप में, नियुक्त करने के लिए न्यूनतम अर्हता के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इस संबंध में उपयुक्त दिशा-निर्देश तैयार कर रही है।

स्कूल और कालेज स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम

2608. श्री कृष्णमराजू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की हाल की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास संबंधी कोई कृतिक बल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कृतिक बल द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्कूल और कालेज स्तर के पाठ्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से ध्यान देने की सिफारिश की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें की गयी अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) से (च) मंत्री (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अध्यक्षता में 1 अगस्त, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास संबंधी कार्यदल का गठन किया गया। इसके अलावा वित्त मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, निदेशक, (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), दिल्ली इस कार्यदल के सदस्य हैं। माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव इसके सदस्य सचिव हैं। कार्यदल को तीन महीने के अन्दर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों में अतिरिक्त कर्मचारी

2609. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण की प्रमुख इकाइयों—बोकारो, भिलाई, दुर्ग और राउरकेला में श्रेणीवार कितने अतिरिक्त कर्मचारियों की पहचान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों की इस अतिरिक्त संख्या के कारण इकाईवार इन्हें कितना व्यय करना पड़ा;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक इकाई का औसत लाभ क्या रहा और उसे कितनी हानि हुई;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का अतिरिक्त जनशक्ति को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) 31.3.2003 को प्रस्तावित जनशक्ति के संदर्भ में सेल की प्रमुख चार इकाइयों में 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:

संयंत्र	अतिरिक्त जनशक्ति
भिलाई इस्पात संयंत्र	8267
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	6583
राउरकेला इस्पात संयंत्र	10572
बोकारो इस्पात संयंत्र	10167

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख इकाइयों में अतिरिक्त जनशक्ति के कारण व्यय का अनुमानित-भार निम्न प्रकार था:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
भिलाई इस्पात संयंत्र	183	179	143
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	126	128	109
राउरकेला इस्पात संयंत्र	173	177	168
बोकारो इस्पात संयंत्र	182	170	175

(ग) पिछले तीन वर्षों में भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला की लाभ और हानि (-) की स्थिति निम्न प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

	भिलाई	दुर्गापुर	राउरकेला	बोकारो
1997-98	701	-509	-374	367
1998-99	301	-719	-765	-165
1999-2000	92	-651	-704	120

(घ) और (ङ) जी, हां। लोक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। प्रतिपूर्ति राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन के वेतन और अधिवर्षिता तक सेवा के प्रत्येक शेष वर्ष के लिए 25 दिन के वेतन की परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन न हो।

दिल्ली में टाइप-8 क्वार्टर

2610. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में टाइप-8 सरकारी क्वार्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने क्वार्टर माननीय संसद सदस्यों, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सैन्य अधिकारियों, न्यायाधीशों सहित प्रशासनिक अधिकारियों तथा अन्य उच्चाधिकारियों को अलग-अलग आबंटित किए गए हैं; और

(ग) टाईप-8 क्वार्टरों के आबंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सामान्य पूल में टाइप-8 (VIII) क्वार्टरों की संख्या 105 है।

(ख) उपर्युक्त क्वार्टरों में से 29 क्वार्टर केन्द्रीय मंत्रियों; 25 क्वार्टर सांसदों के कब्जे में है; 26 क्वार्टर भारत के उच्चतम न्यायालय के जजों और 8 बंगले दिल्ली के उच्च न्यायालय के जजों और 8 बंगले दिल्ली उच्च न्यायालय के जजों को आबंटित करने के लिए निर्दिष्ट हैं, और अन्य भूतपूर्व राष्ट्रपतियों/भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उनकी पत्नियों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष/सदस्यों, सचिव/समकक्ष अधिकारियों, महान्यायवादी (अटारनी जनरल), मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक स्मारकों/ट्रस्टों, राजनीतिक पार्टियों आदि के पास हैं। किसी सेना अधिकारी को सामान्य पूल से टाइप-8 आवास आबंटित नहीं किया गया है।

(ग) निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम से उपलब्ध होने पर टाइप-8 क्वार्टर आबंटित किये जाते हैं:

(1) केन्द्रीय मंत्रीपरिषद के सदस्य;

(2) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (लोक सभा), उप सभापति (राज्य सभा), संविधानिक नियुक्तियां जैसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी (अटॉरनी जनरल) और प्रमुख कार्यपालकों सहित कार्यरत अधिकारी;

(3) उनकी परस्पर वरिष्ठता आधार पर आयोगों और ट्रिब्यूनलों आदि के अध्यक्ष और सदस्य सहित सचिव/समकक्ष अधिकारियों के स्तर के अधिकारीगण।

[अनुवाद]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का पुनरुद्धार

2611. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि." को 1999-2000 के दौरान घाटा हुआ है और इसकी "नेट वर्थ" नकारात्मक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "ई.सी.एल." के पुनरुद्धार हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) का नेट वर्थ, कंपनी द्वारा 1998-99 के वित्तीय वर्ष में उठाए गए वार्षिक घाटे को मिलाकर दिनांक 31.3.1999 के अनुसार इसके संचित घाटों के कारण ऋणात्मक हो गया है। 1999-2000 के ई.सी.एल. के लेखाओं की लेखा-परीक्षा अभी की जानी है।

(ख) और (ग) सरकार से अनुमोदन की मांग के लिए ई.सी.एल. हेतु पुनरुद्धार पैकेज को अब तक कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आसूचना ब्यूरो

2612. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसूचना ब्यूरो देश में अपराधों पर काबू पाने में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या आसूचना ब्यूरो के कार्यकरण की समीक्षा की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आसूचना ब्यूरो को सुदृढ़ करने और इसे और शक्तियां प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) देश में अपराधों को रोकने के लिए आसूचना ब्यूरो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।

(ख) से (ङ) आसूचना ब्यूरो सहित सरकारी संगठनों के कार्यकरण की पुनरीक्षा प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है जो संगठनों को सुदृढ़ किया जाता है और उन्हें शक्तियां प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

त्रिभाषा सूत्र

2613. श्री सिमरनजीत सिंह मान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) भाषायी अल्पसंख्यक आयोग को और अधिक अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, पंजाब को अपनी द्वितीय भाषा के रूप में किसी कार्यपालनकारी आदेश के जरिए नहीं वरन् विधान के द्वारा लागू करें, कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को उन राज्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, जिन्होंने भाषीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मांगी गई भाषा-अनुपालन रिपोर्टें पेश नहीं की हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (छ) वांछित सूचना संबंधित मंत्रालयों से एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

कोकिंग कोल लिमिटेड

2614. श्री ब्रज मोहन राम: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. द्वारा सामुदायिक विकास योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष आवंटित राशि की तुलना में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. का विचार अपनी क्षमता में विस्तार कर उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.टी. षणमुगम): (क) जैसाकि कोल इंडिया लि. द्वारा बताया गया है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत नियत की गई धनराशि में से व्यय की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
आवंटित धनराशि	90.00	100.00	85.00
व्यय	71.00	75.00	65.58

(ख) और (ग) सी.सी.एल. ने 1999-2000 में 32.4 लाख टन का उत्पादन किया। 2001-02 अर्थात् 9वीं परियोजना के अंतिम वर्ष में इसका विचार अपना उत्पादन 36 मिलियन टन तक बढ़ाने का है। सी.सी.एल. की इस समय चालू परियोजनाएं इस बढ़ोत्तरी में मुख्य रूप से योगदान करेंगी। अतः इस समय चल रही 23 परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। जिनकी क्षमता 17.73 मिलियन टन वार्षिक है और साथ ही मौजूदा उपकरणों का वर्तमान क्षमता को बढ़ाने में बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इस समय चल रही 23 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं नामतः बोकारो ओपनकास्ट, झारखंड ओपनकास्ट, के.डी. हेसलाग ओपनकास्ट, पारेज ईस्ट ओपनकास्ट और उरीमिरी ओपनकास्ट परियोजनाएं पूरी हो जाने पर 9.35 मि.ट. प्रतिवर्ष उत्पादन का योगदान कर सकेंगी।

[अनुवाद]

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2615. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अंतर्गत शामिल कर दिया है क्योंकि केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश के अन्य बाकी जिलों को "शिक्षा अभियान" के अंतर्गत शामिल करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने की संभावना है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दिये जाने की संभावना है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु अब तक कितनी सहायता जारी की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में से 19 जिलों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार से शेष चार जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं के लिए प्रारम्भिक कार्यकलापों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

अभी तक केन्द्र सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 409.68 करोड़ रु. प्रदान किए हैं।

नेपाल जाने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध

2616. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हवाई जहाज द्वारा भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने-जाने वाले यात्रियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़क मार्ग द्वारा नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आने-जाने वाले यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) भारत और नेपाल मौजूदा प्रणाली को कड़ा करने पर सहमत हैं जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा कर रहे भारत और नेपाल के राष्ट्रिकों को अपनी राष्ट्रीयता सिद्ध करने के लिए फोटो पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित है। दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा के दौरान, भारतीय नागरिकों के पास निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज होना चाहिए:

* वैध राष्ट्रिक पासपोर्ट।
* भारत सरकार/भारत में किसी भी राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र/भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र।
* आपातिक स्थितियों के मामले में, भारतीय राष्ट्रिकों को भारतीय दूतावास, काठमांडू द्वारा जारी किया गया आपाती प्रमाणपत्र।

दोनों देशों के बीच हवाई यात्रा के दौरान, नेपाली नागरिकों के पास निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज होना चाहिए:

* वैध राष्ट्रिक पासपोर्ट
* नेपाल सरकार द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र
* आपातिक स्थितियों के मामले में, नेपाली राष्ट्रिकों को नई दिल्ली में नेपाल के राजशाही दूतावास द्वारा जारी आपाती प्रमाणपत्र।

10 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को भारत और नेपाल के बीच हवाई यात्रा के लिए उपर्युक्त दस्तावेज अपेक्षित नहीं होंगे।

उपर्युक्त निर्णय 1 अक्तूबर, 2000 से कार्यान्वित होगा।

भू-सीमा के पार यात्रा करने वाले भारतीय और नेपाली राष्ट्रिकों के लिए पहचान दस्तावेज शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आंगनबाड़ी

2617. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों को चलाने हेतु राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु संबंधित क्षेत्र के सांसदों से सम्पर्क किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अपनाई जाने वाली संबंधित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ/सहायिकाएं स्थानीय क्षेत्र/गांव की होनी चाहिए। आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने चाहे दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा न की हो, लेकिन वह स्थानीय समुदाय को स्वीकार्य होनी चाहिए। सहायिकाओं के लिए कोई अर्हताएं निर्धारित नहीं है।

(ख) वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राज्य-वार वित्तीय सहायता दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राज्य-वार राशि दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	1999-2000 निर्मुक्त राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5402.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	817.00
3.	असम	2211.00
4.	बिहार	4918.64
5.	गोवा	284.13
6.	गुजरात	5370.21
7.	हरियाणा	2754.12
8.	हिमाचल प्रदेश	1640.09
9.	जम्मू व कश्मीर	1963.00
10.	कर्नाटक	5111.35
11.	केरल	2641.82
12.	मध्य प्रदेश	4368.00
13.	महाराष्ट्र	6584.73
14.	मणिपुर	840.48
15.	मेघालय	535.00
16.	मिजोरम	535.66
17.	नागालैंड	1245.00
18.	उड़ीसा	4042.97
19.	पंजाब	2413.14
20.	राजस्थान	4197.55
21.	सिक्किम	129.75
22.	तमिलनाडु	10704.77
23.	त्रिपुरा	646.06
24.	उत्तर प्रदेश	11349.00
25.	पश्चिम बंगाल	6068.00
26.	दिल्ली	818.42
27.	पांडिचेरी	181.58
28.	अंडमान एवं निकोबार	130.44
29.	चंडीगढ़	78.29
30.	दादर एवं नगर हवेली	26.83
31.	दमन एवं दीव	42.00
32.	लक्षद्वीप	25.69
	कुल	88097.59

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

2618. श्री उत्तमराव पाटील: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान और आज तक कोयला खानों में राज्य-वार कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) उनमें कितनी मौतें हुईं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) मृतकों के आश्रितों को कितनी मुआवज़ा धनराशि दी गई;

(ङ) क्या सरकार द्वारा ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपाय किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) कोल इंडिया लि. की कोयला खानों में पिछले वर्ष और आज तक हुई दुर्घटनाओं की संख्या राज्यवार, उनमें हुई मौतों की संख्या, प्रत्येक दुर्घटना के कारण और उनके आश्रितों को दिए गए मुआवजे की राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोल इंडिया लि. द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. सांविधिक नियमों व विनियमों का पालन करना।

2. खानों में सुरक्षा की वास्तविक स्थिति की निगरानी स्थानीय प्रबंधकों, कंपनियों के आंतरिक सुरक्षा संगठनों (आईएसओ) के साथ-साथ को.इं.लि. के आंतरिक सुरक्षा संगठनों द्वारा की जाती है, कामगार निरीक्षकों जैसे कामगारों के प्रतिनिधियों द्वारा खान स्तर पर सुरक्षा समितियों द्वारा कंपनी स्तर पर त्रिपक्षीय समितियों द्वारा को.इं.लि. के सुरक्षा बोर्ड में मजदूर संघों के सदस्यों द्वारा, और कोयला खानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समितियों के साथ श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षणों द्वारा की जाती है।

3. सीएमडी की मासिक बैठकों में सुरक्षा की नियमित समीक्षा की जाती है।

4. बाहर के विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षा जांच करना और उनकी सिफारिशों को लागू करना।

5. समय-समय पर सुरक्षा अभियान चलाना।

6. कामगारों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण देना।

7. कामगारों को खनन में आने वाले खतरों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकीय सुधार करना जो नीचे दिए गए हैं।

(1) 80 प्रतिशत से अधिक कोयले का उत्पादन खुली खानों से बढ़िया और पूंजीप्रधान हैवी अर्थ मूविंग मशीनों से किया जाता है जहां खनन के खतरे कम हैं।

(2) भूमिगत खानों में विकास के कामों में छत को संभालने की प्रणाली का डिजाइन वैज्ञानिक अवलम्ब पद्धति द्वारा किया जाता है जो वैज्ञानिक अवलम्ब पद्धति द्वारा किया जाता है जो चट्टान-भार के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है।

(3) जहां भी संभव हो, भूमिगत खानों में लकड़ी के अवलम्बों को धीरे-धीरे हटाकर उनके स्थान पर स्टील के अवलम्बों का प्रयोग लगातार बढ़ाना।

(4) भूमिगत खानों में नई खुदाई के कामों में अवलम्ब के लिए छत में लगे बोल्टों में भरने के लिए जल्दी पक्का होने वाले सीमेंट का अधिक प्रयोग करना।

(5) भूमिगत खानों में लदाई के कामों के लिए एसडीएल और एलएसडी मशीनों का अधिक प्रयोग करके मज़दूरों को खनन के खतरों से दूर रखना।

(6) भूमिगत खानों में जहां कामगार स्टील की छत के अवलम्बों के बीच एक दूसरे से सटे हुए होकर काम करते हैं वहां बिजली की शक्ति से लम्बी दीवार के साथ खनन करने वाली पूंजी प्रधान मशीनों का चलन बढ़ाने की दिशा में निरन्तर प्रयास करना।

(छ) लागू नहीं होता।

विवरण

राज्य	कंपनी	दिनांक	खान	कारण	आश्रितों के नाम	मुआवजे का भुगतान	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8
असम	एनईसी	6.9.99	टीकक ओसी	ट्रक	शिवशंकर साहू	149870	
बिहार	बीसीसीएल	27.1.99	झीलगोरा	हॉलेज	रामसुदन रविदास	131950	
बिहार	बीसीसीएल	3.2.99	मूनीडीह	साइड फाल	महबूब अंसारी	166290	
बिहार	बीसीसीएल	12.3.99	कुस्टोरे	विस्फोट	किशन महतो	128330	
बिहार	बीसीसीएल	12.3.99	महेशपुर	छत गिरना	सरजू पासवान	131950	
बिहार	बीसीसीएल	22.3.99	भट्टडीह	हॉलेज	आर.ए. मजूमदार	142640	

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	बीसीसीएल	24.3.99	ईफायगोरा	छत गिरना	ऊमर अली मियां	121050	
बिहार	बीसीसीएल	27.3.99	लोडनागोरा	छत गिरना	हुकुमहीर	147620	
बिहार	बीसीसीएल	2.4.99	कुस्टौरे	हॉलेज	मथुरा पासवान	147640	
बिहार	बीसीसीएल	15.4.99	लोयाबाद	वाइडिंग	लीलो साँ	128330	
बिहार	बीसीसीएल	28.4.99	राजापुर ओसीपी	डम्पर	राजेन्द्र पासवान	121051	
बिहार	बीसीसीएल	20.5.99	नूडखुरकी ओसीपी	व्यक्ति का गिरना	सीना रेवानी	65000	
बिहार	बीसीसीएल	27.5.99	गोंदूडीह	छत गिरना	अशरफ मियां	124700	
बिहार	बीसीसीएल	5.6.99	बेरा	छत गिरना	महादेव प्रसाद	135560	
बिहार	बीसीसीएल	18.6.99	सेन्द्रा बंसजोरा	विविध	कार्तिक बहार	181370	
बिहार	बीसीसीएल	29.6.99	बूरागढ़	छत गिरना	रमजान मियां	156470	
बिहार	बीसीसीएल	23.8.99	कुस्टौरे	कन्वेयर	कैलाश कुमार यादव	219950	
बिहार	बीसीसीएल	1.9.99	नडखुरकी	वस्तु का गिरना	नन्तू महतो	126330	
बिहार	बीसीसीएल	6.9.99	गोधुर	साइड फाल	तपेश्वर नूनियां	159800	
बिहार	बीसीसीएल	28.10.99	गोधुर	व्यक्ति का गिरना	यूसुफ मियां	128330	
बिहार	बीसीसीएल	10.11.99	फुलारीटांड	व्यक्ति का गिरना	नारायण महतो	221370	
बिहार	बीसीसीएल	22.11.99	पाथेरडीह	साइड फाल	मुक्तेश्वर लोया	178490	
बिहार	बीसीसीएल	22.11.99	पाथेरडीह	साइड फाल	बुद्धुबोरी	159440	
बिहार	बीसीसीएल	22.11.99	पाथेरडीह	साइड फाल	सी.ए. बुआरी	153090	
बिहार	बीसीसीएल	23.11.99	गोंदूडीह	पानी भरना	समीर मियां	131950	
बिहार	बीसीसीएल	29.11.99	गोंदूडीह	विस्फोट	आर.के. राम	128330	
बिहार	बीसीसीएल	20.12.99	केबी 5/6 पिट	छत गिरना	जसई कुम्हार	135560	
बिहार	बीसीसीएल	25.12.99	मूनीडीह परि.	व्यक्ति का गिरना	एन.सी. सरकार	169440	
बिहार	सीसीएल	7.2.99	राजरप्पा ओसी	ट्रक	हरिलाल मांझी	175540	
बिहार	सीसीएल	12.3.99	सयालदाह	विस्फोट	सुखमोहन	312240	
बिहार	सीसीएल	9.4.99	उरीमारी	डम्पर	लखन ओरांव	131188	
बिहार	सीसीएल	2.7.99	टोपा ओसीपी	नॉन-ट्रांसपोर्ट एम/सी	कराली कपरटा	166290	
बिहार	सीसीएल	28.7.99	अरगदा	डस्ट गैस आदि	अगना	149670	
बिहार	सीसीएल	25.11.99	अमलो	व्यक्ति का गिरना	कामेश्वर	130890	

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	सीसीएल	2.12.99	कथारा	व्यक्ति का गिरना	मूबिन अंसारी	146200	
बिहार	सीसीएल	14.10.99	गोपीनाथपुर	इलैक्ट्रिसिटी	गौर चक्रवर्ती	147200	
बिहार	सीसीएल	26.11.99	लजीमाता	छत गिरना	बहादुर भूया	169440	
बिहार	सीसीएल	28.12.99	चित्रा-ए	वस्तु का गिरना	मखनू मियां	135800	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	2.1.99	घुगुस ओसीपी	विविध	एन.के.वाई. मेश्राम	149670	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	1.2.99	नंद गांव	हॉलेज	स्वीकार सिंधे	124700	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	17.7.99	पौनी ओसी	इलेक्ट्रीसिटी	एस.डी. डोंगे	20990	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	9.9.99	एचएलसी-1	वाइडिंग	कर्मा भंतियां	138130	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	9.11.99	एचएलसी-3	नॉन-ट्रांसपोर्ट एम/सी	अमृत लाल देहरिया	169440	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	16.11.99	बल्लारपुर सीएचपी	कन्वेयर	रमाकांत	167655	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	7.12.99	पदमपुर ओसीपी	इलेक्ट्रिसिटी	ए.डी. कुरमिटे	219950	
मध्य प्रदेश	एनसीएल	20.4.99	जयंत ओसी	ट्रक	रामस्वरूप	184170	
मध्य प्रदेश	एनसीएल	8.6.99	झिंगुर्दा	डम्पर	निरंजन सिंह	124700	
मध्य प्रदेश	एनसीएल	23.7.99	दुधीचुआ	इलैक्ट्रिसिटी	राजू खैरवाल	213320	
मध्य प्रदेश	एनसीएल	26.1.99	दुमनहिल	ट्रक	शिवनारायण	51115	जमा कर दिया
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	31.1.99	राजनगर आरओ	विस्फोट	मोहन	172520	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	7.3.99	जयनगर 3 एण्ड 4	छत गिरना	पुश्कर सिंह	128330	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	1.4.99	बलरामपुर	ट्रक	ओम प्रकाश	90000	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	17.4.99	झिलीमिली	विस्फोट	ब्रिजेन्द्र कुमार	211790	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	17.4.99	झिलीमिली	विस्फोट	यार मोहम्मद	203850	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	17.4.99	झिलीमिली	विस्फोट	एच. मानिकपुरी	203850	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	18.4.99	अमलाई	ट्रक	भगवानदीन	189254	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	4.6.99	दीपका ओसी	ट्रक	जानूका मुंडा	221370	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	14.6.99	कोटमा (डब्ल्यू)	छत गिरने से	दीनदयाल	149670	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	24.6.99	नार्थ चिरमिरी	छत गिरने से	शंकर सिंह	19240	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	7.7.99	गेवरा परियोजना	विविध	मनराखन सिंह	188014	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	20.7.99	चुर्चा डब्ल्यू	छत गिरने से	बेनू	186900	

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	25.8.99	चुर्चा डब्ल्यू	छत गिरने से	सुखदेव	139130	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	5.9.99	धनपुरी भू.ग.	इलैक्ट्रिसिटी	हरीश राय	216910	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	7.11.99	लक्ष्मण ओ.सी.	डम्पर	के.आर. सुदामा	184170	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	16.11.99	नरौसाबाद डब्ल्यू	छत गिरने से	पूर्ण लाल	181370	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	16.11.99	नरौसाबाद डब्ल्यू	छत गिरने से	राम नरेश	207980	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	18.11.99	पिनूरा	छत गिरने से	जॉनसन टोपो	195640	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	24.11.99	धानपुरी ओसीएम	डम्पर	मुश्ताक अली	178490	
मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	6.1.99	अम्बारा	छत गिरने से	श्री श्रीराम	156470	
मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	21.1.99	गोराहवरी	ट्रक	सुदामा	222710	
मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	1.2.99	मथानी	छत गिरने से	फारुख खान	135560	
मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	1.9.99	दमुआ भू.ग.	व्यक्ति के गिरने से	राम प्रसाद तिवारी	175540	
उड़ीसा	एमसीएल	4.4.99	जगन्नाथ ओसीपी	कन्वेयर	बोनो माली भूटिया	192140	
उड़ीसा	एमसीएल	19.6.99	भरतपुर ओसीपी	ट्रक	सरत चबेरा	215288	
उड़ीसा	एमसीएल	24.7.99	नंदिरा	इलैक्ट्रिसिटी	पी.के. साहू	203850	
उड़ीसा	एमसीएल	28.8.99	लखनपुर ओसीपी	डम्पर	मोची राम	139130	
उड़ीसा	एमसीएल	31.8.99	भरतपुर ओसीपी	इलैक्ट्रिसिटी	इन्द्र मणि साहू	148644	
उड़ीसा	एमसीएल	18.9.99	तालचर	वस्तु के गिरने से	रामचसाहू	142680	
प. बंगाल	ईसीएल	2.2.99	बहुला	छत गिरने से	रविन्द्रा हरिजन	199440	
प. बंगाल	ईसीएल	12.3.99	बहुला	छत गिरने से	जिताई हरिजन	149670	
प. बंगाल	ईसीएल	12.3.99	सोदेपुर 7 और 10	हॉलेज	जुगल गोपे	15690	
प. बंगाल	ईसीएल	13.4.99	सोनेपुर बाजारी	डम्पर	पी.एन. चटर्जी	181370	
प. बंगाल	ईसीएल	29.4.99	निंघा	वाइडंग	हीरादास	176853	
प. बंगाल	ईसीएल	2.6.99	लोअर केंदा	ट्रक	रंगनाथ पांडे	133000	
प. बंगाल	ईसीएल	10.6.99	चोरा 10 पिट	कन्वेयर	निरंजन महतो	194640	
प. बंगाल	ईसीएल	30.6.99	झांझरा 1 और 2	विविध	बी.के. गौरा	205950	
प. बंगाल	ईसीएल	6.7.99	पारसकोले डब्ल्यू	विविध	विप्रा चौ. नायक	199400	
प. बंगाल	ईसीएल	6.7.99	पारसकोले डब्ल्यू	विविध	महावीर भूंयां	139130	
प. बंगाल	ईसीएल	6.7.99	पारसकोले डब्ल्यू	विविध	दुर्गा दास	85527	

1	2	3	4	5	6	7	8
प. बंगाल	ईसीएल	6.7.99	पारसकोले डब्ल्यू	विविध	सदीक खान	87439	
प. बंगाल	ईसीएल	6.7.99	पारसकोले डब्ल्यू	विविध	नूनू लाल मांझी	83467	
प. बंगाल	ईसीएल	28.7.99	बंकोला	हालेज	शिशर मंडल	-	प्रक्रियाधीन
प. बंगाल	ईसीएल	31.7.99	कुनुस्टोरिया	नॉन-ट्रांसपोर्ट एम/सी	लक्ष्मी राय	172520	
प. बंगाल	ईसीएल	3.8.99	पांडेश्वर	छत गिरने से	धान मांझी	128000	
प. बंगाल	ईसीएल	30.9.99	सोनेपुरी बाजारी	नॉन-ट्रांसपोर्ट एम/सी	मो. सुलतान	166290	
प. बंगाल	ईसीएल	28.10.99	कुमारडी एचबी	छत गिरने से	बोधीमियां	131950	
प. बंगाल	ईसीएल	1.11.99	सोनेपुर बाजारी	नॉन-ट्रांसपोर्ट एम/सी	दानिया बारिच	178490	
प. बंगाल	ईसीएल	27.11.99	माधवपुर	हालेज	बंशी पारिदा	142680	
प. बंगाल	ईसीएल	24.12.99	माउथडीह	साइड फाल	राजनाथ राजबाल	114000	
बिहार	बीसीसीएल	11.1.00	लोडना	छत के गिरने से	मोती केवट	131796	
बिहार	बीसीसीएल	13.1.00	बरारी	छत के गिरने से	जगमोहन उरंग	186560	
बिहार	बीसीसीएल	13.1.00	बरारी	छत के गिरने से	मो. जलील अंसारी	192140	
बिहार	बीसीसीएल	25.1.00	धनसार	साइड फाल	बी. जयरामन	166290	
बिहार	बीसीसीएल	12.3.00	सुदामडीह एच शाफ्ट	विविध	दुर्गापुर देसवाली	156470	
बिहार	बीसीसीएल	30.3.00	दोबारी	छत के गिरने से	लक्ष्मण देवानी	153090	
बिहार	सीसीएल	4.1.00	एन.एस. धौरी	विस्फोट	दिनेश मांझी	201660	
बिहार	सीसीएल	4.1.00	एन.एस. धौरी	विस्फोट	बरहन महतो	142680	
बिहार	सीसीएल	4.2.00	कठारा ओसी	ट्रक	राजेश्वर प्रसाद	128330	
बिहार	सीसीएल	4.2.00	कठारा ओसी	ट्रक	तुलसी कामर	159800	
बिहार	सीसीएल	9.3.00	करकेटा	ट्रक	आर.के. प्रजापति	218470	
बिहार	सीसीएल	9.3.00	करकेटा	ट्रक	देवानंद गंझू	1895560	
बिहार	सीसीएल	26.5.00	डकरा	इलैक्ट्रिसिटी	देवू डाकूआ	153090	
बिहार	सीसीएल	1.6.00	बोकारो ओसी	इलैक्ट्रिसिटी	सूकर रवानी	-	प्रक्रियाधीन
बिहार	सीसीएल	7.6.00	करकेटा	इलैक्ट्रिसिटी	सलीम मियां	153090	

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार	सीसीएल	26.6.00	सयालदाह	ट्रक	संजय	-	प्रक्रियाधीन
बिहार	सीसीएल	24.1.00	छापापुर	साइड फाल	फकीर राय	131950	
बिहार	सीसीएल	21.6.00	खुदिया	डम्पर	आर. चौहान	-	प्रक्रियाधीन
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	1.2.00	सतपुरा	नॉन-ट्रांसपोर्ट एम/सी	लाल मूनी	159860	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	19.2.00	गोंडेगाँव ओका	डंपर	राम नरेश शाही	131950	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	9.3.00	बल्लारपुर ओका	ट्रक	बी. शीरमू	155900	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	10.4.00	न्यूमाजरी सं. 3	फुटकर	तदालू रमालू	172520	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	श्रीपत काहू	205950	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	एस.के. तिवारी	175540	जमा किया गया
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	पी. पोटराजी	175540	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	भाउराव मीलमील	207980	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	प्रदेशी सुखलाल	221370	जमा किया गया
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	राजेन्द्र यादव	163070	जमा किया गया
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	साहती देवन	163070	जमा किया गया
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	विक्रम बोंडे	199400	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	मधुकर गोंडे	184170	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	24.6.00	कवाडी ओका	साइड फॉल	बवन नागराले	181371	
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	16.7.00	इंद्र	व्यक्ति का गिरना	सुभाष झींगर	-	प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	एनसीएल	6.1.00	जयंत	डंपर	बहादुर सिंह	142680	
मध्य प्रदेश	एनसीएल	2.3.00	झींगुरदा	कन्वेयर	रंजीत धोबी	135660	
मध्य प्रदेश	एनसीएल	7.6.00	अमलोहरी	गैस, धूल आदि	बंसीबारही	181370	
मध्य प्रदेश	एनसीएल	1.7.00	अमलोहरी	डंपर	सुखलाल	203850	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	14.2.00	राजनागारोल्ड	छत गिरना	बाहोरी	142680	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	17.2.00	पालिउग	छत गिरना	नरोत्तम दास	189560	
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	17.2.00	पालिउग	छत गिरना	एल.पी. तिवारी	205950	

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	8.6.00	गेवरा	नॉन ट्रांसपोर्ट एम/सी	सोनाउराम	124700	प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	9.6.00	वेस्ट चीरीमीरी	साइड फॉल	नरसिंहो	128330	प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	12.6.00	राजेन्द्र भू.ग.	कन्वेयर	महेतर	166290	प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	19.7.00	राजनागाराव 5/6	छत गिरना	अमर लाल		प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	एसईसीएल	26.7.00	कपिल धारा	वस्तु गिरना	राकेश कुमार		प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	3.2.00	महादेव पुरी	छत गिरना	संतोष बट्टन	211790	
मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	3.2.00	महादेवपुरी	छत गिरना	नागेसुचीत	124700	
मध्य प्रदेश	डब्ल्यूसीएल	8.6.00	नंदन 2 भू.ग.	छत गिरना	एस.बी. चटर्जी		पात्र नहीं
उड़ीसा	एमसीएल	25.4.00	बसुंधरा (ई)	नॉनट्रांस्पोर्ट एम/सी	एल.एम. गौंडा	197060	
उत्तर प्रदेश	एनसीएल	20.7.00	खाडिया	विद्युत	श्री मनोज भगत		प्रक्रियाधीन
प. बंगाल	बीसीसीएल	13.3.00	विक्टोरिया वेस्ट	छत गिरना	रमन महतो	199400	
प. बंगाल	बीसीसीएल	26.6.00	विक्टोरिया वेस्ट	हॉलेज	संतोख गोपे	172520	
प. बंगाल	ईसीएल	17.2.00	खोट्टाडीह भू.ग.	व्यक्ति का गिरना	यदुपति मंडल	172520	
प. बंगाल	ईसीएल	2.3.00	गौरंडीह ओकाप	डंपर	दिलीप बौरी	184540	
प. बंगाल	ईसीएल	16.3.00	पटमोहाना	छत गिरना	संग्राम रवीदास	199400	
प. बंगाल	ईसीएल	19.6.00	न्यूकेंडा	साइड फॉल	धन्नो महाराना		प्रक्रियाधीन
प. बंगाल	ईसीएल	13.6.00	न्यूकेंडा	साइड फॉल	मुरत गोपे		प्रक्रियाधीन
प. बंगाल	ईसीएल	19.6.00	दुवेश्वरी	नॉनट्रांसपोर्ट एम/सी	एस.के. बाल		प्रक्रियाधीन
प. बंगाल	ईसीएल	27.6.00	पांडवेश्वर	हॉलेज	दीनानाथ भर	149670	
प. बंगाल	ईसीएल	29.6.00	चीनाकुर 2	छत गिरना	प्रमेश्वर नूनीया	156470	
प. बंगाल	ईसीएल	1.7.00	कुनुस्टोरिया	फुटकर	आर.एन. सिंह		प्रक्रियाधीन
प. बंगाल	ईसीएल	22.7.00	शंकरपुर	छत गिरना	सुशील भुटन		प्रक्रियाधीन

रिमांड होम में विदेशी नागरिक

2619. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 मई, 2000 के 'दैनिक राष्ट्रीय सहारा' में शिशु गृह से पाकिस्तानी नागरिक के भागने संबंधी समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो रिमांड होम में विदेशी नागरिकों को रखने का क्या औचित्य है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जिन विदेशी राष्ट्रिकों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, जिन्हें जमानत दी गयी है और जिनके खिलाफ प्रत्यावर्तन की कार्रवाई शुरू की गयी है, उन्हें सेवा सदन, लामपुर में रखा जाता है क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा अभी सजा सुनानी बाकी है, इसलिए और उन्हें जेलों में नहीं रखा जा सकता है।

(ग) और (घ) संबंधित अधिकारी को अपनी ड्यूटी के निष्पादन में और अधिक सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी दी गयी है। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेवा सदन में सुरक्षा प्रबंधों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पूर्व राज्यपालों को सुविधाएं

2620. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्व राज्यपालों की पेंशन, भत्ते और आवास तथा सचिवालीय सहायता जैसी अन्य बातों संबंधी प्रश्न की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के अलावा भूतपूर्व राज्यपालों को कोई और पेंशन लाभ नहीं दिए जाते हैं। पेंशन लाभ की ग्राह्यता के बारे में मामला 20 मई, 2000 को आयोजित अन्तर्राज्यीय परिषद की छठी बैठक के समक्ष विचारार्थ रखा गया था। तथापि, मतैक्य के अभाव में मामले को बन्द करने का निर्णय लिया गया।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

2621. श्री रामशकल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राज्य-वार कितनी संस्थाएं चलायी जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को कितनी सहायता राशि दी गयी है;

(ग) इनमें से कितने गैर-रारकारी संगठनों ने उक्त सहायता का दुरुपयोग किया;

(घ) इस संबंध में दोषी पाए गए संगठनों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ङ) राज्य-वार काली सूची में डाले गए ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार पात्र गैर-सरकारी संगठनों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संगठनों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संगठनों द्वारा दिये जाने वाले ऐसे अनुदानों का ब्यौरा एक साथ नहीं रखा जाता। तथापि, पात्र गैर-सरकारी संगठनों को दिये गये एक लाख रुपए और उससे अधिक के अनुदान का ब्यौरा सामान्यतः संबंधित मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संगठनों की वार्षिक रिपोर्टों में दिया जाता है।

(ग) से (ङ) सामान्यतः उत्तर-संस्वीकृति अनुवीक्षण के लिए इन योजनाओं में प्रावधान होता है। मंत्रालय के अधिकारी भी आवधिक निरीक्षण करते हैं। निधियों का दुरुपयोग करने वाले गैर सरकारो संगठनों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। निधियों के उपयोग का अनुवीक्षण करने के लिए एक कार्यबल का भी गठन किया गया है।

बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा

2622. **श्री थावर चन्द गेहलोतः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के कालेजों में बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबंध किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस वर्ष से उक्त योजना को क्रियान्वित किया गया है और सरकार द्वारा इस संबंध में 2000-2001 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में कालेज जाने वाली छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राज्य सरकारों के परामर्श से बालिकाओं को कॉलेज स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला उद्योग में सुधार हेतु परियोजना

2623. **श्री सुकदेव पासवानः**
श्री जोरा सिंह मानः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला उद्योग में सुधार लाने हेतु कोई परियोजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लागत क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु खनन मशीनरी खरीदने के लिए क्रय आदेश प्रस्तुत किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी मशीनरी के क्रय मूल्य का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना के आकार को सीमित कर उत्पादन क्षमता को घटाया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां। कोयला उद्योग में सुधार लाने के लिए कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना तैयार की गई है।

(ख) कोल इंडिया लि. की पांच सहायक कंपनियां अर्थात् सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल), महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) के अधीन 15 प्रतिस्थापन परियोजनाओं के अनुरक्षण और 9 नई/विस्तार परियोजनाओं में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश हेतु कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना सोची गई है। कोयला क्षेत्र पुनर्वास परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोल इंडिया लि. को वाणिज्यिक रूप से समर्थ बनाना, आत्मनिर्भर बनाना तथा देश की भावी मांग को पूरा करने के लिए कोयले का उत्पादन बढ़ाना है।

इस परियोजना पर अमरीकी डालर 1.695 बिलियन के कुल निवेश का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 1.03 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश विश्व बैंक और जापान बैंक द्वारा इंटरनैशनल को-आपरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 50:50 के अनुपात में वित्त-पोषण किया जाएगा। शेष धनराशि की वित्त व्यवस्था कोल इंडिया लि. की भागीदार कंपनियों द्वारा की जाएगी। इस परियोजना के अंग के रूप में निवेश अंश, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण अंश शामिल है। 24 लाभप्रद खनन उप-परियोजनाओं के लिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनों की खरीद के लिए धन जुटाना और साथ ही इनमें से चार में कोयला रख-रखाव संयंत्रों का निर्माण करना भी शामिल है। तकनीकी सहायता अंश के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन, खनन परिचालन और प्रबंधन के विकास हेतु कोल इंडिया की संस्थागत क्षमता बढ़ाने के लिए वित्त व्यवस्था शामिल है।

सी.एस.आर.पी. को विश्व बैंक द्वारा सितम्बर, 1997 में प्रस्तावित किया गया था और ऋण जून, 1998 से प्रभावी हो गया था। इस परियोजना के लिए धन वितरण जुलाई, 1998 में शुरू हो गया था।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. ने अपनी पांच सहायक कंपनियों के लिए अमरीकी डालर 477.89 मिलियन (1964.42

करोड़ रु. के बराबर) मूल्य की भारी अर्थ मूविंग मशीनों की खरीद के लिए आदेश दिये जा चुके हैं। खरीद आदेशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) इसकी समग्र रूप में समीक्षा करने के बाद सी.आई.एल. ने यह महसूस किया कि विश्व बैंक/जे.बी.आई.सी. के ऋण की सुविधा की शेष राशि को आपसी सहमति से रद्द करने में ही सुविधा होगी और इस दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस परियोजना के अधीन निर्माण कार्य अब सी.आई.एल. के अपने संसाधनों से और उसके तुलन-पत्र के आधार पर पूरे किये जा रहे हैं।

विवरण

आई.बी.आर.डी. ऋण सं. 4226—आई.एन. पर सीएसआरपी के अंतर्गत एचईएमएम हेतु ठेके की स्थिति

क्र. सं.	मद	मात्रा	ठेका सं. और दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम	सीआईपी मूल्य की दी गई मुद्रा	भारतीय रुपयों (मिलियन) के समकक्ष सीआईपी मूल्य ठेका	यूएस डालर (मिलियन) के समकक्ष सीआईपी मूल्य ठेका
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	30 टी व्हील माउंटेडिड क्रेन	2	सीआईएल/क्रेन 30टी/ए/018, दिनांक 17.7.78	टीआईएल लि. इंडिया	रु. 1,54,49,100.00	15.45	0.36
2.	70टी व्हील माउंटेडिड क्रेन	3	सीआईएल/क्रेन 30 टी/ए/019, दिनांक 17.7.98	टीआईएल लि., इंडिया	रु. 4,94,21,229.00	49.42	1.15
3.	2.8 घन मी. /4.2 घन मी. हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर	14	सीआईएल/हाई. एक्स. 2.5/ए/004 दिनांक 17.8.98	बीईएमएल, इंडिया	यूएस डालर 1,590,752.22 जमा रु. 12,48,65,291.66	187.84	4.49
4.	4.3 घन मी./6.1 घन मी. हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर	8	सीआईएल/हाई. एक्स. 4/ए/005 दिनांक 17.8.98	बीईएमएल, इंडिया	यूएस डालर 2,705,293.17 जमा रु. 15,24,26,141.08	259.53	6.25
5.	50टी रियर डंपर	135	सीआईएल/डंप 50/ए/006 दिनांक 25.9.98	हिन्दुस्तान मोटर्स इंडिया	यूएस डालर 35,991,000.00 जमा रु. 43,51,94,206.07	1867.20	46.11
6.	50टी रियर डंपर	81	सीआईएल/डंप 50/ए/बीईएमएल/006 दिनांक 19.1.99	बीईएमएल इंडिया	यूएस डालर 14,320,048.83 जमा रु. 78,97,82,632.14	1867.28	46.11
7.	10 घन मी. इलेक्ट्रीक माइनिंग रोप शॉवेल	22	सीआईएल/रशॉव 10/ए/003 दिनांक 12.10.98	हर्निचफेजर कारपोरेशन यूएसए	जापानी येन 7,440,751,395.00	2297.70	53.43

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	85 टी रियर डंपर	63	सीआईएल/डंप 85/ए/007 दिनांक 3.11.98	बीईएमएल, इंडिया	यूएस डालर 14,871,756.93 जमा रु. 96,98,22,351.44	1561.58	37.42
9.	24 घन मी. वाकिंग ड्रेगलाइन	3	सीआईएल/ड्रेगलाइन /ए/002 दिनांक 3.11.98	बीईएमएल, इंडिया	यूएस डालर 33,199,229.48 जमा रु. 74,56,70,707.35	2067.33	50.54
10.	120 टी डंपर	160	सीआईएल/डंप/120/ए /008 दिनांक 5.12.98	यूनिट रीग, यूएसए	यूएस डालर 156,827,573.96	6246.44	156.83
11.	क्रालेर डोजर 240 कि.वा.	48	सीआईएल/डोजर 240/ए/009 दिनांक 24.12.98	बीईएमएल इंडिया	यूएस डालर 2,376,793.80 जमा रु. 25,18,93,640.10	347.08	8.23
12.	क्रालेर डोजर 300 कि.वा.	97	सीआईएल/डोजर 300/ए/010 दिनांक 24.12.98	बीईएमएल इंडिया	यूएस डालर 6,951,648.00 जमा 70,12,98,311.26	979.71	23.26
13.	क्रालेर डोजर 600 कि.वा.	5	सीआईएल/डोजर 600/ए/011 दिनांक 21.12.98	केटरपिलर एशिया	यूएस डालर 3,933,797.61 जमा रु. 34,65,000.00	160.86	4.01
14.	व्हील्ड डोजर 300 कि.वा.	35	सीआईएल/व्हील्ड जर/ए/012 दिनांक 21.12.98	केटरपीलर एशिया	यूएस डॉलर 13,789,480.35 जमा रु. 1,07,88,435.00	562.37	14.03
15.	मोटर ग्रेडर	26	सीआईएल/ग्रेडर/ए/0 17 दिनांक 21.1.99	केटरपीलर एशिया	यूएस डालर 7,107,585.70 जमा रु. 87,95,020.00	316.55	7.30
16.	ड्रिल 250 एमएम	34	सीआईएल/ड्रिल 250/ ए/014 दिनांक 4.2.99	रूदगोरमार्च जेएससी	यूएस डॉलर 10,142,200.00	434.29	10.14
17.	ड्रिल 311 एमएम	5	सीआईएल/ड्रिल 311/ए/015 दिनांक 21.1.99	इंजरसोल रैंड (इंडिया) लि.	यूएस डालर 10,834,999.10	463.95	10.83
18.	फ्रोंट इंड लोडर 5.7 घन मी.	3	सीआईएल/एफ.ई. लोडर 5.7/ए/016 दिनांक 1.3.99	हिन्दुस्तान मोटर लि.	यूएस डालर 560,220.00 जमा 76,86,739.00	31.94	0.74

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	ड्रिल 160 एमएम	19	सीआईएल/ड्रिल 1 60/ए/013/आरईसीपी दिनांक 13.9.99	रेक्सी सी पी इक्यूपमेंट लि.	यूएस डालर 4,705,105.47	203.82	4.70
20.	ड्रिल 160 एमएम	12	सीआईएल/ड्रिल 1 160/ए/013/आईआर दिनांक 13.9.99	इंजरशोल रैंड (इंडिया) लि.	यूएस डालर 3,173,827.96	137.49	3.17
21.	वाटर स्प्रिंकलर	13	सीआईएल/स्प्रिंकलर 28 केएल/ए/021 दिनांक 26.11.99	हिन्दुस्तान मोटर लि.	यूएस डालर 1,835,337.46 जमा रु. 21,87,198.00	80.24	1.89
22.	टायर हैन्डलर	2	सीआईएल/टायर हैन्डलर/ए/20 दिनांक 1.12.99	वोल्टास लि.	रु. 13,813,820.00	13.81	0.32
			कुल जोड़			रु. 19644.26	यूएस डालर 477.89

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

2624. श्री अनन्त नायक: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) 9वीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निधियों का शीर्ष-वार आबंटन नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/एजेंसी	रु. (करोड़ में.)
1.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1497.35
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एंड डी)	1500.00
3.	महासागर विकास विभाग	510.62
4.	अन्तरिक्ष विभाग	6511.72
5.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	675.00
6.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (सी एस आई आर सहित)	1327.48
	कुल (एस एंड टी)	12022.17

[हिन्दी]

अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा

2625. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित कोई नीति, नियम और प्रोटोकाल बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महत्वपूर्ण व्यक्तियों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के लिए सुरक्षा के प्रकार के बारे में निर्णय करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) वर्तमान में ऐसे व्यक्तियों को क्या सुविधाएं दी जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप-राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए दिशा निदेश ब्लू-बुक्स में निहित हैं। सुरक्षा प्राप्त अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित नीति हाल ही में संशोधित की गई और माह फरवरी, 2000 में घोषित की गयी।

व्यक्ति विशेष को सुरक्षा, सुरक्षा एजेन्सियों के अनुमान के अनुसार खतरे की सम्भावनाओं के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। सुरक्षा के तत्व, उपलब्ध कराई गई सुरक्षा के स्तर पर निर्भर करता है और इसे सुविधाएं नहीं माना जा सकता है।

आतंकवाद से निबटने के लिए विदेशी सहायता

2626. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कनाडा के बीच आतंकवाद खत्म करने हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) भारत और कनाडा ने आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत, दोनों देश, आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित किसी भी आपराधिक मामले में जांच-पड़ताल/विचारण के लिए अपेक्षित व्यक्तियों का साक्ष्य और बयान प्राप्त करने, रिकार्ड उपलब्ध कराने, दस्तावेज प्रस्तुत करना और तामील करना, अपराध आदि के आगम को अवरुद्ध करना, समपहरण और ज़ब्त करना तलाशी और जब्ती इत्यादि के लिए एक-दूसरे की सहायता करने पर सहमत हो गए हैं।

[अनुवाद]

कोयले पर रॉयल्टी

2627. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों को कोयले के मूल्य के अनुसार रॉयल्टी न देकर कोयले के वजन के अनुसार रॉयल्टी दी जाती है;

(ख) क्या यह सच है कि क्या सरकारी अधिकारियों की समिति ने मूल्य के आधार पर रॉयल्टी देने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कोयला मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल ने मूल्यानुसार रायल्टी की दरें निर्धारित करने की सिफारिश की थी। किन्तु, कोयले पर मूल्यानुसार रायल्टी निर्धारित करने की प्रक्रिया अभी तक अपनाई नहीं गई है क्योंकि यह मामला विचाराधीन है।

कम लागत वाली सफाई योजना

2628. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कम लागत वाली सफाई योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार और परियोजनावार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हाथ द्वारा सफाई करने की प्रथा को समाप्त करने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ख) से (घ) जी, हाँ। मानवीय मैला ढोने वालों को रोजगार तथा शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 26 जनवरी, 1997 से सभी संघ शासित प्रदेशों तथा आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू हो गया है। तदोपरान्त उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, बिहार और गुजरात राज्य सरकारों ने भी अधिनियम को अपना लिया है। शेष राज्य सरकारों से इस अधिनियम की कार्यान्वयन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। इस अधिनियम को अपनाने के लिए उन्हें समय-समय पर अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

विवरण

3.6.2000 की स्थिति के अनुसार हडको द्वारा कम लागत की सफाई स्कीम के अंतर्गत जारी धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	406.87	80.52	3985.10	794.27	4270.18	3625.59
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गोवा	400.00	0.00	400.00	0.00	160.00	0.00
5.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	100.55	0.00	55.00	95.51
10.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	79.82	0.00	299.95
11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
12.	मेघालय	10.43	8.47	19.54	0.00	0.00	0.00
13.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
14.	उड़ीसा	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	153.94	722.23
16.	राजस्थान	0.00	164.63	0.00	166.48	0.00	38.47
17.	तमिलनाडु	0.00	19.69	105.87	31.11	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	58.79	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	1244.92	972.25	0.00	0.00	0.00	602.19
20.	पश्चिम बंगाल	376.45	388.15	270.00	0.00	1279.77	764.41
21.	अंडमान व निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2442.17	1633.71	4881.06	1130.47	5918.89	6164.59

सेंकटोरिया का धंसना

2629. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के तहत "सेंकटोरिया" में बड़े पैमाने पर धंसने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रानीगंज कोलफील्ड एरिया में धंसने की समस्याओं से निपटने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) जी, हां। सेंक्टोरिया गांव का एक भाग, जो सेंक्टोरिया-दिशेरगढ़ कोलियरियों पर पुरानी छोड़ी गई खुदाइयों में गिरे मलबे पर बसा हुआ है, जो 2 जुलाई, 2000 को धंस गया था। ये मलबा भराव सेंक्टोरिया और दिशेरगढ़ सीमों में लगभग 70-80 वर्ष पहले किया गया था, जब कोई खनन नियम और विनियमन मौजूद नहीं थे। कोयला खान विनियम वर्ष 1957 से लागू हुए थे। इसलिए, पहले के खान-स्वामियों यानी मेसर्स इक्विटेबल कोल कंपनी तथा मेसर्स बंगाल कोल कंपनी द्वारा छोड़े गए मलबे के भराव की स्थिरता अत्यंत भरोसेमंद नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। ई.को.लि. में धंसाव और आग के नियंत्रण हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 146 स्थानों की अस्थिर रूप में शिनाख्त की गई है। जिनमें से 59 स्थानों को स्थिर बनाने का प्रस्ताव है। 80 स्थानों पर पुनर्वास कराने का विचार है और 7 स्थानों तक रेल, सड़क को मोड़कर लाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

2630. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वर्ग "डी" के कर्मचारियों, जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी, के आश्रितों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनको बिना रोजगार दिये सरकारी आवासों को खाली करने का आदेश जारी किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार के पास ऐसे लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है और ये जोन-वार किस वर्ष से लंबित पड़े हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। जिन कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी उनके आश्रितों को इस संबंध में सरकार द्वारा रखी गई शर्तें पूर्ण होने पर अनुकंपा नियुक्तियां दी जाती हैं। ऐसी अनुकंपा नियुक्तियां सीधी भर्ती रिक्तियों के 5 प्रतिशत तक सीमित हैं। के.लो.नि. विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए अनुमोदित मामले इस 5 प्रतिशत कोटा में आने वाली रिक्तियों से बहुत अधिक हैं अत: एक प्रतीक्षा सूची बनाई गई है। आवेदकों को उनकी बारी आने पर नियुक्तियां दी जा रही हैं

(ख) और (ग) एस आर-317-बी-2 के प्रावधानों के अनुसार आबंटिती की मृत्यु होने पर एक वर्ष की अनुकंपा अवधि देने के पश्चात सरकारी आवास का आबंटन रद्द कर दिया जाता है। तैनाती के स्थान पर मृतक अधिकारी अथवा उसके पति/पत्नी/प्रतिपाल्य (वाई) का अपना मकान न होने पर और एक वर्ष के

लिए आवास रखा जा सकता है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात यदि आश्रित प्रतिपाल्य/पति/पत्नी को प्राप्त कार्यालय में नौकरी मिल जाती है तो यह नौकरी आबंटिती की मृत्यु के दो वर्ष की अवधि के भीतर मिलने तथा अन्य निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर अधिकृत टाइप के आवास का नियमितीकरण/आबंटन भी स्वीकार्य है। तथापि, जिन मामलों में मृतक अधिकारी/प्रतिपाल्य/पति/पत्नी का तैनाती के स्थान पर अपना मकान है तो यह छूट नहीं दी जाती।

(घ) अनुकंपा नियुक्ति के सभी लंबित मामले निम्नलिखित दो वर्गों में आते हैं:

(1) वह मामले जिन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति अनुमोदित की जा चुकी है परन्तु रिक्तियों के अभाव में नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा सकते। ऐसे सभी मामलों की सूची दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और चेन्नई के 4 क्षेत्रों के अधीक्षक अभियंता (समन्वय) के कार्यालयों में है। समूह "ग" और "घ" मामलों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है। समूह "ग" कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले अगस्त, 1995 से तथा वर्ग "घ" के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले मार्च, 1983 से लंबित हैं।

(2) वह मामले जिन पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है। विभिन्न कार्यालयों में लंबित मामलों का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया है।

विवरण I

उन मामलों का ब्यौरा जिनमें नियुक्ति अनुमोदित की जा चुकी है

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	अनुमोदित मामलों की संख्या	
		समूह "ग"	समूह "घ"
1.	क्षेत्र (ए), दिल्ली	94	301
2.	क्षेत्र (बी), कलकत्ता	20	43
3.	क्षेत्र (सी), मुंबई	–	28
4.	क्षेत्र (डी), चेन्नई	13	17
	योग	127	389

विवरण II

उन मामलों का ब्यौरा जिनमें नियुक्ति पर निर्णय लिया जाना है

क्र.सं.	कार्यालय/यूनिट का नाम	मामलों की संख्या	
		समूह 'ग'	समूह 'घ'
1	2	3	4
1.	ए डी जी (एन आर) दिल्ली	9	26
2.	ई-इन-सी पी डब्ल्यू डी-दिल्ली	–	8
3.	ए डी जी (बोर्डर)	1	4
4.	सी ई (एन डी जेड-1)	12	24

1	2	3	4
5.	सी ई (एन डी जेड-2)	8	18
6.	सी ई (एन डी जेड-3)	1	6
7.	सी ई (एन डी जेड-4)	2	8
8.	सी ई (पी एवं पी)	–	–
9.	सी ई ई (ई)-1	11	18
10.	सी ई (ई)-2	3	11
11.	ए डी जी (एस आर)-चेन्नई	15	09
12.	ए डी जी (ई आर)-कलकत्ता	8	14
13.	ए डी जी (डब्ल्यू आर)-मुम्बई	14	39
	कुल	84	185

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़कें

2631. श्री मणिशंकर अय्यर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री सी. कुप्पुसामी:
श्री जोरा सिंह मान:
श्री नवल किशोर राय:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए डीजल-उपकर से राज्यों के अंश के रूप में 2500 करोड़ रु. जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राशियों के आबंटन के लिए मार्गनिदेशों को अंतिम रूप से तय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार का पिछड़े क्षेत्रों और अ.जा./अ.ज.जा. बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए अलग से राशि उद्दिष्ट करने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या राशि के उपयोग और ग्रामीण सड़कों के विकास की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (झ) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 2000-2001 के बजट में 2,500 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। सरकार इस समय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम तैयार कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निधियों के आबंटन और इनके कार्यान्वयन संबंधी नीति शामिल होगी।

पेयजल की गुणवत्ता

2632. डा. रमेश चंद तोमर:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मई, 2000 के "द स्टेट्समैन" में "दिल्ली वाटर पुअर इन क्लोरीन, रिच इन कौलारा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा लिए गए पेयजल के नमूने में अत्यधिक बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो क्या राजधानी में पेयजल के शोधन के लिए मौजूदा विधि सिर्फ अप्रभावी ही नहीं बल्कि अस्वास्थ्यकर भी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अपने निवासियों को विशेषकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन डी एम सी) के क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि समाचार के अंश पूर्णतया सही नहीं थे। (क) में दिए गए समाचार-पत्र में उल्लिखित नमूने दिल्ली जल बोर्ड के जल का सही चित्रण नहीं करते क्योंकि ये संचित जल या ट्राली जल के थे। बाद में दिल्ली जल बोर्ड ने उक्त क्षेत्र से जल के 51 नमूने लिए और सभी नमूनों में पर्याप्त अवशिष्ट क्लोरीन पाया गया जो जल का पीने योग्य होना दर्शाता है।

(ग) जी, नहीं। अप्रैल, 2000 से जुलाई, 2000 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के सभी भागों से 31677 जल नमूने लेने की सूचना दी है, जिनमें से 98.7 प्रतिशत नमूने संतोषजनक पाये गये थे। शेष 1.3 प्रतिशत नमूने संतोषजनक नहीं पाये गये, जिनकी कमी को दूर कर दिया गया था।

(घ) पेयजल को साफ करने की मौजूदा प्रक्रिया काफी प्रभावी है क्योंकि कच्चे जल की अवस्था से उपभोक्ता के पास पहुंचने तक गुणवत्ता नियंत्रण उपाय किये जाते हैं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पद

2633. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/मानित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों और उनके समकक्ष कितने पद हैं और 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार ऐसे पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्ति कार्यरत थे तथा कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या था;

(ख) 1.1.1997 से ऐसे पदों पर कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के थे; और

(ग) ऐसे पदों के लिए जो समितियां/बोर्ड व्यक्तियों का चयन करती/करते हैं उनकी कार्य-प्रकृति और संरचनात्मक ब्यौरा क्या है तथा ऐसी समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित 46 संस्थाओं में से प्रत्येक में कुलपति (वी.सी.) अथवा इसका समकक्ष पद है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों द्वारा कुलपति या समकक्ष पदाधिकारी की नियुक्ति अपने-अपने संविधि/संघ के ज्ञापन तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। प्रत्येक विश्वविद्यालय के संघ के ज्ञापन और नियमावली में कुलपति की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करने हेतु समिति/बोर्ड के गठन का प्रावधान है।

किशोरों के लिए राष्ट्रीय योजना

2634. श्री सुशील कुमार शिन्दे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोरों के उत्तरजीविता के अधिकार, वृद्धि, विकास और रक्षा को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना हासिल करने हेतु क्षेत्र विशेष के लिए कार्यक्रमों की रणनीति विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो जनजातीय बहुल क्षेत्रों के संबंध में राज्य-वार और क्षेत्र-वार विशेष के लिए बनाई गई रणनीति और उनके क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर राज्य-वार कुल कितना व्यय किया गया; और

(घ) इससे कुल कितने किशोर लाभान्वित हुए?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) विभाग ने 1992 में एक राष्ट्रीय बाल कार्य योजना तैयार की थी, जिसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों, बालिका तथा किशोर लड़कियों नामक विषयों के संबंध में सन् 2000 तक प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य दिए गए हैं। कार्य योजना में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यनीतियों, उद्देश्यों तथा किये जाने वाले कार्यों का भी उल्लेख है।

(ख) राष्ट्रीय कार्य योजना में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्यनीतियां नहीं दी गई हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आदिवासी संस्थाओं को अनुदान

2635. **श्री बाबूभाई के. कटारा:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान गुजरात में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किन-किन आदिवासी संस्थाओं को योजना-वार अनुदान और अन्य सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को 1.1.1999 से आज तक कुछ आदिवासी संस्थाओं से अनुदान और अन्य सहायता उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं को योजना-वार कितना अनुदान और अन्य सहायता दी गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत कुछ गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान निर्मुक्त किये जाते हैं। इसलिए, किसी भी आदिवासी संस्था को इस मंत्रालय से अनुदान सीधे प्रदान नहीं किया जाता है। गुजरात राज्य सरकार तथा आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदान के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गुजरात सरकार, गैर-सरकारी संगठनों आदि को निर्मुक्त अनुदान

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 (31.7.2000 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	-	2.29	3.00	-
2.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	-	4.02	6.25	-
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल	-	175.29	83.17	-
4.	अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण	86.35	67.50	67.50	-
5.	निम्न साक्षरता पाकेटों के लिए शैक्षिक परिसर	13.83	16.12	15.97	11.25

1	2	3	4	5	6
6.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	–	–	16.80	–
7.	गैर सरकारी संगठनों को अनुदाम	3.17	5.60	10.66	–
8.	आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2632.77	3689.70	3139.98	–
9.	अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	625.00	450.00	900.70	–
10.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	8.90	–	12.90	–
11.	ग्रामीण अन्न बैंक	19.20	14.72	–	–
12.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम योजना	123.89	–	150.00	–

विवरण II

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त अनुदान

(रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	गैर-सरकारी संगठनों का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	निम्न साक्षरता पाकेटों के लिए शैक्षिक परिसर	1. श्री मणिलाल गंगा दास पटेल सर्वोदय केन्द्र, पालनपुर, बानसकंठा	1,53,502.00	4,82,714.00	2,00,532.00
		2. लोक निकेतम, रत्नपुर पालनपुर बनासकंठा	4,43,835.00	1,80,200.00	6,40,000.00
		3. श्री सर्वोदय आश्रम सोनाली, बानसकंठा	2,69,150.00	3,85,000.00	2,25,000.00
		4. ग्राम स्वराज संघ कच्छ	1,89,870.00	3,30,900.00	5,31,992.00
		5. श्रीमती सुशीला बेन मेमोरियल ट्रस्ट, कच्छ	3,16,484.00	3,63,604.00	–

1	2	3	4	5	6
2.	गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	1. भारत सेवाश्रम संघ, अहमदाबाद	3,17,800.00	1,76,706.00	–
		2. दढेला केलावनी मंडल दढेला	–	–	2,42,730.00
		3. भारत यात्रा केन्द्र नर्मदा	–	1,21,806.00	8,23,621.00
		4. जरपन नरसपुर, विहाग, सूरत	–	2,61,819.00	–

[अनुवाद]

संपर्क सड़कें और बोर वेल्स

2636. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री जी.एम. बनातवाला:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को संपर्क सड़कों और बोर वेल्स के निर्माण हेतु कोई धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को क्या उपलब्धि हासिल हुई है और उनके द्वारा वास्तविक रूप मे कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) देश में ग्रामीण सड़क सम्पर्क मुहैया कराने के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 और 1997-98 में गंगा कल्याण योजना के अंतर्गत बोरवेलों के निर्माण के लिए निधियाँ प्रदान की गई थी। वर्ष 1998-99 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कोई भी निधि प्रदान नहीं की गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य की उपलब्धियों और निधियों के वास्तविक उपयोग से संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। विवरण संलग्न है।

विवरण

कार्यक्रम: केन्द्र प्रायोजित योजना—गंगा कल्याण योजना

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय रिलीज		कुल
		1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	743.60	780.615	1524.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.53	56.67	112.20
3.	असम	244.95	426.22	671.17

1	2	3	4	5
4.	बिहार	1445.87	1531.15	2977.02
5.	गोवा	13.03	12.895	25.93
6.	गुजरात	273.23	286.59	559.82
7.	हरियाणा	65.34	68.85	134.19
8.	हिमाचल प्रदेश	21.74	22.485	44.23
9.	जम्मू व कश्मीर	82.00	90.82	172.82
10.	कर्नाटक	498.66	524.105	1022.77
11.	केरल	181.80	190.655	372.46
12.	मध्य प्रदेश	941.79	989.16	1930.95
13.	महाराष्ट्र	810.05	850.96	1661.01
14.	मणिपुर	40.26	40.87	81.13
15.	मेघालय	42.47	43.41	85.88
16.	मिजोरम	0.00	18.345	18.35
17.	नागालैंड	29.43	30.515	59.95
18.	उड़ीसा	603.16	633.225	1236.39
19.	पंजाब	46.79	48.96	95.75
20.	राजस्थान	390.89	410.99	801.88
21.	सिक्किम	5.46	5.085	10.55
22.	तमिलनाडु	0.00	257.95	257.95
23.	त्रिपुरा	70.00	112.98	182.98
24.	उत्तर प्रदेश	1809.65	1846.79	3656.44
25.	पश्चिम बंगाल	666.30	699.575	1365.88
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.00	0	0.00
27.	दा. व न. हवेली	0.00	2.725	2.73
28.	दमन व दीव	0.00	5.085	5.09
29.	लक्षद्वीप	0.00	1.27	1.27
30.	पांडिचेरी	0.00	10.55	10.55
	कुल	9082.00	9990.5	19081.50

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें) नियम, 2000 जो 17 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 611(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2173/2000]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती नियम, 2000 जो 27 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निदेशक, पुलिस दूरसंचार और महानिरीक्षक (संचार) सीमा सुरक्षा बल भर्ती नियम, 2000 जो 24 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2174/2000]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, मैं 31.12.1999 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दिशा-निर्देशों के अनुसार विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत, उन आवंटियों के नाम जिन्हें बिना बारी के आबंटन किये गये थे, दर्शाने वाले वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2175/2000]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2176/2000]

(3)(एक) आंध्र प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, हैदराबाद के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2177/2000]

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): महोदय, मैं कोल इंडिया लिमिटेड और खान तथा खनिज मंत्रालय (कोयला विभाग) के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2178/2000]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1)(एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2179/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति द्वारा 3 अगस्त, 2000 को प्रस्तुत अपने तीसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए:

1. श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल	23.2.2000 से 16.3.2000 और 17.4.2000 से 17.5.2000
2. श्री सुनील दत्त	24.7.2000 से 25.8.2000
3. श्री एच.जी. रामुलू	24.7.2000 से 25.8.2000
4. श्री इकबाल अहमद सरडगी	24.7.2000 से 25.8.2000
5. श्रीमती निशा चौधरी	24.7.2000 से 25.8.2000
6. श्रीमती कैलाशो देवी	24.7.2000 से 25.8.2000

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सदस्यों को अनुमति प्रदान करने पर सहमत है?

कई माननीय सदस्य: जी हाँ।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अपराह्न 12.03 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगें-1999-2000 के संबंध में 10वें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पहले प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों-1999-2000 के संबंध में 11वें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों-1999-2000 के संबंध में 12वें प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तीसरे प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 9—ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। प्रियरंजन दासमुंशी जी।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा से पहले हमें कुछ निवेदन करना है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, कल हमने इस बात का विवरण दिया था कि जो नरसंहार हुआ और कई लोग मारे गए, उसके बारे में...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सिंधिया जी, इसके बाद, हम दूसरा मुद्दा ले सकते हैं क्योंकि यह कार्यसूची में शामिल है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के इच्छुक नहीं हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात भी सुनिए। कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का नोटिस दिया है। मंत्री जी सभा में आए हैं। वे ध्यानाकर्षण का जवाब देने जा रहे हैं। ध्यानाकर्षण के पश्चात् आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, जब 100 लोग मारे जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की प्रतीक्षा कैसे कर सकते हैं। सभा इसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज की कार्यसूची में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शामिल है। परन्तु आप सभा में इस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा अब 'शून्य काल' आरंभ करेगी। भान सिंह भौरा जी।

...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): अध्यक्ष महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

इस समय, सरदार बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय: सभा अब 'शून्य काल' आरंभ करेगी। भान सिंह भौरा जी।

...*(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि इस मौसम के दौरान धान की खरीद न की जाए। ...*(व्यवधान)* इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय से धान की खेती करने वाले क्षेत्रों, विशेषकर पंजाब में किसानों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। बड़ी संख्या में सीमांत किसानों को नुकसान में अपनी फसलें बेचनी पड़ी। बाजार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद न करने से धान की कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं और किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जोकि उन्हें बर्बाद कर देगा। अतएव मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ इसके लिए उपाय करे ताकि भारतीय खाद्य निगम धान खरीदने और गिरते मूल्य स्तर को रोकने के लिए उचित योजना बनाए और इस प्रकार देश के लाखों निर्धन किसानों की रक्षा करे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने 'शून्य काल' के लिए कहा था। मैं अब 'शून्य काल' आरंभ कर रहा हूं, परन्तु आप उसे भी नहीं होने दे रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.08 बजे .

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्लीज, सिंधिया जी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। समझ में नहीं आता कि सरकार भयभीत होकर ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

...*(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन विषयों को सदन में उठाने की अनुमति दी जाये। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण एवं गंभीर है। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.04 बजे

इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सबको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कालिंग अटैंशन के बाद मैं आप सबको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर वापिस जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मिनिस्टर साहब का भी रेस्पांस सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी सीटों पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, मुझे नियम 377 के अधीन मेरे नाम के मामले को पढ़ने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पांडियन जी, मैं आपको अनुमति कैसे दूँ? पहले माननीय सदस्यों को उनकी सीटों तक जाने दें। मैं आपका नाम बाद में पुकारूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, कृपया आप मुझे इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.05 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 9 अगस्त, 2000/18 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 8 अगस्त, 2000/17 श्रावण, 1922 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
5	नीचे से 2	पीएच· पॉडियन	पी·एच·पॉडियन
262	8	श्री सुन्दर लाल पट	श्री सुन्दरलाल पटवा
299	नीचे से 14	2259	2559
309	17	2269	2569
319	10	श्री अर्जुन चरण सेठी	श्री अर्जुन सेठी

पी.एल.एस.–48/9/12/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।